खण्ड-353, अंक-4
बुधवार, 30 पौष, शक संवत् 1903
(20 जनवरी, 1982 ई0)

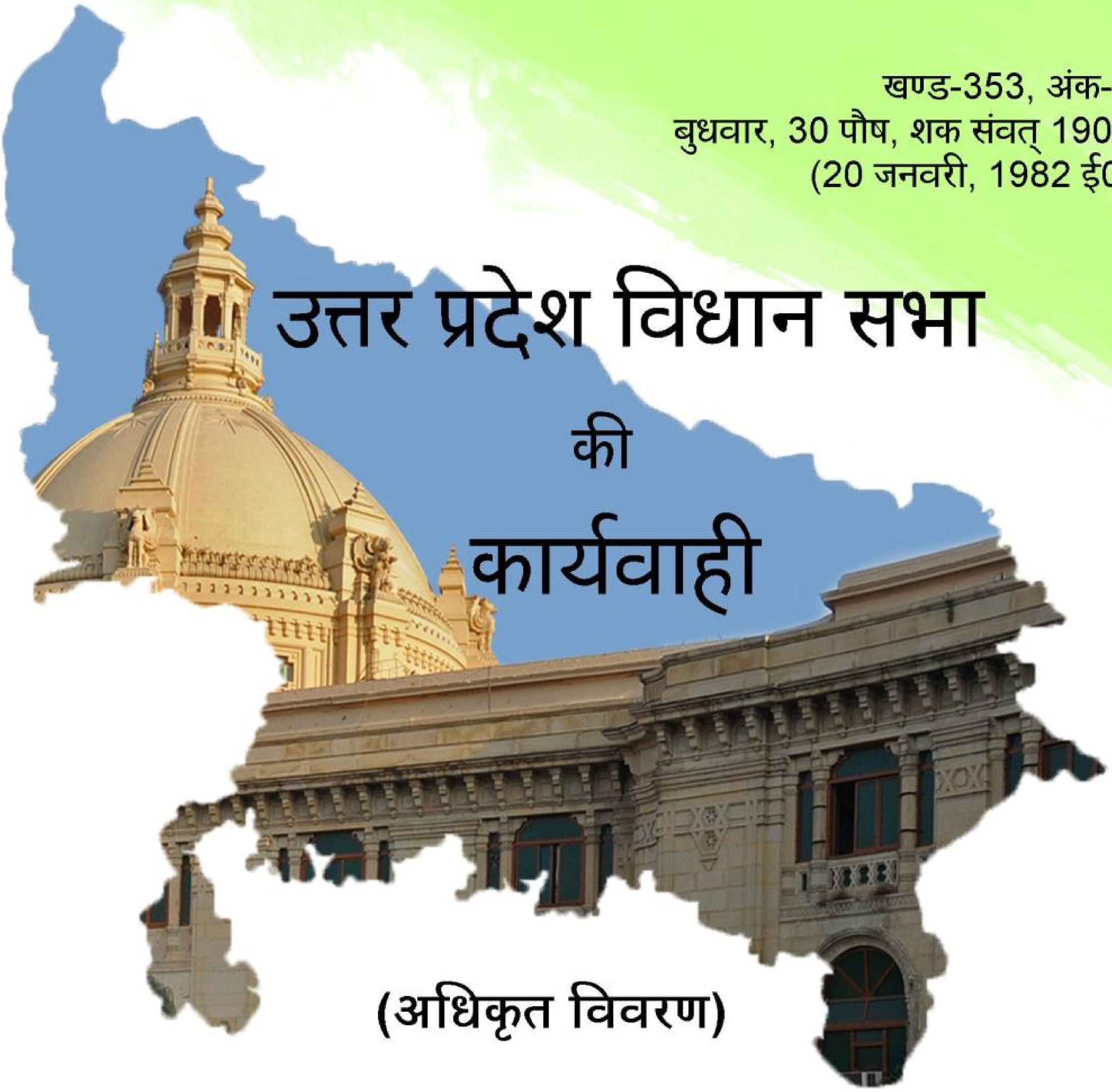

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 353 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)
1983

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	271–274
प्रश्नोत्तर	274–340
भूतपूर्व सदस्य, श्री बलदेव सिंह के निधन पर शोकोद्गार	340–343
मुजफ्फरनगर के जिलाधिकारी कार्यालय के समक्ष अनशन कर रहे छात्रों पर पुलिस द्वारा लाठी चार्ज के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	343
राज भवन के सामने प्रदर्शन कर रहे लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के सदस्यों पर लाठी चार्ज के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	343–344
चमोली जिले में वन्य जन्तुओं द्वारा किसानों की फसल व पालतू जानवरों को नुकसान के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	344
मैनपुरी जिले के करहल टाउन एरिया के सफाई कर्मचारियों के बकाया वेतन तथा हरिजन नेता श्री मुन्शीचरन द्वारा भूख हड़ताल की धमकी के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	345
शुगर मिल बिसवां, जिला सीतापुर के गेट पर प्रदर्शन कर रहे गन्ना किसानों की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	345–346
श्री जसवन्त सिंह विष्ट द्वारा दी गयी नियम 301 की सूचना को स्वीकार किए जाने की मांग	346
विगत सत्र में नियम 301 के अन्तर्गत शून्य प्रहर में प्राप्त सूचनाओं पर शासन द्वारा की गयी कार्यवाही का विवरण (सदन के पटल पर रखा गया) ..	347
कतिपय सदस्यों की गिरफ्तारी की सूचनाएं	347–348
कार्य-सूची की मद संख्या 6 का स्थगन	348
विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचनाएं	349
श्री मसरूर जाफरी द्वारा दल परिवर्तन के सम्बन्ध में सूचना	349
श्री अकबर अहमद द्वारा दी गयी विशेषाधिकार की अवहेलना के सम्बन्ध में जानकारी की मांग	349–350
19 जनवरी, 1982 के 'भारत बन्द' के सम्बन्ध में वक्तव्य ..	350–360
कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं.	360
'भारत बन्द' के सम्बन्ध में मुख्य मन्त्री द्वारा दिए गये वक्तव्य पर चर्चा की मांग	360–365
श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (जारी) ..	365–395
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	395
नत्थियां	397–434

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, दिनांक 20-1-82

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में उपाध्यक्ष श्री यादवेन्द्र सिंह की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य--330

अकबर अहमद, श्री	नैनीताल
अकबर हुसैन, श्री	मुरादाबाद
अजीत कुमार सिंह, श्री	कानपुर
अजीत सिंह सेठी, श्री	मेरठ
अनवार खां, श्री	अलीगढ़
अनवार मुहम्मद खां, श्री	फर्रुखाबाद
अबुल कलाम, श्री	आजमगढ़
अब्दुल रहमान खां नश्तर, श्री	कानपुर
अमरनाथ सिंह, श्री (उर्फ अनिल सिंह)	फतेहपुर
अमर सिंह, श्री	सहारनपुर
अम्बा प्रसाद वर्मा, श्री	बरेली
अम्बिका सिंह, श्री	बस्ती
अम्मार रिजवी, श्री	सीतापुर
अलमेलु अम्माल, कुमारी	बस्ती
आजाद कुमार कर्दम, श्री	आगरा
इन्द्रजीत, श्री	फतेहपुर
इन्द्र प्रताप सिंह, श्री (लल्लू)	बहराइच
ईश्वर दयाल त्यागी, श्री	गाजियाबाद
ईश्वर शरण विद्यार्थी, श्री	इलाहाबाद
उदयबीर सिंह, श्री	शाहजहांपुर
उपेन्द्र बहादुर सिंह, श्री (उर्फ सुत्तन भैय्या)	खीरी
उमेश्वर प्रताप सिंह, श्री	गोंडा
उर्मिला अग्निहोत्री, कुमारी	एटा
ऊदल, श्री	वाराणसी
ए0 सी0 ग्राइस, श्री	नाम निर्देशित आंग्ल भारतीय
ओम प्रकाश जिन्दल, श्री	आगरा
ओम प्रकाश रिछारिया, श्री	ललितपुर
कन्हैया लाल, श्री	मथुरा
कन्हैया लाल महेन्द्रू, श्री	लखनऊ
कमला दरियाबादी, श्रीमती	कानपुर
कमला देवी, श्रीमती	हरदोई
कमला प्रसाद सिंह, श्री	जौनपुर
कमला साहनी, श्रीमती	बस्ती
कल्यान सिंह सोलंकी, श्री	बरेली
कल्लू राम, श्री	मिर्जापुर
काशीनाथ मिश्र, श्री	बलिया
किशोरी शुक्ला, श्रीमती	गोरखपुर
कुंवर बहादुर मिश्र, श्री	हमीरपुर
कुंवर सिंह नेगी, श्री	चमोली
कुदसिया बेगम, श्रीमती	हरदोई
कुबेर भण्डारी, श्री	देवरिया
कृष्ण कुमार शुक्ल, श्री	रायबरेली
कृष्णदत्त, श्री (उर्फ बालराज)	फतेहपुर
कृष्ण मगन सिंह, श्री	बाराबंकी
कृष्ण वीर सिंह, श्री	बदायूं
कृष्णवीर सिंह कौशल, डाक्टर	आगरा
केदार सिंह, श्री	आजमगढ़
केदार नाथ सिंह, श्री	जौनपुर
केसरी प्रसाद, श्री	जौनपुर
केशोराम, श्री	बदायूं
कैलाश टण्डन, श्री	वाराणसी
कैलाश प्रसाद, श्री	गोरखपुर
खरपत, श्री	वाराणसी
खान शुकरान जाहिदी, श्री	फतेहपुर
खुदादीन अन्सारी, श्री	देवरिया
खुर्शीद अहमद अन्सारी, श्री	मुरादाबाद
खुर्शीद अहमद, श्री	बहराइच
खुशहाल सिंह रांगड़, श्री	टिहरी गढ़वाल
खैरुल बशर, श्री	आजमगढ़
ख्वाजा हलीम, श्री	अलीगढ़
गंगा सागर शंखधार, श्री	कानपुर
गजेन्द्र सिंह, श्री	बाराबंकी
गया सिंह, श्री	उन्नाव
गेंदा देवी, श्रीमती	बस्ती
गोपाल राम दास, श्री	अल्मोड़ा
गोपी नाथ दीक्षित, श्री	उन्नाव
गोरे लाल शाक्य, श्री	इटावा
गोवरधन तिवारी, श्री	अल्मोड़ा
गौरी देवी, श्रीमती	गोरखपुर
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री	इटावा
गौरी शंकर भैय्या, श्री	बलिया
चन्द्र शेखर त्रिवेदी, श्री	लखनऊ
चेतराम गंगवार, श्री	बरेली
छेदा लाल चौधरी, श्री	खीरी
छेदी लाल, श्री	गोंडा
जंग बहादुर, श्री	जौनपुर
जगदीश नरायन, श्री	फतेहपुर
जगदीश सिंह, श्री	शाहजहांपुर

जटा शंकर सिंह, श्री — बहराइच
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री — गोरखपुर
जमुना प्रसाद, श्री — बाराबंकी
जयदीप सिंह, श्री — बरेली
जसवन्त सिंह बिष्ट, श्री — अल्मोड़ा
जावेद अली, श्री — मथुरा
जितेन्द्रपाल सिंह, श्री — मुरादाबाद
जियाराम शुक्ल 'विकल साकेती,' श्री — फैजाबाद
जैराज गौतम, श्री — सुल्तानपुर
झग्गड़ सिंह, श्री — मेरठ
झिलमिट राम, श्री — गाजीपुर
तपेश्वर, श्री — आजमगढ़
तेज बहादुर सिंह, श्री — जौनपुर
तेज बहादुर गंगवार, श्री — पीलीभीत
त्रिवेनी, श्री — आजमगढ़
थम्मन सिंह गहलौत, श्री — बिजनौर
दलगंजन सिंह, श्री — जालौन
दामोदर शर्मा, श्री — मेरठ
दिवाकर विक्रम सिंह, श्री — बस्ती
दीना नाथ, श्री — बस्ती
दीपक कुमार, श्री — मुजफ्फरनगर
दीप नरायन वन महन्थ, श्री — गोंडा
दीपू उर्फ दीप नारायण, श्री — आजमगढ़
दुर्गा प्रसाद मिश्र, श्री — देवरिया
दूधनाथ राजभर, श्री — आजमगढ़
देवी प्रसाद, श्री — बहराइच
देवेन्द्र पाण्डेय, श्री — सुल्तानपुर
देवेन्द्र बहादुर सिंह, श्री — कानपुर
द्वारिका नाथ धवन, श्री — देहरादून
धनी राम वर्मा, श्री — इटावा
धनेश्वरी देवी, श्रीमती — वाराणसी
धरमपाल, श्री — बहराइच
धर्मपाल, डाक्टर — अलीगढ़
धर्मवीर सिंह त्यागी, श्री — मुजफ्फरनगर
धर्म सिंह, श्री — बुलन्दशहर
धूप राय, श्री — देवरिया
नकली सिंह, श्री — मुजफ्फरनगर
नत्थू लाल, श्री — हरदोई
नन्द किशोर सिंह, श्री — देवरिया
नरेन्द्र सिंह, श्री — मेरठ
नरेन्द्र सिंह भण्डारी, श्री — पौड़ी गढ़वाल
नरेन्द्र सिंह बिष्ट, श्री — पिथौरागढ़
नरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री — हरदोई
निर्भय नारायण सिंह, श्री (उर्फ लाल बाबू) — बलिया
नेत्रपाल सिंह, श्री — एटा
नौनिहाल सिंह, चौधरी — इलाहाबाद
पंचानन राय, श्री — आजमगढ़
पन्ने लाल, श्री — गोरखपुर
परमाई लाल, श्री — हरदोई
परमात्मा प्रसाद सिंह, श्री — बस्ती
परागी लाल चौधरी, श्री — सीतापुर
पहलवान, श्री — जौनपुर
पारवती देवी, श्रीमती — बाराबंकी
पुष्पा चौहान, श्रीमती — अलीगढ़
पूरन चन्द्र, श्री — अलीगढ़
प्रताप नारायण द्विवेदी, श्री — हमीरपुर
प्रभाकर नाथ द्विवेदी, — प्रतापगढ़
प्रभूनारायण सिंह, श्री — जौनपुर
प्रमोद कुमार, श्री — प्रतापगढ़
प्रियदर्शी जेतली, श्री — फैजाबाद
प्रेमवती, श्रीमती — बदायूं
प्रेमवती तिवारी, श्रीमती — लखनऊ
फखरे आलम, श्री — बदायूं
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री — गोरखपुर
बंशीधर राज, श्री — खीरी
बनवारी राम, श्री — वाराणसी
बलराम सिंह यादव, श्री — इटावा
बलबीर सिंह, श्री — फर्रुखाबाद
बलबीर सिंह, श्री — रामपुर
बलदेव सिंह आर्य, श्री — उत्तरकाशी
बाबू राम, श्री — पीलीभीत
बाबू लाल, श्री — गोंडा
बाबू लाल, श्री — हमीरपुर
बाबू सिंह, श्री — अलीगढ़
बिहारी लाल, श्री — नैनीताल
बिहारी लाल दोहरे, श्री — फर्रुखाबाद
बृजकिशोर मिश्र, डा० — देवरिया
बेनी बाई, श्रीमती — झांसी
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री — इलाहाबाद
भगवती सिंह विशारद, श्री — उन्नाव
भगवानदीन कुशवाहा, श्री — कानपुर
भागीरथ, श्री — झांसी
भानु प्रताप सिंह, श्री — बरेली
भीखा लाल, श्री — उन्नाव
भूधर नारायण मिश्रा, श्री — कानपुर
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री — गोरखपुर
भोला पाण्डेय, श्री — बलिया
मथुरा प्रसाद पाडेय, श्री — बस्ती
मन्जूर अहमद, श्री — मेरठ
मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ, श्री — बस्ती
मलिक मोहम्मद जमीर अहमद, श्री — एटा
मसरूर जाफरी, श्री (उर्फ शबरोज) — गोंडा

महारानी दोहरे, श्रीमती	इटावा
महेन्द्र रिपुदमन सिंह, राजा	आगरा
महेश उपाध्याय, श्री	आगरा
महेश चन्द्र, श्री	मेरठ
महेश प्रसाद, श्री	देवरिया
माण्डवी प्रसाद सिंह, श्री	वाराणसी
माता प्रसाद पाण्डेय, श्री	बस्ती
माधव प्रसाद, श्री	फैजाबाद
मानपाल सिंह एडवोकेट, श्री	एटा
मान बहादुर, श्री	गोंडा
मारकण्डेय चन्द्र, श्री	गोरखपुर
मित्रसेन, श्री	फैजाबाद
मीर मजहर अली, श्री	बदायूं
मुईद अहमद, श्री	सुल्तानपुर
मुन्शी लाल, श्री	मैनपुरी,
मुरलीधर मुनीम, श्री	गोंडा
मुहम्मद आजम खां, श्री	रामपुर
मेंहदी असगर, श्री	मुजफ्फरनगर
मोती लाल देहलवी, श्री	कानपुर
मोहन सिंह, श्री	देवरिया
मोहम्मद उमर, डाक्टर	गोंडा
मोहम्मद नबी, श्री	बस्ती
मोहम्मद रफी सिद्दीकी, श्री	लखनऊ
मोहम्मद वसीम, हाजी	रायबरेली
यदुनाथ सिंह, श्री	मिर्जापुर
यशपाल सिंह, श्री	बुलन्दशहर
यशपाल सिंह, श्री	सहारनपुर
यादवेन्द्र सिंह, श्री (उर्फ लल्लन जी)	गोरखपुर
योगेन्द्र सिंह, कुंवर	फर्रुखाबाद
योगेश चन्द्र, श्री	वाराणसी
रईसउद्दीन बारसी, श्री	मुरादाबाद
रघुराज प्रसाद उपाध्याय, श्री	गोंडा
रती राम, श्री	बिजनौर
रमाकान्त मिश्रा, श्री	इलाहाबाद
रमेश चन्द्र, श्री	रायबरेली
राज किशोर राव, श्री	बहराइच
राज कुमार राय, श्री	आजमगढ़
राजपति देवी, श्रीमती	सुल्तानपुर
राजेन्द्र अग्निहोत्री, श्री	झांसी
राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री	सीतापुर
राजेन्द्र सिंह, श्री	अलीगढ़
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री	फर्रुखाबाद
राधेश्याम पटेल, श्री	इलाहाबाद
राधे श्याम वर्मा, श्री	फर्रुखाबाद
राम अवध प्रसाद, श्री	बस्ती
राम आसरे वर्मा, श्री	हरदोई
राम औतार दीक्षित, श्री	हरदोई
राम करन, श्री	वाराणसी
राम कुंवर सिंह, श्री	आजमगढ़
राम कुमार भार्गव, श्री	सीतापुर
राम कृष्ण उपाध्याय, श्री	जौनपुर
राम कृष्ण माहेश्वरी, श्री	मुरादाबाद
राम गोविन्द, श्री	बलिया
राम चन्द्र, श्री	वाराणसी
राम चरण सिंह, श्री	मिर्जापुर
राम जनम सिंह, श्री	वाराणसी
रामजी राम, श्री	फैजाबाद
राम धनी, श्री	गाजीपुर
राम नारायण सिंह, एडवोकेट, श्री	गाजीपुर
राम नारायण पाठक श्री	कानपुर
राम प्यारे पाण्डेय, श्री	फतेहपुर
राम प्रसाद, श्री	जालौन
राम प्रसाद, श्री	मुजफ्फरनगर
राम भजन लाल, श्री	खीरी
राम रतन सिंह, श्री	सीतापुर
राम लाल, श्री	सीतापुर
रामलाल वर्मा, श्री	हरदोई
राम शिरोमणि, श्री	जौनपुर
राम समुझावन, श्री	जौनपुर
राम सागर, श्री	बाराबंकी
राम सिंह, श्री	सहारनपुर
राम सिंह, श्री	सुल्तानपुर
राम सिंह खन्ना, श्री	बरेली
राम सेवक, श्री	सुल्तानपुर
राम स्वरूप निम, श्री	सहारनपुर
राम स्वरूप वर्मा, श्री	कानपुर
राम हर्ष मिश्र, श्री	बहराइच
राम हर्ष राय, श्री	गाजीपुर
रामेश्वर प्रसाद, श्री	बांदा
रिजवानुर्रहमान किदवाई, श्री	बाराबंकी
रियासत हुसैन, श्री	मुरादाबाद
रुद्र प्रताप सिंह, श्री	देवरिया
रूप राम, श्री	शाहजहांपुर
रुल्हा सिंह, श्री	सहारनपुर
लल्ल सिंह चौहान, श्री	मैनपुरी
लाल प्रताप सिंह, श्री	प्रतापगढ़
लालसा, श्री	आजमगढ़
लोकमणि शर्मा, श्री	मथुरा
वासुदेव सिंह, श्री	प्रतापगढ़
विजय कुमार, श्री	लखनऊ
विजय पाल सिंह, श्री	गाजियाबाद
विजय शंकर सिंह, श्री	गाजीपुर
विजय सिंह, श्री	मिर्जापुर
विजय सिंह राना, श्री	आगरा

विधान परिषद सचिवालय

विनोद कुमार तिवारी, डा0	पीलीभीत
विमल प्रसाद तिवारी, श्री	फर्रुखाबाद
विमला राकेश, श्रीमती	सहारनपुर
बिशन लाल, श्री	बिजनौर
विश्वनाथ प्रताप सिंह, श्री	बांदा
विश्राम दास, श्री	इलाहाबाद
विष्णु दयाल वर्मा, श्री	मैनपुरी
वीर बहादुर सिंह, श्री	गोरखपुर
वीरेन्द्र कुमार चौधरी, श्री	सीतापुर
वीरेन्द्र प्रताप शाही, श्री	गोरखपुर
वीरेन्द्र सिंह ढाना, कुंवर	गाजियाबाद
शंकर सिंह, श्री	जालौन
शम्भूनाथ, श्री	आजमगढ़
शिरोमणि, श्री	बांदा
शिव दर्शन, श्री	रायबरेली
शिव नरेश, श्री	बांदा
शिवपाल सिंह, श्री	उन्नाव
शिव बालक, श्री	रायबरेली
शिवमंगल सिंह, श्री	मैनपुरी
शिवानन्द नौटियाल, डा0	पौड़ी गढ़वाल
शेर बहादुर, श्री	फैजाबाद
शौनाथ सिंह, श्री	बिजनौर
श्याम नारायन तिवारी, श्री	गोरखपुर
श्याम लाल वाजपेयी, श्री	बाराबंकी
श्याम सिंह, श्री	बिजनौर
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री	इलाहाबाद
श्रीकृष्ण गोयल, श्री	बदायूं
श्रीनाथ सिंह, श्री	वाराणसी
संकठा प्रसाद शास्त्री, श्री	वाराणसी
सतीश अजमानी, श्री	खीरी
सन्त बक्स रावत, श्री	लखनऊ
सरदार सिंह, श्री	मथुरा
साहब सिंह, श्री	गाजीपुर
सिकन्दर अली खां, श्री	शाहजहांपुर
सीताराम निषाद, श्री	फैजाबाद
सुखदा मिश्रा, श्रीमती	इटावा
सुखवीर सिंह गहलौत, श्री	गाजियाबाद
सुनीता चौहान, श्रीमती	रायबरेली
सुनील शास्त्री, श्री	गोरखपुर
सुन्दर सिंह, श्री	बहराइच
सुमनलता दीक्षित, कुमारी	कानपुर
सुरेन्द्र कपिल, श्री	सहारनपुर
सुरेन्द्र कुमार, श्री (उर्फ मुन्नी)	गाजियाबाद
सुरेन्द्र प्रताप नारायण, श्री	बस्ती
सुरेन्द्र सिंह, श्री	गाजीपुर
सुरेन्द्र सिंह चौहान, श्री	अलीगढ़
सुरेश दत्त पालीवाल, श्री	जालौन
सुल्तान सिंह, श्री	मुरादाबाद
सूबेदार सिंह, श्री	मैनपुरी
सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री	जौनपुर
सोमांश प्रकाश, श्री	मुजफ्फरनगर
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती	लखनऊ
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री	हमीरपुर
हंसराज सिंह वर्मा, श्री	एटा
हर गोविन्द वर्मा, श्री	सीतापुर
हरदेव, श्री	बलिया
हरनारायन सिंह, श्री	रायबरेली
हरवंश प्रसाद पाण्डेय, श्री	बांदा
हरिद्वार पाण्डेय, श्री	गोरखपुर
हरि प्रसाद, श्री	उन्नाव
हरिवंश सहाय, श्री	देवरिया
हरी किशन श्रीवास्तव, श्री	कानपुर
हरी शंकर, श्री	हरदोई
हाफिज मोहम्मद सिद्दीक, श्री	मुरादाबाद
हुकम सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
हेमचन्द्र निमेष, श्री	मेरठ

प्रश्नोत्तर

बुधवार, 20 जनवरी, 1982 ई0

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38 (2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

सुल्तानपुर बस स्टेशन की कैन्टीन के सम्बन्ध में टेंडर

*1—श्री रियासत हुसैन तथा श्री अकबर हुसैन—

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 15-1-81 को सुल्तानपुर बस स्टेशन की कैन्टीन के सम्बन्ध में किस-किस के कितने-कितने रुपए के टेन्डर प्राप्त हुए ? क्या यह सही है कि उनमें से सबसे ऊंची बोली वाले को न आवंटित करके किसी अन्य व्यक्ति को डेली वेजेज के आधार पर ठेका दिया हुआ है ? यदि हां, तो क्यों ? इस प्रणाली से कितने की हानि रोजाना हो रही है ?

परिवहन मंत्री (श्री वीरबहादुर सिंह)--

सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री रियासत हुसैन--

मान्यवर, मुझे तो इस पर सप्लीमेन्टरी करते हुए दुख होता है कि पहले यह सवाल 27-4-81 को दिया गया, फिर असेम्बली प्रोरोग हो गई। उसके बाद फिर यह सवाल किया गया। यह सुल्तानपुर बस-स्टेशन का मामला है, क्या मंत्री जी इस बात की भी जांच करायेंगे कि टेन्डर न देकर रोजाना के खर्चे पर ठेका दिया गया है ? उनको जितनी मात्रा में लाभ हो रहा है उतनी ही मात्रा में जनता का नुक्सान हो रहा है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

माननीय सदस्य जैसा कह रहे हैं, मैं जांच करा लूंगा, जांच का परिणाम आ जाने पर जो उत्तर आयेगा, वह बता दूंगा।

श्री उपाध्यक्ष--

मंत्री जी, यह प्रश्न 25-5-81 को पेश किया गया था और 27-4-81 को सबसे पहले आपके उत्तर के लिये आया। 16-9-81 को भी सरकार की तरफ से जो उत्तर आया वह यही आया कि "सूचना एकत्र की जा रही है" और आज भी यही उत्तर आया कि "सूचना एकत्र की जा रही है।" यह केवल एक जिले का मामला है। यदि एक ही जिले की सूचना एकत्रित करने में इतना समय लगेगा तो यह एक दयनीय स्थिति है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अगले हफ्ते आप अवश्य इस प्रश्न का उत्तर दे दें।

श्री विजय सिंह राना--

इनको तो घूमने से ही फुर्सत नहीं है, प्रश्न का उत्तर एकत्रित करने का समय ही कहां है इनके पास।

[बुधवार, 20 जनवरी, 1982 के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न]

*1--श्री राम आसरे वर्मा--

[माननीय मंत्री की प्रार्थना पर स्थगित।]

कुमायूं मण्डल में रोडवेज की बसों के साथ-साथ के०एन०ओ०यू० की बसें चलाने की माग

*2--श्री जसवन्त सिंह बिष्ट--

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 14 अक्तूबर, 1980 को कुमाऊं मंडल के विधायकों एवं संसद सदस्य द्वारा कुमाऊं मण्डल में के0 एम0 ओ0 यू0 की तथा रोडवेज की समानान्तर गाड़ियां (बसें) चलाने का मेजरनामा दिया गया है ? यदि हां, तो शासन ने उस पर क्या निर्णय लिया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां।

प्रस्ताव विधिक दृष्टि से मान्य नहीं।

श्री जसवन्त सिंह बिष्ट--

मान्यवर, हम लोगों ने सरकार को जो मेजरनामा दिया। उसका मूल उद्देश्य यह था कि पर्वतीय अंचल में परिवहन विभाग की जो गाड़ियां हैं वह कम मात्रा में है। कम मात्रा में चलती हैं और अक्सर खराब रहती हैं जिसकी जानकारी माननीय मंत्री जी को भी है और के0 एम0 ओ0 यू0 की गाड़ियां वहां पर काफी मात्रा में हैं और वह उसे चलाना भी चाहते हैं और उसके चलने से जनता को सुविधा भी है। इसलिये मैं चाहता हूं कि वहां पर परिवहन और के0 एम0 ओ0 यू0 दोनों विभाग की गाड़ियां समान रूप से चलें। लेकिन माननीय मंत्री जी कहते हैं कि यह विधिक दृष्टि से मान्य नहीं है तो हमारी समझ में यह नहीं आता कि परिवहन विभाग जनता की सुविधा देने के लिये है या . .

श्री उपाध्यक्ष---

माननीय विष्ट जी, आपका प्रश्न साफ नहीं हो रहा है।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

मान्यवर, मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि परिवहन विभाग की गाड़ियां जनता को सुविधा देने के लिये है या फिर जनता को परेशान करने के लिये है? इस भावना को देखते हुए मैं चाहता हूं कि पर्वतीय अंचल में परिवहन विभाग की और के0 एम0 ओ0 यू0 विभाग की, दोनों विभाग की गाड़ियां वहां पर सामानान्तर रूप से चलें, लेकिन माननीय मंत्री जी कहते हैं कि यह विधिक दृष्टि से मान्य नहीं है। मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि उनका विभाग जनता की सुविधा के लिये है या फिर जनता को परेशान करने के लिए है, पहले यह बात वह बता दें?

श्री उपाध्यक्ष--

यह तो कोई प्रश्न ही नहीं है, आप प्रश्न कीजिये।

श्री सूबेदार सिंह--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि जहां पर बसों का अभाव है और सरकार अपनी बसें उपलब्ध कराने में अक्षम है, वहां पर विधि या नियमों में संशोधन करके क्या सरकार यह व्यवस्था करेगी कि प्राइवेट बसों को भी चलने की अनुमति दी जाये?

श्री वीर बहादुर सिंह--

ऐसी कोई बात नहीं है। हमारी पालिसी यह है कि जो नेशनलाइज्ड रूट होते हैं, जिन सड़कों को हम नेशनलाइज्ड कर देते हैं, उनपर प्राइवेट बसों को नहीं चलने देते। जहां तक माननीय सदस्य का कहना है, तो कभी मांग आती है कि परिवहन निगम की बसों को चलाया जाये और कभी मांग आती है कि प्राइवेट ओनर्स को अनुमति दी जाये। तो नेशनलाइज्ड रूट पर वही प्राइवेट बसें चलती हैं जिनको हम अनुबन्धित कर लेते हैं।

श्री हुकम सिंह--

इन्होंने अभी सरकारी नीति के बारे में कहा है तो एक नहीं अनेकों मार्ग ऐसे हैं जहां पर प्राइवेट बसें चलती हैं सरकारी बसों के साथ-साथ। विशेषरूप से दिल्ली से देहरादून, मुजफ्फरनगर-मेरठ तक। इसलिये आपका यह कहना तो सत्य से परे है। पहाड़ी क्षेत्रों में जहां बसें कम हैं, और जो ज्ञापन दिया है, उस सन्दर्भ में आप कोई व्यवस्था करेंगे?

श्री वीर बहादुर सिंह--

यह बात नहीं है। होता यह है कि प्राइवेट ओनर्स, हम जब रूट नेशनलाइज्ड करते हैं तब कोर्ट से स्टे ले लेते हैं और कोर्ट यह आदेश देता है कि जब तक फैसला न हो जाये, बसें चलने दी जाये, तो रूट तो नेशनलाइज्ड हो जाता है लेकिन बसें चलती रहती हैं।

श्री हुकम सिंह--

मेरा प्रश्न यह था कि जो माननीय सदस्य ने स्पष्ट रूप से कहा है कि हिल-रीजन में राजकीय परिवहन निगम द्वारा उपलब्ध बसें बहुत कम हैं, तो उनकी सुविधा को देखते हुए, यदि अधिक बसें नहीं दे सकते तो क्या आप नियमों में परिवर्तन नहीं कर सकते जिससे प्राइवेट बसें चल सकें?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जो रूट नेशनलाइज्ड नहीं है वहीं प्राइवेट बसें चलती हैं लेकिन डिमाण्ड है नेशनलाइज्ड रूट पर भी प्राइवेट बसें चलने दी जायें, तो हमारी नीति ऐसी नहीं है।

*3—श्री ऊदल—

[20वें मंगलवार में तारांकित प्रश्न संख्या 8 के अन्तर्गत स्थानान्तरित] ।

*4—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

[6ठे शुक्रवार में तारांकित प्रश्न संख्या 5 के अन्तर्गत स्थानान्तरित:]

*5—श्री रुद्र प्रताप सिंह—

[दिनांक 16-9-81 को तारांकित प्रश्न संख्या 3 द्वारा उत्तरित]

समोधा ड्रेन (सुमेरपुर ब्लाक) के निर्माण सम्बन्धी शिकायतें

*6—श्री भगवती सिंह विशारद—

क्या सिंचाई मंत्री बतायेंगे कि भगवन्तनगर क्षेत्र (उन्नाव) के विधायक ने दिनांक 11-10-81 के पत्र के साथ जिला रायबरेली तथा उन्नाव के मिले जुले क्षेत्र के प्रधानों तथा विशिष्ट नागरिकों के हस्ताक्षरों युक्त कोई ऐसा शिकायती पत्र मिला है, जिसमें उन्होंने समोधा ड्रेन (सुमेरपुर ब्लाक) के निर्माण एवं खुदाई की ओर उस पर वांछित स्थानों पर पुल न बनाये जाने की शिकायत की है ? यदि हां, तो उनकी मुख्य-मुख्य शिकायतें क्या हैं ? और उन्हें कब तक दूर किया जायेगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां। प्रश्न में उल्लिखित पत्र में शिकायत की गई थी कि समोधा ड्रेन के लगभग 3 फर्लांग की लम्बाई में अपूर्ण होने के कारण पानी का निकास अवरुद्ध है जिससे काश्तकारों का नुकसान होता है तथा ड्रेन के प्रमुख मार्गों पर पुलिया के निर्माण न होने से यातायात की कठिनाई होती है।

समोधा ड्रेन पर कंकड़ की खुदाई का कार्य अब प्रगति पर है जो शीघ्र ही पूरा हो जायेगा तथा पुलिया का निर्माण कार्य भी वर्षाकाल तक पूरा किये जाने का प्रयत्न किया जा रहा है।

श्री भगवती सिंह विशारद—

क्या माननीय सिंचाई मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इस ड्रेन का निर्माण 2 साल पहले शुरू हुआ था और अब एक साल बाद इन पुलियों का निर्माण करवाने जा रहे हैं ? क्या माननीय मंत्री जी ऐसी कोई व्यवस्था करेंगे कि जिससे कि इसी मई, जून में पुलियों का निर्माण हो जाय ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

मान्यवर, मैंने कहा है कि जून के पहिले ही निर्माण कार्य पूरा कर दिया जायेगा और पुलिया भी बना दी जायेगी।

श्री टी० कुंवर तथा श्री रामनाथ मेहरोत्रा, अधिशासी अभियन्ता शारदा सहायक खण्ड २८, हैदरगढ़ (बाराबंकी) के विरुद्ध शिकायतें

*7—श्री श्यामलाल वाजपेयी—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 2-7-81 को उन्हें तथा सिंचाई सचिव को शारदा सहायक खंड 28 हैदरगढ़ (बाराबंकी) के अधिशासी अभियन्ता श्री टी० कुंवर के विरुद्ध भ्रष्टाचार संबंधी प्रश्नकर्त्ता ने जो निश्चित आरोप दिये थे, उसमें क्या हुआ है ? क्या जांच परिणामों से अवगत कराने की कृपा करेंगे ? क्या खंड 28 के पूर्व अधिशासी अभियन्ता श्री रामनाथ मेहरोत्रा से संबंधित बल्ली खरीद घोटाले से संबंधित सत्य को उजागर करने की कृपा करेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

प्रश्नकर्ता माननीय सदस्य के शिकायती पत्र दिनांक 2-7-81 के आरोपों पर प्रमुख अभियन्ता सिंचाई विभाग की जांच रिपोर्ट शासन को 6 जनवरी, 1982 को प्राप्त हो गयी है जिसका परीक्षण किया जा रहा है।

श्री राम नाथ मेहरोत्रा, अधिशासी अभियन्ता के विरुद्ध बल्लियों की खरीद विषयक मामलों की भी जांच रिपोर्ट शासन को दिसम्बर 31, 1981 को प्राप्त हो गई है, जिसका परीक्षण किया जा रहा है।

श्री श्यामलाल वाजपेयी--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के उत्तर के सन्दर्भ में उनसे कुछ कहने से पहले आपसे कुछ निवेदन करना चाहता हूं वह यह कि मुझे एजेंडा और प्रश्नों के उत्तर नहीं मिले।

श्री उपाध्यक्ष--

आप अपना प्रश्न कीजिए।

श्री श्याम लाल वाजपेयी--

यह इसी प्रश्न से संबंधित है। सरकार तो प्रश्नों का उत्तर 4 महीने में देती है तो मुझे कम से कम आधे घंटे का तो समय दिया जाय कि मैं पहले उत्तर को पढ़ तो सकूं कि उसमें क्या है। आप अपने विधान सभा सचिवालय से कह दें कि मैं सूट नं0 13 में रहता हूं। पहले तो एजेंडा और प्रश्नों के उत्तर जाते थे। लेकिन इस सेशन में पता नहीं क्या बात है कि इस सेशन में एजेंडा और प्रश्नों के उत्तर नहीं भेजे जाते हैं।

माननीय मंत्री जी के उत्तर के सन्दर्भ में मैं केवल दो शब्द माननीय मंत्री जी से पूछूंगा पहला तो यह कि जो अधिशासी अभियन्ता हैं उनके बारे में मैंने जो आरोप-पत्र दिया, वह मिल गया और उसकी जांच की रिपोर्ट भी प्राप्त हो गई शासन को, जिसका कि परीक्षण किया जा रहा है। इस परीक्षण के लिए मंत्री जी को बधाई। दूसरा जो बल्ली खरीद काण्ड है उसमें भी परीक्षण किया जा रहा है। मान्यवर, यह इतना बड़ा घोटाला है हैदरगढ़ के अन्दर जिसमें अधिशासी अभियन्ता का सगा भतीजा इन्वाल्व्ड है और उसको बचाने के लिए अधिशासी अभियन्ता महोदय उसमें तोड़-मरोड़ कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष--

आप प्रश्न कर रहे हैं या सूचना दे रहे हैं?

श्री श्याम लाल वाजपेयी--

मैं प्रश्न कर रहा हूं मान्यवर और, आपका संरक्षण चाहता हूं, मेरी मदद कीजिए वरना मैं भून दिया जाऊंगा।

क्या माननीय मंत्री जी मार्च के अन्त तक वर्तमान अभिशासी अभियन्ता को हटाने की कृपया करेंगे? दूसरा बल्ली खरीद काण्ड में सम्मानित सदन में तथ्यों को उजागर करने की कृपया करेंगे?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जो ट्रांसफर की नीति है कि मार्च तक कोई ट्रांसफर नहीं किये जायेंगे लेकिन जिनकी शिकायत गंभीर है उनकी जांच हो रही है और अगर शिकायत सत्य पाई गई तो ट्रांसफर नहीं बल्कि बहुत से ऐक्शन होने चाहिये। बल्ली खरीद की जांच कराई गई है और उसका परीक्षण हो रहा है और जब परीक्षण पूरा हो जायेगा तो माननीय सदस्य को पूरी सूचना दे दी जायेगी।

श्री श्याम लाल वाजपेयी--

बल्ली खरीद काण्ड जो है वह जो वर्तमान अधिशासी अभियन्ता है उससे पहले का है उसमें उसका सगा भतीजा जो एस0डी0ओ0है, वह इनवाल्व है? क्या ऐसी कोई सरकार के पास एजेंसी है कि वह जल्द से जल्द इसकी जांच करवा लें और उसकी सूचना दे दें?

श्री वीर बहादुर सिंह--

उसकी जांच मुख्य अभियन्ता से कराई गई है। उस जांच रिपोर्ट का परीक्षण हो रहा है। उसकी सूचना डिटेल में जब सब परीक्षण हो जायगा तब माननीय सदस्य को पूरा बता दिया जायगा।

महाराजगंज, जिला गोरखपुर में सिंचाई विभाग सम्बन्धी शिकायतें

*8--श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

क्या सिंचाई मंत्री को ज्ञात है कि जनपद गोरखपुर के निर्वाचन क्षेत्र महाराजगंज में सिंचाई विभाग (नहर) से संबंधित प्रश्नकर्ता का 9 मई, 81 का पत्र शिकायत रुप में मिला है जिसकी प्राप्ति की स्वीकृति उन्होंने अपने अ0 सं0 प0 सं0 1695 दिनांक 31-4-81 द्वारा किया है ? यदि हां, तो अब तक इस दिशा में क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

माननीय उपाध्यक्ष जी, मेरे जितने भी प्रश्न हैं, सब का उत्तर यही आया है कि सूचना एकत्र की जा रही है तो इसी सन्दर्भ के क्रम में क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि मुख्य मुख्य शिकायतें क्या हैं ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

माननीय सदस्य की शिकायतों की जांच कराई जा रही है। उसकी डिटेल में अभी रिपोर्ट नहीं आयी है। जितनी जल्दी जांच रिपोर्ट आयेगी उसकी सूचना आप को आने वाले अगले सत्र से पहले दे दी जायगी।

श्री उपाध्यक्ष--

15 दिन के पश्चात् जब यह प्रश्न आये तब आप फिर अपने प्रश्न को पूछ सकते हैं। फिर उसका जवाब आ जायेगा।

जिला बरेली के ब्लाक भदपुरा में नलकूप लगाने की मांग

*9--श्री चेतराम गंगवार--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उनको प्रश्नकर्ता का कोई प्रस्ताव अथवा प्रार्थना पत्र जिला बरेली के ब्लाक भदपुरा में 25 नलकूप लगाने के संबंध में 28 जून, 1981 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या वह बतायेंगे कि भदपुरा ब्लाक में कुल कितने नलकूप स्वीकृत किये गये हैं तथा वह कब तक लगा दिये जायेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां। नलकूपों का आवंटन शासन द्वारा जनपदवार किया जाता है। यह जनपद में कहां-कहां लगेंगे इसका निर्णय जिला सिंचाई सलाहकार समिति एवं जिला नलकूप चयन समिति के परामर्श से होता है। भदपुरा ब्लाक में विशेष रूप से नलकूप लगाने हेतु शासन द्वारा कोई आदेश नहीं दिये गये हैं।

श्री चेतराम गंगवार--

मान्यवर, मेरा प्रश्न कोई नीति विषयक नहीं है। माननीय मंत्री जी ने स्पष्ट आदेश दिया था कि सिंचाई सचिव कृपा कर नलकूप बनवा दें। मंत्री जी के आदेश होने के बावजूद उस की अवहेलना की गयी और भदपुरा ब्लाक में आज तक कोई नलकूप नहीं बनवाया गया उसका क्या कारण है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

भदपुरा ब्लाक में नहरें हैं वहां अभी तक कोई नलकूप नहीं है। वहां नहरों से सिंचाई होती है। माननीय सदस्य ने कहा कि वहां बहुत सी जगहों पर नलकूप लगाने की जरूरत

है तो वहां पर बहुत सी जगहों का सर्वे कराया गया है। देखा गया है कि कहां-कहां नलकूप लगाया जा सकता है। केवल दो तीन जगहों पर नलकूप लगाने की जरूरत मालूम हुई है और इन जगहों पर नलकूप लगाने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

श्री चेतराम गंगवार--

माननीय मंत्री जी ने कहा कि वहां सर्वे कराया गया है तो मैं जानना चाहता हूं कि सर्वे किस अधिकारी द्वारा किस तारीख को किस-किस जगह का कराया गया है और वे दो तीन स्थान कौन हैं जहां ट्यूबवेल लगाने की बात की जा रही है। दूसरा प्रश्न यह है कि भटपुरा ब्लाक सिंचाई के मामले में बरेली के 15 ब्लाक में सबसे पिछड़ा हुआ है इस बात को देखते हुए क्या वे बतलाने की कृपा करेंगे कि वहां एक निश्चित मात्रा में कितने ट्यूबवेल लगाये जायेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

मैंने कहा कि सर्वे कराया गया है और तीन जगहों पर ट्यूबवेल लगाने की बात कही गयी है। जहां जरूरत होगी वहां ट्यूबवेल लगाने की कोशिश की जायगी।

श्री चेतराम गंगवार--

वे तीन नाम कौन कौन है ? अधिकारीगण गलत सूचना देकर माननीय मंत्री जी को गुमराह कर रहे हैं। माननीय मंत्री जी ने मेरे प्रार्थना पर एक बार कहा था कि वहां 25 ट्यूबवेल लगवा दिये जायेंगे। एक बार कहा कि 50 ट्यूबवेल लगवा दिये जायेंगे।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय सदस्य अपना स्थान ग्रहण करें। अग्निहोत्री जी, आप अपना आसन ग्रहण करें। माननीय गंगवार जी, आप अपना प्रश्न दोबारा पूछ लें।

श्री चेतराम गंगवार--

माननीय मुख्य मंत्री जी के आदेश है कि जो क्षेत्र पिछड़े है वहां विकास कार्य किये जायेंगे। तो इसको देखते हुये भदपुरा ब्लाक जो बहुत ही पिछड़ा हुआ है और वहां सिंचाई के कोई साधन नहीं है, क्या माननीय मंत्री जी सर्वे करा कर एक निश्चित मात्रा में वहां ट्यूबवैल लगवाने की कृपा करेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष--

उन्होंने कहा तो कि सर्वे कराया गया है।

श्री वीर बहादुर सिंह--

मैंने कहा कि सर्वे कराया गया है और जहां जरूरत होगी वहां ट्यूबवेल लगाने की कोशिश की जायेगी।

(कुछ सदस्यों के खड़े होने पर)

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

जिसका प्रश्न होता है उसे सप्लीमेंटरी करने का पहले हक होता है।

श्री भोलानाथ--

माननीय मंत्री जी ने अभी नीति की बात कही कि नलकूपों का आवंटन जिलों में जिला सिंचाई समिति करती है। यह सही है। मैं जानना चाहता हूं कि जिलों में जो नलकूपों की संख्या दी जाती है वह राज्य सरकार से दी जाती है तो राज्य सरकार किस आधार पर किस जिले में कितने नलकूप देती है ? क्या प्रत्येक जिले में जहां आपने सर्वे करा लिया है कि इतने नलकूपों की आवश्यकता है उतनी आवश्यकता के अनुपात में देते हैं या कोई दूसरा आधार है ?

श्री वीर बहादुर सिंह---

बहुत सी ऐसी जगहें है जैसे पिछड़ी एरिया हैं मथुरा, आगरा का एरिया है, जहाँ पर खारा पानी निकलता है वहां नलकूप सफल नहीं होते है वहां हम चाहते हुये भी नलकूप नहीं लगा सकते क्योंकि पानी सिंचाई लायक नहीं होता है। देखना यह होता है कि कहां नलकूप लगा सकते हैं, कहां सिंचाई हो सकती है। पहले तो यह था कि नलकूप कहां ज्यादा लगा सकते हैं अब जो सबसे पिछड़े क्षेत्र हैं उनको प्रायरिटी दी जा रही है। जहां पर हमारी जमीन फरटाइल है अगर वहां पर पानी, बिजली दे दी जाय तो हमारी पैदावार बढ़ सकती है। इन सारी बातों का सर्वे कराकर नलकूप लगाने की योजना है।

श्री रियासत हुसैन---

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो प्रदेशीय स्तर पर बरेली जिले के लिए कुओं का आवंटन हुआ था, वे कितने थे? उसके उपरान्त जब बरेली में पार्लियामेंट का चुनाव हुआ, तीन कुएं स्पेशल रूप से दिये गये और प्रश्नकर्ता इसी बीच विरोध पक्ष से सत्ता पक्ष में चले गये। इस चीज को ध्यान में रखते हुये क्या प्रश्नकर्ता को कुछ कुयें आप मंजूर करेंगे?

श्री उपाध्यक्ष---

माननीय रियासत हुसैन जी, इस प्रश्न का उत्तर आप गंगवार जी से ही ले लें, माननीय मंत्री जी को छोड़ दीजिए।

श्री रियासत हुसैन---

मेरे प्रश्न का दूसरा भाग भी है। पूरे प्रदेशीय स्तर पर बरेली जिले के लिए कितने कुओं का आवंटन हुआ। जून में संसदीय चुनाव की वजह से तीन कुएं बरेली जिले को विशेष रूप से दिये गये और यह भदपुरा ब्लाक भी उसी क्षेत्र में आता है, जहां इलेक्शन था फिर भी कुएं नहीं लग सके क्योंकि शिकायत अभी भी मौजूद है। क्या आप इस क्षेत्र को कुछ कुएं देंगे? अब तो आप जीत गये हैं।

श्री चेतराम गंगवार---

मान्यवर, रियासत साहब के यहां की जमीन इतनी कठोर है कि वहां पर कोई मशीन काम नहीं कर सकती।

श्री उपाध्यक्ष---

आप पड़ोसी हैं। एक दूसरे की जमीन को अच्छी तरह से जानते हैं।

श्री शंकर सिंह---

माननीय मंत्री जी ने कहा कि सर्वे कराने जा रहे हैं और सर्वे कराने के बाद पूरे कुएँ नहीं निकाल सके। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उनके विभाग के यह आदेश हो चुके हैं कि पिछड़े क्षेत्रों में ज्यादा से ज्यादा नलकूप लगाये जायं? यह सरकार की नीति है। लेकिन सर्वे कराने के बाद भी इसी क्षेत्र में ही नहीं और भी क्षेत्रों में नलकूप इसलिए नहीं निकाल पा रहे है क्योंकि इनके विभाग ने आदेश दिये है कि जो नलकूप नये लगाये जायं उन का बिजली का कनेक्शन, बिजली की लाइन डेढ़ किलोमीटर के फासले से अधिक न हो। पिछड़े हुये क्षेत्रों में डेढ़ किलोमीटर पर न तो ट्यूबवेल मिल पायेगा और न बिजली की लाइन मिल पायेगी। इस कारण नलकूप नहीं लगाये जा रहे हैं कि यह जो डेढ़ किलोमीटर की शर्त रखी गयी है।

श्री उपाध्यक्ष---

शंकर सिंह जी, आपका प्रश्न यह इतना व्यापक हो गया है कि मूल प्रश्न उसमें खो गया। यह प्रश्न नहीं उठता।

*10---श्री सत्यपाल सिंह---

[17वें मंगलवार में तारांकित प्रश्न संख्या 15 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

ग्राम जैथरी, तहसील राम सनेहीघाट, जिला बाराबंकी में जलभराव की समस्या

*11—श्री भीखालाल—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या उन्हें श्री हाफिज अब्दुल हसीब निवासी कस्बा रुदौली, बाराबंकी का कोई प्रार्थना-पत्र प्रश्नकर्ता के पत्र के साथ दिनांक 12-3-81 को जनपद बाराबंकी के तहसील रामसनेहीघाट के अन्तर्गत ग्राम जैथरी में वर्षा, बाढ़ तथा नहर व ड्रेनेज द्वारा छोड़े गये पानी से सालों साल जलभराव के कारण तराई की सभी फसलें डूब जाने से संबंधित प्राप्त हुआ है ? यदि हां, जो जल निकासी हेतु शासन द्वारा कोई योजना तैयार की जा रही है ? यदि हां, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां।

ग्राम जैथरी के प्रभावित क्षेत्र से नहर एवं वर्षा का पानी निकालने के संबंध में निम्नलिखित कार्य प्रस्तावित है—

1—दशरथनाला क्षेत्र को ड्रेनर में परिवर्तित करना।

2—क्षेत्र में प्राकृतिक नाले का पुनरोद्धार। जहां तक घाघरा नदी की बाढ़ से इस निचले क्षेत्र की सुरक्षा का प्रश्न है, कोई योजना बनाना संभव नहीं है।

श्री भीखा लाल—

क्या माननीय सिंचाई मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जो दो काम विभाग ने प्रस्तावित किये हैं, ये कब प्रस्तावित किये गये थे और उन पर अब तक क्या प्रगति हुई है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

मान्यवर, ये अभी प्रस्तावित किये गये हैं। लेकिन जो माननीय सदस्य की इच्छा है और जो ग्रामवालों ने प्रार्थना पत्र दिया था उसको देखते हुये उसको जल्दी कराया जायेगा और जून के पहले ही पूरा करा दिया जायेगा।

*12—श्री राज कुमार राय—

[माननीय मंत्री की प्रार्थना पर स्थगित]

ब्लाक मीरगंज, जिला बरेली में राजकीय ट्यूबवेल की नालियों की मरम्मत की मांग

*13—श्री जयदीप सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री बतायेंगे कि ब्लाक मीरगंज, जिला बरेली में राजकीय ट्यूबवेलों की नालियों की जर्जर दशा को देखते हुये क्या सरकार उनकी मरम्मत कराने हेतु निर्देश पारित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री जयदीप सिंह—

मान्यवर, इस प्रश्न में जो उत्तर दिया गया है कि सूचना एकत्रित की जा रही है, वह तो मांगी ही नहीं गई थी। किस बात की सूचना एकत्रित की जा रही है। मैंने जो प्रश्न किया था कि वह तो यह था कि बरेली में राजकीय ट्यूबवेलों की जर्जर नालियों की मरम्मत के लिये सरकार कब निर्देश पारित करेगी ? तो सूचना मंगाने का प्रश्न ही नहीं उठता है, किस चीज की सूचना मांगी जा रही है ?

श्री वीर बहादुर सिंह---

मान्यवर, इस वक्त वहां पर जो नलकूप हैं उनकी सूचना मांगी गई है। आपने खाली जर्जर नालियों की स्थिति के बारे में पूछा है। हमने नवम्बर में एक कम्पेन चलाया था कि प्रदेश में जो भी ट्यूबवेल हैं उनके अन्दर जो भी कमी है उसको एक माह के अन्दर पूरा कर दिया जाय। और इस बारे में जिस किसी की भी लापरवाही पायी जायेगी उस के खिलाफ ऐक्शन लिया जायेगा। जिले में जितने भी ऐसे ट्यूबवेल हैं उन सब की रिपोर्ट हम मंगा रहे हैं। माननीय सदस्य ने किस ट्यूबवेल की नाली को जर्जर अवस्था में देखा, यह साफ नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष---

यह प्रश्न तो बरेली जिले के एक ब्लाक से ताल्लुक रखता था, मंत्री जी।

श्री वीर बहादुर सिंह---

मान्यवर, एक ब्लाक में भी 37 ट्यूबवेल हैं और सब ट्यूबवेलों का हमको मंगाना है।

श्री उपाध्यक्ष---

अब 15 दिन के बाद यह प्रश्न फिर आयेगा।

गोंडा फैजाबाद मार्ग पर ढुढि यापार में बस स्टेशन खोलने की मांग

*14---श्री धरम पाल---

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि दिनांक 23 मार्च, 1979 को तत्कालीन परिवहन मंत्री ने गोंडा फैजाबाद मार्ग पर गोंडा से 20 कि0 मी0 पर स्थित ग्राम ढुढियापार में बस स्टेशन खोलने का आदेश दिया था? यदि हां, तो क्या बस स्टेशन खुला? यदि नहीं, तो क्यों? और उसके कब तक खुल जाने की संभावना है?

श्री वीर बहादुर सिंह---

सूचना एकत्र की जा रही है।

यू०पी० जेल्स एसोसिएशन की मांगें एवं आन्दोलन

*15---श्री वीरेन्द्र प्रताप शाही, श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त तथा श्री गौरी शंकर भैय्या---

क्या कारागार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 कारागार के कर्मचारियों एवं अधिकारियों ने यू0 पी0 जेल्स एसोसियेशन के माध्यम से 29 नवम्बर, 1980 से अपनी मांगों के समर्थन में आन्दोलन किया था? क्या यह सच है कि मुख्य मंत्री एवं यू0 पी0 जेल्स एसोसियेशन के पदाधिकारियों के बीच दिनांक 12-12-80 को कोई समझौता हुआ था? यदि हां, तो उनकी मांगें क्या थीं और कौन-कौन-सी मांगें मानी गयी थीं? क्या मुख्य मंत्री जी ने उ0 प्र0 पुलिस के कर्मचारियों एवं अधिकारियों के समान कारागार कर्मचारियों व अधिकारियों को वेतन एवं सुविधा देने का लिखित आश्वासन दिया था? क्या दिनांक 12-12-80 के समझौते की शर्तें एवं मांगें सरकार द्वारा न मानने के कारण दिनांक 10-10-81 से कारागार कर्मियों ने पुनः आन्दोलन प्रारम्भ कर दिया है?

जेल मंत्री (श्री राम सिंह खन्ना)---

जी हां।

दिनांक 12-12-80 को मुख्य मंत्री जी एवं यू0 पी0 जेल्स एसोसियेशन के पदाधिकारियों के बीच कोई समझौता नहीं हुआ था, बल्कि केवल वार्ता हुई थी। उनकी मांगे निम्नवत् थीं:---

1---पुलिस कर्मियों के समान वेतनमान दिया जाना।
2---पुलिस कर्मियों के समान एक माह का अतिरिक्त वेतन दिया जाना।
3---पुलिस कर्मियों के समान वर्दी धुलाई भत्ता दिया जाना।
4---आवास की व्यवस्था किया जाना।

5--कतिपय स्थानों पर बच्चों की पढ़ाई के लिये बसों का प्रबन्ध किया जाना।

6--सहायक/उप जेलर के पद सृजित किया जाना।

7--रिवाल्वर तथा निःशुल्क लाइसेंस दिलाये जाने की व्यवस्था का किया जाना।

8--पुलिस कर्मियों की भांति बीमा की सीमा का बढ़ाया जाना।

9--अर्थ दण्ड का समाप्त किया जाना।

10--वार्डर तथा टेक्निकल स्टाफ के लिये सहायक जेलर के पद पर प्रोन्नति की व्यवस्था किया जाना।

11--गैर प्रशासनिक पद धारकों से जमानत न लिया जाना।

12--लीव रिजर्व वार्डरों को वर्दी दिया जाना।

13--जेल आयोग का गठन किया जाना।

14--परामर्शदात्री समिति का गठन किया जाना।

इनके विषय में तत्कालीन कारागार मंत्री जी की अध्यक्षता में जेल एसोसियेशन की उक्त मांगों के सम्बन्ध में एक बैठक हुई थी। बैठक में लिये गये निर्णय का विवरण संलग्न है। इस बैठक के बाद मुख्य मंत्री जी से भी वार्ता हुई, जिसमें उन्होंने कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों को हड़ताल वापस लेने की राय दी। क्रम संख्या 2, 3, 9, 10 एवं 12 पर उल्लिखित मांगों को यथा सम्भव स्वीकार किया जा चुका है।

जी नहीं।

अन्य मांगों को लेकर दिनांक 10-10-81 से कारागार कर्मियों ने आन्दोलन किया।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 397-398 पर)।

श्री वीरेन्द्र प्रताप शाही--

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि मांग नम्बर 2 और मांग नम्बर 9 के सम्बन्ध में जेल कर्मियों पर पुनः दन्ड कर लगाया जा रहा है और आई0 जी0 जेल द्वारा लगाया जा रहा है? मैं जानना चाहता हूं कि पुलिस कर्मियों के समान जेल कर्मियों को भी एक माह का अतिरिक्त वेतन दिया जा रहा है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राम सिंह खन्ना--

आपका प्रश्न मांग नं0 2 और 9 में किसके बारे में है दो तो पुलिस कर्मियों के समान एक माह का अतिरिक्त वेतन दिया जाना है। और 9 अर्थ दण्ड का समाप्त किया जाना है।

श्री वीरेन्द्र प्रताप शाही--

9 के बारे में है।

श्री राम सिंह खन्ना--

9 अर्थ दण्ड समाप्त किये जाने के बारे में है अभी जो आन्दोलन चला, स्ट्राइक चली उसमें समाप्त करने के आर्डर दिये हैं उसको मैं दिखवा लूंगा।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, यह जो प्रश्न का अंतिम भाग है जिस पर आंदोलन चलाया गया। इस संदर्भ में मैं जानना चाहता हूं कि यह जो दुबारा जेल कर्मियों ने आन्दोलन चलाया, तो उनकी मांगें क्या थीं? क्या यह नहीं है कि शासन और जेल कर्मियों के बीच कोई समझौता वार्ता हुई जिसके तहत आन्दोलन वापस हुआ? उस समझौते पर किन-किन बिन्दुओं पर विचार शासन ने किया और जो आश्वासन दिया गया उसको पूरा करने में क्या प्रगति हुई है?

श्री राम सिंह खन्ना--

मुख्य मांग पुलिस कर्मियों के समान वेतन की थी उनका ख्याल था कि पिछली बातचीत में यह आश्वासन दिया गया है कि हम उसे कार्यान्वित करेंगे लेकिन हमने साफ तौर पर बता दिया कि जो समितियां तथा आयोग 1947 से आज तक बैठे उन सब का कहना यह है कि जेल कर्मियों की कार्यशैली, कार्यभार कार्य क्षेत्र और ट्रेनिंग में अंतर है इसलिए समानता का सवाल पैदा नहीं होता। उन्होंने जो हड़ताल वापस ली, उन्होंने विवेकपूर्ण फैसला किया और उन्होंने यह समझा कि इसका चलना उचित नहीं है, न प्रदेश के हित में है और न उनके हित में है और बिना शर्त वापस ले ली और उनसे यह कह दिया गया कि कोई अन्याय केवल हड़ताल पर जाने की वजह से उन पर नहीं होगा।

श्री रियासत हुसैन--

श्रीमन्, माननीय मंत्री जी के उत्तर से संबंधित जैसा कि उन्होंने कहा कि शासन ने उनको आश्वासन दिया कि कोई ज्यादती नहीं की जायेगी, विक्टिमाईजेशन उनका नहीं होगा। तो क्या माननीय मंत्री जी को विदित है कि आज भी उनके साथ जिस आश्वासन पर उन्होंने हड़ताल वापस ली, उसके पूरा न होने के कारण असंतोष व्याप्त है, उनसे कहा गया था कि सब को नौकरी पर रख लिया जायेगा लेकिन नहीं रखा गया है ? तो क्या इस परिपेक्ष में एक बार फिर उनके एसोसियेशन वालों से या उनके नेताओं से बात करेंगे और स्पष्ट करेंगे कि उनकी पूर्ति में क्या कठिनाई हो रही है ?

श्री राम सिंह खन्ना--

जब कभी भी, जो कोई भी बात करना चाहेगा, हर वक्त हम उसकी बात सुनेंगे, जो उचित दिक्कतें होंगी उनको भी दूर करने की कोशिश करेंगे।

श्री मोहन सिंह--

माननीय मन्त्री जी ने जैसा कहा उन्होंने प्रदेश और अपने हित में हड़ताल वापस ले ली। तो मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि जब से हड़ताल वापस ली तब से अब तक कितने जेल कर्मी बचे हुए हैं जिनको ड्यूटी नहीं दी गयी है, कितनों का निलम्बन वापस नहीं हुआ ?

श्री राम सिंह खन्ना--

इसके पूरे आंकड़े मेरे पास नहीं हैं क्योंकि यह प्रश्न इस परिधि में नहीं आता। यह अवश्य है कि सामान्य प्रशासन को चलाने की पूरी प्रक्रिया अपनाई जा रही है। रोजाना आप अखबारों में पढ़ रहे हैं स्ट्राइक की वजह से कहीं कैदी मारे जा रहे हैं, कहीं वह आपस में लड़ रहे हैं। तो जो खराबी आ गई थी उसको ठीक करने में थोड़ी देर हो सकती है। लेकिन काम वही किया जायगा जो कह दिया गया है कि किसी के साथ अन्याय नहीं होने दिया जायगा।

श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, मैंने स्पष्ट सवाल किया था कि कितने ऐसे जेल कर्मी हैं जिनका निलम्बन अभी समाप्त नहीं हुआ लेकिन इसके सम्बन्ध में माननीय मन्त्री जी के पास ठीक-ठीक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। तो ठीक है आंकड़े न होते हुए भी क्या अभी भी कुछ ऐसे जेल कर्मी हैं जिनका निलम्बन समाप्त नहीं हुआ है, क्या यह सच है कि उनको ड्यूटी नहीं दी गयी है ?

श्री राम सिंह खन्ना--

पूरी तरह से जानकारी नहीं है लेकिन कोई भी लोग जिन्होंने कहा कि वह काम करना चाहते हैं किसी को भी बाहर नहीं रखा गया है ऐसी मेरी जानकारी है।

श्री यदुनाथ सिंह--

क्या मन्त्री जी को जानकारी है कि जेल कर्मियों का वेतन आजादी के पहले और बाद में सन् 61 तक पुलिस कर्मियों से ज्यादा था ? और अभी तक अप्रेंटिस के जितने कर्मी थे उनको अभी तक डियूटी पर वापस नहीं लिया गया है ?

श्री राम सिंह खन्ना--

ड्यूटी पर गए हैं तो उनको लिया गया होगा और नहीं गए होंगे तो उनके लिए मजबूरी है ।

श्री मोती लाल देहलवी--

सरकारी घोषणा थी कि मध्यावधि में किसी सरकारी अधिकारी या कर्मचारी का स्थानान्तरण नहीं होगा, यह होते हुए भी क्या मन्त्री जी यह जानकारी देने की कृपा करेंगे कि हड़ताल के समझौते के बाद से कितने जेल अधिकारियों और कर्मचारियों का स्थानान्तरण किया गया है ?

श्री राम सिंह खन्ना--

मैंने बताया यह ऐसा प्रश्न था, इसकी आवश्यकता नहीं महसूस होती थी, इसलिए आंकड़े मौजूद नहीं हैं, लेकिन सिद्धान्तः हम ऐसा नहीं करते ।

श्री मोती लाल देहलवी--

आपने कहा दण्डात्मक कार्यवाही नहीं होगी, लेकिन यह हो गयी, तो इसके आंकड़े क्यों नहीं हैं ?

श्री राम सिंह खन्ना--

अगर किसी के साथ अन्याय हुआ होगा तो शासन देखने के लिए तैयार है, लेकिन यदि उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही या किसी तोड़-फोड़ की कार्यवाही के आरोप होंगे तो उनके साथ दूसरा व्यवहार होगा ।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

आपने यह जानकारी दी है कि जो काम पर आना चाहते हैं उनको काम पर ले लिया जायगा, तो क्या शासन ने इस प्रकार के कोई आदेश भेजे हैं इन सभी कर्मचारियों को जो हड़ताल से पहले किसी कारण से निकाल दिए गये हैं उनका निलम्बन आदेश वापस लेते हुए यदि वह काम पर वापस आते हैं तो उनको काम पर वापस ले लिया जाय ?

श्री राम सिंह खन्ना--

यह आदेश दिया गया है ।

श्री गौरी शंकर भैय्या--

जेल मैनुअल के जरिए सभी प्रकार के जेल कर्मियों को नियंत्रित किया जाता है, जो कि आजादी के पहले का बना हुआ है, तो क्या आजादी के बाद अब नये परिवेश में वह नया जेल मैनुअल बनाने का प्रयास करेंगे ?

(अध्यक्ष द्वारा पुकारे जाने के पूर्व ही)

श्री राम सिंह खन्ना--

इस पर कार्यवाही की जा रही है ।

श्री उपाध्यक्ष--

आपका प्रश्न मूल प्रश्न से अलग हो गया है ।

श्री गौरी शंकर भैय्या--

जेल मैनुअल के अनुसार ही शासन उनके साथ कार्यवाही करता है, जिसके लिए मजबूर होकर उनको हड़ताल करनी पड़ी, तो जो मांगें आपने मानने की दिशा में कुछ किया है, तो उसके लिए आपको उस मैनुअल में संशोधन करना पड़ेगा ?

श्री उपाध्यक्ष--

आपका पूरक प्रश्न मूल प्रश्न से अलग जा रहा है, आप बैठें ।

श्री विजय सिंह राना--

मन्त्री जी ने अभी कहा था कि जितने कर्मचारी काम पर वापस आना चाहते थे, उनको काम पर वापस ले लिया गया है, लेकिन आपके विभाग ने इसी सन्दर्भ में अभी कुछ नई नियुक्तियां की हैं और सभी कर्मचारी काम पर वापस आ गये हैं, तो यह नई नियुक्तियां कहां की गयी हैं ?

श्री उपाध्यक्ष --

यह प्रश्न इस प्रश्न से अलग है। अतः अनुपूरक प्रश्न नहीं हो सकता है। आप अपने प्रश्न का उत्तरार्द्ध देखिए।

श्री विजय सिंह राना--

मन्त्री जी ने कहा कि जितने कर्मचारी काम पर आना चाहते थे, उनको ले लिया गया तो इस सम्बन्ध में जो नई नियुक्तियां की गयी थीं उनका क्या औचित्य है ?

श्री राम सिंह खन्ना--

जेलों में व्यवस्था को बनाने के लिए उस व्यवस्था को चलाया गया था। उनके स्थान पर कुछ होम गार्ड्स के लोगों को नौकरी दी गयी थी। जिन व्यक्तियों के खिलाफ शिकायतें थीं या जिन कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने के कारण न्याय नहीं हो सका उन मामलों की देखरेख बराबर जारी है। जिन लोगों को काम पर लेने के लिए उनके साथ कोई अन्याय प्रतीत होता है और वहां शासन की जानकारी में अगर आयेगा तो सरकार अवश्य उसको दूर करने की कोशिश करेगी ?

श्री विजय सिंह राना--

जो लोग काम पर नहीं आए थे तो उनके स्थान पर नई नियुक्तियां की गयी थीं। मेरी स्पष्ट जानकारी है कि जो पुराने कर्मचारी काम पर आना चाहते थे उनको वापस न लेकर जो अस्थायी रूप से नियुक्तियां की गयी थीं वे अभी तक चल रहे हैं ?

श्री राम सिंह खन्ना--

यह सही है कि बन्दी रक्षकों की जगह कुछ होम गार्ड्स रखे गये हैं। कुछ रिक्तियां हैं और कुछ के खिलाफ शिकायतें हैं, उनकी छानबीन की जा रही है।

श्री फखरे आलम--

क्या यह बात सही है कि 2,436 कर्मचारी ऐसे हैं जिनको निलम्बित कर दिया गया था और अभी तक उनको काम करने का मौका नहीं दिया गया हालांकि उन्होंने लिखकर भी दे दिया था ? उनसे कुछ और चीजें चाही जा रही हैं। इस प्रश्न का उत्तर आप हां या ना में दिला दीजिए, इधर-उधर की बात क्यों हो रही है।

श्री उपाध्यक्ष--

आपका प्रश्न कुछ ऐसा है जो साफ नहीं हो रहा है। आपने कहा कि कुछ और बातें चाही जा रही हैं, तो क्या बातें चाही जा रही हैं ?

श्री फखरे आलम--

मान्यवर, 2,436 कर्मचारी ऐसे हैं जिनको काम पर नहीं लिया जा रहा है, उनको निलम्बित कर दिया गया था। उन्होंने लिखकर भी दे दिया था लेकिन अभी तक भी उन्हें काम करने का मौका नहीं दिया जा रहा है ? यदि हां, तो इसकी क्या वजह है ? माननीय मन्त्री जी इसका आज उत्तर न दे सकें तो इसके लिए कोई और मौका दे दीजिए ?

श्री राम सिंह खन्ना--

मैंने बार-बार कह दिया कि जो लोग काम पर आना चाहते थे, उनको काम पर ले लिया गया है। कुछ ऐसे कर्मचारी हैं जिनके खिलाफ शिकायतें हैं, उनके मामलों छानबीन की जा रही है। दोनों स्तर पर समितियां बनी हुई हैं। अगर इसके कोई बात आपकी जानकारी में हो तो शासन को अवगत करा दें।

श्री फखरे आलम--

मान्यवर, जो बात मैंने पूछी थी उसका उत्तर नहीं आया है ?

श्री श्याम लाल वाजपेयी--

मान्यवर, मुझे भी एक प्रश्न करने का मौका दे दीजिए ?

(कई सदस्यों के खड़े होकर बोलने पर)

श्री उपाध्यक्ष--

जो नहीं बोल रहे हैं, उनको मौका दूंगा ।

श्री हुकम सिंह--

मान्यवर, आपके माध्यम से मैं माननीय मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि आपकी और माननीय सदस्यों की जानकारी में है कि राजाज्ञा के बावजूद बहुत से कर्मचारी काम पर नहीं लिए गये हैं तो जिन अधिकारियों ने इन शासनादेशों का पालन नहीं किया है,क्या आप उसकी जांच करायेंगे और उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे ?

श्री राम सिंह खन्ना--

मान्यवर, मुझे बताया गया है कि कुछ के खिलाफ तो तोड़फोड़ के आरोप हैं। जिनके खिलाफ ऐसे आरोप नहीं हैं उनको लिया जायेगा और अगर उनके साथ अन्याय हुआ है तो शासन की जानकारी में आने पर शासन कार्यवाही करेगा।

(व्यवधान)

श्री हुकम सिंह--

मेरा सवाल तो यह है कि जिन आपके अधिकारियों ने आपके शासनादेश का पालन नहीं किया है क्या उन दोषी अधिकारियों के खिलाफ भी आप कार्यवाही करेंगे ? मेरी जानकारी यह है कि आपके शासनादेश के होते हुए भी बहुत से अधिकारियों ने उन लोगों को नहीं लिया है जो आना चाहते हैं ?

श्री राम सिंह खन्ना--

मान्यवर, शासनादेश की अवहेलना जो भी करता है उसके खिलाफ कार्यवाही यह शासन करता ही है, मगर वह साबित हो तब। अगर नहीं मालूम होगा कि किसी अधिकारी ने शासनादेश की अवहेलना की है तो जरूर कार्यवाही की जायेगी। पर वह साबित हो तब।

(व्यवधान)

श्री श्याम लाल वाजपेयी--

मान्यवर, मैं यह पूछना चाहता हूं कि जेल हड़ताल के दौरान जितने लोग निकाले गये हैं और उनसे जो जगह खाली हुई है, क्या मन्त्री जी उन जगहों पर बेकार राजनैतिक लोगों को रखने की कृपा करेंगे क्योंकि राजनैतिक लोगों की बेकारी बहुत बढ़ रही है ?

(हंसी)

श्री उपाध्यक्ष--

वाजपेयी जी, जो बेकार राजनैतिक लोग हैं उनसे आप कृपया कहियेगा कि वे अपने प्रार्थना पत्र मेरे पास भिजवा दें, मैं उन्हें माननीय मन्त्री जी के पास भिजवा दूंगा।

(हंसी)

मध्यम गंगा परियोजना की लखावटी ब्रांच के समरेखन (एलाइनमेन्ट) में परिवर्तन

*16--श्री किरनपाल सिंह (अनुपस्थित)--

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि मध्यम गंगा परियोजना की लखावटी ब्रांच का समरेखन (एलाइनमेंट) जोकि अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता द्वारा अनुमोदित कर दिया गया था, को यकायक बदल दिया गया ? यदि हां, तो क्यों, इस प्रकार विभाग पर पड़े अतिरिक्त आर्थिक बोझ के लिए जिम्मेदार अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

लखावटी ब्रांच के केवल डेड से 7 किलोमीटर के बीच का समरेखन (एलाइनमेंट) ही बदला गया है, परन्तु यकायक नहीं। तकनीकी दृष्टिकोण से विभिन्न विकल्पों पर सर्वेक्षण कर तथा ग्राम रसूलपुर की जनता के सुझावों को भी ध्यान में रखते हुए समुचित विचारोपरान्त उपरोक्त संशोधन किया गया। अतः सर्वोत्कृष्ट समरेखन को अपनाए जाने को आर्थिक भार की संज्ञा नहीं दी जा सकती। इसके लिए किसी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

*17--श्री सन्त बक्स रावत--

[3रे बुधवार के लिए स्थगित]

*18--श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

[माननीय मन्त्री की प्रार्थना पर स्थगित]

सरजू नहर निर्माण मण्डल, बहराइच में जी०सी० शीट के आयात में धपला

*19--श्री जटाशंकर सिंह--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि 1 जून, 1980 से 30 दिसम्बर, 1980 के बीच जी0सी0 शीट के आयात में किए गये धपले की जांच एवं कार्यवाही संबंधी प्रश्नकर्त्ता का शिकायती-पत्र श्री आर0सी0 गोयल, अवीक्षण अभियन्ता, बहराइच सरजू नहर निर्माण मण्डल को अथवा उनके कार्यालय को प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, की गयी, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां।

प्राप्त समस्त जी0सी0 शीट्स का नियमानुसार भौतिक सत्यापन कराने पर उनमें कोई कमी नहीं पाई गयी ?

श्री जटाशंकर सिंह--

मान्यवर, मन्त्री महोदय का उत्तर सत्य से बिल्कुल परे है। क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि भौतिक सत्यापन जो किया गया उसमें क्या-क्या तथ्य सामने आए ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

मान्यवर, यह स्टील जब इलाहाबाद से आया तब उसका वेट कराया गया और जब बहराइच में आया तब उसका वेट लिया गया, वेट कराने से ही उसका सत्यापन हो गया। वह ठीक पाया गया।

श्री जटाशंकर सिंह--

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नगत जी0सी0 शीटस लाने वाले व स्टोर इंचार्ज टी0ए0 खान की शिकायत के बाद उनके स्थान पर प्रलोभन देकर वर्क-चार्ज स्टोर मुंशी मोहम्मद अमीन की पदोन्नति करके रेगुलर स्टोर कीपर के पद पर बिना तौल कराए, मेजरमेंट फर्जी दिखा कर दिसम्बर, 1980 में चार्ज दे दिया गया और तीन माह स्टोर कीपर रखने के बाद पुनः वर्क चार्ज मुंशी बना दिए गये और उनके स्थान पर अब स्टोर कीपर पंचबहादुर चार्ज नहीं ले रहा है?

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय जटाशंकर सिंह, आपके इस अभिलेख का उत्तर अभिलेख से ही हो सकता है।

श्री जटाशंकर सिंह--

मान्यवर, प्रश्न संक्षिप्त कर दे रहा हूं। मान्यवर, क्या पंच बहादुर, स्टोर कीपर जो अब पोस्ट है, क्या उसने सत्यापन सही न होने की शिकायत के आधार पर, अब चार्ज लेने से इनकार किया है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

मान्यवर, इसमें यह पूछा गया था कि जी0सी0 शीट जो आई, उसमें घपले की शिकायत थी और उसमें घपले की शिकायत में क्या-क्या शिकायतें पाई गयीं। अब कौन कर्मचारी कब था, कब प्रमोशन पाया, इसके लिए अलग से माननीय सदस्य लिखकर दे देंगे, तो मैं उसे दिखवा लूंगा।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, इलाहाबाद से कितनी टन शीट चली और जब स्टोर में आई और जब उसकी तौल की गयी, तो कितनी शीट पाई गयी और दूसरा आदमी जब चार्ज लेने आया तो उसने क्या इस कारण से चार्ज लेने से इनकार कर दिया कि उसकी तौल कम थी ? मान्यवर, इतना और बता दें कि इतने दिनों के बाद क्या इस बात का सत्यापन कराया गया ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

मान्यवर, इलाहाबाद से ताहिर अली और उमेश चन्द्र द्विवेदी, ये दोनों लोग रिसीव किए। बहराइच में जे0ई0 महेन्द्र प्रताप ने इसको रिसीव किया। वहां पर यह पाया गया कि जितनी इलाहाबाद से शीट आई थी, उसमें कमी नहीं पाई गयी और न इसके बारे में कोई रिपोर्ट ही की गयी। यह कुल 1430 टन जी0सी0 शीट थी और यह जितनी इलाहाबाद में रिसीव की गयी थी, उतनी ही बहराइच में लोगों ने रिसीव किया। मान्यवर, वहां पर पूरी शीट पाई गयी।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

सवाल मेरा मान्यवर, यह है कि घपला यह हुआ.....

श्री उपाध्यक्ष--

अभी बैठ जाइए। आप बिना मेरी अनुमति के बोल रहे थे।

(श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त अपनी सीट पर बैठ गये।)

श्री उपाध्यक्ष--

अब आप बोलिए।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मेरे प्रश्न की शंका मान्यवर, यह थी कि जितनी शीट चली उतनी यहां अधिकारी ने लिख लिया लेकिन वास्तव में जितनी चलीं उससे कम थीं। जब वह अलग-अलग खर्चे में भेजी गयीं तो कम हैं। इसलिए जो अधिकारी है जिसको चार्ज लेना है वह चार्ज नहीं ले रहा है। इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि जितनी चली थीं उतनी लिख दिया रिसीव। तो इसका लेजर देख लिया जाय उससे पता चल जायेगा कि जितनी शेष होनी चाहिए उतनी हैं या नहीं ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी0 सी0 शीट 873 टन थीं दूसरी जगह ट्रांसफर की गयीं और 526.9 टन बची हैं। जांच हुई उसमें सही पाया गया। माननीय सदस्य जो इस तरह की बात कह रहे हैं फिर से मैं इसकी जांच करा लूंगा।

श्री जटाशंकर सिंह--

मेरी स्पष्ट जानकारी है कि शीट कम हैं। खान को सस्पेंड आदि करने के अलावा उनको स्थानान्तरित कर दिया गया। क्या माननीय मन्त्री जी इस बात की जांच कराकर माननीय सदन को अवगत करायेंगे कि कितनी जी0सी0 शीट होनी चाहिए और कितनी हैं ?

श्री उपाध्यक्ष—

मैं आपका प्रश्न नहीं समझा ।

श्री जटाशंकर सिंह—

जो शीट खर्चे के बाद शेष हैं उसका सत्यापन करा लें कितनी शेष होनी चाहिए इसकी सारी रिपोर्ट सदन के सम्मुख रख दें सारी बात साफ हो जायगी ।

श्री वीर बहादुर सिंह—

मैंने कहा कि अभी जो शिकायत थी उसकी जाँच कराया अब जो माननीय सदस्य कह रहे हैं कि कम हैं मैं पुनः जांच कराकर माननीय सदस्य को अवगत करा दूंगा ।

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग के अनुसचिवीय संघ की मांगें

*20—श्री मोहम्मद अबरार अहमद (अनुपस्थित)—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग के अनुसचिवीय संघ की इस मांग को मानने में क्या बाधा है कि उक्त कार्यालय-के अनुसचिवीय कर्मचारियों को 3 से 5 वर्ष के अन्तर पर कार्यालय के अधिष्ठान निर्माण अनुभाग में विविध अनुभागों में स्थानान्तरित किया जाय ताकि उन्हें सभी प्रकार के कार्यों की जानकारी प्राप्त हो सके ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग के अनुसचिवीय संघ की मांग को मानने में कोई बाधा नहीं है। इसी के अनुरूप ही सामान्यतः एक अनुभाग से दूसरे अनुभाग को स्थानान्तरण किए जाते हैं। वर्ष 1981 में भी इसी के आधार पर सामान्य स्थानान्तरण किए गये थे ।

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

पिछड़े वर्ग के सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों की प्रोन्नति में आरक्षण की मांग

**1—श्री राम स्वरूप वर्मा—

क्या राष्ट्रीय एकीकरण मन्त्री कृपया बतायेंगे कि पिछड़े वर्ग के सरकारी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रोन्नति में आरक्षण न दिए जाने सम्बन्धी शासनादेश संख्या 5119/चालीस-1-81-15(28) 80 पर सरकार पुनर्विचार करने जा रही है ताकि पिछड़े वर्ग के लोगों को प्रोन्नति में अनुसूचित एवं जन जाति की भांति आरक्षण मिल सके ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राष्ट्रीय एकीकरण मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)—

इस विषय में पिछली सरकार द्वारा लिए गये निर्णय को ही विचारोपरान्त शासनादेश संख्या 5119/चालीस-1-81-15(28) 80 दिनांक 30 सितम्बर, 1981 द्वारा कार्यान्वित किया गया है। इस पर इतने शीघ्र पुनर्विचार किए जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री राम स्वरूप वर्मा—

मैं माननीय मन्त्री जी की इस बात को देखते हुए कि अनुसूचित जाति और जन-जाति को प्रोन्नति में आरक्षण दिया गया और पिछड़ा वर्ग को नहीं दिया है। यह संविधान की धारा 14 का उल्लंघन है और हाई कोर्ट में रिट भी है तो सरकार पहले निर्णय लेगी या सरकार ने विचार समाप्त कर दिया है और हाई कोर्ट में ही जवाब देगी ?

नोट—तारांकित प्रश्न संख्या 20 के उपरान्त तारांकित प्रश्नों का समय समाप्त हो गया।

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, पिछली सरकार के जमाने में श्री बनारसी दास जी जब मुख्य मन्त्री थे तो यह निर्णय लिया गया था और 13 जनवरी, 1978 को सारे प्रोमोशन जो इस तरह के थे समाप्त कर दिया गया। उसके बाद इस पर काफी विचार-विमर्श हुआ। तत्कालीन राज्यपाल ने न्याय विभाग द्वारा इसका परीक्षण कराया, उसके बाद जो चीज सामने आई उससे यह निर्णय लिया गया अनुसूचित जाति और जनजाति का आरक्षण बाकी रहे और पिछड़ा वर्ग का आरक्षण के सिलसिले में जो निर्णय लिया जा चुका है उसको कार्यान्वित किया जाय। अभी ऐसा विचार नहीं है कि इस पर दूसरा निर्णय लिया जाय या पुनर्विचार किया जाय।

श्री राम स्वरूप वर्मा—

माननीय मन्त्री जी के उत्तर से सम्बन्धित, मन्त्री जी ने यह कहा कि पिछली सरकार ने यह निर्णय लिया था। जन जाति और अनुसूचित जाति को आरक्षण दिया गया और पिछड़े वर्ग को नहीं दिया गया। क्या माननीय मन्त्री जी इसका कारण स्पष्ट करेंगे कि पिछली सरकार के आधे निर्णय को माना गया और आधे को नहीं माना गया, इसका क्या कारण है ?

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, जैसा मैंने निवेदन किया जो न्याय विभाग द्वारा परीक्षण कराया गया और न्याय विभाग ने जो अपनी राय प्रकट की थी वह यह थी कि संविधान की धारा 335 को देखते हुए आरक्षण किया जाना चाहिए। इफीसियेन्सी और कार्यक्षमता को प्रमोशन में बहुत महत्व दिया जाना चाहिए। भर्ती में कोई परिवर्तन नहीं हुआ लेकिन प्रमोशन में न्याय विभाग का यह ख्याल था कि हर दृष्टि से परीक्षण करना चाहिए और जो आगे सर्विसेज में जाते हैं वह इफीसियेंट होने चाहिए। और यही फैसला टामस वाले मशहूर केस में सुप्रीम कोर्ट ने किया था कि इफीशियेंसी और कार्य क्षमता को किसी तरह से समाप्त नहीं किया जा सकता है। प्रमोशन में इस पर पूरा विचार होना चाहिए और यही बात संविधान की धारा 335 में भी है। जब यह निर्णय हुआ उसके बाद परीक्षण कराया गया फिर जब राष्ट्रपति शासन हुआ तो महामहिम राज्यपाल के सामने यह बात गयी उन्होंने आने वाली लोकप्रिय सरकार के ऊपर इसको छोड़ दिया। इस मामले के लिए कैबिनेट की एक सब कमेटी बनी उसने इस पर विचार किया और निर्णय लिया कि टामस और न्याय विभाग तथा संविधान की धारा 335 के अनुसार यह आरक्षण समाप्त किया जाय और जो आरक्षण जनजाति एवं अनुसूचित जाति के लिए है, वह रह

श्री मोहन सिंह—

मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि श्री बनारसी दास के नेतृत्व वाले मन्त्रि मण्डल ने 15 दिन पहले आदेश दिए थे बर्खास्तगी के, उसको तो निरस्त कर दिया गया। यह तो खुशी की बात है कि कुछ को माना गया। मैं यह जानना चाहता हूं कि उसी सरकार के फैसले के एक अंश को कार्यान्वित करना और दूसरे को न करना इस के पीछे इस शासन का क्या दृष्टिकोण है ?

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, जिस समय इस पर पुनर्विचार हुआ उस समय वही राज्यपाल जी थे जो पिछले तीन साल रह चुके थे। उनके सामने न्याय विभाग ने राय दिया और राष्ट्रपति शासन में राज्यपाल ने इसको आने वाली लोकप्रिय सरकार के ऊपर छोड़ दिया कि वह विचार करेगी। मन्त्रि परिषद् में यह मामला आया और कैबिनेट की एक सब कमेटी बनाई गयी कि वह सारी बातों का परीक्षण करे। उसके इन सारी बातों का परीक्षण करने के उपरान्त यह बात हुई। माननीय सदस्य का यह कहना कि सारे निर्णय को क्यों नहीं माना गया कुछ को माना गया कुछ को नहीं। जो निर्णय लिया गया था मैं निवेदन

करना चाहता हूं कि सारे आरक्षण प्रमोशन में समाप्त किए जायें। शिड्यूल ट्राइब्स और शिड्यूल कास्ट को उससे अलग कर दिया गया था। इसलिए जो राय कैबिनेट कमेटी की और न्याय विभाग की इस पर बनी, वह निर्णय रखा गया। कोई निर्णय किस सरकार द्वारा लिया गया है, यह इससे मतलब नहीं है, यह विशेषकर मौजूदा सरकार ने उसको उल्टा कर दिया कि चूंकि पिछली सरकार ने उसको किया था इसलिए जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि अच्छी बात जो थी वह किया और आगे जो किया जा सकता है उस पर विचार किया जायगा।

डाक्टर शिवानन्द नौटियाल—

क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जैसे कि उन्होंने अपने उत्तर में कहा कि सारे विषय पर पुनर्विचार किया जा रहा है तो क्या यह भी विचार इसमें सम्मिलित है कि आर्थिक आधार पर इस तरह का संरक्षण दिया जायगा ?

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न आप स्पष्ट कर दें।

डाक्टर शिवानन्द नौटियाल—

उत्तर में कहा है कि नई परिस्थितियों के अनुसार जो संरक्षण दिया जा रहा है उस में पुनर्विचार किया जा रहा है तो अब तो तमाम सोसाइटी में ऐसे वर्ग हैं जिनको आर्थिक दृष्टि से देखा जाय तो उनकी आर्थिक स्थिति दयनीय है। तो यह भी विचार आया था कि आर्थिक दृष्टि से जो कमजोर वर्ग है उसको भी इसमें संरक्षण मिलना चाहिए ? तो क्या इस प्रकार का विचार भी पुनर्विचार में शामिल है कि नहीं ?

श्री उपाध्यक्ष—

मन्त्री जी का उत्तर पिछली सरकार द्वारा लिए गये आरक्षण सम्बन्धी नीति से सम्बन्धित था और उसमें उन्होंने कहा उसको स्वीकार किया गया और कुछ पर आगे समय आने पर विचार किया जायगा। लेकिन आर्थिक वाली बात नई उत्पन्न कर दिया, इसलिए प्रश्न स्पष्ट कर दें।

डाक्टर शिवानन्द नौटियाल—

मान्यवर, इस पर मन्त्री जी ने कहा है कि निर्णय नहीं लिया है। श्री मोहन सिंह ने प्रश्न उठाया था कि आधा माना और आधा नहीं। मेरा प्रश्न है कि जो अब विचार करने वाले हैं, उन मुद्दों को लेकर और आर्थिक दृष्टि से कमजोर है उनको आरक्षण देने पर क्या विचार करेंगे?

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, जहां तक आर्थिक पिछड़ेपन का प्रश्न है तो यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसको नजरअन्दाज नहीं किया जा सकता है। लेकिन इसके लिए सरकार ने बहुत सी योजनाएं जैसे स्पेशल कम्पोनेंट प्लान आदि चलाई हैं। लेकिन आरक्षण में जो नीति है उसमें स्पष्ट कहा था कि इसमें जनजाति और शिड्यूल कास्ट को इसमें आरक्षण दिया गया है। श्री बनारसी दास सरकार का जो निर्णय था उसको अमेंडमेंट करके लागू किया गया है। जो माननीय सदस्य ने कहा कि किया जा रहा है तो यह नहीं मैंने कहा है कि किया जा रहा है बल्कि कहा था कि किया जा सकता है।

श्री उपाध्यक्ष—

क्या इस पर भी विचार किया जा सकता है ?

श्री अम्मार रिजवी—

विचार करने में किसी चीज को कन्फाइन नहीं किया जा सकता हर चीज पर विचार किया जा सकता है।

श्री राम स्वरूप वर्मा--

मान्यवर, मंत्री जी ने उत्तर स्पष्ट नहीं किया। मेरा प्रश्न स्पष्ट है कि आपने प्रोन्नति में शिड्यूल कास्ट और शिड्यूल ट्राइब्स को विचार करके प्रोन्नति में आरक्षण दे दिया और धारा 335 के अनुसार जो इफीशियेंसी है उससे इफीशियेंसी की परेशानी नहीं आती थी लेकिन पिछड़े वर्ग की प्रोन्नति देने का जब प्रश्न आया तो रेजेक्ट कर दिया, तो इसका क्या कारण है ? पिछड़े वर्ग के लोगों को आरक्षण न देने का क्या तर्क है ?

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, जहां तक माननीय सदस्य के प्रश्न का सवाल है उसका उत्तर लिखित रूप में दे दिया गया है। उस पर पुनर्विचार करने का कोई प्रश्न नहीं है। जहां माननीय सदस्य ने यह कहा कि एक को दिया गया और दूसरे को नहीं दिया गया तो दोनों को एक लाइन पर रखना, कौन ज्यादा पिछड़ा है और कौन ज्यादा पिछड़ा नहीं है इसका निर्णय आप स्वयं कर सकते हैं।

श्री हरीकिशन श्रीवास्तव--

मान्यवर, जो प्रश्न माननीय मोहन सिंह जी ने और वर्मा जी ने किया उसमें केवल सिद्धान्त की बात आती है। माननीय बनारसी दास जी के मन्त्रिमण्डल ने एक सिद्धान्त स्वीकार किया था जिसका जिक्र मन्त्री जी कर रहे हैं कि इफीशियेंसी के मसले पर हमको यह ध्यान रखना पड़ेगा कि उसमें क्षमता, योग्यता की बात है या नहीं। बनारसी दास जी के जमाने में यह सिद्धान्त रूप से तय हुआ था कि आरक्षण नियुक्ति में करें और प्रमोशन में न करें। यह निर्णय बाद में निरस्त हुआ और जब आपकी सरकार आई तो उस सिद्धान्त को दो भागों में विभाजित किया गया। मन्त्री जी इसका स्पष्टीकरण नहीं दे पा रहे हैं कि वह जो सिद्धान्त स्वीकार किया गया था उसको आधा माना गया और आधा क्यों नहीं माना गया ? तो आधा न मानने के क्या कारण हैं ?

श्री उपाध्यक्ष--

ऐसा है आपने पूरा उत्तर सुना नहीं। उन्होंने दोनों के पिछड़पन के अन्तर पर जोर दिया था।

श्री हरी किशन श्रीवास्तव--

अनुच्छेद 335 के अन्दर दिया था। अगर इस सिद्धान्त को स्वीकार करते हैं तो अनुसूचित जाति को भी नहीं देना चाहिए था। जो कन्ट्राडिक्शन है उसको आप देख लें।

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, सम्मानित सदस्य को आपत्ति है कि हरिजनों और जनजाति को क्यों आरक्षण दिया गया है।

(यह नहीं है, यह नहीं है की आवाजें।)

जो सिद्धान्त बनाया गया था उस सिद्धान्त में हरिजनों और जनजातियों को भी ले लिया गया था। लेकिन मौजूदा सरकार ने एक एमेंडमेंट किया कि चूंकि यह जो क्लास है इतना अधिक पीछे है कि उसको आगे बढ़ाने के लिए आरक्षण देने की आवश्यकता है। इस पर सम्मानित सदस्यों को आपत्ति है कि नहीं देना चाहिए। जहां तक पिछड़े वर्ग का सवाल है मौजूदा सरकार ने उस सम्बन्ध में उनको बहुत आगे बढ़ाने का कार्य किया है। इसके लिए तो बधाई मिलनी चाहिए बजाय इसके कि टीका टिप्पणी हो रही है।

श्री हुकम सिंह--

माननीय अध्यक्ष जी, मैं जानना चाहता हूं कि पिछड़े वर्ग की शैक्षिक, आर्थिक, सामाजिक स्थिति को देखते हुए पिछली सरकार ने आरक्षण दिया था तो क्या उसको पुनः देने के प्रश्न पर आप विचार करेंगे ?

मुख्य मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह)—

पिछली सरकार ने जो हरिजनों और पिछड़ी जाति के लोगों के प्रोन्नति के लिए उसको खत्म कर दिया था। हम लोगों ने हरिजनों की प्रोन्नति के लिए उसे पुनर्स्थापित किया और पिछड़ी जाति के लिए विचार किया जा रहा है और यह बात भी स्पष्ट की गई है कि 15 प्रतिशत जो पिछड़ी जाति के लिए आरक्षण था, यह कुछ स्पष्ट नहीं था, अधिकतम शब्द था, उसको हम लोगों ने इस रूप में पास किया कि यह अधिकतम नहीं बल्कि न्यूनतम है। यही बात उसमें स्पष्ट की गई है।

अतिरिक्त विद्युत् उत्पादन को निजी क्षेत्र को दिया जाना

**2—श्री मित्रसेन—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि बिजली संकट से निपटने के लिए बिजली उत्पादन को निजी क्षेत्रों को सौंपने के लिए सैद्धान्तिक तौर पर सहमति दी गयी है? यदि हां, तो इसका कारण क्या है? अतिरिक्त उत्पादन के किन-किन क्षेत्रों को निजी क्षेत्रों के हवाले करने पर विचार कर रही है?

खादी एवं ग्रामोद्योग उप मन्त्री (श्री ओम प्रकाश रिछारिया)—

जी हां। विद्युत् की मांग एवं पूर्ति में अन्तर, छठी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक अनुमानित विद्युत् की उपलब्धता व मांग की स्थिति तथा प्रदेश के सीमित संसाधन को देखते हुए 1500 मेगावाट ताप विद्युत् की क्षमता की स्थापना निजी क्षेत्र में किए जाने हेतु सैद्धान्तिक तौर पर निर्णय लिया गया है। निजी क्षेत्र को केवल अतिरिक्त विद्युत् उत्पादन की ही अनुमति दी जायगी।

श्री भीखा लाल—

मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि यह विद्युत् विभाग तो पहले मा0 मुख्य मन्त्री के पास था, तब उन्होंने यह घोषणा की थी कि अगर बिजली की स्थिति प्रदेश में इम्प्रूव नहीं हुई तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। इसी बीच उन्होंने आनी से एक जूनियर मन्त्री को यह विभाग सौंप दिया अपनी अक्षमता को छुपाने के लिए और इस मुद्दे से हट जाने के लिए। फिर भी मैं जहां तक समझता हूं कि यह मन्त्री बेचारे मा0 मुख्य मन्त्री जी से सक्षमता और कुशलतापूर्वक चला रहे हैं और दूसरी चीज यह की गयी थी कि इस बिजली के उत्पादन को सार्वजनिक क्षेत्र में इस्तेमाल किया जायगा, लेकिन ऐसा न करके उसे निजी क्षेत्र में प्रयोग में लाया जा रहा है, ऐसा किन कारणों से और किस दबाव से किया जा रहा है? इसे भी माननीय मुख्य मन्त्री जी जरा स्पष्ट कर दें?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह—

जहां तक विद्युत मन्त्री की क्षमता और अक्षमता का प्रश्न है, वह आपके सामने आ जायगा। मैं सहर्ष आदरणीय सदन को सूचित करना चाहता हूं कि 19-1-1982 को पूरे देश में 'बन्द' का आह्वान था। उस दिन भी हमारे श्रमिकों और इंजीनियरों ने सबसे अधिक विद्युत् उत्पादन किया 1641 मेगावाट जो गत वर्षों से भी काफी ज्यादा है। गत वर्ष का अधिकतम उत्पादन 1485 मेगावाट ही था और इस वर्ष 1641 मेगावाट उत्पादन हुआ है और 32-8 मिलियन यूनिट कल का उत्पादन है। यह कीर्तिमान स्थापित किया गया है, पिछले वर्षों की भांति और जो आश्वासन हमारी ओर से दिया गया था, उसको पूरा किया गया है।

श्री मोहन सिंह—

मान्यवर, माननीय मुख्य मन्त्री जी ने अपने उत्तर से हम लोगों के आरोपों की पुष्टि कर दी कि इनके कार्यकाल में जब यह विद्युत् मन्त्री थे तो उत्पादन नीचे था और जब अपने से जूनियर किसी मन्त्री को दिया तो उत्पादन बढ़ा तो इससे यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो गयी कि यह इस क्षेत्र में बिल्कुल अक्षम रहे और इनकी अक्षमता के कारण ही विद्युत उत्पादन नहीं बढ़ सका।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह---

जी हां, जब आप लोग चुनौती देते हैं, तभी उत्पादन बढ़ता है ।

श्री मोहन सिंह---

और माननीय, दूसरी बात यह कि जैसा कहा गया था कि इस बिजली का प्रयोग सार्वजनिक क्षेत्र में होगा, निजी क्षेत्र में नहीं किया जायगा, इस सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा एक अधिनियम भी है, जिसमें स्पष्ट तौर पर यह निश्चित है प्राइवेट सेक्टर को कितनी बिजली दी जायगी और किस रूप में दी जायगी, फिर भी इन नियमों का उल्लंघन करते हुए किस प्रकार से दूसरों को बिजली दी जा रही है ?

क्या यह उनका विलोम नहीं है ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह---

माननीय अध्यक्ष जी, जहां तक विद्युत् के वितरण का प्रश्न है सार्वजनिक क्षेत्र से उसमें कोई भी नीति के परिवर्तन का प्रश्न नहीं है। उत्पादन का जहां तक प्रश्न है, यह विचार किया गया कि प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए---उद्योग में, खेती में, सिंचाई में उपयोगिता विद्युत् को बढ़ाने के लिए अगर निजी क्षेत्र में कोई उत्पादन करना चाहे तो मानोपाली ढंग से कहीं और बिक्री नहीं कर सकेगा, सरकार के सिवाय और उस उत्पादित बिजली का वितरण सरकार करेगी। घोड़े पर लगाम लगाकर अगर आप सवारी कर सकते हैं, तो कोई बुराई नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्नों का समय समाप्त हुआ ।

अतारांकित प्रश्न

आपातकाल में सेवा निवृत्त रोडवेज कर्मचारियों की वापसी

1---श्री लल्लू सिंह चौहान---

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आपात स्थिति में दिनांक 30-9-75 को 76 स्थायी एवं अस्थायी परिचालक विभिन्न आरोपों में सेवा निवृत्त कर दिए गये थे ? क्या भारत सरकार ने 1976 में ऐसे आदेश दिए थे कि भारत सरकार, राज्य सरकार तथा स्थानीय निकायों के समस्त कर्मचारी जो आपात काल में निकाले गए थे पुनः सेवारत कर दिए जावें ? क्या इन निकाले हुए रोडवेज कर्मचारियों में से अधिकांश को वापस नौकरी पर ले लिया गया है ? जिन परिचालकों को अब तक सेवारत नहीं किया गया उनके नाम क्या हैं ?

श्री वीर बहादुर सिंह---

सूचना एकत्र की जा रही है ।

आजमगढ़ में परिवहन विभाग के परिचालक की नियुक्ति हेतु बनी सूची

2---श्री लाल [illegible]---

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला आजमगढ़ परिवहन विभाग में भ्रष्ट तरीके से कुछ परिचालकों को नियुक्त करने हेतु बनी चुनाव की सूची वर्ष 1980 शासन द्वारा रद्द कर दी गयी थी ? यदि हां, तो किस अधिकारी के आदेश से उक्त सूची से कुछ परिचालकों को ड्यूटी पर कार्य करने हेतु रखा गया जो वर्तमान समय में कार्यरत हैं? क्या सरकार इसकी पूरी जांच कराकर ऐसे अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध अविलम्ब उचित कार्यवाही करेगी ?

नोट---अनुसूचित तारांकित प्रश्न संख्या-2 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

श्री वीर बहादुर सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

कुमायूं आदर्श मोटर कोआपरेटिव यातायात सोसायटी, रानीखेत, अल्मोड़ा के अतिरिक्त परमिट की मांग

3--श्री जसवन्त सिंह बिष्ट--

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि रामनगर, मर्चूला देवघाट तथा मर्चूल, सैपरवाल किमगाड़ी खाल के लिए कुमाऊं आदर्श मोटर कोआपरेटिव यातायात सोसायटी, रानीखेत, अल्मोड़ा को अतिरिक्त परमिट जारी करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

सर्वश्री कुमायूं आदर्श मोटर यातायात को पहले ही 6 परमिट रामनगर-मरचूला-मनिला मार्ग के लिए दिए गये थे। यह मार्ग बाद में मनीला-दोघाट, डोटियाल-सराईखेत व मर्चूला-सौपखाल-किम गोड़ीखाल तक निर्मित हो जाने पर नया मार्ग के वर्गीकरण के पश्चात इन मार्गों का पृष्ठांकन भी इनके परमिटों पर किया जा रहा है। संभागीय परिवहन प्राधिकरण, कुमायूं द्वारा पुनः इस मार्ग पर इन्हें तीन और स्थायी परमिट स्वीकृत कर दिए गये जिन्हें प्राप्त भी किया जा चुका है। वर्तमान समय में इस मार्ग पर कुल 9 परमिट जारी किए जा चुके हैं ।

संभागीय परिवहन प्राधिकरण, कुमायूं ने अपनी बैठक दिनांक 22-12-81 में उल्लिखित मार्गों के लिए परमिटों की सीमा 10 कर दी है, इस प्रकार एक रिक्ति शेष रहती है। यदि उक्त शेष रिक्ति में यातायात सोसाइटी परमिट लेना चाहें तो प्रार्थना-पत्र दे सकती है जिस पर प्राधिकरण द्वारा विचार किया जायगा।

उत्तरकाशी व टिहरी गढ़वाल के नवनिर्मित मार्गों पर बस सेवा की मांग

4--श्री बल्देव सिंह आर्य--

क्या परिवहन मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि उत्तरकाशी व टिहरी गढ़वाल के नव निर्मित उत्तरकाशी लम्बगांव (2) बड़ेथ बलचौरा (3) उत्तरकाशी धनारी (4) सिलक्यारा-बड़गांव तथा टिहरी गढ़वाल में (1) कछुवाल-कुमालडा-रामपुर (2) नैनबाग-घीड़ा चौकी (3) अगलाड-थत्पुड़, मुआसीली थत्पुड-भवाना मोटर मार्गों पर कब से बस सेवा शुरू की गयी है और नहीं की गयी है, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

शाहजहांपुर बस स्टेशन की कैन्टीन भवन के मरम्मत की मांग

5--श्री मोहन सिंह--

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि शाहजहांपुर बस स्टेशन में कैन्टीन भवन काफी जर्जर अवस्था में है और वर्षा के समय उसमें बैठे यात्रियों को जलपान करने में काफी कठिनाई होती है ? यदि हां, तो कैन्टीन भवन की मरम्मत के लिए अविलम्ब कार्यवाही किए जाने के आदेश देंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

ए ल०एन० फारेस्ट वर्कशाप, कानपुर में मैकेनिकों की भर्ती

6--श्रीमती गौरी देवी--

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि फरवरी, 1981 में ए०ल०एन० फारेस्ट वर्कशाप, कानपुर में मैकेनिकों की भर्ती के लिए परीक्षा हुई थी ? यदि हां, तो उसमें कुल

कितने विभागीय और कितने बाहर के परीक्षार्थियों ने भाग लिया था ? क्या उस परीक्षा में बैठने के लिए सूचना विज्ञापनों के माध्यम से की गयी थी ? कितने व्यक्तियों को मेकैनिक रखा गया ?

श्री वीर बहादुर सिंह---
सूचना एकत्र की जा रही है ।

गोरखपुर के महाराजगंज मुण्डेरा बाजार क्षेत्र में नहरों व बन्धों के निर्माण हतु अधिग्रहीत भूमि व मुआवजा

7--श्री फिरंगी प्रसाद विशारद---

क्या सरकार को ज्ञात है कि जनपद गोरखपुर के सिंचित क्षेत्र महाराजगंज व मुन्डेरा बाजार क्षेत्र में बनी नहरों एवं बांधों के निर्माण में कुल कितनी भूमि अधिग्रहीत की गई है और इसमें किन-किन नहरों व बांधों में पड़ी किसानों की भूमि का मुआवजा दिनांक 20-2-81 तक भी नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो उसे शीघ्र तक दिला दिया जायगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह---
सूचना एकत्र की जा रही है ।

कानपुर जनपद में बिल्हौर पर बस स्टाप की मांग

8--श्री मोती लाल देहलवी--

क्या परिवहन मन्त्री कृपा बतायेंगे कि क्या उन्होंने जनवरी, 1981 व फरवरी, 1981 में जनपद कानपुर के अन्तर्गत बिल्हौर बस स्टेशन पर जी०टी० रोड पर चलने वाली समस्त बसों को रुकने के आदेश दिए थे ? यदि हां, तो अभी तक इस आदेश का पालन न होने का क्या कारण है ?

श्री वीर बहादुर सिंह---
सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री अली हसन, कूप चालक, भदोही, वाराणसी का निलम्बन एवं निर्वाह भत्ता

9--श्री ऊदल---

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि अली हसन, कूपचालक, चकोड़ा नलकूप विभाग (भदोही) जौनपुर, जिला वाराणसी को अधिशासी अभियन्ता, वाराणसी मण्डल के आदेश से सन् 1976 में निलम्बित कर दिया गया है और आज तक निलम्बित ही रखा गया है और आज तक आरोप-पत्र नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह---
जी नहीं। श्री अली हसन, कूप चालक को अधिशासी अभियन्ता, नलकूप खण्ड, भदोही के आदेश दिनांक 20-11-76 द्वारा निलम्बित किया गया था और उन्हें 3-9-81 से निलम्बन से मुक्त कर दिया गया है ।

10--श्री ऊदल---

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मेडिकल सार्टीफिकेट ज्वाइनिंग रिपोर्ट लेकर 28-8-1977 को उपस्थित होने पर और सिविल सर्जन को काउन्टर साइन करा कर देने पर भी उक्त कूपचालक को वेतन नहीं दिया गया और न तो सस्पेंशन एलाउन्स ही दिया गया ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ? क्या यह सही है कि उक्त कूपचालक ने अधिशासी अभियन्ता, वाराणसी, सिंचाई मन्त्री तथा अन्य अधिकारियों को 20-12-1978 को प्रार्थना-पत्र भेजा है ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

कूप चालक द्वारा चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रति हस्ताक्षरित कराकर दिनांक 4-4-77 को नलकूप खण्ड, भदोही के अन्तर्गत उपखण्डीय कार्यालय में दिया गया था। अनुपस्थिति की अवधि में बीमारी के सम्बन्ध में कूप चालक ने पहले कोई सूचना व छुट्टी का प्रार्थना-पत्र नहीं दिया था। अतः उसे निलम्बन से मुक्त नहीं किया गया था। कूप चालक को जुलाई 1977 तक जीवन निर्वाह भत्ता दिया जा चुका है। इसके पश्चात कूप चालक की लगातार अनुपस्थिति के कारण उसको उक्त भत्ता नहीं दिया गया।

उक्त कूप चालक का प्रार्थना पत्र दिनांक 20-12-78 जो नलकूप मण्डल, वाराणसी में प्राप्त हुआ था अधिशासी अभियन्ता, नलकूप खण्ड, भदोही को मूल कूप में विस्तृत अवस्था हेतु भेजा गया।

उ० प्र० राज्य सड़क परिवहन निगम, टनकपुर, जिला नैनीताल के अनिवार्य सेवानिवृत्त जूनियर फोरमैन को देय धनराशि का भुगतान

11--श्री ऊदल--

क्या परिवहन मन्त्री, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, टनकपुर जिला नैनीताल के उन जूनियर फोरमैनों के नाम बताने की कृपा करेंगे जिन्हें सन् 1975 में अनिवार्य रूप से सेवा निवृत्त किया गया था? क्या इन जूनियर फोरमैनों के वेतन से प्राविडेंट फण्ड, जी0पी0एफ0, ई0पी0एफ0 में योगदान हेतु कटौतियां की गयी थीं? यदि हां, तो क्या उक्त मदों में जमा धनराशियां उन्हें भुगतान कर दी गई हैं? यदि नहीं, तो क्यों? क्या शासन उक्त मदों में देय धनराशि के शीघ्र भुगतान की कार्यवाही करेगी?

श्री वीर बहादुर सिंह--

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, टनकपुर क्षेत्र में केवल एक जूनियर फोरमैन, श्री शिवदत्त तिवारी को दिनांक 26 अक्तूबर, 1975 के अपराह्न से तीन माह की नोटिस के बदले तीन माह का वेतन देकर अनिवार्य रूप से सेवा निवृत्त किया गया था। श्री तिवारी के वेतन से प्राविडेंट फण्ड में योगदान हेतु कोई कटौतियां नहीं की गयीं क्योंकि इनकी सेवा निवृत्ति की तिथि तक महालेखाकार द्वारा सामान्य भविष्य निधि में जमा करने हेतु कोई खाता नम्बर आवंटित नहीं किया गया था। ई0पी0एफ0 में योगदान हेतु उनके वेतन से कटौतियां की गयी थी जिसका भुगतान नहीं किया जा सका है। इसके भुगतान हेतु कार्यवाही की जा रही है।

श्री दयाराम दुबे, बुकिंग क्लर्क, उ०प्र० राज्य सड़क परिवहन निगम, बस्ती के सम्बन्ध में पत्र

12--श्री दिवाकर विक्रम सिंह--

क्या परिवहन मन्त्री को ज्ञात है कि प्रश्नकर्त्ता का कोई पत्र उप प्रधान प्रबन्धक (प्रशासन), उत्तर प्रदेश, राज्य सड़क परिवहन निगम, लखनऊ को श्री दया राम दुबे, क्लर्क बस स्टेशन जनपद बस्ती के वरिष्ठता सूची, प्रोन्नति तथा वार्षिक बढ़ोत्तरी के सम्बन्ध में दिनांक 19-2-81 को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है।

श्रीमती शान्ती देवी पत्नी श्री ब्रह्मदीन शुक्ल, परिचालक चुन्नीगंज डिपो, कानपुर को देय धनराशि का भुगतान

13--श्री रामेश्याम पटेल--

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम, चुन्नीगंज डिपो, कानपुर क्षेत्र में ड्यूटी पर तैनात 26 दिसम्बर, 1979 को बस संख्या यू0आर0डी0 1636 के दुर्घटना में मरे परिचालक श्री ब्रह्मदीन शुक्ल की उत्तराधिकारिणी विधवा पत्नी शान्ती देवी, निवासी ग्राम व पो0 चांदीपारा, जनपद इलाहाबाद को विभाग

द्वारा देय धनराशि (अ) सामूहिक बीमा योजना की धनराशि मु0 12,500, (ब) ग्रेच्युटी, (स) इम्पलाईज प्राविडेंट फण्ड मु0 11,200 रु0, (द) जमानत की धनराशि तथा अन्य धनराशियां एवं सहायता राशि अभी तक भुगतान न करने के क्या कारण हैं ? क्या यह सब देय धनराशियां मृतक की बेवा को भुगतान की जायेंगी ? यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

स्व0 श्री ब्रह्मदीन शुक्ल की उत्तराधिकारिणी पत्नी श्रीमती शान्ती देवी को निम्नलिखित धनराशियों का भुगतान किया जा चुका है :—

	रु0
अ—सामूहिक बीमा योजना	10,355.96
ब—ग्रेच्युटी	3,881.10
स—इम्पलाईज प्रोविडेन्ट फन्ड	11,974.75
द—जमानत की धनराशि	100.00
इ—अन्य भुगतान—	
क—अन्तरिम सहायता	1000.00
ख—वेतन एवं अन्य भत्ते	456.70
ग—माह दिसम्बर, 1979 का नेक चलन भत्ता एवं धुलाई भत्ता।	14.40
घ—माह दिसम्बर, 1979 का रात्रि कालीन भत्ता।	36.00
ङ—1979–80 का देय अनुग्रह भुगतान	389.60

अब केवल प्रतिभूति की रु0 78 की धनराशि का भुगतान किया जाना है। श्री शुक्ला की पासबुक खो जाने के कारण उक्त भुगतान नहीं हो पाया है। दूसरी पासबुक तैयार करने हेतु पोस्ट मास्टर, कानपुर से निवेदन किया गया है।

चैनपुर–गुलौरा पम्प नहर तहसील रसड़ा, जिला बलिया के बन्द होने की शिकायत

14—श्री खैरुल बशर—

क्या सिंचाई मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि चैनपुर गुलौरा पम्प नहर तह0 रसड़ा जिला बलिया द्वारा किसानों को सिंचाई के लिए उक्त नहर का पानी न उपलब्ध होने के विषय में श्री पो0 वजीह अंसारी, महामन्त्री, कांग्रेस (यू0) अल्पसंख्यक सेल उ0प्र0, लखनऊ का शिकायती-पत्र जनवरी, 1981 में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उसमें क्या शिकायतें हैं तथा उनमें क्या जांच की गयी और उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

श्री अन्सारी का पत्र मार्च, 1981 का जिलाधिकारी, बलिया के माध्यम से 1-4-81 को अधिशासी अभियन्ता नलकूप बलिया के कार्यालय में प्राप्त हुआ था। उसमें नहर के बन्द होने के कारण रबी की फसल के सूख जाने की शिकायत की गई थी। श्री अन्सारी के साथ मौके पर जांच की गयी थी और फसल के सूखने की शिकायत गलत पाई गयी।

जौनपुर डिपो की प्रयोज्य एवं निष्प्रयोज्य बसें

15—श्री प्रभुनारायण सिंह—

क्या परिवहन मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जौनपुर डिपो में इस समय कितनी बसें संचालित होती हैं ? क्या यह सच है कि इस डिपो की लगभग आधी बसें रख-रखाव के अभाव में मार्गों पर चलने के अयोग्य हैं ? यदि हां, तो इन बसों को विधिवत् ठीक कराकर चलने के योग्य बना दिया जायगा ? यदि हां, कब तक ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है।

विघटित ड्रेनेज खण्ड, उन्नाव के पतरौल एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का बकाया वेतन का भुगतान

16—श्री भीखा लाल—

क्या सिंचाई मन्त्री वर्ष 1971 के विधान सभा तृतीय सत्र के पहले बुधवार के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न संख्या—11 (ग्यारह) के उत्तर के सन्दर्भ में बताने की कृपा करेंगे कि अब तक सभी पतरौलों और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के संशोधित वेतन दरें निश्चित कर दी गयी हैं और उनको बकाया का भुगतान कर दिया गया है ? क्या यह सही कि अब भी दो पतरौलों और दो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के बकाया वेतन का भुगतान नहीं किया गया है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

संशोधित वेतन दरें निश्चित की जा चुकी हैं किन्तु विघटित ड्रेनेज खण्ड, उन्नाव के केवल तीन पतरौल तथा एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के बकाए का भुगतान नहीं किया जा सका है क्योंकि सम्बन्धित कर्मचारी अपना पैसा लेने नहीं आये।

परिवहन लिपिक संगठन, केन्द्रीय कर्मशाला, कानपुर का ज्ञापन

17—श्री भीखा लाल—

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि परिवहन लिपिक संगठन, उ0प्र0 केन्द्रीय कार्यशाला, कानपुर द्वारा 21—7—78 को एक ज्ञापन प्रबन्ध मण्डल को दिया गया था जिसमें लिपिक वर्ग के प्रोन्नति के सम्बन्ध में कुछ सुझाव दिए गये थे और उ0प्र0 शासन ने अपने पत्र संख्या 875—30—2—टी0सी0/81, दिनांक 17—3—81 द्वारा प्रधान प्रबन्धक की समस्या को सुलझाने के निर्देश दिए थे ? यदि हां, तो अब तक इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी और यदि नहीं की गयी, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

लिपिक संगठन का कथित ज्ञापन दिनांक 21—7—78 उपलब्ध नहीं है। लिपिक संगठन के पत्र दिनांक 12—1—81 जिसमें 21—7—78 के स्थान पर 21—8—78 के पत्र का उल्लेख है शासन के पत्र संख्या 875/30—2—टी0सी, दिनांक 17—3—1981 के साथ परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ में प्राप्त हुआ। विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि इस समय निगम केन्द्रीय कार्यशाला के नान पेन्शनेबुल लिपिक वर्ग के लिए उच्च पदों के सृजन की स्थिति में नहीं है। अतः उनके लिए वर्तमान पदों में ही सेलेक्शन ग्रेड का प्राविधान कर दिया गया है।

केन्द्रीय कर्मशाला, कानपुर के पेन्शनेबुल और नान-पेन्शनेबुल लिपिक वर्ग

18—श्री भीखा लाल—

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय कार्यशाला, कानपुर में लिपिकों में दो श्रेणियां हैं, एक पेन्शनेबुल और दूसरे नान-पेन्शनेबुल ? यदि हां, तो यह श्रेणियां किस आधार पर बनायी गयी हैं ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां। केन्द्रीय कार्यशाला में काम करने वाले लिपिकों में से जो प्रशासनिक व लेखा विभाग में कार्य करते हैं और वर्कशाप की बाउन्ड्री के बाहर प्रशासनिक कार्यालय में बैठते हैं वह पेन्शनेबुल हैं। वर्कशाप की बाउन्ड्री के अन्दर कार्यरत लिपिक नान-पेन्शनेबुल होते हैं और उन्हें दूनी दर पर अन्य कर्मचारियों की भांति ओवर-टाइम व फैक्ट्री ऐक्ट की अन्य सुविधायें, जैसे ई0पी0एफ0 कन्ट्रीब्यूशन आदि, भी मिलता है।

उपर्युक्त श्रेणियां शासनादेश संख्या 3014-डी, दिनांक 16 सितम्बर, 1960 के आधार पर बनायी गयी हैं ।

सिंचाई विभाग के छटनीशुदा सहायक कृषि प्रसार निरीक्षक

18—(क) श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई विभाग के 1107 छटनी शुदा सहायक कृषि प्रचार निरीक्षकों में से सन् 1979 में 200 निरीक्षक कृषि विभाग में लिये गये थे ? सन् 1980 में लगभग 1500 नई भर्तियां हुई थीं । उक्त के अन्तर्गत शेष 907 निरीक्षकों को क्यों नहीं लिया गया ? क्या उक्त निरीक्षकों को अन्यत्र खपाए जाने का विचार शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां ।

कार्मिक अनुभाग-2 के शासनादेश दिनांक 5-10-81 के अनुसार सहायक कृषि प्रसार निरीक्षक छटनीशुदा कर्मचारी की श्रेणी में नहीं आते, क्योंकि उन्हें नलकूप चालक के पद पर एक बार नियुक्ति देकर छटनीशुदा कर्मचारी का लाभ दिया जा चुका है, फिर भी उनके मामले में पुनः विचार किया जा रहा है ।

नलकूप मण्डल, बरेली के श्री श्याम मोहन वर्मा व श्री राम गोविन्द के विरुद्ध शिकायती-पत्रों पर जांच

19—श्री मित्रसेन—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि नलकूप मण्डल, बरेली में कार्यरत श्री श्याम मोहन वर्मा, मुख्य सहायक एवं राम गोविन्द लिपिक के विरुद्ध श्री रजनीश कुमार गुप्ता, अवर अभियन्ता के दिनांक 20-5-78, 22-6-78 व 20-10-78 के शिकायती-पत्र मुख्य अभियन्ता को प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उनकी जांच किस अधिकारी द्वारा कराई गई है और शिकायत के आधार पर सर्वश्री श्याम मोहन वर्मा एवं राम गोविन्द शुक्ल अनिवार्य रूप से सेवा निवृत्त करने के आदेश मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग ने दिये थे ? यदि हां, तो अभी तक इन्हें सेवा निवृत्त न करने का क्या कारण है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां। दिनांक 20-5-78 एवं 22-6-78 को प्राप्त हुए शिकायती पत्रों पर जांच श्री रमाकान्त त्रिवेदी तत्कालीन अधीक्षण अभियन्ता, नलकूप मण्डल, बरेली द्वारा कराई गयी। दिनांक 20-10-78 के पत्र पर जांच की कार्यवाही मुख्य अभियन्ता नलकूप (पश्चिम) मेरठ के कार्यालय द्वारा की गयी ।

उक्त शिकायती पत्रों पर सर्वश्री श्याम मोहन वर्मा एवं राम गोविन्द शुक्ल को अनिवार्य रूप से सेवा निवृत्त करने के आदेश मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग द्वारा नहीं दिये गये थे। अतः उन्हें सेवा निवृत्त करने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, के अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवा नियमावली

20—श्री विमल प्रसाद तिवारी—

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0प्र0 रा0स0प0नि0 के अन्तर्गत विभिन्न ग्रेड के कर्मचारियों की पदोन्नति के लिए कोई नियम बनाये गये हैं ? यदि हां, तो उनको कब से लागू किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के कर्मचारियों (अधिकारियों से भिन्न) की सेवा नियमावली, जून 19, 1981 से लागू है। अधिकारियों के लिए सेवा नियमावली अभी निगम द्वारा नहीं बनाई गयी है ।

परिवहन निगम के देवरिया स्थित सीनियर स्टेशन इंचार्ज, स्टेशन प्रबन्धक तथा वर्कशाप में भ्रष्टाचार की शिकायत की जांच

21—श्री हरिवंश सहाय—

क्या परिवहन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि सीनियर स्टेशन इंचार्ज, देवरिया के भ्रष्टाचार के विरुद्ध प्रश्नकर्ता का शिकायती-पत्र दिनांक 2-1-81 प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो शिकायतें क्या हैं तथा उन पर कौन सी कार्यवाही की गयी?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है।

22—श्री हरिवंश सहाय—

क्या परिवहन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि स्टेशन प्रबन्धक, देवरिया के भ्रष्टाचार के विरुद्ध प्रश्नकर्ता का शिकायती-पत्र दिनांक 25-10-80 प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो शिकायतें क्या हैं? तथा उन पर कौन सी कार्यवाही की गयी?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है।

23—श्री हरिवंश सहाय—

क्या परिवहन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि देवरिया वर्कशाप में व्याप्त भ्रष्टाचार, अनियमितता से सम्बन्धित प्रश्नकर्ता के तीन पत्र दिनांक 10-2-81 प्राप्त हुए हैं? यदि हां, तो उन पर कौन सी कार्यवाही की गयी?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है।

दोहरीघाट परियोजना के टेंडर में अनियमितता की शिकायत

24—श्री हरिवंश सहाय—

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि अन्तर्गत जिलान्तर्गत दोहरीघाट परियोजना टेंडर में अनियमितता के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 9-10-80 प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो शिकायतें क्या हैं? तथा उन पर कौन सी कार्यवाही की गयी?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है।

ब्लाक बनकटा तथा भाटपाररानी, जिला देवरिया में जलस्तर नीचा करने के उपाय

25—श्री हरिवंश सहाय—

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि देवरिया जिलान्तर्गत बनकटा एवं भाटपाररानी ब्लाकों में जल स्तर ऊपर उठाने से सम्बन्धित प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 3-10-80 प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो जल स्तर को नीचा करने के लिए कौन-कौन उपाय किए जा रहे हैं?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां।

प्रश्नगत क्षेत्र में जल स्तर नीचा करने के सम्बन्ध में नलकूपों के निर्माण तथा ड्रेनों के सुधार का कार्य किया जा रहा है?

तहसील नौगढ़, जिला बस्ती में राजकीय नलकूप लगाने की मांग

26—श्री मथुरा प्रसाद पाण्डेय—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि बस्ती जिले के नौगढ़ तहसील में जो गांव कूड़ा और धोबी नदियों के दोनों में हैं जहां नहर आदि की कोई सरकारी व्यवस्था नहीं है? यदि हां, तो क्या सरकार इन गांवों में राजकीय नलकूप लगाने पर विचार करेगी?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां। कूड़ा और घोड़ी दबाव हेतु नगर परिसीमन के अन्तर्गत शहरों का प्रस्ताव है जिनका अभी सर्वेक्षण हो रहा है। सर्वेक्षण के उपरान्त ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

लखनऊ में महानगर चौकमार्ग पर बस सेवा की मांग

27—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या परिवहन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि [illegible] चौक, लखनऊ तक जनता के हित में बस सेवा चालू करने के सम्बन्ध में [illegible] विज्ञापनों के दिनांक 12-8-81 तथा 14-8-81 तथा अन्य विज्ञापनों के दिनांक [illegible] को प्राप्त हुये हैं? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में शासन ने अब तक क्या [illegible] ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां। माननीय सदस्यगण के [illegible] 39 (चौक — राम सागर मिश्र नगर) पर तीन बसें [illegible] मेडिकल कालेज, डालीगंज, आई०टी० कालेज, निशातगंज, [illegible] कालोनी होती हुई प्रत्येक 35 मिनट के अन्तराल में संचालित की [illegible] हैं।

हरदोई जनपद में हथौड़ा ड्रेन पर इशरतपुर-राजघाट पुल बनाने की मांग

28—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि [illegible] हरदोई जनपद में हथौड़ा ड्रेन पर इशरतपुर-राजघाट पुल स्वीकृत होने के बावजूद भी अब तक न बनाए जाने के क्या कारण हैं?

श्री वीर बहादुर सिंह—

प्रश्नगत स्थल जो हथौड़ा ड्रेन के [illegible] पर पुल का निर्माण स्वीकृत नहीं है। अतः पुल के निर्माण का प्रश्न नहीं उठता।

इशरतपुर परसौला से बिलग्राम [illegible] पर पुल का निर्माण तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा [illegible] परन्तु क्षेत्रीय जनता की आपत्ति के कारण पुल का निर्माण [illegible]

29—श्री खैरुल बशर, श्री राम [illegible] सिंह—

[माननीय मन्त्री की प्रार्थना पर [illegible]]

30—श्री राम आसरे वर्मा तथा श्री [illegible]—

[माननीय मन्त्री की प्रार्थना पर [illegible]]

31-32—श्री राम आसरे वर्मा—

[माननीय मन्त्री की प्रार्थना पर [illegible]]

कुमायूं मण्डल में चलने वाली बिना परमिट की बसें

33—श्री जसवन्त सिंह बिष्ट—

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि कुमायूं मण्डल में परिवहन निगम की कितनी बसें चल रही हैं? उनमें कितनी बसों को [illegible] किया है? और कितनी बसें बगैर परमिट की चल रही हैं? बगैर परमिट की बसें कब से चल रही हैं? और क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री एस०के० गुप्ता, सहायक अभियन्ता, सिंचाई निर्माण खण्ड, उन्नाव का कार्य-स्थल

34—श्री खैरुल बशर—

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि शासनादेश संख्या [illegible]-एफ/78-23-सि-1 दिनांक 19 अगस्त, 1978 का अनुपालन न करते हुए, जिसमें चार वर्ष की अवधि से

अधिक किसी भी सहायक अभियन्ता को एक स्थान पर न रखे जाने का प्राविधान है, सिंचाई निर्माण खण्ड, उन्नाव के [illegible] को गत 6 वर्षों से एक ही स्थान पर बनाए रखने का औचित्य क्या है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

उन्नाव [illegible] गत छः वर्षों से एक ही स्थान पर नहीं रहे। अतः कथित [illegible] नहीं उठता।

श्री नन्द लाल सिंह [illegible] परिचालक के पद पर कथित चुनाव

35—श्री ऊदल—

क्या परिवहन मन्त्री [illegible] कि नन्द लाल सिंह, गांव छतरीपुर, पो0 शिवपुर, [illegible] परिचालक के पद के लिए चयन समिति ने चुन लिया [illegible] के कार्यालय पत्र संख्या स0क्षे0प्र0जौ0/स्थापना/4592/30 के द्वारा [illegible] दिया और चयन समिति की सूची में 35 नम्बर पर इनका नाम है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है।

36—श्री ऊदल—

क्या परिवहन मन्त्री बतायेंगे कि [illegible] की परिचालक पद का प्रशिक्षण भी इसको दिया गया और 1000 [illegible] को जमा कराया गया है ? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि [illegible] और क्रम संख्या 30 से 44 तक के लोगों को कार्य दे दिया गया है ? [illegible] ? इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता ने एक प्रार्थना-पत्र अपने पत्र के [illegible] को अक्तूबर, 2/3/81 को भेजा है ? यदि [illegible] करने का कारण क्या है, इसके लिए कौन अधिकारी दोषी है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है।

37-38—श्री ऊदल—

[माननीय मन्त्री की प्रार्थना पर स्थगित।]

39—श्री ऊदल—

[माननीय मन्त्री की प्रार्थना पर स्थगित]

शारदा सहायक परियोजना की दरियाबाद (बाराबंकी) ब्रांच में सीपेज की समस्या

40—श्री ऊदल—

क्या मिन्त्री [illegible] करेंगे कि दरियाबाद ब्रांच शारदा सहायक, बाराबंकी में बड़े पैमाने पर सीपेज होता है ? इसको रोकने हेतु अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? [illegible] प्रश्नकर्ता ने सचिव, सिंचाई विभाग को एक पत्र मार्च, 1981 में लिखा था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां।

शारदा सहायक परियोजना की दरियाबाद ब्रांच के किनारे कुछ स्थानों में सीपेज की समस्या है। इसके निराकरण हेतु [illegible] के किनारे आवश्यकतानुसार सीपेज एवं लिंक ड्रेन के निर्माण का प्रस्ताव बनाया गया है, जिनके निर्माण का कार्य प्रगति पर है।

पत्र में 39 ग्रामों का उल्लेख था। इन ग्रामों में सीपेज की समस्या के निराकरण हेतु सीपेज एवं लिंक ड्रेन का निर्माण कराया जा रहा है।

ग्राम चोरारी, जिला जौनपुर में मड़ियाहू–जलालपुर मार्ग पर बना पुल

41—श्री ऊदल—

क्या सिंचाई मन्त्री कृपा करेंगे कि सरदार सहायक 38 खण्ड की बावतपुर राजवाहा में चोरारी, जौनपुर के पास मड़ियाहू जलालपुर मार्ग में जो पुल बनाया गया था, उसका एक हिस्सा टूट कर बैठ गया और पुनः उसको बनाया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या इसकी जांच करायी गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो इसके लिए कौन-कौन लोग दोषी पाये गये ? उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी और अब कितना होगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी नहीं। बावतपुर राजवाहे के किमी0 0–2–15 [illegible] (जौनपुर) के पास मड़ियाहू, जलालपुर मार्ग में [illegible] 0 का [illegible] कोलाई का आकार देते हुए ठेकेदार ने [illegible] अनुसार सार्वजनिक निर्माण विभाग के [illegible] सही हुई और न दोबारा कार्य कराया गया। [illegible] पुल की लागत 1–90 लाख रुपया [illegible] विभाग का कोई अतिरिक्त व्यय का प्रश्न नहीं है।

जौनपुर में केराकत राजवहा की क्षमता से कम जल भराव से फसल की क्षति

42—श्री ऊदल—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि सरदार सागर के केराकत माइनर जौनपुर की [illegible] नहर को तोड़कर लखनपुर, [illegible] हिरावलपुर आदि गांवों की जमीन को [illegible] 81 में [illegible] ? क्या यह नहर अब [illegible] पड़ी है ? यदि हां, तो [illegible] जिम्मेदारी [illegible] ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी नहीं।

माह जनवरी, 81 में केराकत राजवहा के कि0मी0 0–24–2 पर अधिक वर्षा के कारण खांदी हुई थी जो [illegible] खांदी से पानी लेहरेपुर ड्रेन से नाद नदी में चला गया एवं [illegible] की कोई क्षति नहीं हुई। [illegible] पुल न बनने से नहर को कोई [illegible] नहीं था।

43—श्री ऊदल—

क्या सिंचाई मन्त्री को ज्ञात है कि उक्त नहर के टूट जाने से जनवरी, फरवरी, मार्च, 81 में भी इसमें [illegible] हजारों एकड़ [illegible] फसल को नष्ट कर दिया था ? यदि हां, तो नहर को किसी [illegible] पानी छोड़ने का क्या औचित्य था ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

उक्त नहर [illegible] राजवहा में [illegible] एवं मार्च, 81 में कोई खांदी नहीं हुई थी। माह जनवरी, 81 में इस नहर में एक जोरी हो गयी थी जो तत्काल बन्द करा दी गयी थी। इस जोरी से [illegible] फसल को कोई क्षति नहीं हुई थी। नहर में पानी काश्तकारों की आवश्यकता को ध्यान में रख कर चलाया जाता है।

श्री महेश चन्द्र जिन्दल, मुख्य अभियन्ता (नलकूप) के विरुद्ध जांच

44—श्री ऊदल—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री महेश चन्द्र जिन्दल, मुख्य अभियन्ता (पूर्वी) नलकूप विभाग, उ0प्र0 के बारे में प्रत्यावेदी ने एक पत्र मा0 मुख्य मन्त्री को 12 जून, 81 को दिया था जब वे नलकूप विभाग में मुख्य अभियन्ता थे तो उनका कार्य असन्तोष-

जनक एवं धन के दुरुपयोग एवं नलकूप निगम के कार्यों को ठीक से न सम्पादित करने की वजह से इनके खिलाफ सतर्कता विभाग ने जांच करके शासन को रिपोर्ट दे दिया है कि इनको पदमुक्त कर दिया जाय ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गयी ? क्या यह भी सत्य है कि इनके खिलाफ पांच-जांच रिपोर्ट शासन के विचाराधीन हैं और इनको प्रमुख अभियन्ता बनाया जा रहा है ? ऐसा क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

प्रश्नकर्ता विधायक महोदय का पत्र दिनांक 12 जन. 1981 प्राप्त हुआ है जिसमें श्री महेश चन्द्र जिन्दल, मुख्य अभियन्ता (नलकूप) के विरुद्ध चल रही जांचों का उल्लेख करते हुए उनके बजाय किसी योग्य व्यक्ति को मुख्य अभियन्ता (यांत्रिक) के पद पर नियुक्त करने की बात कही गयी है। सतर्कता विभाग द्वारा इनके विरुद्ध एक जांच की जा रही है। श्री जिन्दल के विरुद्ध इसके अलावा दो और विभागीय जांच लम्बित हैं। यह सही नहीं है कि सतर्कता विभाग ने इनको पदमुक्त किए जाने की संस्तुति की है।

श्री जिन्दल को प्रमुख अभियन्ता बनाए जाने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन नहीं है।

45--श्री ऊदल--

[माननीय मन्त्री की प्रार्थना पर स्थगित]

बाराबंकी में सूखे के कारण मालगुजारी में छूट की मांग

46--श्री ऊदल--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सन 79 फ0 सन 87 में वाराणसी जिले में खरीफ की फसल 50 फीसदी से 100 फीसदी तक सूखे की वजह से नुकसान हुआ था और सरकार ने खरीफ की पूरी लगान माफ करने का आदेश दिया था ? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि वाराणसी जिले में किसी अधिशासी अभियन्ता ने माफी के लिए रिपोर्ट नहीं दिया और अब बकाया की वसूली की जा रही है ? किन-किन लोगों ने रिपोर्ट नहीं दी, उनके नाम क्या हैं, उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

सन् 1979 फसली 1387 में वाराणसी जनपद में खरीफ की फसल को सूखे से हुई क्षति के फलस्वरूप मालगुजारी में आंशिक छूट दिए जाने का प्रश्न राजस्व विभाग के विचाराधीन है। सिंचाई विभाग द्वारा दी गयी सिंचन सुविधा के सम्बन्ध में जनपद वाराणसी नलकूप खण्ड प्रथम, वाराणसी के अधिशासी तथा सभी अधिशासी अभियन्ताओं ने फसलों को हुई क्षति के सम्बन्ध में सिंचाई शुल्क में छूट की कार्यवाही की है। नलकूप खण्ड, प्रथम, वाराणसी से सम्बन्धित क्षेत्र में सिंचाई-कर की छूट हेतु निर्णय लिया जाना अपेक्षित है।

ग्राम बैकुन्ठपुर, जिला देवरिया में निर्माणाधीन पुल का टेंडर

47--रुद्र प्रताप सिंह--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम बैकुण्ठपुर पो0 बैकुण्ठपुर, जनपद देवरिया में सिंचाई विभाग द्वारा कोई पुल बनवाया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या उसका टेंडर हुआ था ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां।

आमंत्रित निविदाओं को कतिपय कारणों से निरस्त कर दिया गया तथा निर्माण कार्य चयन के आधार पर कराया जा रहा है।

जिला देवरिया में छोटी गण्डक के कटाव से प्रभावित ग्रामों की सुरक्षा

48--श्री रुद्रप्रताप सिंह--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि देवरिया जनपद, देवरिया तहसील के अन्तर्गत ग्राम मथुरा छापर मुडरा मिश्र, पहुबी, बैकुण्ठपुर ग्राम छोटी गण्डक से कट रहे हैं ? यदि हां, तो इन गांवों को बचाने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां। छोटी गण्डक की कटाव से सुरक्षा हेतु ग्राम मथुरा छापर में 2 तथा मुन्डेरा मिश्र में तीन डैम्पनर्स का निर्माण पूर्ण हो चुका है। ग्राम पहुदी की सुरक्षार्थ दो डैम्पर्स का निर्माण स्वीकृत हुआ है जिसका निर्माण आगामी वर्षों के पूर्व कर दिया जायगा। ग्राम बैकुण्ठपुर में आबादी के कटाव से सुरक्षा हेतु वर्ष 1980 में तीन डैम्पनर्स का निर्माण पूर्ण कर लिया गया था जिससे आबादी को काफी सुरक्षा मिली थी परन्तु वर्ष 1981 की वर्षा ऋतु में आबादी से कुछ ऊपर की ओर नदी ने कटान किया है जिसको देखते हुए और डैम्पनर्स का निर्माण स्वीकृत किया गया जिसका निर्माण आगामी वर्षा के पूर्व पूर्ण कर दिया जायगा।

49--श्री श्याम लाल वाजपेयी--

(स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया)

केन नहर पुनरोद्धार योजना में गतिरोध

50--श्री चन्द्र प्रकाश शर्मा--

क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या मध्य प्रदेश सरकार के कुछ असहयोग के कारण बांदा में केन नहर पुनरोद्धार योजना के निर्माण कार्य में गतिरोध उत्पन्न हो गए हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार ने मध्य प्रदेश सरकार से सहयोग लेने की की कोई कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो उसका क्या कारण है ? उक्त परियोजना कब तक पूरी हो जायगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

मध्य प्रदेश शासन से केन नहर की क्षमता वृद्धि हेतु (मध्य प्रदेश के क्षेत्र में) कार्य प्रारम्भ करने की अनुमति प्राप्त होने पर कार्य किया जाना सम्भव हो सकेगा।

51--श्री दलगंजन सिंह--

[माननीय मन्त्री की प्रार्थना पर स्थगित।]

आर०आई० (टी) और पी०टी०एस० पदों से प्रोन्नतियों में कथित असंगति

52--श्री भागीरथ, श्री नरेन्द्र सिंह तथा श्री चन्द्रप्रकाश शर्मा--

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आर०आई० (टी) को सीधे ए०आर० टी०ओ० पद पर औसतन 5-7 वर्ष में प्रोन्नति मिल जाती है जबकि ए०आर०टी०ओ० के लगभग समान उत्तरदायित्व वाले पी०टी०एस० को 15-20 वर्षों तक भी ए०आर०टी० ओ० के पद पर प्रोन्नत न करके उनको बीच के पदों पर ही कार्यरत रहना पड़ता है ? इस असंगति के क्या कारण हैं।

श्री वीर बहादुर सिंह--

नियमानुसार पी०टी०एस० की प्रोन्नति पी०टी०ओ० के पद पर होती है जबकि आर० आई०टी० की प्रोन्नति ए०आर०टी०ओ० के पद पर करने का प्राविधान है। दोनों पदों से प्रोन्नतियां नियमानुसार ही की जाती हैं और इसमें कोई असंगति नहीं है।

परिवहन विभाग में यात्री/माल कर अधीक्षकों का नियमितीकरण

53--श्री भागीरथ, श्री नरेन्द्र सिंह तथा श्री धनीराम वर्मा--

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि विभागीय प्रोन्नति द्वारा वर्ष 1968 से कार्यरत यात्री-कर अधीक्षकों का नियमितीकरण लोक सेवा आयोग/शासन द्वारा किन परिस्थितियों में अभी तक नहीं कराया जा सका एवं इसके लिए कौन-कौन अधिकारी दोषी है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

विभागीय प्रोन्नत यात्री/माल कर अधीक्षकों के नियमितीकरण का मामला वर्ष 1973 में लोक सेवा आयोग को भेज दिया गया था परन्तु सम्बन्धित औपचारिकताएं पूर्ण करने में जो विलम्ब हुआ है उसके लिए उत्तरदायित्व निर्धारित कर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध उचित कार्यवाही करने हेतु निर्देश दे दिए गये हैं ।

लखनऊ जिला कारागार के मुख्य द्वार पर घटित गोली काण्ड

54--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या कारागार मन्त्री बतायेंगे कि दिनांक 24-5-81 को लखनऊ जिला कारागार के भीतर कुछ कैदियों को गोली मार कर घायल कर दिया गया है ? यदि हां, तो पूरी घटना क्या है तथा इस बारे में सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री राम सिंह खन्ना--

दिनांक 24 मई, 1981 को जिला कारागार, लखनऊ के भीतर कोई घटना नहीं हुई। हां, मुख्य द्वार के बाहर किसी बाहरी व्यक्ति द्वारा छर्रे की कारतूस चलाई गई जिसके फलस्वरूप दो बन्दी रक्षकों, भारतीय सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत निरुद्ध एक व्यक्ति, ठेकेदार के एक नौकर तथा बाहर मुलाकातियों के बीच खड़े एक व्यक्ति को साधारण चोटें आयीं।

घटना के तुरन्त बाद जेल के स्टाफ तथा जनता के कुछ व्यक्तियों द्वारा बदमाशों का पीछा किया गया और उनमें से एक को 2 जीवित कारतूसों सहित पकड़ लिया गया। घटना की सूचना पुलिस को भी दी गयी। घटना की मैजिस्ट्रीयल जांच भी कराई जा रही है ।

इस सम्बन्ध में क्षेत्रीय उप कारागार महानिरीक्षक तथा उप कारागार महानिरीक्षक (मुख्यालय) द्वारा विभागीय जांच भी की गई है। 5 बन्दी रक्षकों को आरोप-पत्र दिए गये हैं तथा एक उप कारापाल को स्थानान्तरित कर दिया गया है ।

श्री ए०पी० शर्मा, अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, एटा के विरुद्ध सतर्कता विभाग की जांच

55--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

कासगंज (एटा) श्री ए० पी० शर्मा, अधीक्षण अभियन्ता, कार्य मण्डल-2, सिंचाई विभाग, उ० प्र० के विरुद्ध माह फरवरी, 1980 से खुली जांच की जा रही है ? क्या इस जांच को एक वर्ष से अधिक व्यतीत हो चुका है ? यदि हां, तो कृपया सिंचाई मन्त्री बतलायेंगे कि इतनी लम्बी अवधि के उपरान्त इन सम्बन्धित अधिकारियों का स्थानान्तरण क्यों नहीं किया गया ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां।

सतर्कता जांच प्रकरण में अन्तर्ग्रस्त 5 अधिकारियों में से एक अधिशासी अभियन्ता के अतिरिक्त शेष 4 अधिकारियों का स्थानान्तरण किया जा चुका है ।

पिथौरागढ़ तथा रानीखेत में अप्रैल, 1981 में घटित बस दुर्घटना

56—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अप्रैल, 81 के अन्तिम सप्ताह में पिथौरागढ़ तथा रानीखेत में दो बस दुर्घटना हुयीं जिसमें ड्राइवर तथा कन्डक्टर सहित लगभग 15 व्यक्ति मर गए? पूरी घटना क्या है तथा इस बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

57—श्री विमल प्रसाद तिवारी—

[4थे सोमवार में अतारांकित प्रश्न संख्या—2 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

श्री एस०एन० बर्नवाल, बुकिंग क्लर्क, देवरिया डिपो का निलम्बन एवं प्रतिकूल प्रविष्टि

58—श्री मोहन सिंह—

क्या परिवहन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि श्री एस०एन० बर्नवाल, बुकिंग क्लर्क, देवरिया डिपो, गोरखपुर क्षेत्र ने विभागीय पदोन्नति पाने वाले के विरुद्ध प्रत्यावेदन 28-10-73 में किया था ? क्या यह सच है कि भू०पू० परिवहन मन्त्री श्री राजमंगल पाण्डेय द्वारा उन लोगों को रिवर्ट किया गया था और वे सेवा में पुनः आ गये, क्या यह सच है कि उससे रुष्ट होकर उक्त अधिकारीगण ने 25-3-74 को श्री बर्नवाल को निलम्बित कराया था ? तथा पुनः किसी सरकारी गवाह प्रस्तुत कराए बिना उन्हें चरित्र पंजिका में प्रतिकूल प्रविष्टि करा दी ? क्या इस सम्बन्ध में बिना छानबीन किए ही श्री बर्नवाल की पदोन्नति में बाधा पहुंचाई गयी ? यदि हां, तो क्या सरकार इसके सुधार के आदेश प्रदान करने की कृपा करेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जौनपुर की मडियाहूं ब्रांच फाल के निर्माण कार्य का भुगतान

59—श्री ऊदल—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई विभाग जौनपुर द्वारा मडियाहूं ब्रांच फाल का निर्माण जो किलो मी० 79/240 पर है एग्रीमेन्ट नं० 1. 78/79 के द्वारा कराया है ? यदि हां, तो क्या यह सच है कि यह कार्य 30 जून, 80 को समाप्त हो गया ? यदि हां, तो इसका पूरा भुगतान ठेकेदार को अब तक न करने का कारण क्या है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां ।

जी हां ।

अन्तिम भुगतान कार्य की मात्रा से 20 प्रतिशत से अधिक घटा-बढ़ी की स्वीकृति अपेक्षित होने के कारण नहीं किया जा सका । ठेकेदार को शेष भुगतान करने हेतु अधिकारियों को आदेश दे दिए गये हैं ।

जौनपुर की इटहा स्कीम पर हुए कार्य का रनिंग भुगतान

60—श्री ऊदल—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई विभाग, जौनपुर ने एग्रीमेन्ट नं० 16, 79/80 के द्वारा इटहा स्कीम जो कि०मी० नं० 1 : 8 का कार्य एक लाख से ऊपर का ठेकेदार ने कर दिया है ? यदि हां, तो इसका रनिंग भुगतान अब तक न करने का कारण क्या है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां।

रनिंग भुगतान 1-10-80 को किया जा चुका है।

वाराणसी जिले में ब्लाक बड़ागांव व पिंडरा में हुए सिंचाई निर्माण कार्यों का भुगतान

61--श्री ऊदल--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी जिले के ब्लाक बड़ागांव व पिण्डरा में क्रमशः नलकूप कनयर सेकेण्ड चकगाछिया, रघुनाथपुर, सरांवा व कनकपुर की नाली के लिए वर्क-आर्डर 25/374, 48/374, 39/374, 41/374, 4/400 व 17/374, 18/374 द्वारा 77 व 78 में नाली का कार्य कराया गया है? उसका भुगतान ठेकेदारों को अब तक क्यो नही किया गया? और भुगतान कब तक किया जायगा?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां। वर्कआर्डर संख्या 41/374 पक्की नाली के निर्माण हेतु किया गया था जिसका भुगतान मार्च, 1978 में किया जा चुका है। शेष वर्क-आर्डर नलकूपों पर भूमिगत पाइप लाइन बिछाने के लिए निर्गत किए गये थे। इन कार्यादेशों के द्वारा कराए गये कार्यों को त्रुटिपूर्ण पाए जाने के कारण ठेकेदारों को भुगतान नहीं किया गया। त्रुटिपूर्ण कार्यों के ठीक होने के उपरान्त भुगतान की कार्यवाही सम्भव हो सकेगी।

62--श्री राम आसरे वर्मा--

[6ठे मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या-1 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

सिंचाई निर्माण खण्ड, उन्नाव को ड्रेनों की खुदाई आदि के लिए आवंटित धनराशि एवं किए गये कार्य

63--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1980-81 के दौरान सिंचाई निर्माण खण्ड उन्नाव को ड्रेनों की सफाई, नई ड्रेनों की खुदाई एवं पुलों के निर्माण हेतु कितने रुपयों का आवंटन किया गया? आवंटित धनराशि में से कितने रुपयों का उपयोग किया गया और कितनी धनराशि शेष बची? इस खण्ड द्वारा उक्त समय के दौरान जनपद हरदोई में क्या-क्या कार्य किए गये? यदि नहीं किया गया, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह--

वर्ष 1980-81 में सिंचाई निर्माण खण्ड उन्नाव को ड्रेनों की सफाई, नई ड्रेनों की खुदाई एवं पुलियों के निर्माण हेतु वार्षिक अनुदान के अन्तर्गत आवंटित 18 लाख रुपए की धनराशि में से रु0 17,93,186 व्यय किया गया।

सिंचाई निर्माण खण्ड, उन्नाव द्वारा जनपद हरदोई में वर्ष 1980-81 में ड्रेनों पर निर्माण कार्य ड्रेनों का पुनरुद्धार, पुलों के निर्माण कार्य किये गये।

प्रश्न नहीं उठता।

64--श्री राम आसरे वर्मा--

[4थे मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या-155 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

65--श्री श्याम लाल वाजपेयी--

[5वें मंगलवार में प्रश्न संख्या-155 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

सिंचाई विभाग नरोरा खण्ड अलीगढ़ के श्री ओम प्रकाश शर्मा का निलम्बन एव श्री राजेन्द्र सिंह त्यागी व श्री रूप चन्द्र के विरुद्ध शिकायतों की जांच

66--श्री रामजी राम--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य अभियन्ता के कार्यालय ज्ञाप संख्या 619/ई-4, दिनांक 25-10-78 द्वारा श्री ओम प्रकाश शर्मा, स्टोनोग्राफर का नियमों व शासनादेशों का स्पष्ट उल्लंघन करके अकारण ही मध्य सत्र में नरोरा खण्ड, अलीगढ़ से

टिहरी परियोजना तबादला करके, जबरन रिलीव कराने की कार्यवाही की गयी तथा दूसरी ओर अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, टिहरी ने अपने टेलीग्राम दिनांक 7-11-78 द्वारा अवीक्षण अभियन्ता, अलीगढ़ व मुख्य अभियन्ता लखनऊ को श्री शर्मा को रिलीव न करने तथा अपने यहां ज्वाइन न कराने की सूचना दी थी, इसका क्या औचित्य था ? और क्या यह भी सत्य है कि क्या भू०पू० सिंचाई मन्त्री ने दिनांक 25-5-79 तथा 29-5-79 को श्री शर्मा के निलम्बन आदेश दिए थे तथा श्री शर्मा किस तारीख से निलम्बित हैं और इसका पूर्ण विवरण क्या है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

श्री ओम प्रकाश शर्मा के शिकायतों के कारण प्रशासनिक आधार पर, प्रमुख अभियन्ता के आदेश दिनांक 25-10-78 द्वारा स्थानान्तरण किया गया था श्री शर्मा द्वारा चार्ज न देने के कारण उनको दिनांक 18-11-78 को कार्यमुक्त मान लिया गया था। इसमें किसी नियम या शासनादेश का उल्लंघन नहीं हुआ है। सम्भवतः श्री ओम प्रकाश शर्मा की आतंकवादी प्रवृत्ति के कारण ही मुख्य अभियन्ता टिहरी (देहरादून) द्वारा उन्हें रिलीव न करने हेतु तार दिया गया। भूतपूर्व सिंचाई मन्त्री ने दिनांक 6-6-79 को श्री शर्मा के निलम्बन आदेश दिए थे श्री शर्मा दिनांक 6-10-79 से निलम्बित हैं।

67--श्री रामजी राम--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि नरोरा खण्ड, अलीगढ़ में कार्यरत आशुलिपिक श्री राजेन्द्र सिंह त्यागी तथा मुख्य लिपिक श्री रूपचन्द्र के विरुद्ध पिछले दो वर्षों में किस-किस आरोपों पर तथा किन-किन ने शिकायतें की हैं तथा उस पर किस-किस स्तर से क्या-क्या आदेश व उनका क्रियान्वयन हुआ ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

शिकायतों तथा शिकायतकर्ताओं की सूची संलग्न है। एक अधिशासी अभियन्ता को शिकायतों की विस्तृत जांच करने हेतु आदेश दे दिए गये हैं।

(देखिए नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 399-400 पर)

68--श्री विजय सिंह--

[माननीय मंत्री की प्रार्थना पर स्थगित]

सिंचाई विभाग के अवर अभियन्ता, श्री विश्वनाथ मल्ल की प्रोन्नति का मामला

69--श्री केदार नाथ सिंह--

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि श्री विश्वनाथ मल्ल, अवर अभियन्ता (यांत्रिक) के उत्पीड़न के सम्बन्ध में सचिव, सिंचाई विभाग को एक पत्र दिनांक 24-10-80 को प्रश्नकर्त्ता ने दिया है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

श्री विश्वनाथ मल्ल, अवर अभियन्ता (यांत्रिक) की सहायक अभियन्ता पद पर प्रोन्नति के विषय पर माननीय सदस्य के पत्र दिनांक 24-10-80 की प्रति उन्हीं से दिनांक 10-9-81 को प्राप्त हुई थी ?

अवर अभियन्ताओं, की सहायक यांत्रिक अभियन्ता पद पर प्रोन्नति हेतु गठित चयन समिति ने श्री मल्ल को प्रोन्नति के लिए उपयुक्त नहीं पाया।

टाउन एरिया सैदपुर, जिला बदायूं में रोडवेज बस स्टेशन की मांग

70--श्री मोहम्मद अबरार अहमद--

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बदायूं के अन्तर्गत टाउन एरिया सैदपुर जो कि इस क्षेत्र में सबसे बड़ी आबादी वाली टाउन एरिया है में बस स्टैण्ड कार्यालय सरकार द्वारा स्वीकृत किया जा चुका है ? यदि हां, तो किस कारण बस स्टैण्ड कार्यालय नहीं बनाया जा रहा है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी नहीं।

सर्वेक्षण के आधार पर सैदपुर से औसत दैनिक आय जो संभावित है वह निर्धारित मापदण्ड से काफी कम है अतः वहां बुकिंग स्टेशन खोला जाना संभव नहीं है।

बरेली रीजन में प्राइवेट बसों से लिया जाने वाला यात्री-कर

71--श्री मोहम्मद अबरार अहमद--

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बरेली रीजन में प्राइवेट बसों से यात्री-कर लमसम लिया जा रहा है ? यदि हां, तो इसका आधार क्या है ? क्या सरकार इस सम्बन्ध में उचित कार्यवाही करने का कष्ट करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

बरेली रीजन में संचालित कुल 327 प्राइवेट बसों में से 239 से लम्पसम के आधार पर यात्री-कर लिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्रीकर) नियमावली, 1962 के नियम 5 के प्राविधानों के अनुसार इसका आधार मार्ग का किराया, बस द्वारा लगाये जाने वाले मासिक फेरों की दूरी तथा मार्ग का लोड फैक्टर है। इस सम्बन्ध में अन्य कोई कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

उ०प्र० राज्य सड़क परिवहन निगम के कथित घाटे को रोकने की मांग

72--श्री मोहम्मद अबरार अहमद--

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उ०प्र० परिवहन निगम सत्र 79-80 में कितने घाटे में चल रही है ? क्या सरकार निगम के लगातार घाटे को रोकने का उचित प्रयास करेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम को वर्ष 1979-80 में कोई घाटा नहीं हुआ। अतः घाटे को रोकने का प्रश्न नहीं उठता।

बदायूं डिपो में कुल बसें एवं उनकी स्थिति

73--श्री मोहम्मद अबरार अहमद--

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि परिवहन निगम के जनपद बदायूं डिपो में इस समय कितनी बसें हैं और कितनी बसों का इस डिपो में एलोकेशन है ? बदायूं डिपो में कितनी बसें मार्ग पर चल रही हैं ? क्या सरकार इन बसों का निरीक्षण कराने का कष्ट करेगी, जबकि चलती हुई बहुत ही खराब हालत में चल रही हैं और जनता को आये दिन परेशानी का सामना करना पड़ रहा है ? क्या सरकार इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

बदायूं डिपो में 66 बसें हैं जिनमें से 51 बसों का दैनिक संचालन निर्धारित है। सामान्यतया 51 बसों का मार्ग पर संचालन भी हो रहा है। बसों का निरीक्षण कार्यशाला से मार्ग पर भेजने से पूर्व प्रतिदिन किया जाता है तथा निगम प्रयत्नशील है कि बसों की खराबियां जब भी जानकारी में आयें, दूर होती रहें तथा जनता को पूरी सुविधा मिलती रहे।

सुल्तानपुर के कतिपय ग्रामों में बस स्टाप की मांग

74--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम रसूलपुर विकास खंड, जगदीशपुर से तहसील मुसाफिरखाना, जिला सुल्तानपुर होकर लखनऊ से बाजार शुकुल एवं सुल्तानपुर से शुकुल बाजार तक राज्य सड़क परिवहन निगम की बसें चलती हैं ? परन्तु उक्त

ग्राम में कोई बस नहीं रुकती है? इस ग्राम से बस स्टाप काफी दूर है जिससे ग्रामवासियों को आवागमन में काफी परेशानी होती है। क्या इस ग्राम में बस स्टाप स्थापित करने हेतु शासन को दिनांक 30-9-81 तक कोई प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी?

श्री वीर बहादुर सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है।

75--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

[माननीय मंत्री की प्रार्थना पर स्थगित]

सिंचाई विभाग के कार्य प्रभारित तकनीकी कर्मचारियों को प्रोन्नति सुविधा से लाभान्वित कर्मचारी

76--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि वर्ष 1975 में तकनीकी पदों के कार्य प्रभारित कर्मचारियों को प्रमोशन चैनल की सुविधाएं देने का निर्णय लिया गया था?

श्री वीर बहादुर सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है।

77--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

यदि हां, तो इस सम्बन्ध में खण्डीय तथा मण्डलीय स्तर पर क्या आधार तथा प्राविधान निर्धारित है तथा अब तक उसमें क्या प्रगति हुई तथा एक दशम मण्डल सिंचाई कार्य, फैजाबाद में कितने कर्मचारी लाभान्वित हुए तथा क्या सरकार जांच करायेगी?

श्री वीर बहादुर सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है।

78-79--श्री ऊदल--

[माननीय मंत्री की प्रार्थना पर स्थगित]

आगरा के ग्राम नगला परमसुख में गवन्स नाले पर अधूरे पुल को पूरा कराने की मांग

80--श्री बदन सिंह--

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि आगरा जनपद के ब्लाक फतेहपुर सीकरी के ग्राम नगला परमसुख (माजरा दयोरैठा) के निकट गवन्स नाले पर सन 1979 में प्रारम्भ किया हुआ एक पुल अधबना छोड़ दिया गया है? यदि हां, तो इस पुल को पूरा कर दिया जायगा?

श्री वीर बहादुर सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है।

81-82--श्री ऊदल--

[माननीय मंत्री की प्रार्थना पर स्थगित]

श्री बसन्त कुमार अग्रवाल, अधीक्षण अभियन्ता, गण्डक नहर निर्माण मण्डल, गोरखपुर के विरुद्ध शिकायती पत्र

83--श्री केदार नाथ सिंह--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्त्ता ने श्री बसन्त कुमार अग्रवाल, तत्कालीन अधीक्षण अभियन्ता, गंडक नहर निर्माण मंडल गोरखपुर के विरुद्ध उनको सेवा में शिकायती पत्र दिनांक 5 व 26 व 29 सितम्बर, 1980 तथा मुख्य अभियन्ता (बाढ़) को दिनांक 18-2-1981 को दिया है? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुयी?

श्री वीर बहादुर सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री नजर अब्बास, सेवानिवृत्त सीनियर फोरमैन, एलन फारेस्ट डिपो, कानपुर को अवशेष देयों का भुगतान

84--श्री ऊदल--

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर के एलन फारेस्ट डिपो में वर्ष 1978 में सीनियर फोरमैन (ग्रेड प्रथम) के पद पर सेवा निवृत्त श्री नजर अब्बास को उनकी ग्रेच्युटी व पेंशन आदि का भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? अब कब तक उनका भुगतान कर दिया जायेगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

श्री नजर अब्बास सेवानिवृत्त सीनियर फोरमैन ग्रेड-1 को निम्नलिखित कारणों से पेंशन व ग्रेच्युटी का भुगतान परिवहन निगम द्वारा अभी तक नहीं किया जा सका है ;

1--सेवा पुस्तिका में फार्म 430 पर सत्यापन न होना ।

2--वर्ष 1970 में वार्षिक बढ़ोत्तरी का अधिक लग जाना ।

3--कुछ क्षेत्रों से अदेयता प्रमाणपत्र बिलम्ब से प्राप्त होना ।

पेंशन पेपर्स को अब पूरा कर लिया गया है और उन्हें महालेखाकार को भेजने हेतु उचित कार्यवाही की जा रही है ।

इलाहाबाद जनपद के लिए स्वीकृत राजकीय नलकूप

85--श्री रमाकान्त मिश्र--

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि इलाहाबाद जनपद के विभिन्न तहसीलों में वर्ष 1980-81 व 1981-82 में किन किन गांवों में राजकीय नलकूप स्वीकृत किए गए ? इनमें से कितने नलकूपों का छिद्रण नहीं हुआ एवं कितने नहीं चलवाये है और यह कब तक चालू हो जायेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

वर्ष 1980-81 में इलाहाबाद जनपद में 60 राजकीय नलकूपों का आवंटन सामान्य कार्य के अन्तर्गत तथा 7 नलकूपों का आवंटन डी0पी0 पी0 के अन्तर्गत किया गया था जिनका विवरण संलग्नक "क" में दर्शाया गया है । इन समस्त नलकूपों का छिद्रण किया जा चुका है किन्तु 45 नलकूप अभी चालू नहीं हुए है ।

वर्ष 1981-82 में सामान्य कार्यक्रम के अन्तर्गत इस जनपद के लिये 85 नलकूपों का आवंटन किया गया है जिनमें से 69 नलकूपों का चयन जनपदीय नलकूप चयन समिति द्वारा किया जा चुका है । इन नलकूपों का विवरण संलग्नक "ख" में दिया गया है । इनमें से 33 नलकूपों का छिद्रण नहीं हुआ है तथा कोई नलकूप अभी चालू नहीं हुआ है ।

सीमेंट, पम्प सेट, स्टार्टर आदि का प्रबन्ध करके नलकूपों के उर्जीकरण की कार्यवाही की जा रही है व जो नलकूप नहीं चल सके है उनको शीघ्र चलाने हेतु प्रयास किया जा रहा है ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 401-404 पर)

गोरखपुर जनपद की नहरों की पिचिंग एवं सोलिंग

86--श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

क्या सिंचाई मंत्री को ज्ञात है कि जनपद गोरखपुर के किन-किन निर्वाचन क्षेत्रों में कितने किलो मीटर लम्बाई में नहरें है और गत द्वितीय वर्ष (1980-81) में कितने कितने किलोमीटर नहर पटरियों की ईट सोलिंग व पिच का विधान सभाई क्षेत्रानुसार

कार्य हुआ है और वर्तमान वित्तीय वर्ष 1981-82 में क्षेत्रानुसार कितने-कितने किलोमीटर में ये कार्य किये जायेंगे तथा इनके आधार क्या होंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जनपद गोरखपुर के निम्न निर्वाचन क्षेत्रों में उनके सम्मुख अंकित लम्बाई में नहरें/माइनरें हैं:—

	किलोमीटर
लक्ष्मीपुर	83.0
सहजनवा	25.0
बांसगांव	35.0
घुघली	37.9
महराजगंज	307.8
निचलौल	2.0
सिसवा	215.8
श्यामदेव रुधा	174.2
पनियारा	108.9
मनीराम	40.2
खजनी नगर	43.8
पिपराइच	95.6

वर्ष 80-81 में महराजगंज क्षेत्र व लक्ष्मीपुर विधान सभा क्षेत्र में क्रमशः 1.6 व 5.0 कि0 मी0 ईट सोलिंग का कार्य किया गया।

वित्तीय वर्ष 1981-82 में निम्न क्षेत्रों में नहरों की पटरियों पर ईट सोलिंग के कार्य किये जाने का प्रश्न विचाराधीन है:—

	किलोमीटर
महराजगंज	11.0
पनियारा	25.9
मनीराम	0.8

नहर की पटरियों का सोलिंग एवं पिचिंग का कार्य, सिंचाई विभाग की आवश्यकताओं के अनुसार कराया जिन मार्गों में नहर की पटरियों पर अनाधिकृत यातायात के कारण पटरियां कमजोर हो जाती हैं, किया जाता है।

भूतपूर्व विधायकों को सहवर्ती की सुविधा

87—श्री रघुवीर सिंह यादव तथा श्री बंशीधर—

क्या सरकार इस विषय पर विचार करने की कृपा करेगी कि जिस तरह से विधायकों के साथ एक व्यक्ति (सहवर्ती) सरकारी बसों में चलता है, उसी प्रकार से भू0पू0 विधायकों के साथ भी एक व्यक्ति सहवर्ती के रूप में जा सकता है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

यह विचार सरकारी बसों में भूतपूर्व विधायकों के सहवर्ती को निःशुल्क यात्रा की सुविधा देना सम्भव नहीं है।

गाजीपुर जिले की अवैध बसें

88—श्री [illegible] सिंह—

क्या परिवहन मंत्री [illegible] गाजीपुर जनपद में अनेक 50 प्राइवेट बसें जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में बिना रोड परमिट एवं बिना यात्री-कर दिए चलाई जा रही हैं और फल-

स्वरूप प्रतिवर्ष सरकार को कई लाख रुपए का घाटा हो रहा है ? यदि हां, तो बिना परमिट के बसों को चलाए जाने से रोकने के सम्बन्ध में अब तक कौन से कदम उठाए गये ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

ग्राम मेथीकुटीर, जिला उन्नाव के श्री बद्री प्रसाद द्वारा गूल निर्माण की मांग

89--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद उन्नाव के ग्राम मेथीकुटीर तहसील सफीपुर में श्री बद्री प्रसाद के खेतों में पानी पहुंचाने हेतु गूल अवीक्षण अभियन्ता षष्टम मंडल, सिंचाई विभाग के आदेश संख्या 870 दिनांक 18-3-81 तथा आदेश संख्या 5410 पी0 32 दिनांक 24 जून, 80 गूल निर्माण संबंधी आदेश का अनुपालन क्यों नहीं हुआ ? जबकि कृषक गूल निर्माण खर्च भी जमा करने को तैयार है तथा सींच कर निरन्तर वसूल की जा रही है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

अवीक्षण अभियन्ता, षष्टम मंडल सिंचाई कार्य, लखनऊ द्वारा यह आदेश दिये गये थे कि श्री बद्री प्रसाद के खेतों की सिंचाई की व्यवस्था कराने हेतु यदि आवश्यक हो तो नियमानुसार गूल का निर्माण करा दिया जाय। श्री बद्री प्रसाद के खेत की सिंचाई रामपुर माइनर के कुलावा नं0 9 की गूल से हर फसल में होती है जिसका सींच कर वसूल किया जाता है। ऐसी स्थिति में व्यक्तिगत सुविधा के लिए अन्य व्यक्तियों को हानि पहुंचाकर अतिरिक्त गूल का निर्माण खर्च दिये जाने पर भी औचित्यपूर्ण नहीं है। अतः आदेशों के न पालन का प्रश्न ही नहीं उठता।

90--श्री दिवाकर विक्रम सिंह--

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया।]

परतावल-कप्तानगंज मार्ग पर मौन नाले पर पुल निर्माण की मांग

91--श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि परतावल (गोरखपुर) कप्तानगंज (देवरिया) मार्ग पर मौन नाला पर पुल निर्माण करने का प्रस्ताव गत जनता सरकार ने स्वीकार किया था ? यदि हां, तो अब तक पुल निर्माण प्रारम्भ न होने के क्या कारण हैं ? निर्माण कार्य कब प्रारम्भ होगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

परतावल (गोरखपुर) कप्तानगंज (देवरिया) में मौन नाले पर पुल का निर्माण वर्ष 1981 में स्वीकृत हुआ था। उक्त पुल की डिजाइनें ड्राईंग तैयार करके, टेन्डर सम्बन्धी कार्यवाही पूरा करने के पश्चात् अब निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जा रहा है।

92--श्री दलगंजन सिंह--

[माननीय मंत्री की प्रार्थना पर स्थगित]

93--श्री भीखालाल--

[माननीय मंत्री की प्रार्थना पर स्थगित]

शारदा सहायक, उन्नाव खण्ड में सींचपाल और अमीन के पदों पर आरक्षण पूरा करने की मांग

94--श्री भीखालाल--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई मण्डल, उन्नाव खण्ड शारदा नहर का पत्रांक 68, दिनांक 8-6-81 अधिशासी अभियन्ता उन्नाव खंड शारदा नहर को प्राप्त हुआ है जिसमें यह शिकायत की गई है कि सींचपाल और अमीनों के पदों पर नियुक्त कर्मचारियों में

हरिजनों के लिए आरक्षित कोटे की पूर्ति नहीं की गई है और शासनादेशों का उल्लंघन किया गया है ? यदि हां, तो इस विषय में क्या कार्यवाही की गई ?

श्री वीर बहादुर सिंह---

अध्यक्ष, सिंचाई सेवा उन्नाव का कथित पत्रांक 68 नहीं बल्कि पत्रांक 67 है। सींच पाल और अमीन पद पर नियुक्त कर्मचारियों में हरिजनों के लिए निर्धारित कोटा पूर्ण है। शेष प्रश्न नहीं उठता।

उन्नाव बस स्टेशन पर कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की संख्या, वेतन आदि

95---श्री भीखालाल---

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्नाव बस स्टेशन पर कितने चौकीदार, सफाई कर्मचारी तथा पानी पिलाने वाले नियुक्त हैं और उनका सेवाकाल कितना है तथा प्रत्येक को क्या वेतन दिया जाता है ?

श्री वीर बहादुर सिंह---

सूचना एकत्र की जा रही है।

उन्नाव के सिंचाई निर्माण खण्ड, शारदा खण्ड तथा शारदा कैनाल डिवीजन के तृतीय श्रेणी कर्मचारियों का स्थायीकरण

96---श्री भीखालाल---

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई निर्माण खंड उन्नाव तथा शारदा कैनाल डिवीजन उन्नाव में कितने ऐसे तृतीय श्रेणी के कर्मचारी हैं, जिनकी सेवायें 15 वर्ष से अधिक हो गई हैं लेकिन उनको अभी तक स्थायी नहीं किया गया है ? और उनमें कितने हरिजन हैं तथा स्थायी न करने के कारण क्या हैं ?

श्री वीर बहादुर सिंह---

सूचना एकत्र की जा रही है।

97---श्री भीखालाल---

[माननीय मंत्री की प्रार्थना पर स्थगित]

98---श्री भीखालाल---

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

गोरखपुर क्षेत्र में परिवहन विभाग के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों का नियमितीकरण

99---श्री हरिवंश सहाय---

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर क्षेत्र में 31 जुलाई तक कितने कर्मचारी कार्यशाला में दैनिक वेतन पर कार्यरत हैं जिन्हें 25 फरवरी, 81 की राजाज्ञा के अनुसार निर्धारित न्यूनतम वेतन से कम दर पर वेतन दिया जा रहा है ? यदि हां, तो उनके नाम व पते क्या हैं ? और कब तक नियमित कर दिये जायेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह---

गोरखपुर क्षेत्र में जुलाई 31, 1981 तक 136 कर्मचारी दैनिक वेतन पर कार्यरत रहे। राजाज्ञा दिनांक 25-2-81 के अनुसार निर्धारित वेतन जुलाई, 1981 से कर्मचारियों को भुगतान हो रहा है। फरवरी, 1981 से जून, 1981 तक के अवशेष वेतन का भुगतान अलग से किया जा रहा है।

निर्धारित न्यूनतम वेतन से कम दर पर भुगतान किसी कर्मचारी को नहीं किया जा रहा है अतएव उनके नाम व पते देने का प्रश्न नहीं उठता।

नियमित पद उपलब्ध होने पर ही वरिष्ठता एवं उपयुक्तता के आधार पर कर्मचारियों को नियमित रूप से नियुक्त किया जायेगा।

एलन फारेस्ट, कानपुर में प्रशासनिक एवं वित्त विभाग का कार्य

100--श्री हरिवंश सहाय--

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि एलन फारेस्ट, कानपुर में दिसम्बर, 80 में इस सत्र तक प्रशासनिक एवं वित्त का कार्यभार किस अधिकारी से कराया जा रहा है ? यदि हां, तो इसके तथ्य क्या हैं ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री रमाशंकर शाही, निवासी ग्राम पिड़हानी, जिला गोरखपुर का स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी प्रमाण-पत्र का आधार

101--श्रीमती गौरी देवी--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि रमाशंकर शाही आत्मज श्री गणेश प्रसाद शाही ग्राम पिड़हानी, थाना बड़हलगंज, जिला गोरखपुर को दिनांक 29--6-81 को जिलाधिकारी, गोरखपुर को कोई आवेदन पत्र अपने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी प्रमाण-पत्र के संबंध में दिया गया था ? क्या यह सच है कि श्री रमा शंकर शाही आत्मज श्री गणेश प्रसाद शाही ग्राम व पो0 पिड़हानी थाना बड़हलगंज जिला गोरखपुर को ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक, गोरखपुर द्वारा दिनांक 28-8-81 को एक प्रमाण-पत्र दिया है जिसमें वह 7 मई, 1942 से 10 अप्रैल, 1943 तक जिला कारागार गोरखपुर में विचाराधीन बंदी थे ?

राम सिंह खन्ना--

जी हां।

जी हां।

102--श्रीमती गौरी देवी--

क्या अतिरिक्त जिलाधिकारी प्रशासन, गोरखपुर ने श्री रमाशंकर शाही को 129 डी0 आई0 आर0 के अन्तर्गत दिनांक 20-1-43 को गिरफ्तारी व दिनांक 30-3-43 को रिहाई की सूचना भेजी है ? यदि हां, तो उसका आधार क्या है ?

श्री राम सिंह खन्ना--

जी हां।

सरकारी अभिलेख।

बांदा जनपद के रसिन ग्राम में नलकूप लगाने की मांग

103-- चन्द्र प्रकाश शर्मा--

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बांदा जनपद के नरैनी विकास खंड के अन्तर्गत रसिन ग्राम में ट्यूबवेल लगाने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां। बांदा जनपद के नरैनी विकास खण्ड के अन्तर्गत रसिन ग्राम में ट्यूबवेल लगाने हेतु सर्वेक्षण कार्य कराया जा चुका है। परन्तु प्रस्तावित क्षेत्र में कूप की सफलता संदेहात्मक होने के कारण प्रस्तावित स्थल का अन्वेषणात्मक छिद्रण हेतु चयन किया गया है।

किसानों की सिंचाई पास -बुकों में इन्द्राज

104--श्री बलवीर सिंह--

क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जिन किसानों को नहर का पानी लगता है उनको सिंचाई पास बुकें वितरित हो चुकी हैं और उन पर मौके पर किसान की उपस्थिति में इन्द्राज (आबपासी का) किया जाता है ? क्या किसानों की सींचपाल के सिंचाई

लिखने के लिए गांव में पहुंचने के दिनांक तथा समय की सूचना दी जाती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सिंचाई क्षेत्र के कृषकों को अधिकांश रूप से सिंचाई पास बुकें वितरित की जा चुकी हैं तथा शेष को इसके वितरण की व्यवस्था कर दी गई है। प्रत्येक कृषक की सींच की अंतिम पैमाइश करने समय सींच पर्यवेक्षक ग्राम प्रधान को गांव में अपने पहुंचने की तिथि तथा पैमाइश के कार्यक्रम की सूचना देता है। इस बात का लिखित इश्तहार वह गांव की चौपाल पर भी लगाता है। उक्त तिथि को सींच पर्यवेक्षक किसानों द्वारा पास बुक प्रस्तुत करने पर उसमें आश्यकता का इन्द्राज कर देता है।

नहरों से सिंचाई होने पर सींचपाल समय समय पर गश्त करता है तथा स्थानीय कृषकों की मदद से सिंचाई का इन्द्राज खसरे में निरन्तर सिंचाई होने के साथ ही समय समय पर करता रहता है। सींचपाल द्वारा कृषकों को गांवों में पहुंचने की तिथि तथा समय की सूचना देना प्रायः संभव नहीं होता।

जनपद गोरखपुर के श्री बृजेन्द्र सिंह एवं श्री राघव प्रसाद शुक्ल, सहायक अभियन्ता सिंचाई विभाग के विरुद्ध आरोपों की जांच

105—श्री किरीटी प्रसाद विशारद—

क्या सिंचाई मंत्री को ज्ञात है कि विधान सभा के प्रश्न संख्या 81 के 6ठे बुधवार (दिनांक 1-4-81) के अता०प्र०सं० 18 के लिखित उत्तर में बृजेन्द्र सिंह एवं राघव प्रसाद शुक्ल, सहायक अभियन्ताओं के विषय में लगाये गये आरोपों की जांच कराई जा रही है ? यदि हां, तो अब तक इन लोगों के विरुद्ध की गई जांच के क्या-क्या तथ्य प्रकाश में आये हैं और इन पर क्या प्रशासनिक कार्यवाही की गई ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है।

कुलावा नं० १४ से माइनर निकालने की मांग

106—श्री रामचरण सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 15 जनवरी, 1981 पत्र कुलावा नं0 14 से एक छोटी माइनर निकालने के संबंध में भेजा गया था उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? अगर नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार उसकी एक प्रति सदन के पटल पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

दिनांक 15 जनवरी, 1981 का पत्र प्राप्त हुआ है। अल्पिका का निर्माण आर्थिक दृष्टि से साध्य नहीं है।

मिर्जापुर की चुनार तहसील में माइनर आदि के निर्माण के सम्बन्ध में पत्र

107—श्री रामचरण सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चार पत्र दिनांक 12, 13 मार्च, 1981 को जो सिंचाई की विभिन्न समस्याओं के संबंध में है, भेजा गया है अब तक उन पर क्या कार्यवाही की गई ? अगर नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार इसकी एक प्रति सदन के पटल पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां।

दिनांक 12 मार्च, 1981 का एक पत्र जनपद मिर्जापुर की चुनार तहसील में कौडिया अल्पिका से एक नई अल्पिका के निर्माण कराने तथा दूसरा पत्र चुनार तहसील में जामुन चुआ बन्धी के निर्माण के सम्बन्ध में है। अल्पिका का निर्माण आर्थिक दृष्टि से साध्य नहीं है। जामुन चुआ बन्धी के निर्माण हेतु सर्वेक्षण प्रगति में है।

दिनांक 13 मार्च, 1981 का एक पत्र भगवन राजबहे पर अतरौली शाखा शीर्ष के समीप एक पुल के निर्माण तथा दूसरा पत्र बिगुनपुर जरहा अल्पिका को पूर्ण करने एवं नाला नं0 9 की खुदाई के सम्बन्ध में है। भगवन राजबहे पर अतरौली शाखा के शीर्ष के पास पुल का निर्माण आवश्यक नहीं है।

बिगुनपुर जरहा अल्पिका हेतु भूमि अध्याप्ति होने पर निर्माण पूर्ण कराया जा सकेगा। नाला नं0 9 के सम्बन्ध में सर्वेक्षण कार्य इसी कार्यसत्र में आरम्भ किया जायेगा।

यह स्पष्ट नहीं है कि माननीय सदस्य किस की प्रति सदन के पटल पर रखवाना चाहते हैं।

खैरपुर माइनर की सफाई एंव कुलाबा निर्माण की मांग

108---श्री राम चरण सिंह--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि 20-5-81 को जो पत्र प्रश्नकर्ता द्वारा खैरपुर माइनर के तली की सफाई एवं कुलाबा न लगाने के संबंध में भेजा गया था उस पर क्या कार्यवाही की गई ? अगर नहीं की गई तो क्यों ? क्या सरकार उसकी एक प्रति सदन के पटल पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां, पत्र प्राप्त हुआ है। नहर की सफाई करा दी गई है तथा कुलाबों को ठीक कराया जा रहा है।

खैरपुर माइनर हेतु अधिग्रहीत भूमि के मुआवजा की मांग

109--श्री राम चरण सिंह--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि खैरपुर माइनर के मुआवजा न मिलने के संबंध में 20-5-81 को एक पत्र प्रश्नकर्ता ने मंत्री जी को भेजा था ? उस पर अभी तक क्या कार्यवाही की गई ? अगर नहीं की गई तो क्यों ? क्या कार्यवाही की सरकार एक प्रति सदन के पटल पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां।

जिन लोगों की भूमि अध्याप्ति की गई थी उनमें से कुछ को प्रतिकर वितरित किया गया है तथा शेष को प्रतिकर वितरित करने की कार्यवाही की जा रही है।

110--श्री राम चरण सिंह---

(स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया)

वाराणसी की सोनपुर माइनर का निर्माण पूरा कराने की मांग

111---श्री राम चरण सिंह--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सोनपुर माइनर जो पटिहटा माइनर से मूसाखण्ड बांध खंड, वाराणसी में निर्माणाधीन है, का कार्य अधूरा पड़ा है ? क्या मंत्री जी इस अधूरे कार्य को अविलम्ब पूरा कराने की व्यवस्था करेंगे ? यह कितनी लागत की योजना है तथा इस योजना पर अब तक कितना व्यय हो चुका है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है।

मिर्जापुर की मड़िहान ब्रांच नहर में फाल लगाने की मांग

112—श्री राम चरण सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्त्ता ने 8-11-80 को मड़िहान ब्रांच नहर मिर्जापुर के 17 मील 7 फर्लांग पर नहर में फाल लगाने के संबंध में मंत्री जी को पत्र लिखा था, उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? अगर नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

मड़िहान शाखा के मील 17-7 पर नहर में फाल निर्माण का तकनीकी दृष्टि से औचित्य नहीं है।

रामपुर माइनर पर शीर्ष बनाने की मांग

113—श्री राम चरण सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्त्ता ने 20-6-81 को रामपुर माइनर पर हेड बनाने के संबंध में उन्हें पत्र लिखा था ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? अगर नहीं की गयी तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

पत्र प्राप्त हुआ है। रामपुर माइनर पर शीर्ष का निर्माण प्रारम्भ करने की कार्यवाही की जा रही है।

जरगों पोषक नहर का किनारा पक्का कराने की मांग

114—श्री राम चरण सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्त्ता ने दिनांक 20-6-81 को जरगों फीडर के किनारे को पक्की (पिचिंग) कराने के संबंध में जो पत्र लिखा था उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? अगर नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

प्रश्नकर्त्ता का पत्र प्राप्त हुआ है। आवश्यकता एवं धन की उपलब्धता के अनुसार जिरगों पोषक नहर के किनारे पिचिंग कराने की कार्यवाही प्रगति में है।

मिर्जापुर की सवतेशगढ़ नहर की शाखा न० 2 को आगे बढ़ाने की मांग

115—श्री राम चरण सिंह—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्त्ता ने 29 जनवरी, 1981 को सवतेशगढ़ नहर की शाखा नम्बर-2, जनपद मिर्जापुर की शाखा को आगे बढ़ाए जाने के सम्बन्ध में पत्र लिखा था, उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? अगर नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है।

वाराणसी डिवीजन की पटीहरा माइनर की टेल को आगे बढ़ाने की मांग

116—श्री राम चरण सिंह—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि पटीहरा माइनर के टेल के बढ़ाए जाने के सम्बन्ध में जो मुख्य खंड वैरागिडीजन, वाराणसी के अन्तर्गत आता है एक पत्र 17 जनवरी, 1981 को प्रश्नकर्त्ता ने सिंचाई मन्त्री को लिखा था ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं की गयी तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां।

पटीहरा माइनर के 3 मील 2 फर्लांग 330 फिट से 4 मील एक फर्लांग तक बढ़ाने का कार्य लगभग पूर्ण हो गया है। माइनर को 4 मील एक फर्लांग से आगे बढ़ाने हेतु सर्वेक्षण का कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता ।

वाराणसी डिवीजन में हटियां माइनर बनाने की मांग

117—श्री [illegible] सिंह—

क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हटिया माइनर के निर्माण के सम्बन्ध में जो भूतखण्ड डैम डिवीजन, वाराणसी के अन्तर्गत है, एक पत्र 29 जनवरी, 1981 को लिखा गया ? यदि हां तो उस पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ? अगर कोई कार्यवाही नहीं की गयी, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

हटिया अन्तिका के निर्माण के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता विधायक का पत्र दिनांक 29-1-1981 प्राप्त हुआ है। परीक्षण पूर्ण हो चुका है। उक्त अन्तिका का निर्माण आर्थिक दृष्टि से साध्य नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

118—श्री मोती लाल देशमुख—

(छठे संशोधन में अतारांकित प्रश्न संख्या—120 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

सिंचाई-कर की पर्ची

119—श्री [illegible] सिंह—

क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि [illegible] जिले में सरकारी नहर अथवा नलकूप से सिंचाई आदि की पर्ची [illegible] तथा अमीन द्वारा व्यक्तिगत किसानों को तौर पर दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी नहीं ।

सिंचाई विभाग के नियमों के अन्तर्गत सिंचाई-कर का पर्ची, अण्डर सर्टिफिकेट आफ पोस्टिंग, जारी किया है। इस लिए बाद में 30 दिन की मियाद के अन्दर भेज दिया जाता है ।

देवरिया में सठियांव से मानिकपुर तक बने बंधों का ग्राउन्ड लेबुल

120—श्री हरिवंश सहाय—

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि देवरिया जिलान्तर्गत गंडक—3 में सठियांव से मानिकपुर तक कितने बंधे 30 जून, 1981 तक बने हैं ? इन बंधों का क्राप सेक्शन फाइनल पेमेन्ट के समय में जो बना था उस समय का ग्राउण्ड लेबुल क्या था तथा उन्हीं बंधों पर 30 जून, 1981 तक निर्माण के बाद का ग्राउण्ड लेबल क्या है और किन-किन बंधों के दोनों लेबलों में अन्तर है और इस अन्तर का कारण क्या है ।

श्री वीर बहादुर सिंह—

गण्डक बाढ़ परियोजना, देवरिया में छोटी गण्डक नदी के बायें व दायें किनारों पर ग्राम सठियांव से मानिकपुर तक 30 जून, 1981 तक कुल 18 बंधे, 62—78 कि0मी0 के लम्बाई में बने हैं। बंधों का ग्राउण्ड लेवल एक कार्य के पहले ही लिया जाता है जिसके आधार पर एस्टिमेट तैयार किये जाते हैं और उसी के आधार पर अन्तिम भुगतान किया जाता है। सरमनी अवरोध बांध के निर्माण के बाद किसी भी कार्य के लिए ग्राउण्ड लेवल पुनः लेने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। भूमि का लेवल जो कार्य आरम्भ के पहले था वही कार्य के बाद रहता, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। केवल बांध के टप लेवल में ही परिवर्तन होता है। सर्वेक्षण से पूर्व के ग्राउण्ड लेवल हर स्थान पर मिल गये और 62-78 कि0 मी0 लम्बे बांधों के अनुमानतः 3,700 स्थानों पर ग्राउण्ड लेवुल लिए गये थे ।

प्रथम उपखण्ड चुनार मिर्जापुर में सहायक अभियन्ता के रिक्त पद पर तैनाती

121—श्री राम चरण सिंह—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या भूपा खाड़ डैम, वाराणसी सिंचाई प्रथम खण्ड में सहायक अभियन्ता का पद 31-1-81 से 18-7-81 तक रिक्त रहा ? इस स्थान पर कितनी बार किन-किन सहायक अभियन्ताओं के नियुक्ति के आदेश दिए गये ? क्या यह सत्य है कि श्री योगेन्द्र कुमार शर्मा, सहायक अभियन्ता का स्थानान्तरण कई बार प्रथम खण्ड चुनार के लिए हुआ, अगर हुआ तो पुनः क्यों एक माह आठ दिन बाद श्री शर्मा को प्रथम खण्ड चुनार से किन कारणों से हटाया गया ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

प्रथम उपखण्ड चुनार के सहायक अभियन्ता अवकाश पर थे और अन्य एक सहायक अभियन्ता अपने कार्यभार के साथ इस खण्ड का कार्य भी देख रहे थे।

इस अवधि में श्री योगेन्द्र कुमार शर्मा सहायक अभियन्ता तथा श्री ओम प्रकाश गुप्ता सहायक अभियन्ता की तैनाती के आदेश दिए गये।

श्री योगेन्द्र कुमार शर्मा के तैनाती आदेश 21-4-81 को जारी किए गये, उन्होंने 20-7-81 को कार्यभार ग्रहण किया।

श्री शर्मा को प्रशासनिक आधार पर मिर्जापुर के ही एक अन्य खण्ड के लिए दिनांक 14-9-81 को कार्यमुक्त किया गया।

सेमरा माइनर के विस्तार की मांग

122—श्री रामचरण सिंह—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता ने जो पत्र 20 फरवरी, 1981 को सेमरा माइनर डेलमुद्र विस्तार के सम्बन्ध में मन्त्री जी को लिखा था उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? अगर नहीं, तो क्यों? क्या सरकार उसकी एक प्रति सदन के पटल पर रखने की कृपा करेगी।

श्री वीर बहादुर सिंह—

सेमरा अल्पिका का विस्तार प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

मिर्जापुर में बसारतपुर (चुनार) हरिजन बस्ती का गंगा नदी द्वारा कटाव

123—श्री राम चरण सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि हरिजन बस्ती बसारतपुर मिर्जापुर (चुनार) के गंगा नदी द्वारा कट कर गिरने के सम्बन्ध में दिनांक 1-4-81 को प्रश्नकर्ता ने एक पत्र मुख्य मन्त्री को व एक पत्र सिंचाई मन्त्री को भेजा, उस पर क्या कार्यवाही की गयी? अगर नहीं तो क्यों ? क्या सरकार उसकी एक प्रति सदन के पटल पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 1-4-81 के सम्बन्ध में वर्तमान कार्य सत्र में स्थल का सर्वेक्षण करवाया जाना प्रस्तावित है। सर्वेक्षण एवं प्रतिरूप अध्ययन की कार्यवाही पूर्ण कर प्रस्ताव तकनीकी एवं आर्थिक दृष्टि से साध्य होने पर परियोजना प्राक्कलन तैयार किया जायगा।

जरगों पोषक नहर द्वारा कटाव से नहर की पटरियों की रक्षा

124—श्री रामचरण सिंह—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता ने एक पत्र 24 फरवरी, 1981 को जरगों फीडर के कटाव और नहर के सुरक्षा के सम्बन्ध में भेजा था उस पर क्या कार्यवाही की गयी, अगर नहीं, तो क्यों ? क्या उसकी एक प्रति सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां।

जरगों पोषक नहर के तटबन्धों के जल प्रवाह मे कटाव एवं नहर की पटरी की सुरक्षा हेतु कार्य किए जा रहे हैं, जो प्रगति में हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

125--श्री दलगंजन सिंह--

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

गोरखपुर जिले की गन्डक नहर एवं मधुबनी शाखा पर पुल निर्माण की मांग

126--श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

प्रथम पत्र 80 के अ0 प्र0 सं0 53 दिनांक 28-1-81 के क्रम में क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिन स्थानों पर पुल पुलिया बनाने हेतु कहा गया है, शासन अपनी ओर से सर्वेक्षण कराकर इसके महत्व को स्वीकार करते हुए पुल-पुलिया बनवाने की कृपा करेगी? यदि हां, तो कब तक?

श्री वीर बहादुर सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है।

127--श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

गोरखपुर जनपद में बाघागाडा-जरलही तथा भैसा बाजार हरिहरपुर-भाल्हनपार मार्ग पर बसें चलाने की मांग

128--श्रीमती गौरी देवी--

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कष्ट करेंगे कि (बाघागाडा-जरलही) रवीन्द्र सिंह मार्ग व भैसा बाजार-हरिहरपुर-भाल्हनपार मार्ग पर यात्रियों की सुविधा के लिए बसें चलाई जायेंगी? यदि हां, तो कब से?

श्री वीर बहादुर सिंह--

मार्ग खराब होने के कारण बाघागाडा-जरलही मार्ग व भैसा बाजार-हरिहरपुर-भाल्हनपार मार्ग पर बस चलाया जाना इस समय सम्भव नहीं है।

129--श्री श्याम लाल वाजपेयी--

[5वें मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या-156 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

130--श्री श्याम लाल वाजपेयी--

[5वें मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या-154 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

श्री राधे लाल शुक्ला, निवासी जिला कानपुर को केन्द्रीय स्वतन्त्रता सैनिक सम्मान पेंशन

131--श्री शंकर सिंह--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि श्री राधे लाल शुक्ल, स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी के पेंशन के सम्बन्ध में गृह मन्त्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली का पत्र संख्या एन0 जेड0 32/25788/74-एफ0एफ0यू0पी0, दिनांक 26 सितम्बर, 1978 प्राप्त हुआ था? अब तक क्या कार्यवाही की गयी?

श्री राम सिंह खन्ना

जी हां।

श्री राधेलाल शुक्ल निवासी जिला कानपुर के केन्द्रीय स्वतन्त्रता सैनिक सम्मान पेंशन के सम्बन्ध में दिनांक 28-4-81 को राज्य सरकार की रिपोर्ट भारत सरकार, गृह मन्त्रालय को भेजी जा चुकी है और भारत सरकार, गृह मन्त्रालय के पत्र दिनांक 10-12-81 द्वारा उन्हें दिनांक 1-8-80 से रु0 300 माहवार केन्द्रीय स्वतन्त्रता सैनिक सम्मान पेंशन मन्जूर कर दी गयी है।

सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी के पद पर विभागीय प्रोन्नति

132--श्याम लाल बाजपेयी--

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आर0आई0टी0आई0 तथा पी0टी0ओ0/जी0टी0ओ0 में से सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी के पदों पर प्रोन्नति के लिए किस वर्ष से प्राविधान किया गया है ? क्या अब तक उक्त पदों पर प्रोन्नति के लिए नियमित चयन किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी के पद पर विभागीय प्रोन्नति का प्राविधान वर्ष 1967 में किया गया था। उक्त पद पर आर0आई0टी0आई0 तथा पी0टी0ओ0/जी0टी0ओ0 की तदर्थ प्रोन्नति की गयी है। नियमितीकरण का प्रश्न लोक सेवा आयोग के विचाराधीन है।

चमोली की 'हाडा' स्कीम में विभिन्न मदों पर व्यय की गई धनराशि

133--श्री कुंवर सिंह नेगी--

क्या पर्वतीय विकास मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जनपद चमोली में हाडा स्कीम (हिल एरिया डेवलपमेन्ट स्कीम) कब से लागू हुई है ? तब से इस परियोजना के अन्तर्गत कितनी धनराशि मोटर गाड़ियों की खरीद, प्रचार करने, अधिकारियों के टी0ए0 तथा डी0ए0 पर व्यय की गई है ?

पर्वतीय विकास राज्य मन्त्री (श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी)--

हाडा (हिल एरिया डेवलपमेंट स्कीम) चमोली दिनांक 19-3-77 को स्वीकृत की गयी तथा दिनांक 9-1-79 से कार्यान्वित की गयी। तब से 16 सितम्बर, 1981 तक इस परियोजना में 67,700 रु0 वाहनों के क्रय, 22,862 रु0 प्रचार, 48,897 रु0 टी0ए0, डी0ए0 व 1,10,559 रु0 गाड़ियों के अनुरक्षण व ईंधन आदि पर व्यय किया गया है।

134--श्री प्रभु नारायण सिंह--

[6ठे मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या-3 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

पम्प कैनाल गोपालपुर, वाराणसी की कथित अव्यवस्था

135--श्री प्रभुनारायण सिंह--

क्या सिंचाई मन्त्री को जानकारी है कि पम्प कैनाल गोपालपुर, वाराणसी वर्षों से खराब स्थिति में होने के कारण पूरी क्षमता भर पानी नहीं दे पा रही है ? क्या यह भी सत्य है कि उक्त नहर पर तैनात आपरेटर व हेल्पर की लापरवाही और अनुपस्थिति के कारण किसानों को समय से पानी नहीं मिल पाता है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस अव्यवस्था को दूर कर किसानों को कृषि कार्य हेतु पूर्ण और समय से पानी उपलब्ध करायगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

पम्प कैनाल गोपालपुर, वाराणसी पूरी क्षमता से चल रही है।

जी नहीं।

किसानों को समय से पानी देने की उचित व्यवस्था है। फिर भी निर्देश दे दिए गये हैं।

श्री राजेन्द्र सिंह, बुकिंग क्लर्क, का प्रार्थनापत्र

136--श्री दिवाकर विक्रम सिंह--

क्या परिवहन मन्त्री बतलाने का कष्ट करेंगे कि क्या प्रश्नकर्ता का कोई पत्र दिनांक 25/27-4-81 श्री राजेन्द्र सिंह, भू0पू0 बुकिंग क्लर्क के प्रार्थना-पत्र के साथ प्रधान प्रबन्धक, उ0 प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम, लखनऊ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस पर क्या कोई कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

आगरा में नहर खारिजा के दोनों ओर पड़ी भूमि के पट्टे का आधार

137—श्री बदन सिंह--

क्या सिंचाई मन्त्री को जानकारी है कि आगरा में नहर खारिजा के दोनों ओर पड़ी हुई कीमती भूमि के पट्टे गत वर्ष से किए जा रहे है ? यदि हां, तो उक्त भूमि के पट्टे करने का आधार क्या है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जिला हरदोई के ग्राम सदरपुर एवं पड़रा लखनपुर के बीच हथौड़ा ड्रेन पर बना पुल

138—श्री राम आसरे वर्मा--

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जनपद हरदोई के विकास खण्ड माधोगंज के अन्तर्गत हथौड़ा ड्रेन पर ग्राम सदरपुर एवं पड़रा लखनपुर के बीच एक पुल का निर्माण सिंचाई विभाग निर्माण खण्ड, उन्नाव द्वारा गत तीन वर्ष पूर्व कराया गया ? यदि हां, तो उक्त पुल से हथौड़ा ड्रेन का पानी न निकल पाने के क्या कारण हैं तथा पुल के गलत निर्माण से किसानों को पानी के बहाव से होने वाली क्षति का दायित्व किस पर है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

प्रश्नगत पुल वर्ष 1974-75 में उन्नाव खण्ड, शारदा नहर, उन्नाव द्वारा बनाया गया था।

इस स्थल पर ड्रेन के समरेखन में परिवर्तन करके पुल नए स्थान पर बनाया गया है। वर्षाकाल में कुछ पानी पुरानी परित्यागित ड्रेन से होकर बहा। नए पुल के स्थल के निर्धारण में त्रुटि नहीं है। नए पुल में बहाव स्थापित करने हेतु मिट्टी 1982 की वर्षा के पूर्व भर दी जायगी ।

सिंचाई विभाग निर्माण खण्ड उन्नाव, मे व्याप्त भ्रष्टाचार सम्बन्धी शिकायती-पत्र

139—श्री रामआसरे वर्मा--

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि सिंचाई विभाग निर्माण खण्ड, उन्नाव में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं से सम्बन्धित एक शिकायती-पत्र खैरुल बशर, विधायक द्वारा 29 सितम्बर, 1981 को सचिव, सिंचाई विभाग को दिया गया और टी0ए0सी0 द्वारा जांच कराने का अनुरोध किया गया ? यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां ।

शिकायतों की जांच हेतु मुख्य अभियन्ता को लिखा गया है ।

140—श्री प्रदीप कुमार यादव--

[3रे शुक्रवार में अतारांकित प्रश्न संख्या-87 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

श्रीमती राम कुमारी विधवा डा०इन्दर सिंह उर्फ एदल सिंह को पेंशन का भुगतान

141—किरन पाल सिंह--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि स्व0 डा0 इन्दर सिंह उर्फ एदल सिंह स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी, निवासी ग्राम न्होटी, पत्रालय शाहपुर मडराख, जिला अलीगढ़ की विधवा श्रीमती रामकुमारी को 100 रु0 प्रति माह की दर से जो पेंशन सन् 1973 से मिल रही थी, उसे दिसम्बर, 1978 से रोक दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार शीघ्र पेंशन दिलाए जाने की व्यवस्था करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम सिंह खन्ना--

जी हां ।

श्रीमती राम कुमारी विधवा डा0 इन्दर सिंह उर्फ एकल सिंह, निवासिनी जिला अलीगढ़ को अन्तिम पेंशन नवम्बर, 1978 में मनीआर्डर द्वारा भेजी गयी थी। दिसम्बर, 1978 की पेंशन प्राप्त करने हेतु श्रीमती राम कुमारी को नियमानुसार स्वयं उपस्थित होना था या जीवित होने का प्रमाण-पत्र भेजना था। किन्तु इन्होंने उक्त कार्यवाही नहीं की, इसी कारण उनकी पेंशन माह दिसम्बर, 1978 से रुकी पड़ी रही है। अब जिलाधिकारी, अलीगढ़ की रिपोर्ट के अनुसार श्रीमती राम कुमारी को दिनांक 27-8-81 को केन्द्रीय पेंशन का भुगतान कर दिया गया है ।

गोरखपुर में नौसढ़-कलानी खुर्द, कौड़ीराम-मलौली तथा मलौली-गजपुर बांध बनवाने की मांग

142--श्रीमती गौरी देवी--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि गोरखपुर जनपद के राप्ती नदी के किनारे नौसढ़ से कलानी तक कौडीराम से सोहगौरा तक तथा सोहगौरा से सतहवा तक बांध बनाने की योजना प्रस्तावित है ? यदि हां, तो उनका प्रारूप क्या है तथा इन बांधों के निर्माण होने में विलम्ब का कारण क्या है ? इन बांधों का निर्माण कब से प्रारम्भ किया जायगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हा ।

नौसढ़-कलानी खुर्द बांध के निर्माण का कार्य समरेखन में परिवर्तन हेतु जन विरोध के कारण प्रारम्भ नहीं किया जा सका है। समरेखन में परिवर्तन एवं भूमि अध्याप्ति के पश्चात् निर्माण कार्य शुरु किया जायगा ।

कौड़ीराम-मलौली बांध जिसके अन्तर्गत ग्राम सोहगौरा आता है, पर निर्माण कार्य प्रगति पर है तथा दो वर्ष में इसका निर्माण कार्य पूर्ण हो जायगा ।

मलौली-गजपुर बांध जिसके सुरक्षित क्षेत्र में सतहवा ग्राम पड़ता है, निर्माणाधीन है जिसे आगामी वर्षा के पहले पूर्ण कर लिया जायगा ।

गोरखपुर जनपद के पिपरौली, कौडीराम व खोराबार विकास खण्डों में अतिरिक्त नल-कूपों की मांग

143--श्रीमती गौरी देवी--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि वर्ष 1980-81 व 81-82 में गोरखपुर जनपद में कुल कितने नलकूप का छिद्रण किया गया और कितने नलकूप पनियारा, पिपीगंज व कम्पियरगंज विकास खण्ड में और कितने नलकूप कोडीराम, खोराबार और पिपरौली विकास खण्डों में लगाये गये हैं ? क्या पिपरौली, कौड़ीराम व खोराबार विकास खण्डों में सिंचाई सुविधा के लिए अतिरिक्त नलकूपों का छिद्रण करायेंगे ? यदि हां, तो कितने नलकूपों का और कब तक ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जनपद गोरखपुर में वर्ष 1980-81 में 50 व वर्ष 81-82 में 42 राजकीय नल-कूपों का छिद्रण किया गया है। प्रश्नगत विकास खण्डों में वर्षवार छिद्रित किये गये राजकीय नलकूपों की स्थिति निम्न प्रकार है :--

विकास खण्ड का नाम	वर्ष 80-81	वर्ष 81-82
1--पनियारा	..	..
2--पिपीगंज कैम्पियरगंज	13	10

विकास खण्ड का नाम	वर्ष 80–81	वर्ष 81–82
3––कौड़ीराम	4	2
4––खोराबार	2	2
5––पिपरौली	1	3

निम्नलिखित विकास खण्डों में उनके समक्ष अंकित राजकीय नलकूप लगाना प्रस्तावित है :––

1––पिपरौली	4
2––कौड़ीराम	2
3––खोराबार	5

उपर्युक्त नलकूपों का छिद्रण जनपद हेतु प्राप्त आवंटन को ध्यान में रखते हुए तथा जिला सिंचाई सलाहकार समिति की संस्तुति के अनुसार किया जायगा ।

जनपद शाहजहांपुर के कतिपय नलकूप चालकों को वर्क चार्ज का वेतन

144––श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ––

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के नलकूप खण्ड में कुछ कूप चालकों को कार्य करते हुए 2 वर्ष पूर्ण हो गया है और यह कूप चालक बोर्ड द्वारा अनुमोदित हैं ? यदि हां, तो क्या इन्हें वर्क चार्ज का वेतन दिया जा रहा है ? यदि नहीं, तो इन्हें रेगुलर वेतन देने में क्या आपत्ति है ?

श्री वीर बहादुर सिंह––

जी हां ।

जी हां, उन्हें वर्क चार्ज का वेतन दिया जा रहा है अतः रेगुलर वेतन दिये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

डुमरियागंज (बस्ती) में राप्ती नदी पर बांध बनाए जाने की मांग

145––श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ––

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि 14 मई, 1979 को तत्कालीन मुख्य मन्त्री जी ने कोई नोट डुमरियागंज, जनपद बस्ती में राप्ती नदी के बायें किनारे पर बांध बनाए जाने के लिए सिंचाई विभाग को भेजा था ? यदि हां, तो बाएं किनारे पर बांध बांधने की योजना तैयार करके कब तक काम शुरू कर दिया जायगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह––

प्रश्न में उल्लिखित तत्कालीन मुख्य मन्त्री जी का नोट दिनांक 14–5–79 उपलब्ध नहीं है। राप्ती नदी के बाएं किनारे पर बांध बनाने की योजना का सर्वेक्षण किया जा रहा है तथा तकनीकी सलाहकार समिति की स्वीकृति के पश्चात् अग्रिम कार्यवाही सम्भव हो सकेगी ।

146––श्री राम आसरे वर्मा––

(माननीय मन्त्री की प्रार्थना पर स्थगित)

आजमगढ़ जिले में चलने वाली अनधिकृत बसें

147––श्री राज कुमार राय––

क्या परिवहन मन्त्री को पता है कि आजमगढ़ जिले में आजमगढ़, मऊनाथ भंजन आदि स्थानों से अनधिकृत प्राइवेट बसें धड़ल्ले से रोडवेज विभाग के डिपो के पास से बिना रोक-टोक चल रही हैं, जिससे विभाग की आमदनी प्रति दिन कम होती जा रही है ? सरकार इसे रोकने का क्या प्रबन्ध कर रही है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

आजमगढ़ मऊनाथ भंजन आदि स्थानों पर रोडवेज स्टेशनों के पास से बसें अनधिकृत रूप से चलाए जाने के प्रयास किए जाते हैं। उनके अनधिकृत संचालन को रोकने के लिए प्रवर्तन दल द्वारा अकेले एवं परिवहन निगम के अधिकारियों के साथ संयुक्त चेकिंग की जाती है और अनधिकृत रूप से चलते पाए जाने पर चालान किए जाते हैं। आजमगढ़ जनपद में दिनांक 1-1-1981 से 31-12-1981 तक निजी बसों के 199 चालान किए गये और उनमें से 36 बसें थाने में बन्द की गयीं।

प्राइवेट बसों को अनुबन्ध पर चलाने की मांग

148--श्री राज कुमार राय--

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दिन पर दिन परिवहन निगम की बसों की बिगड़ती दशा एवं जनता द्वारा यातायात सुविधा की मांग को देखते हुए सरकार पुनः प्राइवेट बसों को अनुबन्धित ढंग से चलवाने हेतु विचार कर रही है? यदि नहीं, तो सुधार हेतु सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

श्री वीर बहादुर सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है।

विकास खण्ड नरायनपुर, जिला मिर्जापुर के कतिपय गांवों को गंगा नदी के कटान से बचाने की मांग

149--श्री ऊदल--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि विकास खण्ड नरायनपुर, तहसील चनार जिला मिर्जापुर के गांव शेरपुर, विश्वेशरपुर, बघेड़ा को गंगा नदी से कटान का खतरा पैदा हो गया है? यदि हां, तो इस कटान को रोकने हेतु अब तक क्या कार्यवाही की गयी?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां।

प्रश्नगत क्षेत्र के कटाव को रोकने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही सर्वेक्षण के पश्चात की जायगी।

बघेड़ा पम्प कैनाल को गंगा नदी के कटान से क्षति की सम्भावना

150--श्री ऊदल--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बघेड़ा पम्प कैनाल के भी गंगा नदी के कटान से बन्द हो जाने की सम्भावना पैदा हो गयी है? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

ब्लाक कटरा, जनपद शाहजहांपुर के राजकीय नलकूप

151--श्री जगदीश सिंह--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर ब्लाक कटरा में 10 ट्यूबवेल सरकारी हैं? इन ट्यूबवेल पर सन् 1981 के शुरू से 1-11-81 तक कितनी सिंचाई हुई? कितने ट्यूबवेल खराब रहे? सिंचाई कम होने का क्या कारण है?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां।

इन ट्यूबवेलों पर सन् 1981 के शुरू से 10-11-81 तक 488 एकड़ सिंचाई हुई।

इस अवधि में सभी नलकूप कभी न कभी खराब हुए तथा उन्हें ठीक कराकर चालू रखा गया।

सिंचाई कम होने का कारण, मुख्यतः बिजली की कम उपलब्धता है ।

152—श्री हरिवंश सहाय—

[6ठे मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या—122 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

देवरिया जिले की मायापुर ड्रेन के सम्बन्ध में फर्जी भुगतान की शिकायत

153—श्री हरिवंश सहाय—

क्या सिंचाई मन्त्री जी कृपया बतायेंगे कि देवरिया जिलान्तर्गत गण्डक—3 के अधीन मायापुर ड्रेन के खुदाई व सफाई से सम्बन्धित फर्जी भुगतान के चेक नं0 31/160164 था रु0 4232, 41/160178 रु0 9592, 33/160182 रु0 3466 तथा 05/ 162320 रु0 4840 के बारे में अमरनाथ सिंह ठेकेदार ने दिनांक 4—3—81 को अधीक्षण अभियन्ता, गोरखपुर तथा दिनांक 26—2—81 को अधिशासी अभियन्ता, देवरिया को शिकायती-पत्र दिया है ? यदि हां, तो शिकायतें क्या हैं तथा उन पर कौन सी कार्यवाही की गयी ? क्या यह सही है कि इसका भुगतान दूसरे को देकर उसके खाते में जमा कराकर ले लिया गया ? यदि हां, तो इसका पूर्ण विवरण क्या है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री वी०पी० सिंह, अधिशासी अभियन्ता, नलकूप खण्ड, शाहजहांपुर द्वारा बिजली की कथित चोरी

154—श्री श्याम नरायन तिवारी तथा श्री तपेश्वर—

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि श्री मित्रसेन यादव, विधायक के शिकायती-पत्र दिनांक 29—12—80 पर शासन द्वारा अधिशासी अभियन्ता नलकूप खण्ड, शाहजहांपुर (श्री वी0पी0 सिंह) द्वारा की गयी बिजली की चोरी के मामले की जांच किस माध्यम द्वारा कराई गयी है ? जांच में क्या तथ्य प्रकाश में आए और क्या जांच की प्रतिलिपि शिकायत-कर्ता को भी दी गयी ? सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

श्री मित्रसेन यादव, विधायक महोदय के शिकायत पत्र दिनांक 29—12—80 पर मुख्य प्राविधिक परीक्षक, सम्परीक्षा कोष्ठ, सिंचाई विभाग द्वारा जांच कराई गयी । कोष्ठ की जांच आख्या पर मुख्य अभियन्ता, नलकूप, मेरठ से आख्या मांगी गई है । चूंकि जांच आख्या अभी प्रतीक्षित है अतः जांच की प्रतिलिपि उपलब्ध कराना तथा तथ्यों को बताना जनहित में नहीं है ।

155—श्री विजय सिंह राना—

[4थे सोमवार के अतारांकित प्रश्न संख्या—1 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जिला आगरा की तहसील आगरा में प्रस्तावित नलकूप

156—श्री विजय सिंह राना—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा जनपद में आगरा तहसील के अन्तर्गत कितने नलकूप बनाये जा रहे हैं ? और उनके कब तक पूरा होने की आशा है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

आगरा जनपद में आगरा तहसील के अन्तर्गत वर्ष 81—82 में एक राजकीय नलकूप बनाया जा रहा है जिसका छिद्रण कार्य इस वित्तीय वर्ष 1982 के अन्त तक हो जायगा तथा नलकूप वर्ष 1982 के अन्त तक चालू हो जाने की सम्भावना है ।

विकास खण्ड बरौली अहीर, जिला आगरा म प्रस्तावित नलकूप

157--श्री विजय सिंह राना--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा जनपद के विकास खण्ड बरौली अहीर के अन्तर्गत कितने सरकारी ट्यूबवेल लगाये जाने की योजना प्रस्तावित है ? यदि हां, तो इन पर कब तक कार्य प्रारम्भ कर दिया जायगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

आगरा जनपद के विकास खण्ड बरौली अहीर के अन्तर्गत इस वर्ष एक सरकारी ट्यूबवेल लगाया जाना प्रस्तावित है तथा उसका छिद्रण इसी वर्ष पूर्ण हो जाने की सम्भावना है ।

अमेठी सुल्तानपुर व फैजाबाद जनपद को स्वीकृत नलकूप

158--श्री मित्रसेन--

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि वित्तीय वर्ष 1980-81 में अमेठी (सुल्तानपुर) को फैजाबाद जनपद की अपेक्षा कितने राजकीय नलकूप स्वीकृत किए गये हैं और क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

वर्ष 1980-81 में अमेठी सुल्तानपुर के 6 विकास खण्डों हेतु 51 नलकूप का आवंटन किया गया । फैजाबाद जनपद के लिए वर्ष 1980-81 में सामान्य योजना के अन्तर्गत 20 राजकीय नलकूप आवंटित किये गये थे तथा विश्वबैंक से पोषित योजना के अन्तर्गत 45 राजकीय नलकूप आवंटित किए गये थे जिनमें से वर्ष 1980-81 में 33 नलकूपों का निर्माण हुआ है ।

नलकूपों का आवंटन शासन स्तर पर विभिन्न जनपदों में क्षेत्र के पिछड़ेपन, सिंचाई की उपलब्ध सुविधाएं, भूगर्भ जल उपलब्धि व अन्य विचाराधीन योजनाओं पर विचार कर के किया जाता है ।

किसान रैली के लिए गढ़वाल मण्डल से उपलब्ध बसें

159--श्री कुंवर सिंह नेगी--

क्या परिवहन मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि गढ़वाल मण्डल से कांग्रेस (आई0) की किसान रैली के लिए दिनांक 15 एवं 16 फरवरी, 1981 को कितनी बसें दिल्ली गयीं ? उनके यात्री-कर एवं सड़क-कर के रूप में कितना रुपया जमा हुआ था?

श्री वीर बहादुर सिंह--

गढ़वाल मण्डल से कांग्रेस (आई0) की किसान रैली के लिए दिनांक 15 एवं 16 फरवरी 1981, को कोई बस दिल्ली नहीं गयी।

प्रश्न नहीं उठता ।

160--श्री भीखा लाल--

(माननीय मन्त्री की प्रार्थना पर स्थगित)

एटा के ग्राम महमूदपुर व फैजपुर बदरिया के गंगा कटान से बचाने हेतु बांध बनाने की मांग

161--श्री मानपाल सिंह एडवोकेट--

क्या सिंचाई मन्त्री को यह जानकारी है कि जनपद एटा में ग्राम महमूदपुर तथा स्माईलपुर परगना के फैजपुर बदरिया के पास गंगा के कटान रोकने तथा गंगा की धारा के बूढ़ी गंगा में जाने से उत्पन्न खतरे को देखते हुए वहां पर बांध बनाने के सम्बन्ध में दिनांक 15 जुलाई, 1981 को कोई पत्र प्रश्नकर्त्ता द्वारा उन्हें दिया गया था ? यदि हां, तो अब तक इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

ब्लाक सोरों जिला एटा में विश्व बैंक की सहायता से राजकीय नलकूप लगाने की मांग

162—श्री मान पाल सिंह एडवोकेट—

क्या सिंचाई मन्त्री को जानकारी है कि जनपद एटा के ब्लाक सोरों में विश्व बैंक की सहायता से साढ़े सात तथा दस हार्स पावर के राजकीय नलकूप लगाने हेतु उनको दिनांक 2-9-81 को प्रश्नकर्त्ता द्वारा पत्र दिया गया था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

163—श्री जसवन्त सिंह विष्ट—

[3रे बुधवार के लिए स्थगित]

164—श्री जसवन्त सिंह विष्ट—

[3रे बुधवार के लिए स्थगित]

165—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

[6ठे मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या-2 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

ग्राम रसूलपुर जिला बस्ती में कुवानों नदी पर रेगुलेटर बनाने की मांग

166—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम रानीपुर मुडरी खुर्द तथा बरगदा, जिला बस्ती के ग्रामवासियों श्री रामधनी आदि का कोई पत्र प्रश्नकर्त्ता द्वारा अग्रसारित होकर दिनांक 12 अगस्त, 1981 को अथवा उसके आसपास किसी दिन मिला जिसमें मांग की गयी थी कि रसूलपुर ग्राम के पास कुवानों नदी के किनारे बांध पर रेगुलेटर लगाकर जल भराव का पानी नदी में गिरा दिया जाय ? यदि हां, तो रेगुलेटर लगाने हेतु अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? रेगुलेटर कब तक लग जायगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां ।

घाघरा नदी का पानी बाढ़ के समय इसके बायें किनारे से ऊपर बहकर प्रश्नगत क्षेत्र में भर जाता है । जलप्लावन समस्या के निराकरण हेतु रसूलपुर के निकट रेगुलेटर बनाने से लाभ नहीं होगा ।

श्री वी०पी० सिंह, अधिशासी अभियन्ता रिग्स खण्ड, कानपुर के विरुद्ध सतर्कता अधिष्ठान की जांच

167—श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल—

क्या सिंचाई मन्त्री को जानकारी है कि श्री वी0पी0 सिंह, अधिशासी अभियन्ता, रिग्स खण्ड, कानपुर के विरुद्ध उनके वाराणसी रिग्स खण्ड के कार्यालय में की गयी अनियमितताओं, भ्रष्टाचार आदि की जांच वर्ष 1975-76 में सतर्कता अधिष्ठान में लम्बित है ? यदि हां, तो अभी तक जांच पूर्ण न होने के क्या कारण हैं ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

श्री सिंह के विरुद्ध सतर्कता अधिष्ठान की जांच आख्या शासन को प्राप्त हो गई है ।

168—श्री प्रदीप कुमार यादव—

[दूसरे सोमवार में अतारांकित प्रश्न संख्या-74 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

169—श्री प्रदीप कुमार यादव—

[माननीय मन्त्री की प्रार्थना पर स्थगित]

170—श्री प्रदीप कुमार यादव—

[माननीय मन्त्री की प्रार्थना पर स्थगित]

आजमगढ़ के सहायक अभियन्ता श्री काशी प्रसाद द्वारा अपने स्थायीकरण एवं स्नातकोत्तर वेतन हेतु प्रस्तुत वाद

171—श्री पंचानन राय

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री काशी प्रसाद, सहायक अभियन्ता, शारदा सहायक खण्ड–46, आजमगढ़ ने अपने स्थायीकरण एवं स्नातकोत्तर वेतन दिए जाने के सम्बन्ध में उ0 प्र0 लोक सेवा अधिकरण संख्या–4 में कोई वाद प्रस्तुत किया था तथा न्याय धिकरण ने अपने निर्णय दिनांक 12–5–81 में 3 में के अन्दर आवश्यक आदेश प्रसारित करने का निर्देश दिया है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में 25–10–81 तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

माननीय अधिकरण ने 12–5–81 को इस सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं दिया है। अधिकरण द्वारा दिनांक 12–5–80 को निर्णय दिया गया है।

मामला परीक्षणाधीन रहा। स्थायीकरण के आदेश अब जारी कर दिए गये हैं। सहायक अभियन्ता ने निलम्बन काल मे सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त किए बिना स्नातकोत्तर अध्ययन किया था इसी कारण स्नातकोत्तर वेतन के आदेश जारी नहीं किए जा सके।

बाराबंकी जनपद में मडहा (तमसा) नदी को गहरा कराये जाने की मांग

172—श्री प्रदीप कुमार यादव—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या यह सही है कि जनपद बाराबंकी के अन्तर्गत परगना बई, बसौड़ी और रुदौली में स्थित मडहानदी (तमसा) मास सितम्बर,81 में होने वाली अतिवृष्टि तथा जल भराव के कारण उक्त मडहा के किनारे तथा पास पड़ोस के मवाजियातों में हजारों की संख्या में मकानात व फसलें नष्ट हो गयीं ? यदि हां, तो क्या शासन द्वारा स्थायी तौर पर उक्त जल निकासी हेतु मडहा नदी को गहरा व पोस्ता कराए जाने हेतु कोई योजना विचाराधीन है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सूचना एकत्रित की जा रही है

173—श्री बलवीर सिंह—

(माननीय मन्त्री की प्रार्थना पर स्थगित)

वाराणसी जनपद की ज्ञानपुर पम्प नहर परियोजना हेतु अधिगृहीत भूमि का मुआवजा

174—श्री बनवारी राम—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद वाराणसी के तहसील ज्ञानपुर में जो नहर बनाई जा रही है उस नहर में गरीबों की जमीन चली गयी है ? क्या उनको मुआवजा दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

ज्ञानपुर पम्प नहर परियोजना के अन्तर्गत भूमि ली जा रही है। भूमि अध्याप्ति की कार्यवाही प्रगति पर है तथा औपचारिकतायें पूर्ण होने पर प्रतिकर वितरण की कार्यवाही की जायगी।

देवरिया जनपद के जमुनिया राजबहा पर पुलिया/साइफन आदि बनाने की मांग

175—श्री कुबेर भण्डारी—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जमुनिया राजवाहा, पडरौना, जिला देवरिया के टेल ग्राम श्रीपति खाण्ड जिला देवरिया के टेल ग्राम के प्रश्न पर पुलिया, छलका

एवं साइफन न बनाए जाने से कृषि कार्य में व्यापक व्यवधान होने के प्रति शासन को कोई पत्र दिनांक 11-8-81 और किसी क्षेत्रीय विधायक की संस्तुति सहित दिनांक 21-8-81 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या मन्त्री जी गांव की सामूहिक कृषि समस्या के आवश्यक समाधान हेतु गांव की कथित नहर पर पुलिया, छलका एवं साइफन बनाने की घोषणा करेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

सिंचाई विभाग के प्राविधिक सम्परीक्षा कोष्ठ के तृतीय श्रेणी कर्मचारियों को स्थायी करने की मांग

175--श्री कुबेर भण्डारी--

क्या शासन को ज्ञात है कि सिंचाई विभाग के अन्तर्गत प्राविधिक सम्परीक्षा कोष्ठ के तृतीय श्रेणी के कर्मचारी आज भी अस्थायी रूप से कार्यरत हैं ? यदि हां, तो क्या उन को स्थायी किए जाने पर शासन विचार कर रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां ।

इनके स्थायीकरण पर शासन द्वारा विचार किया जा रहा है ।

जिला देवरिया के श्री श्याम बिहारी सिंह के गेहूं को हुई क्षति की जांच में अनियमितता की शिकायत

177--श्री कुबेर भण्डारी--

विधान सभा के दिनांक 10-9-80 के ता0 प्र0 सं0 2 नत्थी (ख) के उत्तर के सन्दर्भ में क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री श्याम बिहारी सिंह, ग्राम श्रीपति खांड के गेहूं की क्षति के जांच में की गयी अनियमितता एवं भ्रष्टाचार को ध्यान में रखते हुए विधायक (कुबेर भण्डारी) के पत्र दिनांक 10-8-81 के न्यायोचित मांग हेतु जांच कराने के आदेश दिए गये हैं ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट शासन को प्राप्त है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

तहसील हाटा, जिला देवरिया के बुकिंग क्लर्क के विरुद्ध शिकायती-पत्र

178--श्री कुबेर भण्डारी तथा श्री श्याम नरायन तिवारी--

क्या परिवहन मन्त्री को ज्ञात है कि बस यात्रा किराया में निर्धारित किराया से अधिक धन प्राप्त कर यात्रियों को शोषित त्रस्त करने के सम्बन्ध में हाटा बुकिंग क्लर्क, जिला देवरिया के विरुद्ध संस्थापक एवं महा सचेतक आजाद हिन्द क्रांतिकारी मोर्चा का शिकायती-पत्र दिनांक 29-7-81 शासन को प्राप्त हुआ है, जो क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ0प्र0 रा0स0 प0नि0, गोरखपुर को सम्बोधित है ? यदि हां, तो सन्दर्भित पत्र एवं कार्यवाही से मन्त्री जी सदन को अवगत करायेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

भूतपूर्व विधायकों हेतु परिवहन निगम की बसों में स्थान आरक्षित करने की मांग

179--श्री रघुवीर सिंह यादव तथा श्री वंशीधर--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिस तरह से सरकारी बसों में विधायकों की सीट रिजर्व है, उसी प्रकार से भू0 पू0 विधायकों की सीट भी रिजर्व करा दी जायगी ? क्योंकि भू0 पू0 विधायकों को बस भर जाने पर जगह नहीं दी जाती है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

ऐसा करना जनहित में सम्भव नहीं है ।

180—श्री राम गोविन्द—

[3रे गुरुवार में अतारांकित प्रश्न संख्या—90 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

181—श्री कुबेर भण्डारी—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

देवरिया जनपद की बड़ी गण्डक (नारायणी) नदी पर निर्मित अमवा खास बांध की लागत

182—श्री कुबेर भण्डारी—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद देवरिया में अमवा खास पर नारायणी नदी तट पर निर्मित बांध पर अब तक कितना खर्च हुआ है तथा उसके बावजूद बाढ़ के किनारे इस वर्ष बाढ़ से कितने गांव उजड़ गये हैं तथा पीड़ित परिवारों को कितना मुआवजा दिया गया है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जनपद देवरिया में बड़ी गण्डक नदी (जिसे नारायणी भी कहते हैं) के दाएं तट पर निर्मित अमवा खास बांध पर दिसम्बर, 1981 तक कुल रुपया 133.42 लाख व्यय हुआ है। इसके किनारे इस वर्ष कोई गांव नहीं उजड़ा है अतः मुआवजा देने का कोई प्रश्न नहीं उठता है।

183—श्री शंकर सिंह—

[5वें मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या—86 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

184—श्री हरीशंकर—

[माननीय मन्त्री की प्रार्थना पर स्थगित]

शाहजहांपुर डिपो की बसों की प्रति बस आय

185—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या परिवहन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि 21, 22 और 23 अक्तूबर, 1981 में शाहजहांपुर डिपो की बसों का प्रति बस आय क्या रही, अन्य दिनों की आय की तुलना में उक्त दिनों में कम आय के क्या कारण हैं ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है।

शाहजहांपुर डिपो के सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक श्री मो० हुसैन के विरुद्ध भ्रष्टाचार की जांच

186—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या परिवहन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि शाहजहांपुर डिपो के सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक (श्री मो० हुसैन) के विरुद्ध हरदोई और शाहजहांपुर में लगाए गये बलात्कार के आरोपों की जांच उप प्रधान प्रबन्धक श्री एन० जी० चौधरी द्वारा सितम्बर, 1981 में की गई ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या है और उस पर क्या कार्यवाही हुई ? क्या उक्त अधिकारी के विरुद्ध 1981 में भ्रष्टाचार आदि के भी आरोप लगाए गये ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

श्री मो० हुसैन, सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक के विरुद्ध बलात्कार के आरोपों की कोई जांच नहीं की गयी। उनके विरुद्ध भ्रष्टाचार अनियमितताओं आदि की शिकायतें प्राप्त हुई थीं जिनकी जांच श्री एन० जी० चौधरी, उप प्रधान प्रबन्धक द्वारा दिनांक 30 सितम्बर, 1981 एवं 9 अक्तूबर, 1981 को की गयी। जांचोपरान्त जांच अधिकारी का यह निष्कर्ष है कि श्री मो० हुसैन कुछ मामलों में अनियमित कार्यवाही करने के दोषी हैं। इसके अतिरिक्त श्री हुसैन के विरुद्ध 1981 में कुछ अन्य शिकायती-पत्र भी प्राप्त हुए थे जिनकी जांच उप प्रधान प्रबन्धक, उत्तर जोन के माध्यम से कराई गयी। कुछ शिकायतों पर जांच रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है और कुछ पर अभी बाकी है। अब तक प्राप्त जांच

रिपोर्टों को ध्यान में रखते हुए श्री मो0 हुसैन का शाहजहांपुर से स्थानान्तरण कर दिया गया है और इनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही करने का प्रश्न परिवहन निगम के विचाराधीन है।

श्री बैजनाथ गुप्ता व श्री रघुनाथ गुप्ता निवासी फैजाबाद द्वारा फर्जी एवं जबरिया वसूली की शिकायत

187--श्री गोपीनाथ वर्मा--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री बैजनाथ गुप्ता व श्री रघुनाथ गुप्ता पुत्र श्री लक्ष्मी नारायण गुप्ता एवं अन्य ग्राम निवासी ग्राम नाऊसांडा, परगना व तहसील टाण्डा, जनपद फैजाबाद के ऊपर अमी सींचपाल द्वारा फर्जी नावान एवं कटिंग दिखाकर जबरियन वसूली किए जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता द्वारा जांच उपरान्त उचित कार्यवाही किए जाने हेतु दिनांक 7-7-81 को पत्र प्राप्त हुआ है ? उसका क्या परिणाम रहा ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां।

जांचोपरान्त शिकायत निराधार पाई गयी।

188--श्री गोपीनाथ वर्मा--

[माननीय मन्त्री जी की प्रार्थना पर स्थगित]

189--श्री हरिवंश सहाय--

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

देवरिया के अधिशासी अभियन्ता, सहायक अभियन्ता के विरुद्ध शिकायती-पत्र

190--श्री हरिवंश सहाय--

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि अधिशासी अभियन्ता, सहायक अभियन्ता, प्रखण्ड, जिला देवरिया के विरुद्ध प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 2-7-81 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो शिकायतें क्या हैं तथा क्या उनकी जांच टी0ए0सी0 से कराई जायेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां।

मुख्य शिकायतें तुर्तीपुर--चुरिया बांध पर कराए गए कार्य में घोर अनियमितता करना, ठेकेदार को अधिक भुगतान करके तथा अन्य प्रकार से सरकारी धनराशि का दुरुपयोग करना तथा खण्डीय लेखाकार एवं कर्मचारियों को आतंकित करने से सम्बन्धित है। शिकायतों की जांच टी0ए0सी0 से कराई गयी है।

अलीगढ़ कानपुर तथा इटावा क्षेत्र के दैनिक वेतन पर कार्यरत चालकों तथा परिचालकों का नियमितीकरण

191--श्री हरिवंश सहाय--

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0प्र0 रा0प्र0 परिवहन निगम के अलीगढ़ क्षेत्र कानपुर, इटावा क्षेत्र में कितने चालक परिचालक ऐसे कार्यरत हैं जो कि सिक्योरिटी जमा कर चुके हैं तथा दैनिक वेतन पर कार्यरत हैं ? यदि हां, तो दैनिक वेतन पर कार्यरत चालकों परिचालकों को इन क्षेत्रों में कब तक नियमित कर दिया जायगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

निगम से प्राप्त आंकड़ानुसार अलीगढ़, कानपुर तथा इटावा क्षेत्रों में सिक्योरिटी जमा करने के बाद कुल 149 चालक तथा 290 परिचालक दैनिक वेतन पर कार्यरत हैं। इनकी क्षेत्रवार स्थिति निम्न प्रकार है :--

क्षेत्र	चालक	परिचालक
अलीगढ़	138	234
कानपुर	..	41
इटावा	11	15

नियमित रिक्तियां उपलब्ध होने पर उक्त चालकों/परिचालकों को वरिष्ठता के क्रम में इन क्षेत्रों में नियमित कर दिया जायेगा।

सड़क परियोजना के सम्बन्ध में लेखा परीक्षा आपत्तियां

192--श्री हरिवंश सहाय--

क्या सिंचाई मन्त्री बतायेंगे कि गण्डक परियोजना में लेखा परीक्षा आपत्तियां वर्ष 1977-78, 78-79 तथा 79-80 में क्या थीं ? क्या इस परियोजना में गलत डिजाइन, गलत निर्माण, गलत भुगतान तथा कार्य न होने पर भुगतान के मामले कितने तथा कितने धन के हैं ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

गण्डक परियोजना में लेखा परीक्षा आपत्तियां वर्ष 1977-78, 78-79 तथा 79-80 में निम्न विषयों पर थीं :--

1--हानि,
2--चोरी,
3--किराया,
4--सरप्लस स्टाफ,
5--टी एण्ड पी0
6--अस्वीकृत प्राक्कलन,
7--कम्पेनसेशन, अनाधिकृत अधिक भुगतान,
8--पेनाल्टी,
9--बिक्री-कर
10--वित्तीय अनियमितताएं,
11--स्टाफ तथा टी0 एण्ड पी0 रजिस्टर बन्द करने,
12--अवर अभियन्ता द्वारा धरोहर धनराशि जमा न करने,
13--विभिन्न स्थानों से लोहा क्रय करने,
14--सामग्री के प्रोक्योरमेंट पर अनुबन्धों को समयानुसार अन्तिम रूप न देने,
15--बिना स्वीकृत प्राक्कलन के कार्य कराना,
16--निर्माण कार्य से अधिष्ठान पर अधिक व्यय,
17--सर्वे कार्य में अधिक व्यय,
18--ठेकेदारों से अग्रिम की वसूली पूर्ण न करना,
19--दर विश्लेषण ठीक प्रकार तैयार न करना,
20--निर्माण कार्य न होने से अतिरिक्त व्यय,
21--रेलवे विभाग से अनिस्तारित क्लेम,
22--कोयले की कमी,
23--लोहे के गेटों की सम्पूर्ति,
24--अनियमित कार्यादेश करना एवं उनका विवरण न रखना,
25--अधिक भुगतान,
26--नलकूप की गूलों की मरम्मत व निर्माण आदि।

गण्डक नहर निर्माण खण्ड-5, देवरिया के अन्तर्गत गलत डिजाइन का एक मामला (रु0 27,600.00) तथा गलत भुगतान के 6 मामले क्रमशः रु0 1.31, 35.00, 0.65, 3.90, 1.33 तथा रु0 0.26 लाख रुपए के हैं।

अधिकारियों द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम का रुपया हड़पे जाने की शिकायत

193--श्री हरिवंश सहाय--

क्या परिवहन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि राज्य सड़क परिवहन निगम के अधिकारियों द्वारा करोड़ों रुपया हड़पने तथा निगम को क्षति पहुंचाने से सम्बन्धित प्रश्नकर्त्ता का पत्र

दिनांक 7-5-81 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो शिकायतें क्या हैं ? किस अधिकारी से जांच कराई गयी ? जांच रिपोर्ट क्या है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां ।

शिकायतों का संक्षिप्त विवरण संलग्न है ।

जांच, निगम के मुख्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा कराई जा रही है। जांच आख्या प्रतीक्षित है ।

[देखिए नत्थी (घ) आगे पृष्ठ 405 पर]

गोरखपुर क्षेत्र में परिचालकों का चयन एवं प्रतीक्षा सूची

194--श्री हरिवंश सहाय--

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर क्षेत्र में वर्ष 1980 में बनाई गयी परिचालकों की प्रतीक्षा सूची के सभी परिचालकों को, जिन्होंने जमानत की धनराशि जमा कर दी थी उन्हें ड्यूटी पर ले लिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों और गोरखपुर क्षेत्र में परिचालकों की भर्ती वर्ष जून, 1981 में की गयी है ? यदि हां, तो पूर्व से कितनी जगह रिक्त थी, कितने प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए कितने अभ्यर्थी साक्षात्कार में आए, कितने लोगों का चयन हुआ तथा इस चयन का आधार क्या था ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

देवरिया जिले की मायापुर ड्रेन के निर्माण एवं सुधार पर व्यय तथा ठेकेदारों के नाम पते

195--श्री हरिवंश सहाय--

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि देवरिया जिलान्तर्गत मायापुर ड्रेन का निर्माण एवं सुधार में 1 जनवरी, 1980 से 30 जून, 1981 के बीच कितना धन खर्च हुआ ? इस अवधि में काम कराने वाले ठेकेदारों के नाम व पता क्या हैं ? क्या यह काम टेंडर या कोटेशन या वर्क आर्डर से हुआ ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जनपद देवरिया में मायापुर ड्रेन के निर्माण एवं सुधार पर 1 जनवरी, 1980 से 30 जून, 1981 तक रु0 93,387.25 पैसे व्यय हुआ है। यह कार्य सहायक अभियन्ता के स्तर से अनुबन्ध तथा कार्यादेश द्वारा कराया गया है । इस कार्य पर जिन ठेकेदारों ने कार्य किया है उनके नाम तथा पते संलग्न तालिका में दर्शाये गये हैं ।

[देखिए नत्थी (ङ) आगे पृष्ठ 406 पर]

सत्याग्रह में गिरफ्तार परिवहन निगम के परिचालकों के पुनः सेवा में लिए जाने की मांग

196--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या परिवहन मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि परिवहन निगम के प्रदेश के जिन 56 परिचालिकों को 8 सितम्बर 1978 को अहिंसात्मक सत्याग्रह के सम्बन्ध में गिरफ्तार किया गया था जिनके मामले में पुनः सेवा का अवसर देने का आदेश था, उन सभी परिचालकों को सेवा में लिया जा चुका है अथवा नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

बलरामपुर डिपो के परिचालक श्री जुगुल किशोर मिश्र का प्रत्यावेदन

197--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या परिवहन मन्त्री यह भी बतायेंगे कि बलरामपुर डिपो के परिचालक जुगुल किशोर मिश्र के प्रत्यावेदन के अभिलेखों (पर्सनल फाइल, केस फाइल, सर्विस बुक) के अभाव में

निर्णय नहीं लिया जा सका है ? यदि हां, तो सेवा अभिलेखों की प्राप्ति के कौन से कदम उठाए गये हैं ?

श्री वीर बहादुर सिंह---

जी नहीं। चूंकि श्री जुगुल किशोर मिश्रा का मामला उच्च न्यायालय के विचाराधीन है, अतः इनका केस सम्बन्धित उप प्रधान प्रबन्धक (जोन) के यहां लम्बित है।

आजमगढ़ जिले की तहसील सगड़ी के ग्राम मसौना में राजकीय नलकूप के नाली से पानी की निकासी अवरुद्ध होने की शिकायत

198---श्री पंचानन राय---

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले की सगड़ी तहसील में स्थित ग्राम मरनोना के राजकीय नलकूप की पक्की नाली के कारण उक्त गांव के बरसात के पानी का निकास अवरुद्ध हो गया है ? यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में ग्रामीण जनता की कोई शिकायत स्थानीय अधिकारियों को प्राप्त हुई है ? पानी के निकास के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है।

श्री वीर बहादुर सिंह---

जी नहीं। आजमगढ़ जिले की सगड़ी तहसील में ग्राम मरनोना के राजकीय नलकूप की नहीं, बल्कि आजमगढ़ जिले की सगड़ी तहसील के हरैया ब्लाक में मसौना नामक ग्राम में राजकीय नलकूप संख्या--31 सगड़ी समूह की पक्की नाली से बरसात के पानी का निकास अवरुद्ध होने की शिकायत प्राप्त हुई थी जिसकी जांच करके पानी के निकास हेतु आवश्यक निर्माण कराए जाने की कार्यवाही की जा रही है।

जनपद जालौन के ग्राम चुर्खी के लिए स्वीकृत रोडवेज बसों के परमिट

199---श्री शंकर सिंह---

क्या परिवहन मन्त्री बतायेंगे कि जनपद जालौन के ग्राम चुर्खी के लिए रोडवेज के कानपुर तथा झांसी रीजन में कितने परमिट स्वीकृत हैं, जो परमिट स्वीकृत हैं उस मार्ग पर पक्की सड़क होते हुए भी बसें न चलाए जाने का क्या कारण है ? यदि रोडवेज की बसें चलाने में विभाग को कठिनाई है तो उक्त मार्ग पर निजी वाहनों को परमिट देने में शासन को क्या कठिनाई है ?

श्री वीर बहादुर सिंह---

सूचना एकत्र की जा रही है।

200---श्री हरिवंश सहाय---

[3रे बुधवार के लिए स्थगित]

(12 बजकर 20 मिनट)

भूतपूर्व सदस्य श्री बलदेव सिंह के निधन पर शोकोद्गार

*मुख्य मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह)---

माननीय अध्यक्ष जी, श्री बलदेव सिंह जी भूतपूर्व सदस्य, विधान सभा 22 अक्तूबर, 1981 को 80 वर्ष की अवस्था में हम लोगों के बीच से चले गए। श्री बलदेव सिंह जी इस सम्मानित सदन के सदस्य सन् 1952 से 57 तक थे। उन्होंने अपना जीवन एक सैनिक के रूप में आरम्भ किया तत्पश्चात् स्वतन्त्रता संग्राम में वह शरीक हुए और स्वतन्त्रता संग्राम के एक सैनिक बने। शिक्षण संस्थाओं से उनका गहरा सम्बन्ध था शिक्षा में विशेष योगदान उनका था। उनके निधन से एक स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी तथा समाजसेवी हम लोगों के बीच से उठ गया।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, आपसे अनुरोध है कि हम लोगों की संवेदनाएं उनके शोक सन्तप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें ।

श्री राजेन्द्र सिंह--

श्रीमन्, स्वर्गीय श्री बलदेव सिंह जी के निधन पर नेता सदन ने जो संवेदना के भाव व्यक्त किए है, मैं और मेरा दल उनसे अपने आप को सम्बद्ध करता है ।

श्रीमन्, बलदेव सिंह जी ने शिक्षा तो अधिक प्राप्त नहीं की थी, लेकिन शिक्षा को बढ़ाने के क्षेत्र में उनका एक अनुकरणीय योगदान रहा। वह सन् 1952 में इस सम्मानित सदन के सदस्य चुन कर आये थे। पहले सेना में भर्ती हो गये थे लेकिन देश प्रेम सेना से हटाकर राजनीति में ले आया। इस देश की स्वतन्त्रता के लिये अनेक बार जेलें काटीं। निश्चित तौर पर उनके निधन से एक स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी और एक कुशल राजनीतिज्ञ चला गया है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं और निवेदन करता हूं कि हमारी भावभीनी श्रद्धांजलि उनके शोक सन्तप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

श्री सूबेदार सिंह--

मान्यवर, श्री बलदेव सिंह जी के आकस्मिक निधन पर जो संवेदना के सन्देश माननीय मुख्य मन्त्री जी ने और माननीय नेता, विरोधी दल ने व्यक्त किया है, मैं अपने और अपने दल को उससे सम्बद्ध करता हूं। श्री सिंह एक अच्छे सामाजिक कार्यकर्त्ता थे, राजनीति के क्षेत्र में भी उन्होंने काफी योगदान दिया है। जिससे सब लोग प्रेरणा ले रहे हैं। उनके निधन से इस प्रदेश को भारी क्षति पहुंची है।

मैं आपसे निवेदन करता हूं कि हमारे और हमारे दल की ओर से संवेदना उनके शोक सन्तप्त परिवार को पहुंचाने की कृपा करें।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, अभी स्वर्गीय श्री बलदेव सिंह जी के निधन के सम्बन्ध में माननीय नेता, सदन, नेता विरोधी दल और नेता कांग्रेस (अर्स) ने जो विचार व्यक्त किये हैं उनसे मैं अपने को सम्बद्ध करता हूं। श्री सिंह आजादी की लड़ाई में अच्छे सेनानी की हैसियत से कार्यकर्त्ता रहे। अनेक बार उन्होंने जेल यात्राएं भी कीं। अपनी जनता के कार्य में वह सच्चाई से लगे रहे और इसीलिये वह अपने क्षेत्र में लोकप्रिय थे। उनके निधन से राजनैतिक जीवन में जो रिक्तता उत्पन्न हुई है, उसकी पूर्ति नहीं हो सकती। मान्यवर, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि मेरी तथा मेरे दल की ओर से संवेदना उनके दुःखी परिवार को पहुंचाने का कष्ट करें।

श्री हरी किशन श्रीवास्तव--

मान्यवर, स्वर्गीय श्री बलदेव सिंह के निधन पर नेता, सदन, नेता, विरोधी दल एवं अन्य दलों के नेताओं ने जो विचार व्यक्त किए हैं उनसे मैं अपने को सम्बद्ध करता हूं। स्वर्गीय बलदेव सिंह जी बड़े ही लोकप्रिय व्यक्ति थे। उनकी लोकप्रियता के बारे में मान्यवर, आप स्वतः जानते हैं कि उनकी कार्य-प्रणाली क्या थी। उनके चले जाने से हमारे बीच से एक बड़ा लोकप्रिय व्यक्ति, स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी तथा एक अच्छा राजनीतिज्ञ चला गया है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि हमारी भी भावनाओं को आप उनके परिवार तक पहुंचाने का कष्ट करें।

*श्री भीखा लाल--

उपाध्यक्ष महोदय, स्वर्गीय बलदेव सिंह जी के निधन पर जो विचार माननीय नेता सदन, नेता विरोधी दल तथा अन्य दल के सदस्यों ने व्यक्त किए हैं, उनसे मैं अपने को सम्बद्ध करता हूं और श्री बलदेव सिंह जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपनी संवेदना

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री भीखा लाल]

व्यक्त करता हूं और आपसे अनुरोध करता हूं कि मेरी ओर से तथा मेरे दल की ओर से हमारी संवेदनाएं उनके परिवार तक पहुंचाने का कष्ट करें।

*श्री रियासत हुसैन--

श्रीमन्, स्वर्गीय बलदेव सिंह जी के निधन पर माननीय नेता सदन, नेता विरोधी दल तथा अन्य दल के नेताओं ने जो विचार व्यक्त किए हैं उनसे मैं अपने को सम्बद्ध करता हूं। साथ ही आपसे मैं यह निवेदन करता हूं कि आप मेरी ओर से, मेरे दल की ओर से हमारी संवेदनाएं उनके दुखी परिवार तक भेजने का कष्ट करें।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय बलदेव सिंह जी के विषय में माननीय नेता सदन, माननीय नेता विरोधी दल एवं अन्य दल के नेतागण अपनी भावनाओं को व्यक्त कर चुके हैं। जहां तक बलदेव सिंह जी का प्रश्न है, वे सन् 1952 में इस सदन के सदस्य होकर आये थे, वे काशी के रहने वाले थे। मैं उस समय विद्यार्थी था और मेरे बड़े भाई स्वर्गीय ठाकुर राम प्रसाद साहब इस सदन के सदस्य थे इसलिए अधिकतर सदस्यों से उनके माध्यम से उनसे मिलने का मुझे अवसर होता था। बलदेव सिंह जी जो एक स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी भी थे, यहां पर हमारे सामने आए। उससे पहले वे एक सैनिक के रूप में इस देश की रक्षा कर चुके थे और सेना में कार्य करने के पश्चात् जब उन्होंने देश में देश के कार्य के लिए अपनी आवश्यकता को महसूस किया तो उन्होंने सेना की नौकरी को छोड़ कर और स्वतन्त्रता संग्राम के कार्य-कलापों में अपने आप को सन्नद्ध कर दिया। कई बार स्वतन्त्रता संग्राम की लड़ाई में उन्होंने जेल यातनाएं भोगीं और काशी के राजनीतिक लोगों में से, राजनैतिक कार्यकर्ताओं में से अग्रणी रहे। वे एक सामान्य परिवार से आते थे पर बड़े ही उत्साही एवं अत्यन्त कर्मनिष्ठ व्यक्ति थे। वे स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों की उस पंक्ति में आते थे जिस पंक्ति में बहुत कम लोग बचे हैं। वे आज हमारे बीच नहीं रहे और हम एक अच्छे रहबर से वंचित हो गये। देश को अपूर्णनीय क्षति हुई और एक निष्पृह, निर्लिप्त और कर्मठ व्यक्ति हमारे बीच से उठ गया, ऐसा होना था। मनुष्य जिस दिन इस धरती पर आता है मृत्यु का दिन भी उसी के साथ ही साथ सुअय्यन होकर आता है। यह बात सच है कि जो आज जन्मा है, वह कल जायगा और वह भी उसी रास्ते गए जिस रास्ते पर एक-एक करके हमारे बुजुर्ग जा रहे हैं, हमारी आयु के लोग जा रहे हैं, हम से छोटे लोग जा रहे हैं और हम भी उसी रास्ते पर एक दिन जायेंगे। लेकिन अभी जब मैं बोल रहा था, कुछ आवाजें आयीं। मुझे ताज्जुब हुआ। संवेदना प्रकट करते समय ऐसी आवाजों को नहीं आना चाहिए। लेकिन उसमें किसी का दोष नहीं।

राजा भोज का नाम आपने सुना होगा। राजा भोज के चाचा मुन्ज ने जल्लादों को हुक्म दिया कि राजा भोज का कत्ल जंगल में कर दिया जाय और उनका कलेजा निकाल कर उनके सामने पेश किया जाय ताकि राज्य का उत्तराधिकारी न रहे। आखिर वे भी आदमी थे, उनका मन पसीजा, वे हमारे जैसे हृदयहीन नहीं थे। उनका मन पसीजा और भोज की हत्या नहीं की। भोज ने एक कागज के टुकड़े पर एक पत्र लिखकर भेजा कि यह धरती मान्धाता के साथ नहीं गयी, दिलीप और दधीचि के साथ नहीं गयी लेकिन मुझे विश्वास है कि राजा मुन्ज इसे लेकर जायेंगे या सर्वदा इस धरती पर मौजूद रहेंगे, या किसी की मौत पर प्रभावित नहीं होंगे। जब यह कागज का टुकड़ा मुन्ज ने पढ़ा तो मुन्ज विकल हो गये और उन्होंने जल्लादों से कहा कि भोज को खोज लाया जाय और भोज हाजिर किए गये।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आखिर मुन्ज जैसा पाषाण हृदय व्यक्ति ऐसी घटना से प्रभावित हो सकता है और मौन हो सकता है तो कोई वजह नहीं कि हम अपनों में से किसी के जाने पर द्रवित न हों और द्रवित होना दिमाग का नहीं दिल का काम होता है। दिल और दिमाग में फर्क होता है। दिल सोचता ही नहीं है, वह प्रवाह के साथ बहता है, दिमाग सोचता है। ऐसा आघात लगने पर जब दिल प्रभावित होता है तो मनुष्य के मन से प्रतिस्पर्धा, लोभ, क्रोध, इन सबका नाश हो जाता है और दिल उसी स्थिति में बहता चलता है।

हम अपने माननीय नेताओं द्वारा व्यक्त किए गये माननीय बलदेव सिंह जी के प्रति श्रद्धांजलि को अपनी श्रद्धांजलि से जोड़ते हैं और आप सबको आश्वस्त करते हैं कि आप की भावनाएं उनके कह जाने वाले अपने परिवार तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे जबकि हम महसूस करते हैं कि हम सब उनके परिवार हैं और उनके न रहने से हम सबको एक गहरा धक्का लगा है। ईश्वर उनकी आत्मा को शान्ति दे और हम उनके जीवन से प्रेरणा ले सकें, यह शक्ति हमें दे। हम आपसे निवेदन करेंगे कि दो मिनट के लिए मौन होकर उनकी आत्मा की शान्ति के लिए प्रार्थना करें।

(सभी सदस्य दो मिनट के लिए अपने-अपने स्थान पर मौन खड़े हुए।)

मुजफ्फरनगर के जिलाधिकारी कार्यालय के समक्ष अनशन कर रहे छात्रों पर पुलिस द्वारा लाठी चार्ज के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री उपाध्यक्ष--

नियम 301 के अन्तर्गत कुल 14 सूचनाएं आई थीं जिसमें सूचनाओं की गम्भीरता को देखते हुए 5 सूचनाएं स्वीकार की गयीं। पहली सूचना श्री हुकम सिंह जी की है।

*श्री हुकम सिंह--

मुजफ्फरनगर स्थित तीन महाविद्यालयों के छात्र अपनी कुछ स्थानीय समस्याओं के बारे में गत दो माह से शान्तिपूर्ण आन्दोलन चला रहे थे। अपनी मांगों के समर्थन में कुछ छात्रों ने जिलाधिकारी कार्यालय के समक्ष तम्बू लगाकर क्रमिक अनशन का आयोजन किया था। 5 दिसम्बर, 1981 को हजारों छात्रों ने शान्तिपूर्ण प्रदर्शन किया। छात्रों के इस आन्दोलन को दबाने के लिए जनपद के पुलिस अधीक्षक एवं शहर कोतवाल ने निर्मम लाठी चार्ज किया जिससे कई छात्रों को चोट आयी। छात्रों द्वारा लगाए गये तम्बू को जबरदस्ती उखाड़ दिया एवं जहां पर रखे दान-पात्र जिसमें लगभग 500 रु० था, पुलिस उठा कर ले गयी। अपने इस कुकृत्य को छिपाने के लिए पुलिस ने छात्रों पर झूठे व फर्जी डकैती के मुकदमें कायम करके लगभग 25 छात्रों को जेल में बन्द कर दिया जिनमें वे छात्र भी सम्मिलित थे जो कचेहरी प्रांगण में अनशन पर बैठे थे। इस घटना से समस्त छात्र समाज में भारी असन्तोष की भावना व्याप्त है।

मैं आपके माध्यम से सरकार एवं सदन के संज्ञान में यह अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न लाना चाहता हूं एवं सरकार से आग्रह करता हूं कि छात्रों के विरुद्ध कायम किये गये मुकदमे तुरन्त वापस लिए जायें, घटना की न्यायिक जांच कराई जाय एवं दोषी पुलिस कर्मियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाय।

राजभवन के सामने प्रदर्शन कर रहे लोकतांत्रिक समाजवादीपार्टी के सदस्यों पर लाठी चार्ज के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मोहन सिंह--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विगत 15 जनवरी, को राज भवन के समक्ष लोकत्रांतिक समाजवादी पार्टी के लगभग 500 कार्यकर्ता शान्तिपूर्ण ढंग से अपना प्रदर्शन कर रहे थे, तभी अचानक पुलिस दल ने उन्हें थाने चलने का आदेश दिया। वे प्रदर्शनकारी शान्ति-

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मोहन सिंह]

पूर्ण ढंग से अपने घर भी जाने लगे कि सहसा दिन में 12 बजे प्रदर्शनकारियों पर लाठी चार्ज किया गया जिससे दर्जनों प्रदर्शनकारी घायल हो गये। भूतपूर्व केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्री श्री राजनारायण, संसद सदस्य श्री राही, विधान सभा सदस्य श्री प्रदीप कुमार यादव, मुख्तार अनीस, भूतपूर्व मन्त्री श्री जगन्नाथ जायसवाल, श्री सत्यदेव त्रिपाठी एवं भूतपूर्व संसद सदस्य श्री रामभूषण तिवारी को भी हल्की चोटें आयीं। इन लोगों को पुलिस अधिकारियों ने यह कहा कि आप लोग जाब्ता फौजदारी की धारा 188 में गिरफ्तार किए जा रहे हैं। यह कहकर लगभग 375 कार्यकर्ताओं को आलमबाग थाने ले गए। वहां दिन के 12 बजे से सायं 7 बजे तक बिठाए रखा गया, इन लोगों को खाने के लिए कुछ नहीं दिया गया। श्री राजनारायण सहित सभी गिरफ्तार लोगों को जेल भेजने का आग्रह किया गया तो एस०डी०एम० सिटी एवं नगर मैजिस्ट्रेट वहां से यह कह कर चले गए कि हमने तो आपको गिरफ्तार ही नहीं किया। इसका नतीजा यह हुआ कि अधिकांश बन्दी वहां से चले गये और देर रात को बहुत जिद करने पर श्री राजनारायण, विधायक मुख्तार अनीस और प्रदीप कुमार यादव सहित 85 लोगों को जाब्ता फौजदारी की धारा 151 के अन्तर्गत जेल भेज दिया गया। इन बन्दियों के साथ जेल में भी उचित व्यवहार नहीं हो रहा है। कल 19 जनवरी को जेल अधिकारियों के विरुद्ध इन लोगों ने अनशन भी कर दिया। इन लोगों को कम्बल, कपड़ा, साबुन तथा घायलों की चिकित्सा की कोई व्यवस्था नहीं है।

अतः सदन के माध्यम से हम मांग करते हैं कि लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के नेताओं को रिहा किया जाय।

चमोली जिले में वन्य जन्तुओं द्वारा किसानों की फसल व पालतू जानवरों को नुकसान के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री कुंवर सिंह नेगी—

मान्यवर, जनपद चमोली में वन्य जन्तुओं को मारने पर लगाए गये प्रतिबन्ध के फलस्वरूप उनकी संख्या में काफी वृद्धि हो गयी है। इन जंगली जानवरों द्वारा काश्तकारों की फसलों एवं पालतू पशुओं को भारी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। और काश्तकार इनसे अपनी फसलों एवं जानवरों की रक्षा करने में असहाय महसूस कर रहे हैं। सरकार द्वारा भी काश्तकारों को इस प्रकार की क्षति से बचाने हेतु कोई ठोस प्रयास नहीं किए जा रहे हैं और न ही उनको हुए पहुंचाई गयी क्षति हेतु क्षतिपूर्ति दी जा रही है, जिससे लोगों में निराशा एवं आक्रोश व्याप्त हो गया है।

हाल ही में लोहारी उखीमठ के अन्तर्गत ग्राम बाल मल्ला में माधो सिंह की गोशाला में बाघ ने घुसकर उनकी सभी 50 बकरियां मार कर उनके एक मात्र आजीविका के साधन से वंचित कर दिया।

अतएव हम इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को माननीय सदन के संज्ञान में लाकर माननीय वन मन्त्री का ध्यान इस ओर आकृष्ट करते हुए निवेदन करते हैं कि इस गम्भीर समस्या का उचित हल निकाले तथा लोगों को जंगली जानवरों द्वारा पहुंचाई गयी क्षति की क्षतिपूर्ति प्रदान करने की समुचित व्यवस्था करें।

मैनपुरी जिले के करहल टाउन एरिया के सफाई कर्मचारियों के बकाया वेतन तथा हरिजन नेता श्री मुन्शी चरन द्वारा भूख हड़ताल की धमकी के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री लल्लू सिंह चौहान--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से आदरणीय सदन व सरकार के संज्ञान में जौनपुर जनपद में समाजसेवी हरिजन कार्यकर्ता करहल टाउन एरिया सफाई कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष श्री मुन्शी चरन द्वारा 20 जनवरी से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल किए जाने के लोक महत्व के प्रश्न को लाना चाहता हूं।

मान्यवर, करहल नगर क्षेत्र समिति के सफाई कर्मचारियों को विगत 5 माह से वेतन नहीं मिला है और सफाई कर्मचारियों की ओर से परगना अधिकारी करहल जिला अधिकारी मैनपुरी से निरन्तर अनुनय विनय की जा रही है तथा संघर्ष पर जाने की नोटिस दिए गए हैं परन्तु तानाशाह निरंकुश प्रशासक अपने अधिकारों तथा सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों से प्रदत्त अधिकारों के बलबूते पर कर्मचारियों को प्रताड़ित करने की योजना बना रहे हैं।

उक्त परिस्थितियों में करहल नगर क्षेत्र के लोकप्रिय हरिजन कार्यकर्ता मुन्शी चरन ने अपना निर्णय घोषित करते हुए कहा है कि वे 20 जनवरी, 1982 से परगनाधिकारी एवं प्रशासक के कार्यालय पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल प्रारम्भ कर देंगे।

मान्यवर, आपके माध्यम से सरकार से तथा नगर विकास मन्त्री से अनुरोध करता हूं कि शोषित, पीड़ित, प्रताड़ित एवं उपेक्षित सफाई कर्मचारियों को तत्काल बकाया वेतन भुगतान की व्यवस्था करायें जिससे लोकप्रिय कार्यकर्ता श्री मुन्शी चरन को अनिश्चित-कालीन भूख हड़ताल पर बैठने से करहल नगर का जनजीवन अशान्त होने से बचाया जा सके।

शुगर मिल बिसवां, जिला सीतापुर के गेट पर प्रदर्शन कर रहे गन्ना किसानों की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री हर गोविन्द वर्मा--

महोदय, आपके माध्यम से लोक महत्व का विषय सदन में रखना चाहता हूं। शुगर मिल बिसवां, सीतापुर के गेट पर 5 जनवरी को किसानों के कार्यकर्ताओं ने गन्ने के दाम को लेकर किसानों ने प्रदर्शन किया। दफा 144 कस्बे में नहीं थी। किसानों के कार्यकर्ता अपनी मांगों के समर्थन में सरकार और पूंजीपतियों के विरुद्ध नारे लगा रहे थे। बिसवां कोतवाली की पुलिस ने 5 जनवरी को 13 व्यक्तियों को और 8 जनवरी को 49 व्यक्तियों को 107/16 में गिरफ्तार कर जेल भेजा। जेल भेजने के पहले 13 व्यक्तियों को बिसवां से सीता-पुर और सीतापुर से बिसवां जिसकी 35 कि0मी0 दूरी है घोर सर्दी के जाड़े में रात में घुमाने का कार्य किया तथा जेल में बन्द 62 सत्याग्रहियों में से 13 सत्याग्रहियों को बिसवां रिमान्ड पर हथकड़ी लगा कर ले जाने का काम किया तथा सख्त सर्दी में हथकड़ी लगा कर पैदल चलाकर जनतन्त्र की हत्या करने का काम तथा तानाशाही और नौकरशाही का खुला प्रदर्शन पुलिस तथा प्रशासन के माध्यम से सरकार ने करवाने का काम किया जिससे पूरे क्षेत्र में असन्तोष और आतंक व्याप्त हो गया है।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि लोकतांत्रिक प्रणाली के माध्यम से हर व्यक्ति को अपनी मांगों को सरकार के सामने रखने का हक है। उसी

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री हर गोविन्द वर्मा--]

के अन्तर्गत बिसवां क्षेत्र के गन्ना किसानों ने जिसमें प्रमुख श्री लालजी वर्मा, सुन्दर लाल तिवारी, गेंदा सिंह, बृजलाल यादव इत्यादि ने अपनी मांगों को रखने का प्रयास किया। सरकार ने इनको बन्द करवाने का काम किया है। अतः आपके माध्यम से मैं मांग करता हूं कि सभी साथियों को अविलम्ब छोड़ा जाय और अप्रजातांत्रिक काम करने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों को दंडित करने की व्यवस्था की जाय जिससे पुनः ऐसी घटनाओं की पुनरावत्ति प्रदेश में न हो सके।

श्री जसवन्त सिंह बिष्ट द्वारा दी गयी नियम 301 की सूचना को स्वीकृत किए जाने की मांग

(संसदीय कार्य मन्त्री के पुकारे जाने पर)

श्री जसवन्त सिंह बिष्ट--

मान्यवर, एक बड़ी महत्वपूर्ण सूचना मेरी भी थी। शेर ने 16 आदमियों को मार दिया है। आपके पास यह सूचना दी थी। उसको लिया नहीं गया. . . .

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय बिष्ट जी, आप एक श्रेष्ठ व्यक्ति हैं। बिना आज्ञा बोलना मुनासिब नहीं है। विराजें।

श्री जसवन्त सिंह बिष्ट--

तमाम गांव के लोग भाग रहे हैं। मैं पढ़ना चाहता हूं, मुझे समय दे दीजिए. . . .

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय बिष्ट, विराजें।

श्री जसवन्त सिंह बिष्ट--

मैं पढ़ लेता हूं। आप इजाजत नहीं दे रहे हैं. . . .

श्री उपाध्यक्ष--

बिना इजाजत बिष्ट जी पढ़ रहे हैं। लिखा नहीं जायगा।

श्री जसवन्त सिंह बिष्ट--

16 आदमियों को मार दिया है। आप कम से कम बात तो सुन लीजिए. . . .

श्री उपाध्यक्ष--

आप मेरे कक्ष में आवें, एक प्याली चाय पीजिए, आपकी बात सुनूंगा. . . .

श्री जसवन्त सिंह बिष्ट--

यह सरकार कुछ तो अमल करे। वहां लोग चिल्ला रहे हैं। गांव के लोगों को शेर मारता जा रहा है। गांव के लोग भाग रहे हैं। ठेकेदार काम छोड़कर भाग गये हैं।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय बिष्ट जी, बाघ से ज्यादा कष्टप्रद मेरे लिए साबित हो रहे हैं।

(हंसी)

श्री जसवन्त सिंह बिष्ट--

माननीय मुख्य मन्त्री यहां पर हैं, सब मन्त्री हैं और आप भी हैं, तो इसीलिए चाहता हूं कि आप मुझे समय दें हैं। मैं इनको पढ़ूं। आपके प्रदेश में कैसी व्यवस्था हो रही है। गरीब आदमी को खा. . . .

मुख्य मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह)--

मान्यवर, जसवन्त सिंह के रहते हुए शेर नहीं भागा बड़ी ताज्जुब की बात है।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय बिष्ट जी, विराजें।

विगत सत्र में नियम 301 के अन्तर्गत शून्य प्रहर में प्राप्त सूचनाओं पर शासन द्वारा की गयी कार्यवाही का विवरण†

(12 बजकर 48 मिनट)

संसदीय कार्य राज्यमन्त्री (श्री राम रतन सिंह)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा जारी किए गये प्रक्रिया सम्बन्धी करण (पंचम संस्करण) के करण 14(3) के अनुसार अष्टम विधान सभा के द्वितीय सत्र, 1981 (दिनांक 15 सितम्बर, 1981 से 22 सितम्बर, 1981 तक) में नियम 301 के अन्तर्गत शून्य प्रहर में प्राप्त सूचनाओं की सूची एवं उन पर कृत कार्यवाही का विवरण सदन के पटल पर रखता हूं।

*श्री मेंहदी असगर--

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर, यह जो इत्तला दी गयी है और जो विवरण तालिका दी गयी है 15 सितम्बर, 81 से 22 सितम्बर, 1981 तक का जो विवरण इस में दिया गया है उसमें जो ग्राम कवाल थाना जानत (मुजफ्फरनगर) निवासी श्री सम्पत राय एवं धनपत राय की दिनांक 3/4-9-1981 को डकैतों द्वारा की गयी हत्या के सम्बन्ध में है, मैं कहना चाहता हूं कि ये दोनों व्यक्ति जिन्दा हैं। जो सूचना दी गई है वह गलत है।

श्री उपाध्यक्ष--

इसमें यह है कि सूचना दी गयी है, वह जिन्दा हैं, वह अलग बात है।

श्री राजेन्द्र सिंह--

उनका कहना मान्यवर, यह है कि जो सूचना मांगी गयी थी वे व्यक्ति और थे और जो सूचना दी गयी है उसमें नाम किसी और के दे दिए हैं। जिनके नाम दिए हैं, वे व्यक्ति जिन्दा हैं। इसलिए यह जो सूचना दी गयी है, वह गलत है।

श्री मोहन सिंह--

जो सूचना पटल पर रखी जा रही है, वह असत्य है।

श्री मेंहदी असगर--

मैं इस पर ब्रीच आफ प्रिविलेज का प्रश्न उठाता हूं।

श्री उपाध्यक्ष--

जो सूचना आई है और जैसी कि नेता विरोधी दल ने कहा है, उसको मैं एग्जामिन करवा लूंगा कि क्या सूचना आई है। इसको मैं दिखवा लूंगा और विचार कर बता दूंगा।

श्री राजेन्द्र सिंह--

ठीक है, मान्यवर।

कतिपय सदस्यों की गिरफ्तारी की सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष--

जिला मजिस्ट्रेट, फैजाबाद ने अपने वायरलेस सन्देश दिनांक 18 जनवरी, 1982, जो 19 जनवरी, 1982 को प्राप्त हुआ, में यह सूचित किया है कि श्री गोपीनाथ वर्मा, सदस्य, विधान सभा (फैजाबाद), दिनांक 18 जनवरी, 1982 को प्रातः काल दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 151 के अन्तर्गत मखदुमनगर, थाना इब्राहीमपुर, फैजाबाद में गिरफ्तार किए गये।

---

†छापा नहीं गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री उपाध्यक्ष]–

जिला मजिस्ट्रेट, शाहजहांपुर ने अपने वायरलेस सन्देश दिनांक 18 जनवरी, 1982, जो 19 जनवरी, 1982 को प्राप्त हुआ, में यह सूचित किया है कि श्री सत्यपाल सिंह यादव, सदस्य, विधान सभा (शाहजहांपुर) दिनांक 18 जनवरी, 1982 को 5-30 बजे सायंकाल भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 और दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 151/107/116 के अन्तर्गत गिरफ्तार किए गये और कारागार भेजे गए।

इसी सम्बन्ध में नगर मजिस्ट्रेट, शाहजहांपुर ने निर्धारित प्रपत्र में अपने सन्देश, दिनांक 18 जनवरी, 1982, जो 19 जनवरी, 1982 को प्राप्त हुआ, में श्री सत्यपाल सिंह यादव, सदस्य, विधान सभा को 18 जनवरी, 1982 को 5-30 बजे सायंकाल दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के उल्लंघन के आरोप में भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 151/107/166 के अन्तर्गत गिरफ्तार किए जाने और और जिला कारागार, शाहजहांपुर में रखे जाने की सूचना दी है।

उपर्युक्त के सम्बन्ध में अधीक्षक, जिला कारागार, शाहजहांपुर ने अपने वायरलेस सन्देश, दिनांक 18 जनवरी, 1982 जो 19 जनवरी, 1982 को प्राप्त हुआ, में श्री सत्यपाल सिंह यादव, सदस्य, विधान सभा को 18 जनवरी, 1982 को 6-50 बजे सायंकाल जेल में दाखिल किए जाने की सूचना दी है।

जिला मजिस्ट्रेट/पुलिस अधीक्षक, बस्ती ने अपने वायरलेस सन्देश, दिनांक 18 जनवरी, 1982 जो 19 जनवरी, 1982 को प्राप्त हुआ, में यह सूचित किया है कि श्री राम आसरे पासवान, सदस्य, विधान सभा (बस्ती) दिनांक 18 जनवरी, 1982 को 4 बजे अपराह्न दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 107/116/151 के अन्तर्गत कस्बा खलीलाबाद मेहदावल चौराहे के पास गिरफ्तार किए गये और उसी दिन जिला कारागार, बस्ती भेजे गए।

जिला मजिस्ट्रेट/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, फैजाबाद ने अपने वायरलेस सन्देश, दिनांक 19 जनवरी, 1982 जो उसी दिन प्राप्त हुआ, में यह सूचित किया है कि श्री मित्रसेन यादव, सदस्य, विधान सभा (फैजाबाद) भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 151 के अन्तर्गत दिनांक 19 जनवरी, 1982 को 11 बजे पूर्वाह्न गिरफ्तार किए गये।

जिला मजिस्ट्रेट/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, गोरखपुर ने अपने वायरलेस सन्देश, दिनांक 19 जनवरी, 1982 जो उसी दिन प्राप्त हुआ, में यह सूचित किया है कि श्री जनार्दन प्रसाद ओझा, सदस्य, विधान सभा (गोरखपुर) दिनांक 19 जनवरी, 1982 को प्रातःकाल दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 151 के अन्तर्गत महाराजगंज पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गये।

जिला मजिस्ट्रेट, बुलन्दशहर ने अपने टेलीप्रिंटर सन्देश, दिनांक 19 जनवरी, 1982 जो 20 जनवरी, 1982 को प्राप्त हुआ, में यह सूचित किया है कि श्री छत्तर सिंह, सदस्य, विधान सभा (बुलन्दशहर) दिनांक 19 जनवरी, 1982 को 12-30 बजे अपराह्न दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 151 के अन्तर्गत गिरफ्तार किए गये, उन्हें कारागार, बुलन्दशहर में उच्च श्रेणी में रखा गया है।

जिला मजिस्ट्रेट, बुलन्दशहर ने अपने टेलीप्रिन्टर सन्देश, दिनांक 19 जनवरी, 1982 जो 20 जनवरी, 1982 को प्राप्त हुआ, में यह सूचित किया है कि श्री किरनपाल सिंह, सदस्य, विधान सभा (बुलन्दशहर) दिनांक 19 जनवरी, 1982 को 12-30 बजे अपराह्न दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 151 के अन्तर्गत गिरफ्तार किए गये। उन्हें जिला कारागार बुलन्दशहर में उच्च श्रेणी में रखा गया है।

कार्य-सूची की मद संख्या 6 का स्थगन

श्री उपाध्यक्ष—

मैं मद संख्या 6 जो नियम समिति के प्रतिवेदन से सम्बन्धित है, को आज स्थगित करता हूं, यह कल लिया जायगा।

विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष--

विशेषाधिकार की अवहेलना का कोई प्रश्न नहीं आया है ।

श्री मसरूर जाफरी द्वारा दल परिवर्तन के सम्बन्ध में सूचना

श्री उपाध्यक्ष--

नियम 315 के खण्ड (14) व (15) के अन्तर्गत मुझे सदन को यह सूचना देनी है कि माननीय श्री मसरूर जाफरी, सदस्य, (जिला गोंडा) ने, जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए थे, उक्त दल से अपना सम्बन्ध विच्छेद कर लिया है और विधान सभा में लोक दल की सदस्यता ग्रहण कर ली है, उसी सन्दर्भ में नेता, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, श्री भीखा लाल ने एक पत्र द्वारा यह सूचना दी है कि माननीय श्री मसरूर जाफरी को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है और अब उनका भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी विधान मण्डल दल से कोई सम्बन्ध नहीं रह गया है ।

तदनुसार श्री मसरूर जाफरी को अब भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य के रूप में न दिखाकर लोकदल के सदस्य के रूप में दलीय सूची में सम्मिलित कर लिया जायगा ।

श्री अकबर अहमद द्वारा दी गयी विशेषाधिकार की अवहेलना के सम्बन्ध में जानकारी की मांग

(मुख्य मन्त्री के वक्तव्य के लिए खड़े होने पर)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, हमें यह नहीं मिला है जो वक्तव्य वह देना चाहते हैं हमें पहले मिलना चाहिए ।

श्री उपाध्यक्ष--

इसकी प्रति बंट रही है ।

श्री अकबर अहमद--

मान्यवर, मैंने 15 सितम्बर को नियम 63 के अन्तर्गत एक विशेषाधिकार की अवहेलना के सम्बन्ध में सूचना दी थी । मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं शासन से कि इस सम्बन्ध में कोई सूचना आपको मिली है ?

श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, यह विगत सत्र का विशेषाधिकार का प्रश्न था ।

श्री उपाध्यक्ष--

आपने सूचना दी थी उसके बारे में शासन से उत्तर मांगा गया था जो अभी तक नहीं प्राप्त हुआ है । लेकिन मैं शासन से यह अपेक्षा करूंगा कि तीन दिन के अन्दर यह सूचना निश्चित रूप से हमारे पास भिजवा दें ।

श्री फखरे आलम--

मान्यवर, जो विशेषाधिकार की अवहेलना का नोटिस दिया जाय उस पर इतनी देर लगाने की क्या वजह है, समझ में नहीं आता है ।

श्री उपाध्यक्ष--

आप बुजुर्ग आदमी हैं और बिना इजाजत के बोल रहे हैं ।

श्री फखरे आलम--

फौरन उत्तर आना चाहिए ।

श्री उपाध्यक्ष--

अगर अवहेलना किसी ने किया है तो उसे नियमित करने के लिए मैं यहां बैठा हुआ हूं। आप अब अवहेलना क्यों कर रहे हैं ? आप तो विराजें ।

१९ जनवरी, १९८२ के 'भारत बन्द' के सम्बन्ध में वक्तव्य

(1 बजे अपराह्न)

*मुख्य मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राष्ट्र के कुछ मानबिन्दु हैं जिनके प्रसंग में 'आप' और 'मैं' का द्वैत नहीं रहता बल्कि 'हम' का अद्वैत अपरिहार्य होता है। कुछ राष्ट्रीय मसलों के चिन्तन में पक्ष और विपक्ष का भेद नहीं होना चाहिए बल्कि उनके समाधानों के लिए एकजुट होकर काम करने की आवश्यकता होती है । देश की सुरक्षा, राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रीय सम्पन्नता कुछ ऐसे ही प्रश्न हैं जिसमें सबसे मिलजुल कर काम करने की राष्ट्र अपेक्षा करता है ।

2--देश के सामने जो आर्थिक समस्याएं हैं उनका मुख्य हल उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने में है। इसी निमित्त प्रधान मन्त्री जी द्वारा वर्ष 1982 को 'उत्पादकता वर्ष' मनाने का आह्वान किया गया है । साथ ही नये बीस सूत्री कार्यक्रम के द्वारा सामाजिक न्याय और गरीबी निवारण का भी संकल्प लिया गया ताकि उत्पादन का लाभ जनता को मिले ।

3--इस महान कार्य में योगदान के स्थान पर कुछ संगठनों द्वारा 19 जनवरी, 1982 को 'भारत बन्द' करने का एलान किया गया। जबकि राष्ट्र को इस बात की आवश्यकता है कि रेल अधिक माल और सवारी एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाय, सड़क यातायात द्वारा बाहुल्य क्षेत्रों से कमी वाले क्षेत्रों को अधिक से अधिक सामान ले जाया जाय, कल-कारखानों में अधिक उत्पादन हो ताकि जनता को और अधिक सामान मिल सके, बिजली के कारखाने और अधिक बिजली उत्पादन करें ताकि बन्द मशीनें को चलाकर कुछ और अधिक व्यक्तियों को रोजगार दिया जा सके और नलकूपों द्वारा और अधिक क्षेत्र का सिंचन किया जा सके; विद्यार्थी अपनी आने वाली परीक्षाओं के लिए एकाग्र मन से अध्ययन कर सकें और बैंकों और बीमा निगमों और सरकारी उपक्रमों द्वारा जनता को और सुविधाएं पहुंचाई जा सकें, उस समय इन सब कामों को रोकने का एलान देश हित में है या देश के प्रति विश्वासघात है ।

4--मेहनतकश, अध्यापक, विद्यार्थी, विचारक और सामान्य नागरिक यह जानते हैं कि उनके हित में क्या है और ऐसी कौन-सी राष्ट्रीय संस्था है जो सदैव उनके हित में ही कार्यरत रहती है। यह परम सन्तोष की बात है कि हमारे श्रमिकों, इंजीनियरों, व्यापारियों, अध्यापकों, विद्यार्थियों और आम जनता ने राष्ट्र विरोधी कार्यक्रम को तिरस्कृत किया और 19 जनवरी को देश में और प्रदेश में जन-जीवन सामान्य रहा । . . . . . .

श्री खैरुल बशर--

मान्यवर, मुझे आपत्ति है, घोर आपत्ति है। इसमें से "राष्ट्र विरोधी" शब्द वापस लिया जाय। यह हम सुनने के लिए तैयार नहीं हैं ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

पहले आप मुख्य मन्त्री का अपना पूरा वक्तव्य पढ़ लेने दीजिए ।

श्री खैरुल बशर--

(व्यवधान)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री उपाध्यक्ष ---

यह जो बोल रहे हैं, यह लिखा नहीं जायगा ।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

[× × ×]

मोहन सिंह---

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है जिसे मैं प्रस्तुत करना चाहता हूं ।

(कई सदस्यों के खड़े होकर एक साथ बोलने पर)

श्री उपाध्यक्ष---

अगर इतने लोग एक साथ बोलेंगे तो म कैसे सुनूंगा ? पहले आप अपने साथियों को बैठाएं ।

श्री मोहन सिंह---

मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि जैसे ही इस वक्तव्य के अंश को आपने पढ़ने की इजाजत दी तो उसमें किसी साथी ने व्यवधान पैदा किया, वक्तव्य के अतिरिक्त माननीय मुख्य मन्त्री ने कहा कि "प्रजातन्त्र की मान्यताओं की अवहेलना करना और उनको तोड़ने की प्रक्रिया का नमूना आप देख रहे हैं" यह इस कार्यवाही का अंग नहीं बनना चाहिए। जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा इनका पूरा वक्तव्य ही लोकतन्त्र के खिलाफ है। यह बात तो बाद में आएगी परन्तु मुझे आशा है कि आप उपरोक्त शब्दों को इस कार्यवाही से काटेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष---

आप मेरी क्या व्यवस्था चाहते हैं ।

श्री मोहन सिंह---

जो माननीय मुख्य मन्त्री जी ने लिखित वक्तव्य के अतिरिक्त भाषण दिया है क्या उन शब्दों को भी बोलने की इजाजत देंगे ?

श्री उपाध्यक्ष---

उन्होंने किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लिया। यह तो जनरलाइज्ड है ।

श्री मोहन सिंह--

व्यक्ति विशेष की टोका-टाकी का सन्दर्भ उन्हीं से है ।

एक सदस्य---

जब किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लिया गया तो आक्षेप कैसे हो सकता है ?

(श्री हुकम सिंह के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष---

पहले मैंने माननीय मुख्य मन्त्री जी को अपना वक्तव्य पढ़ने की इजाजत दी है।

(घोर व्यवधान)

आप लोग कृपया पहले बैठ जायें। मैं आपकी बात सुनूंगा, पहले माननीय मुख्य मन्त्री जी को अपना भाषण समाप्त करने दें ?

नोट--[×××] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री हुकम सिंह---

मैंने एक व्यवस्था का प्रश्न उठाया है। कृपया आप इसको रख दीजिए।

मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि आज तक जो परम्परा रही है वह यह है कि लिखित वक्तव्य का प्रतिरूप यहीं पर बांटा जाता है। मुख्य मन्त्री जी का वक्तव्य इसमें अंकित है। अभी आपने व्यवस्था दी, निकाल दिया कि जो इसके अलावा बोलेंगे, वह लिखा नहीं जायेगा। तो मेरी प्रार्थना है कि जो इसके बाहर माननीय मुख्य मन्त्री जी ने कहा, उसको कार्यवाही का अंग न माना जाय ?

श्री उपाध्यक्ष---

जिस पर नेत व्यवस्था दी है वह उनके वक्तव्य के हिस्से पर नहीं है।

श्री हुकम सिंह---

इसीलिए मेरी प्रार्थना है कि उस अंश को जो वक्तव्य में नहीं है, कार्यवाही से बाहर निकाला जाय ?

श्री उपाध्यक्ष---

यह श्री खैरुल बशर के कथन से तय हो गया है। जब उनका माना, ऐक्शन कार्यवाही का अंग नहीं तो रिकॉर्ड से हटा है। वह तो इसलिए निकाल दिया गया क्योंकि वे बिना इजाजत के बोल रहे थे। माननीय मुख्य मन्त्री जी ने जो कुछ भी अपने वक्तव्य के बीच में जोड़ा वह उनका संभाषण नहीं था, वह तो केवल खैरुल बशर के ऐक्शन का रिएक्शन था।

श्री मोहन सिंह---

यह तो आपकी व्यवस्था में विरोधाभास है। जब आपने माननीय खैरुल बशर के कथन को कार्यवाही से निकाल दिया, उसको कार्यवाही का अंग नहीं मानते तो इसको भी निकालिए ?

उपाध्यक्ष---

जो मेरी इजाजत के बिना बोलेगा वह कार्यवाही का अंग बनेगा ही नहीं।

श्री हुकम सिंह---

क्या वह हिस्सा जो माननीय मुख्य मन्त्री जी ने बिना आपकी इजाजत के कहा है, कार्यवाही का अंग रहेगा ? आप उसे भी कार्यवाही से निकलवा दें।

श्री उपाध्यक्ष---

आपने मुझसे व्यवस्था चाही है। जो लिखित वक्तव्य वितरित हो गया है, उसके अलावा जो भी माननीय मुख्य मन्त्री जी ने कहा है, आपने कहा कि क्या वह कार्यवाही का अंग होगा। मैंने कहा नहीं। जो लिखित वक्तव्य है वही उनके भाषण का अंग है।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त---

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। इस वक्तव्य पर मैंने पहले यह आपत्ति उठाई थी कि इसे हमें पहले मिल जाना चाहिए था। वह जैसा मिला, मैंने उसे पढ़ लिया है। मैं एक जानकारी प्राप्त करना चाहता हूं और वह यह कि यह बधाई संदेश है या भाषण है। इस वक्तव्य में पृष्ठ 5 पर कहा गया है ---"मैं सम्पूर्ण जिला प्रशासन पुलिस संगठन, होमगार्ड एवं अन्य सरकारी कर्मचारियों को बधाई देता हूं" और उनके प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं, हमारे नियमों में बधाई देने का नियम है और उसके लिये अलग से संकल्प आना चाहिये। जो वक्तव्य शासन की ओर से दिया जाता है उसमें तो शासन की नीति की घोषणा होती है। यह वक्तव्य किस घोषणा का परिचायक है ? (व्यवधान) मैं इस पर आप की व्यवस्था चाहता हूं कि यह घोषणा संबंधी वक्तव्य है या बधाई वक्तव्य है ? और यह किस नियम के अन्तर्गत है ?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष---

इस विषय में पहले यह प्रश्न उठाया जा चुका है कि कितने समय पहले माननीय मंत्री का वक्तव्य बंट जाना चाहिये। इस विषय में पहले निर्णय हो चुका है। जब आपत्ति आपने उठाई तो मैंने रोक दिया और पहले वक्तव्य बंट जाने के आदेश दिये। अब माननीय मुख्य मंत्री जी को वक्तव्य पढ़ने दीजिये, उसके बाद लोकतंत्र में आपको यह अधिकार है कि आप अपनी बात कहें। लेकिन उनका वक्तव्य तो पहले पूरा आ जाने दीजिये।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त---

मैंने व्यवस्था का प्रश्न यह नहीं उठाया है कि यह पहले क्यों नहीं बंटा। मेरा तो व्यवस्था का प्रश्न यह है कि यह बधाई का प्रस्ताव है या घोषणा है? और किस नियम के अन्तर्गत है?

श्री उपाध्यक्ष---

न तो यह बधाई का प्रस्ताव है और न यह घोषणा है। यह केवल माननीय मुख्य मंत्री का एक वक्तव्य है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त---

मान्यवर, उसके लिये नियम हैं। वक्तव्य सामान्य तौर पर किसी घोषणा या नीति-घोषणा के संबंध में होता है। यह किस नियम के अन्तर्गत और कहां के लिये है? मान्यवर, वक्तव्य किसी अपनी पार्टी का किस्सा सुनाने के लिए तो नहीं दी जाती। वक्तव्य होगा हमारे संविधान और नियमावली के अन्तर्गत। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि यह किस नियम के अन्तर्गत है?

श्री उपाध्यक्ष---

जब कभी किसी प्रशासनिक मामले पर कोई प्रशासनिक निर्णय होना हो और उस पर वक्तव्य आये, तब तो यह घोषणा है और मैंने अभी बताया कि आपके नियमों में यह दिया हुआ है कि अगर किसी को धन्यवाद देना हो, तो उसके लिए धन्यवाद का प्रस्ताव आना चाहिये। यह तो एक साधारण वक्तव्य है जो वह कल की घटनाओं के संबंध में दे रहे हैं।

श्री मुईद अहमद---

मान्यवर, कल बन्द विफल हो गया, इसलिए खीस निकाल रहे हैं।

*श्री रियासत हुसैन---

मान्यवर, मुझे एक मिनट का समय दे दें।

श्री उपाध्यक्ष---

भाषण के बाद आप कहिएगा।

श्री रियासत हुसैन---

मान्यवर, जो भाषण माननीय मुख्य मंत्री जी पढ़ रहे हैं, उनको पढ़ने का अधिकार है, लेकिन लास्ट पैरा में मैं आपको याद दिला दूं कि उसमें लिखा है---"मैं मान्यवर, आपके माध्यम से . . ." इस वाक्य से जाहिर होता है कि वह सबको यह पढ़ रहे हैं। अपनी बधाई दे रहे हैं, हमारे माध्यम से, आपके माध्यम से, माननीय सदन के माध्यम से। तो मैं इस तरफ आपका ध्यान आकर्षित करूंगा कि या तो इस वक्तव्य के लिए ऊपर डिस्कशन का टाइम दिया जाय और अगर डिस्कशन के लिए टाइम नहीं मिलता तो यह एक तरफा वोट आफ थैंक्स जो कर रहे हैं, उससे तो यह समझा जायेगा कि सारे सदन ने इसको दिया है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष--

आपके कहने से बात साफ हो गयी। आपके पहले गुप्त जी ने भी कह दिया था कि जो माननीय मुख्य मंत्री जी अपना भाषण वितरित कर चुके हैं, उसके किसी अंश को वह बदल नहीं सकते, क्योंकि वह लिखित भाषण है। लेकिन जहां आपने एक दूसरा मुद्दा उठाया कि उस पर बहस करने का अधिकार आपको दिया जाय, तो जब वक्तव्य समाप्त हो जाय, उसके बाद वह प्रश्न उठता है। आपके प्रश्न में दम है, लेकिन आप समय से थोड़ा पहले।

श्री हुकम सिंह--

मान्यवर, नियम 110 सुन लें। मान्यवर, मैं आपका ध्यान नियमावली के नियम 110 की ओर दिलाना चाहता हूं। निम्नलिखित प्रस्ताव, यदि अध्यक्ष अनुज्ञा दें, बिना सूचना के किये जा सकेंगे :--

(1) सम्वेदना या बधाई का प्रस्ताव,

(2) उपवेशन स्थगित करने का प्रस्ताव,

(3) अजनबियों को हटाने का प्रस्ताव,

(4) समितियों के लिये सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव,

(5) किसी विधेयक या संकल्प या प्रस्ताव या उस पर संशोधन को वापस लेने का प्रस्ताव,

(6) किसी कार्य को स्थगित करने का प्रस्ताव,

(7) वाद विवाद को समाप्त करने का प्रस्ताव,

(8) किसी नियम के निलम्बन का प्रस्ताव,

(9) किसी उपवेशन की कालावधि बढ़ाने का प्रस्ताव,

(10) राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव।

मान्यवर, इन 10 प्रस्तावों के अलावा यदि और कोई बात आती है, तो उसके लिए विधिवत् नोटिस देने की आवश्यकता है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय सदस्य, कृपया शान्त रहें। आपने जो अभी पढ़ा यह सदन की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली का नियम 110 है। अगर इनमें जितनी चीजों का आपने जिक्र किया है, यह चीजें घटती हैं और सदन के द्वारा विचार हो तो इस प्रक्रिया नियमावली के उस नियम से वह संचालित होगी लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि वह किसी वक्तव्य के लिये निर्धारित प्रक्रिया है। वक्तव्य को आप उसमें बाधित नहीं कर सकते हैं। मुख्य मंत्री या नेता सदन अथवा चाहे कोई साधारण सदस्य हो, अगर वह उसका अपना वक्तव्य है तो उसके विचार को मार्गदर्शन देने के लिये हमारी प्रक्रिया नियमावली नहीं है। वह अपने विचार में उसे रखेंगे और हमारी प्रक्रिया नियमावली उसको बाधित नहीं करती हैं।

श्री मोहन सिंह--

जिस पुलिस ने हत्या किया है, पत्रकारों को मारा है, उसको यह बधाई दे रहे हैं, मैं .....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

आप बैठ जायं।

श्री खैरूल बशर--

क्या पढ़ा, क्या नहीं पढ़ा इसका सवाल नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष--

श्री खैरूल बशर, आप बैठ जायं।

डाक्टर बृज किशोर मिश्र--

जो अधिकारियों ने अच्छा काम किया है उससे इनको परेशानी हो रही है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

आपने व्यवस्था का प्रश्न उठाया और उस व्यवस्था के प्रश्न पर हमने व्यवस्था दे दिया फिर सवाल यह है.....

एक सदस्य--

पहले मुख्य मंत्री का वक्तव्य सुने उसके बाद कोई प्रश्न उठता है।

श्री उपाध्यक्ष--

संसदीय कार्य मंत्री, आप अपने दल को संयत करें। माननीय मुख्य मंत्री आप अपना वक्तव्य समाप्त करें। जो रियासत हुसैन साहब ने बात कही थी वह रिजनेबिल बात थी वह मैंने स्वीकार किया। आप भाषण दें उसके बाद माननीय रियासत हुसैन ने जो मुद्दा उठाया है .....

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

आपने कहा कि अपना भाषण समाप्त करें आप नियम 315 और नियम 63 देखने की कृपा करें। सदन का प्रत्येक कार्य इस नियमावली और संविधान के तहत होता है।

श्री उपाध्यक्ष--

आप गुप्त जी विद्वान सदस्य हैं। जो विषय आपने उठाया है कि सदन का कार्य नियमावली के तहत होता है, मगर किसी वक्तव्य को यह नियमावली गाइड नहीं करती है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

भाषण भी नियमावली के तहत होगा।

श्री उपाध्यक्ष--

मैं निर्णय दे चुका हूं मुख्य मंत्री जी आप अपना वक्तव्य पूरा करें।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

दरअसल श्रमिकों और सामान्य नागरिकों में इतना उत्साह था कि आम दिनों की तुलना में और अधिक परिश्रम और लगन से उन्होंने 19 जनवरी को काम किया। ऐसी भी मिसालें सामने आईं जहां आम तौर पर मंगलवार का दिन साप्ताहिक बन्दी होने का दिन रहता है वहां उन्होंने दुकानें खोलीं। मलियाना चीनी मिल, जिला मेरठ के श्रमिकों ने 19 जनवरी को "उत्पादकता दिवस" के तौर पर मनाया। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् ने 18 जनवरी को एक नया कीर्तिमान स्थापित किया जबकि तापीय विद्युत् गृहों का उत्पादन 15.45 मेगावट या 31-15 मिलियन यूनिट रहा। अगर हाइडिल का उत्पादन 6-71 मिलियन यूनिट को भी जोड़ दिया जाये तो 18 जनवरी को कुल उत्पादन 37-86 मिलियन यूनिट था? यह "भारतबन्द" की पूर्व संध्या की चुनौती का दिन था और उसी दिन शासन से ग्रामीण क्षेत्रों को अबाध रूप से बिजली दी गई। 19 तारीख को सुबह को शहरों को भी सामान्य कटौती समाप्त कर दी गई। "भारत बन्द"

[श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह]
के दिन तापीय विद्युत का उत्पादन 1641 मेगावाट रहा जो अब तक का सबसे उच्च कीर्तिमान है। यूनिटों में तापीय विद्युत का उत्पादन 32-87 मिलियन और जल विद्युत का 7-4 मिलियन रहा। कुल मिलाकर उत्पादन 40-27 मिलियन रहा जो अब तक की सबसे श्रेष्ठ उपलब्धि है।

लखनऊ, मिर्जापुर, झांसी, गोरखपुर, इलाहाबाद, कानपुर, बरेली, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बाराबंकी, सहारनपुर, देहरादून, मुरादाबाद, बुलन्दशहर, गाजियाबाद, आगरा, मथुरा, एटा, अलीगढ़, इत्यादि जिलों की औद्योगिक इकाइयां एकाध इकाइयों को छोड़कर सामान्य रूप से चलती रहीं, लगभग सभी बाजारों में आम दिनों जैसा कार्य हुआ। रेल, सड़क, परिवहन, जलकल एवं अन्य सुविधायें अबाध गति से कार्य करती रहीं।

(मेजों की थपथपाहट)

श्रीमती इन्दिरा गांधी के नेतृत्व में केन्द्र और प्रदेश की सरकारें जनता की आकांक्षाओं और श्रमिकों की अपेक्षाओं और समस्याओं को बहुत अच्छी तरह समझती है।

(श्री धरमपाल, श्री कुबेर भंडारी तथा श्री खैरूल बशर ने मुख्य मंत्री के वक्तव्य को फाड़ा तथा कुछ कहते हुये सदन छोड़कर बाहर चले गये।)

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह---

हम गरीबों, मेहनतकशों और निर्बल वर्गों के पक्षधर हैं। इनकी आर्थिक स्थिति को सुधारने का हमने प्रण किया है और हम इन संकल्पों को पूरा करने के लिये समर्पित हैं। श्रमिकों को हम पर विश्वास है और उन्होंने तथाकथित श्रमिक संगठनों के मुखौटों को हटाकर पर्दाफाश कर दिया है। 19 जनवरी का "भारत बन्द" श्रमिकों के हितों में नहीं था बल्कि वह एक राजनीतिक चाल थी और राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित था, प्रदेश सरकार ने श्रमिकों के हित में अनेक योजनायें लागू की और निर्णय लिये। श्रमिकों को प्रबन्ध मंडल में प्रतिनिधित्व देने का निर्णय लिया गया। अनेकों औद्योगिक विवादों में श्रमिकों के हितों की रक्षा की गई। लगभग 18 महीने की अवधि में 29 अनुसूचित नियोजनों में न्यूनतम वेतनदरों का निर्धारण या पुनरीक्षण करके श्रमिकों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने का प्रयास किया गया। सफाई मजदूरों के लिये 13 सूत्रीय कार्यक्रम निर्धारित करके उन्हें वे सुविधायें उपलब्ध कराई गई जो अन्यत्र उपलब्ध नहीं है। जंगलों की कठिन परिस्थितियों में काम करने वाले मजदूरों के कल्याण का विस्तृत कार्यक्रम बनाकर कार्यान्वित किया गया। बाजार के कर्मचारियों के लिये त्रिदलीय सम्मेलन बुलाकर 6 सूत्रीय कार्यक्रम चलाया गया। इंजीनियरिंग उद्योग के श्रमिकों को परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता सितम्बर, 1980 में पहली बार दिलाया गया। यह कभी न रुकने वाला क्रम है।

(मेजों की थपथपाहट)

किसानों, गरीबों और मेहनतकशों से हमारा अटूट सम्बन्ध है, तादात्म्य है। 19 जनवरी को उन्होंने फिर इस बात को साबित कर दिया है कि वह राष्ट्र नेता, श्रीमती इन्दिरा गांधी के साथ हैं।

8---19 जनवरी के बन्द को विफल करने में जो योगदान हमारे श्रमिकों, व्यापारियों, अध्यापकों, विद्यार्थियों और जन-साधारण ने दिया है उन सबके प्रति सरकार अनुग्रहीत है और अपना आभार प्रकट करती है। रेलवे कर्मचारियों एवं अन्य सरकारी प्रतिष्ठानों और निगमों के अधिकारियों और कर्मचारियों का भी मैं अनुग्रहीत हूं जिन्होंने कर्त्तव्य परायणता का सराहनीय आदर्श रखा है।

(श्री यदुनाथ सिंह ने सदन के फ्लोर पर पैसे फेंके)

विद्युत् उत्पादन के नये कीर्तिमान स्थापित करने में जो योगदान हमारे राज्य विद्युत् परिषद् के विभिन्न श्रेणी के इंजीनियरों और कर्मचारियों और बोर्ड के सदस्यों ने किया है वह प्रशंसनीय है और हम उनका अभिवादन करते हैं। जिला प्रशासन एवं पुलिस पर एक बहुत बड़ा उत्तरदायित्व था। उन्होंने एक बार फिर अपनी उच्च कर्त्तव्यनिष्ठा का परिचय दिया है। इसमें हमारे होमगार्ड के बहादुर जवान भी शामिल रहे हैं। मैं सम्पूर्ण जिला प्रशासन, पुलिस संगठन, होमगार्ड एवं अन्य सरकारी कर्मचारियों को बधाई देता हूं और उनके प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं।

अन्त में मैं अपील करना चाहूंगा कि कुछ राष्ट्रीय मुद्दे ऐसे हैं जहां दलगत दृष्टिकोण से ऊपर उठकर कन्धे से कन्धा मिलाकर काम करने की आवश्यकता है। 1982 के "उत्पादकता वर्ष" में मान्यवर, आपके माध्यम से मैं सरकार की ओर से अपने विपक्ष के साथियों से भी अपील करता हूं कि वे खेतों, कल-कारखानों, कार्यालयों एवं उत्पादन और जनसेवा के अन्य बिन्दुओं पर अपना बहुमूल्य सहयोग प्रदान करें ताकि हमारी मातृभूमि धन-धान्य से परिपूर्ण हो।

श्री मोहन सिंह—

मान्यवर, इसी के सन्दर्भ में हम लोगों ने एक कामरेड प्रस्ताव दिया है जो इसके आगे आयेगा। मान्यवर, जहां तक कल बंद का सवाल है तो कल पुलिस का और मुख्य मंत्री का केवल मुंह खुला था बाकी पूरा उत्तर प्रदेश बन्द था। और आज मुख्य मंत्री ने जो बधाई दिया है उसमें मैं कहना चाहता हूं कि कानपुर की पुलिस ने कल जो फोटो खींच रहे थे उन पर, पत्रकारों पर और प्रदर्शनकारियों पर बरबरतापूर्वक लाठी चार्ज किया और उनकी पिटाई की गयी और यहां तक कि नगर कोतवाल ने उनको पीटा। कानपुर नगर में एक रिक्शा तक नहीं चला।

(व्यवधान) -

गृह मंत्री (श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी)—

हमारी पुलिस जिस प्रकार से डाकुओं का सफाया कर रही है, उससे यह लोग चिन्तित और क्षुब्ध हैं।

(व्यवधान)

श्री श्याम लाल वाजपेयी—

[* * *]

(व्यवधान)

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जो हमारी पुलिस अफीम और गांजा पकड़ रही है उससे यह लोग चिन्तित हैं।

श्री खैरूल बशर—

जो मंत्री अपना मानसिक संतुलन खो दे उसको बोलने का अधिकार नहीं होना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष—

आप लोग एक साथ न बोलें।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

मैंने तो केवल खेद प्रकट किया है।

(व्यवधान)

नोट : [* * *] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री उपाध्यक्ष--

यदि सब लोग एक साथ बोलेंगे तो किसी का कुछ अर्थ नहीं निकलेगा। श्री मोहन सिंह बोल रहे थे लेकिन फिर कुछ इधर और उधर दोनों तरफ से बोलने लगे जिसका मतलब नहीं समझ में आयेगा।

सदन को चलाने की सामान्य प्रक्रिया है कि जो माननीय सदस्य बोल रहे हों उनको बोलने दिया जाय।

श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, यहां तक कि मुजफ्फरनगर में जो मंत्री जी विद्याभूषण थे, उनकी फैक्टरी में काम बंद था। जिले जिले में सम्पूर्ण मंत्रि मंडल के मंत्रियों की नियुक्ति कर दी गयी थी जिले जिले में बंद को विफल करने और आन्दोलनकारियों को दबाने के लिये कार्यवाही करें। थोड़ी देर पहले माननीय सदस्यों की गिरफ्तारी के संबंध में जो सूचना पढ़ा उसको आप देखें कि जितने माननीय सदस्यों की गिरफ्तारी हुई है.....

श्री उपाध्यक्ष--

आप क्या वक्तव्य दे रहे हैं।

श्री मोहन सिंह--

वक्तव्य नहीं दे रहा हूं बल्कि अभी भाषण में, जो जनता के साथ बरबरतापूर्वक व्यवहार करने वालों को, जो बधाई दिया है उसके संबंध में बता रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष--

वह चीज तो आपके हाथ में है, सत्य को उजागर करें, लेकिन जब समय आयेगा तब।

(व्यवधान)

श्री मुईद अहमद---

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

(व्यवधान)

(कई सदस्य एक साथ बोलने लगे)

(व्यवधान)

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है, सुन लीजिये।

श्री मोहन सिंह--

यह वक्तव्य सत्य से परे है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय सदस्यगण, आपके बोलने का अभिप्राय यही है कि जो आप बोल रहे हैं वह रिपोर्ट हो और वह दर्ज हो। लेकिन अगर इतने लोग एक साथ बोलेंगे तो क्या यह गणेश जी बैठे हैं, जो वेदव्यास बांचते चले जायेंगे और वह लिखते चले जायेंगे। इतने लोग बोलेंगे तो कोई रिपोर्टर कुछ नहीं लिख सकेगा और आपका बोलना बेकार चला जायगा। एक साथ इतने लोग बोलें, यह बात समझ में नहीं आती।

श्री मुईद अहमद---

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष---

मोहन सिंह जी, आप बैठ जायं।

श्री मुईद अहमद--

मान्यवर, अभी जो चर्चा चल रही थी 'भारत बंद' के संबंध में हम लोगों ने जो अखबारों में पढ़ा और जिसे मैं अपनी आंखों से देखा उससे परे निरर्थक किस्म का प्रश्न मोहन सिंह कर रहे हैं। तो क्या यह अनुचित है या उचित है। जो अखबार कह रहे हैं, जो जनता कह रही है, जो हमने देखा, जनजीवन सामान्य था उससे परे कोई बात कहना नियमों के अनुकूल है या प्रतिकूल है ?

श्री उपाध्यक्ष--

मैं माननीय सदस्य से जानना चाहता हूं कि क्या आप एक दूसरे की आंख से देख रहे थे ? वह अपनी आंख से देख रहे थे, जो वह देख रहे थे वह कह रहे हैं।

श्री मोहन सिंह--

यह इंदिरा मइया की आंख से देख रहे थे, हम अपनी आंख से देख रहे हैं।

श्री श्याम लाल वाजपेयी--

नजर के लिये सुरमा सप्लाई कर दीजिये, सुरमा।

(शोर)

श्री उपाध्यक्ष--

मैं आपकी बात शोर नहीं सुन सका।

श्री श्याम लाल वाजपेयी--

एक नजर इधर से आवे, एक नजर उधर से आवे सुरमा इधर से लीजिये।

श्री मोहन सिंह--

19 जनवरी का 'भारत बंद' श्रमिकों के हितों में नहीं था बल्कि यह राजनीतिक चाल थी और राजनीतिक उद्देश्य से प्रेरित था। मान्यवर, केवल यही पक्ष प्रदेश के सामने रखेंगे तो अनर्थ हो जायेगा प्रदेश के जन जीवन के साथ। आज कोई समाचार पत्र प्रकाशित नहीं हुआ है केवल सरकारी बुलेटिन "नवजीवन" नेशनल हेराल्ड के अलावा। जो जनता का पक्ष है, जो मजदूर का पक्ष है, जो आम लोगों का पक्ष है, जो वर्किंग जर्नलिस्ट का पक्ष है वह नहीं आया है। तो अगर आप इस पर चर्चा नहीं करायेंगे तो सारे तथ्य उजागर नहीं होंगे।

एक सदस्य--

व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष--

मोहन सिंह, आप विराजें। मैं समझता हूं कि आपने जितनी बातें कहीं यह सब बातें अगर सुव्यवस्थित तरीके से रखी जायं तो रखने के लायक हैं। इसके लिये रास्ता माननीय रियासत साहब ने निकाला है। जब वह प्रश्न आये तो इन बातों को रखियेगा। अभी मैं समझता हूं कि एजेंडे को चलने दिया जाय। रियासत साहब ने बहुत बड़ी अकलमंदी का रास्ता निकाला है, वह रास्ता ठीक है। आप जिन चीजों को कहना चाहेंगे उसका अवसर मिलेगा। यह आपके हित में होगा कि आगे का आइटम लें।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

एक स्पष्टीकरण है सुन लें।

श्री उपाध्यक्ष --

आप विराजें।

श्री हरीकिशन श्रीवास्तव--

एक बात सुन ले ।

श्री उपाध्यक्ष--

अगर इसी से संबंधित है तो नहीं सुनूंगा ।

(शोर)

श्री उपाध्यक्ष--

(श्री हरी किशन श्रीवास्तव को सम्बोधित करते हुए) क्या आप रियासत साहब ने जो बात कही है, उससे इत्तिफाक नहीं करते ?

श्री हरी किशन श्रीवास्तव--

उससे हम लोग बिल्कुल सहमत हैं और हमारी बात भी इसी विषय से संबंधित है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो अपना वक्तव्य दिया है, वह एक तरफा है, इसलिए हम लोगों के पक्ष को भी सुन लीजिए तो बात स्पष्ट हो जायेगी।

(शोर)

श्री उपाध्यक्ष--

जहां तक मैं समझता हूं कि रियासत साहब ने जो बात कही है वह बहुत ही मुनासिब है और उसमें आप सब लोगों की भावनाएं छिपी हुयी हैं।

कार्यस्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष--

'भारत बन्द' के विषय में कार्यस्थगन प्रस्ताव है। इसमें 7 सूचनाएं प्राप्त हुयी थीं। इस पर चर्चा की गयी और उससे पहले माननीय मुख्य मंत्री जी का वक्तव्य आने वाला था इसलिए इन कार्यस्थगन प्रस्तावों को अस्वीकृत कर दिया गया। इसमें से पहली सूचना सर्वश्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, रियासत हुसैन, मोहन सिंह, राम आसरे वर्मा, कुंवर सिंह नेगी, भीखा लाल, शिवानन्द नौटियाल, हरी किशन श्रीवास्तव, हर गोविन्द वर्मा तथा श्री थम्मन सिंह और दूसरे में हैं सर्वश्री राजेन्द्र अग्निहोत्री, कुबेर भंडारी, सूबेदार सिंह, राम गोविन्द चौधरी, गौरी शंकर भैथ्या, अकबर हुसैन, यदुनाथ सिंह, हरिवंश सहाय तथा श्री नन्द किशोर इतने लोगों के कार्य स्थगन प्रस्ताव प्राप्त हुए थे जो सभी अस्वीकार किये गये।

(शोर)

'भारत बन्द' के सम्बन्ध में मुख्य मन्त्री द्वारा दिए गये वक्तव्य पर चर्चा की मांग

श्री रियासत हुसैन--

मान्यवर, कल 19-1-82 को श्रमिकों की ट्रेड यूनियन्स ने जो औद्योगिक अधिष्ठानों और इन्स्टीट्यूशन्स बन्द कर देने के लिए एक काल दिया था, लेकिन यहां सबसे बड़ी बदकिस्मती यह है कि यहां की प्रधान मंत्री महोदया ने उसे 'भारत बंद' का नाम दे दिया और साथ ही यह भी बड़े खेद की बात है कि जो 23 नवम्बर को बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ था, उसमें केवल यही निर्णय लिया गया था कि जितने भी इस देश की इण्डस्ट्रियल ट्रेड यूनियन्स हैं और इंस्टीट्यूशन्स हैं फलां तारीख को अपने-अपने काम को बंद करेंगे। लेकिन यहां इसको राजनीतिक षडयंत्र का नाम दे दिया गया, जबकि इसमें किसी भी राजनीतिक दल का पार्टिसिपेशन था ही नहीं और इस बंद का आह्वान इसलिए किया गया था कि इस देश के मजदूरों ....

(व्यवधान)

इस देश के मजदूरों को और इनकी ट्रेड यूनियन्स को कांस्टीट्यूशन की धारा 19 के अन्तर्गत जो अधिकार दिये गये हैं, उस हक को सही तौर पाने के लिए किया गया था। मगर माननीय मुख्य मंत्री जी ने आज जो वक्तव्य दिया। जिसमें इन्होंने दो चीजें मुख्य रूप में कही हैं, उस पर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ और मैंने यह निष्कर्ष निकाला कि शायद मुख्य

मंत्री जी यह समझ रहे हैं कि विरोध पक्ष यह नहीं चाहता कि इनका उत्पादन बढ़े, इनका ला एण्ड आर्डर सही तौर पर चले गर्ज यह कि कोई भी इस देश और प्रदेश में अच्छा कार्य ही न हो, ऐसा ही निष्कर्ष आपके वक्तव्य से निकलता है और मुझे साथ ही इस पर भी बड़ा दुख हुआ कि अपने वक्तव्य के पृष्ठ 5 पर माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो यह कहा कि---

"अपने विपक्ष के सम्मानित साथियों से भी अपील करता हूं. . . ."अगर वे यह कहते कि पूरी जनता से अपील करता हूं, तो ठीक था, लेकिन इसमें जो उन्होंने "भी" का शब्द जोड़ दिया उससे ऐसा लगता है जैसे इस प्रदेश के शुभचिन्तक यही हैं।

मैं आपसे सिर्फ यह निवेदन करता हूं कि इस स्टेटमेंट को लेकर और हमारे विरोध पक्ष के एडजर्नमेंट मोशन्स भी हैं, उनको लेकर एक दिन इस बात पर चर्चा हो जाय। 19 तारीख को जो ट्रेड यूनियन्स ने अपना यूनाइटेड ऐक्शन दिखाया, आपने देखा कि कल तमाम मशीनरी मिनिस्टर्स वगैरह भी लगा दिये गये थे कि जिलों जिलों में जायं, हाउस में कोरम भी पूरा नहीं था। इनके पास तो सारी सूचनायें आ गयीं, लेकिन हम लोग तो लखनऊ में बैठे हुए थे। इस मुद्दे पर एक दिन तय हो जाय तब सारी चीजें सामने आयेंगी।

श्री भीखालाल---

मान्यवर, जो बात अभी रियासत हुसैन साहब ने कही, वही बात स्पष्टीकरण के तौर पर मैं भी कहना चाहता हूं। माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपने वक्तव्य के प्रथम पृष्ठ के पैरा 3 में कहा है---

"इस महान कार्य में योगदान के स्थान पर कुछ संगठनों द्वारा 19 जनवरी, 1982 को 'भारत बन्द' करने का एलान किया गया।" तो मेरी जहां तक जानकारी है देश के श्रमिक संगठनों ने दिल्ली में प्रदर्शन किया और वहीं पर उन्होंने एलान किया कि 19 जनवरी, 1982 को एक संगठित हड़ताल की जायगी, उन्होंने "भारत बन्द" का नारा नहीं दिया। यह प्रधानमन्त्री ने उसे "भारत बन्द" कहा, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या प्रधान मंत्री का "भारत बन्द" का नारा फेल हो गया है। जहां तक प्रदेश में शान्ति...

श्री उपाध्यक्ष---

माननीय रियासत हुसैन ने चर्चा के लिये बात कही और उन्होंने समय भी बताया कि इतने समय पर चर्चा हो, तो क्या आप चर्चा अभी चाहते हैं?

श्री भीखा लाल---

नहीं मान्यवर, मैं चर्चा अभी नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि इस पर एक दिन चर्चा के लिये रख लिया जाय। दसियों स्थानों पर लाठीचार्ज हुआ लोगों को मारा गया श्रमजीवी मारे गये पत्रकार मारे गये हैं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त---

मान्यवर, जो तथ्य हैं और जो सत्य से परे वक्तव्य माननीय मुख्य मंत्री जी ने दिया है, उस पर जब चर्चा होगी तब कहूंगा, अभी तो . . . . .

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी---

यह नहीं मारे गये हैं, डाकू मारे गये हैं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त---

मान्यवर, यह गृह मन्त्री जी की आवाज थी, आप बाद में पहचान लीजियेगा।

श्री उपाध्यक्ष---

मैं गृह मन्त्री जी से ज्यादा आपको वजन देता हूं, आप ही बतावें।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त---

मान्यवर, इस समय मैं अपने कार्य स्थगन प्रस्ताव पर बल देने के लिये खड़ा हुआ हूं। 18-19 तारीख की रात को सम्पूर्ण प्रदेश में. . . .

श्री उपाध्यक्ष---

कृपया यह बता दें कि क्या आप श्री रियासत हुसैन साहब द्वारा मांगी गयी चर्चा की मांग के बारे में कुछ कह रहे हैं ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त---

मैं श्री रियासत हुसैन साहब ने जिस चर्चा की मांग की है, उससे सहमत हूं। उसके लिये जो समय आप निर्धारित करेंगे उस समय मैं अपना मत व्यक्त करूंगा। इस समय जो कार्य स्थगन का प्रस्ताव माननीय सदस्यों ने दिया है मान्यवर, उनकी ग्राह्यता के बारे में मैं दो शब्द कहना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष---

जो आइटम इस समय चल रहा है आप उस आइटम पर ही बोलें उससे विषयान्तर में न जायें।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त---

18 और 19 की रात में जिस तरह ट्रेड यूनियन के कार्यकर्ताओं को पकड़ा गया, वह नियम के प्रतिकूल है।

डाक्टर विनोद कुमार तिवारी---

मान्यवर, कार्यस्थगन प्रस्ताव आया था। मान्यवर, आपने उसे अस्वीकृत कर दिया। क्या उसके बाद भी इस पर विचार हो सकता है ?

श्री उपाध्यक्ष---

ऐसा है, आपको याद होगा इस पर पहले भी विचार हो चुका है कि अगर कार्यस्थगन का प्रस्ताव अस्वीकृत कर दिया जाय तो उस पर पुनः विचार करने के लिये माननीय सदस्य कह सकते हैं, लेकिन चर्चा का विषय नहीं हो सकता।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त---

जिस तरह से दमन की दुधारा प्रदेश में चलायी गयी है उससे साफ हो जाता है कि देश में इमरजेन्सी लाने का प्रयास किया जा रहा है। विनाशकाले विपरीत बुद्धि---

श्री उपाध्यक्ष---

जब चर्चा का समय आयेगा तब आप कह लीजियेगा।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त---

वाराणसी में जो लोग तथा छात्रगण शान्ति के तरीके से कार्य कर रहे थे, उनकी निर्मम हत्या की गयी . . . .।

श्री सुरेन्द्र कपिल---

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष---

अगर आप चाहते हैं कि चर्चा आज ही करा दी जाय तो फिर वही बतावें।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त---

मैं उस पर आ रहा हूं कि परिस्थिति कितनी गम्भीर है। वहां सामान्य लोगों को सुनने के लिये जो पत्रकार आये हुए थे उनके ऊपर लाठी चार्ज किया गया, गोली की वर्षा हुई---

श्री उपाध्यक्ष---

माननीय गुप्त, जब इस पर चर्चा शुरू होगी तब आप कह लीजियेगा।

श्री हरी किशन श्रीवास्तव---

मान्यवर, हम लोगों ने जो कार्यस्थगन प्रस्ताव दिया है उस कार्यस्थगन प्रस्ताव में हम लोगों ने आपको सूचना दी है कि कानपुर प्रदेश बन्द रहा। सरकार की ओर से दमन करने के लिये लाठी और गोली चलाई गयी। कानपुर में मुझे सूचना प्राप्त हुई है कि

18 तारीख की रात को काम करने वाले मजदूरों को रोक लिया गया और उन्हीं को रोक कर 19 तारीख के लिये उपस्थित दिखा दिया गया। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि माननीय मुख्य मंत्री ने जो वक्तव्य दिया, वह तथ्यों से परे है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि चूंकि मुख्य मंत्री के वक्तव्य से सदन गुमराह हुआ है इसलिये सही तथ्यों को जानने के लिये आप उस पर चर्चा कराने की कृपा करें।

श्री मोहन सिंह---

मान्यवर, अभी मैं अपनी बात कह चुका हूं। इस "भारत बन्द" को हम लोगों ने राजनैतिक रूप नहीं दिया। यदि किसी ने इसे राजनैतिक रूप दिया तो वह केवल कांग्रेस (आई) ने दिया। इन्होंने उसको राजनीतिक स्तर पर पार्टी के लोगों को जगह-जगह भेज कर और जो शासकीय आदेश होते हैं वह माननीय मुख्य मंत्री के जरिये नहीं बल्कि जो इनके सूबाई अध्यक्ष हैं, उनके जरिये होते हैं। सारा प्रदेश बन्द था लेकिन मुख्य मंत्री जी का सुंह और टकरू साहब का शस्त्रागार खुला था।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह---

ये भी बन्द नहीं थे, मान्यवर।

श्री उपाध्यक्ष---

क्या आप चर्चा का समय आज और अभी मांग रहे हैं?

श्री मोहन सिंह--

आज और इसी समय अगर आप चर्चा नहीं करायेंगे तो जो सरकारी बयान है, असत्य और थोथा, वही जनता के सामने जायेगा....

श्री उपाध्यक्ष ---

अगर आप की मंशा आज कराने की है तो मैं उस पर विचार करूं वरना जैसा रियासत साहब ने कहा है उसी पर विचार करूं। जैसा आप कहते हैं उसमें रियासत साहब का पूर्वार्ध और आपका उत्तरार्ध ही पूरा होता है। और अगर आप उनसे सहमत हैं तो निश्चित रूप से आपको समय तय करना होगा।

श्री राजेन्द्र सिंह---

मान्यवर, दोनों माननीय सदस्यों की बात रह सकती है। रियासत साहब का पूर्वार्ध ले लें और मोहन सिंह का उत्तरार्ध ले लें।

श्री उपाध्यक्ष---

यानी आप चाहते हैं कुछ घण्टों की चर्चा करा लें। मैंने, नेता विरोधी दल, आपकी बात मान ली।

(विरोध पक्ष से कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर)

चूंकि नेता विरोधी दल ने अपनी राय व्यक्त कर दी है इसलिए विरोध पक्ष से अब किसी को कुछ भी बोलने का हक नहीं है। रियासत साहब का पूर्वार्ध और मोहन सिंह जी का उत्तरार्ध ले लें, यह बात नेता, विरोधी दल ने कही है इसलिये केवल पूर्वार्ध जो है आपका, शामिल नहीं किया जा सकता क्योंकि जो समय गुजर गया वह गुजर गया, वह तो आता नहीं।

श्री राम गोविन्द---

मेरा दूसरा कार्य स्थगन प्रस्ताव था, उस पर हमें भी सुन लें, मान्यवर।

श्री अम्मार रिजवी---

माननीय मुख्य मंत्री जी ने एक वक्तव्य दिया, उस पर जो भी प्रश्न आ गये, वह आ गये। इस समय महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा चल रही है, जो भी वस्तुस्थिति है, वह उन्होंने कह सुनाये हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि चर्चा स्वीकार करने का कोई औचित्य नहीं है।

श्री रियासत हुसैन--

माननीय संसदीय कार्य मन्त्री ने जो कहा उससे यह स्पष्ट नहीं हुआ कि क्या इस समय के ऊपर ऐतराज है या बाद में भी चर्चा के ऊपर ऐतराज है उनको।

श्री उपाध्यक्ष--

उनके एतराज करने या न करने से क्या होता है। मुझे यह बात तय करनी है कि मैं चर्चा कराऊं या न कराऊं। नेता विरोधी दल ने एक सुझाव मुझको दिया कि रियासत हुसैन का पूर्वार्द्ध ले लिया जाय और मोहन सिंह का उत्तरार्द्ध ले लिया जाय। मैं इस पर विचार करूंगा। एक बात माननीय डाक्टर अम्मार रिजवी साहब ने भी कही, उस पर भी विचार करूंगा। यह तीनों बातें विचाराधीन हैं। नेता सदन यदि कुछ कहना चाहें तो कहें।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

माननीय उपाध्यक्ष, रियासत हुसैन साहब जी का पूर्वार्द्ध और मोहन सिंह जी के उत्तरार्द्ध को जोड़ देने के बाद क्या शकल बनेगी, यह तो आप ही निश्चित कर सकते हैं लेकिन . . .

(व्यवधान)

श्री मोहन सिंह--

वही शक्ल बनेगी जो स्वरूप कुमारी बख्शी की है।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

मान्यवर, सदन का जो समय है उसका सही ढंग से सदुपयोग हो और जब महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा हो रही है तो उस चर्चा में जो कुछ भी बिन्दु लाना चाहें, लायें, इसके लिए अलग से समय की आवश्यकता नहीं है उसीमें इसका उपयोग करके अपना मत प्रकट कर दें और उसी अवसर का उपयोग किया जाय।

(व्यवधान)

श्री खैरुल बशर--

फिर मुख्य मन्त्री ने यह वक्तव्य देने की [* *] क्यों कि ?

श्री उपाध्यक्ष--

श्री बशर जी, आप कृपया असंसदीय भाषा का प्रयोग न करें।

(व्यवधान)

आप यहां असंसदीय भाषा का प्रयोग न करें। आपने अभी जो असंसदीय बात कही है, यह कार्यवाही का अंग नहीं होगा।

श्री रियासत हुसैन--

संसदीय कार्य मन्त्री ने जो बात कही वही मुख्य मन्त्री ने भी कही है और गवर्नर के एड्रेस के ऊपर जो डिस्कशन होगा उसमें सब कुछ कहा जा सकता है। उसमें हर तरह की चर्चा कर सकते हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि यह तो उससे बिल्कुल अलग चीज है। जो माननीय मुख्य मन्त्री जी का स्टेटमेन्ट आया है, उस पर माननीय सदन को सोचना है कि किस सूरत में उसका समाधान किया जाय। इसके लिए आप कोई दिन निश्चित कर दें जिससे उस पर विचार किया जा सके। सत्ता पक्ष की बात तो आपके पास आ गई लेकिन हमारे पक्ष को भी इसके लिए कुछ समय मिलना चाहिए और आपसे मेरा निवेदन है कि इस वक्तव्य के ऊपर अलग से चर्चा जरूर होनी चाहिए और जितनी जल्दी हो सके वह अच्छा होगा।

नोट--[* *] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री उपाध्यक्ष--

रियासत साहब की बात सुनने के पश्चात् मैं ऐसा सोच रहा हूं कि सत्ता पक्ष के पास और विरोधी पक्ष के पास भी पूरे तथ्य उपलब्ध हो जायं इसलिए इस पर विचार करने के लिए उनको इतना समय तो दिया ही जाना चाहिए कि सब लोग उन तथ्यों से अवगत हो जायं। इतने लोगों के कार्य-स्थगन प्रस्तावों को देखते हुए और इस देश व प्रदेश की स्थिति को देखते हुए अलग से इस विषय पर चर्चा करना मुनासिब ही लगता है। लेकिन वह कौन सा दिन होगा, कितना समय दोनों पक्षों को आंकड़े उपलब्ध होने म लगेंगे, इस पर विचार करना जरूरी है। आज शाम को कार्य मन्त्रणा समिति बैठ रही है। उसी में विचार कर समय और दिन तय कर लें। माननीय नेता विरोधी दल मेरी इसराय से सहमत हैं ?

श्री राजेन्द्र सिंह--

जी हां, मैं आपकी राय से सहमत हूं।

श्री उपाध्यक्ष--

तो आज शाम को 5 बजे कार्य-मन्त्रणा समिति में इस विषय पर चर्चा करके तय कर लेंगे कि दिन और समय क्या होगा।

श्री काशीनाथ मिश्र--

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मैं आपसे कहना चाहता हू कि माननीय मुख्य मन्त्री जी के वक्तव्य पर इस सदन में चर्चा की जाय, ऐसी कोई परम्परा आज से पहले भी कभी नहीं रही है कि मुख्य मन्त्री के किसी बयान को सदन में चर्चा का आधार न बनाया जावे।

(व्यवधान)

एक सदस्य--

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। आपकी व्यवस्था देने के बाद भी क्या कोई मन्त्री उसके विरोध में बोल सकता है ?

(व्यवधान)

श्री काशीनाथ मिश्र --

मुख्य मन्त्री के बयान को सदन के अन्दर चर्चा का विषय नहीं बनाया जा सकता।

श्री उपाध्यक्ष---

माननीय सूचना मन्त्री जी, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी बातों को आपने बहुत गम्भीरता-पूर्वक नहीं सुना। मैंने यह नहीं कहा कि मुख्य मन्त्री के बयान पर चर्चा होगी। मैंने तो यह कहा कि जितने कार्य-स्थगन प्रस्ताव आए हैं, उनको देखते हुए और जैसी परिस्थिति है उसको देखते हुए चर्चा स्वीकार करना मुझे ठीक लगता है। अगर आप मेरी बातों को ठीक से सुने होते तो शायद आपके मन में यह शंका न हुई होती।

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (क्रमागत)†

[2 बजकर 7 मिनट]

श्री राजेन्द्र सिंह--

मान्यवर, आज प्रदेश की जनता में जो भावना व्याप्त है उसका जिक्र करते हुए मैंने उस दिन कहा था कि इस प्रदेश की पुलिस का सलूक जनता के साथ जैसा रहा है, वह इस सरकार की हठधर्मी का नमूना है। जिन पुलिस अधिकारियों ने गलत काम किए उनके ऊपर आज तक मुकदमा तक नहीं चलाया गया जब कि राय कमीशन की रिपोर्ट उनके खिलाफ थी। इसका परिणाम यह हो रहा है कि आज प्रदेश की पुलिस जिसे जनता का रक्षक होना चाहिए था वह हठधर्मी करके जनता के भक्षक का रूप धारण करती जा रही है।

---

†18 जनवरी, 1982 की कार्यवाही से।

[श्री राजेन्द्र सिंह]

मान्यवर, बागपत में जो घटना घटी उसी के क्रम में मैं आपको बतलाऊं इस प्रदेश की पुलिस का जो रवैया महिला समाज के प्रति अपना रहा है, वह किसी भी सभ्य देश के इतिहास में नहीं हुआ होगा। मैंने उस दिन भी यह कहा था। इसी लखनऊ के अन्दर चौक पाटानाला के एक इंस्पेक्टर ने श्रीमती सरोज नामक महिला के साथ जैसा इश्क व्यवहार किया था उसकी रिपोर्ट पत्रों में भी आ चुकी है।

(इस समय 2 बजकर 7 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री भीखा लाल पीठासीन हुए)

वह शर्मनाक घटना शायद कोई भी व्यक्ति अपने मुंह से कहना उचित न समझे। यह ठीक है कि उसके लिए मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी के आदेश कर दिए गये लेकिन सोचना यह है कि प्रदेश की पुलिस रक्षक हो कर भक्षक क्यों होती जा रही है? जब तक इस प्रवृत्ति को नहीं बदला जायगा तब तक चाहे कितने ही कमीशन, सी0आई0डी0 इंक्वायरी बैठा दीजिए कोई चीज सम्भव नहीं हो पायेगी।

श्रीमन्, मैं बहुत संक्षेप में कहना चाहूंगा क्योंकि काफी बातें हैं और समय बहुत लग जायगा। अयोध्या के अन्दर एक युवती के साथ पुलिस ने दुराचार किया। अर्जुन सिंह की पत्नी के साथ। बांदा के अन्दर दरोगा ने एक महिला के साथ व्यभिचार किया। हलफनामा मेरे पास मौजूद है। गोण्डा में दरोगा व सिपाही ने एक युवती के साथ बलात्कार किया। यह दर्दनाक कृत्य युवती के पिता को वहीं पर बैठा कर किया गया उन बदमाशों द्वारा। पिता रोता रहा। रक्षक पुलिस भक्षक कृत्य करती है। इसी तरह से भगवान नगर थाना क्षेत्र की 16 वर्षीय हरिजन महिला निर्मला के साथ जबरदस्ती मुंह काला किया। आज उसी पुलिस को राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह बधाई दे रहे हैं। श्रीमन्, देवरिया के अन्दर विद्यावती नामक एक युवती के साथ दरोगा और सिपाही ने बलात्कार किया। दो दिन तक उसे कमरे में बलात्कार के लिए रखा। श्रीमन्, उन्नाव के अन्दर एक मेला लगता है जहां पर 18 जुआघर और 24 वेश्याओं की अड्डियां थीं। श्रीमन्, पूरा प्रशासन यहां बैठता है। माननीय हमारे मुख्य मन्त्री जी यहां अपना दफ्तर लिए बैठते हैं। आई0जी0 पुलिस, आई0जी0 सी0आई0डी0, आई0जी0 विजिलेंस, सब कुछ मौजूद हैं लेकिन जुवे का अड्डा पुलिस की निगरानी में चलता रहा और पुलिस दलाली लेती रही। इसी तरह से लखनऊ के अन्दर चावल वाली गली में तो अड्डे पुलिस चला रही है। क्या करते थे आई0जी0 यहां पर। उसी आई0जी0 को आज माननीय हमारे राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह बधाई दे रहे हैं उसके कृत्यों के लिए।

श्रीमन, इसी तरह से बहुत काफी है। जोग माया के किस्सा का अब सभी को पता चल गया है उसको भगाने में माननीय मन्त्री, अधिकारी और अधीनस्थ का जो हाथ रहा। मैं इतना कहकर छोड़ देता हूं। माननीय मुख्य मन्त्री जी यह प्रदेश की पुलिस इस तरह की कार्यवाहियों के लिए बधाई की पात्र कभी नहीं हो सकती।

श्रीमन, एक और टेलीग्राम मेरे पास आया है। यह मुन्ना चन्द्र का है। सिरसागंज से उन्होंने एक टेलीग्राम दिया है। अंग्रेजी में है आपकी आज्ञा हो तो पढ़ देता हूं हिन्दी में अनुवाद कर दूंगा।

"पुलिस स्टेशन सिरसागंज मैनपुरी पुलिस इन्टर्ड इन माई होम आन डेट 2 जनवरी, 82, 6 पी0एम0 एण्ड रोब्ड फालोइंग गुड्स एण्ड पुलिस बीट माई केडीज एण्ड गिवेन एब्यूज आन दैट टाइम आई वाज नाट प्रजेंट।

श्रीमन, सामान क्या था। 2600 रुपए, 22 तोला चांदी, तीन तोला सोना, 12 आना गोल्ड इन कुण्डल, 1000 कास्ट आफ क्लाथ एण्ड अदर गुड्स।

श्रीमन, इस प्रदेश की पुलिस की कार्यवाही है। श्रीमन, मैं वही कह रहा हूं जो आफेन्स इस प्रदेश की पुलिस कर रही है। रोकने की बात क्या कहूंगा क्योंकि सक्षम है। पुलिस खुद कर रही है। श्रीमन, एक दैनिक जागरण 8 दिसम्बर में है कि 8 दिसम्बर को फूलपुर थाना क्षेत्र के बेलवा नामक गांव के कुछ ग्रामीण दो राइफलें तथा एक बन्दूक लिये हुए जिला मजिस्ट्रेट के सामने पेश हो गये और उन्होंने कहा कि डकैत गिरोह में पुलिस जन भी थे और ग्रामीण ने पुलिस जनों से ही यह राइफलें तथा बन्दूक छीनी हैं। इसी तरह से आगरा के ताजगंज क्षेत्र में पुलिस पी0ए0सी0 गश्ती दल द्वारा डेढ़ लाख की डकैती का मामला सामने आया है। यह अभी तीन-चार दिन पहले की बात है। वहां पर गांव वालों का कहना है कि डकैतों के साथ पुलिस मौजूद थी। हमारे विधायक माननीय विजय सिंह राना का इसमें आरोप है। मान्यवर, उसी डकैती के दौरान एक पुलिस के इन्द्रदेव यादव का बैज वहां पर गिर गया था। यह मुझे हमारे विधायक माननीय विजय सिंह राना ने दिया है। मैं इसको माननीय मुख्य मन्त्री जी के पास भेज दूंगा। वैसे मैंने सुना है कि उन्होंने कहा है कि वे उसको सस्पेण्ड कर देंगे। मैं कहना चाहता हूं कि आज पुलिस किस तरह से बर्बर हो रही है और आपके नियन्त्रण से बाहर हो रही है। इसके साथ ही मैं अन्य इसी तरह की पुलिस की करतूतों को छोड़ रहा हूं। 12 नवम्बर, 1981 के 'आज' में है कि पुलिस की बैठक के दौरान महावीरा की दुस्साहसिक डकैती हुई, 50 हजार रुपए लूट ले गये और एक बच्चे का भी उन्होंने अपहरण किया।

मान्यवर, पुलिस उप महानिरीक्षक के नेतृत्व में आयोजित पुलिस अधिकारियों की उच्च स्तरीय बैठक समाप्त भी न हो पाई थी कि सरेशाम लगभग पांच बजे के बीच महावीरा के गिरोह ने बैठक स्थल से करीब 6 किलोमीटर दूर ग्राम अल्लापुर में स्वचालित अस्त्रों से धुंआधार गोलीबारी कर वहां के धनी कृषक को शिकार बना दिया और रुपया लूट ले गये। अब मैं उसके बाद की स्थिति सदन को बताऊंगा जब से कि राजा साहब ने स्थिति सुधारने की घोषणा की है। दस्यु महावीरा ने पुलिस मुखबिर को गोली से उड़ा दिया। 2 जनवरी, 1982 के 'आज' में है कि पुलिस के मुखबिर ठाकुर अगरसिंह को थाना पटियाली के अन्तर्गत ग्राम चेहकाकी पुलिया के निकट लगभग एक घंटे के संघर्ष के पश्चात अन्ततः गोलियों से भून दिया। 5 जनवरी, 1982 को ग्राम असकल पुल में ठाकुर ब्रजभूषण सिंह के यहां धावा बोलकर लगभग एक लाख रुपयों की लूट सशस्त्र डकैतों द्वारा मैनपुरी में की गयी और डकैतों ने गृहस्वामी के बीस वर्षीय पुत्र राजपाल सिंह को घटनास्थल पर ही गोलियों से भून दिया जबकि आई0जी0 पुलिस देउली और साढ़ूपुर जैसे निर्मम हत्या-काण्डों के होने के कारण वहीं पर शिकोहाबाद में रह रहे थे।

अब मैं राजा साहब के विधान सभा क्षेत्र के बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूं। तिन्दवारी में निर्बल वर्गों पर बर्बर जुर्म की दो-तीन मिसालें बताना चाहता हूं। और चाहूंगा कि आप उसके बारे में अपने उत्तर में अवश्य कहेंगे। एक तो तिन्दवारी थाने के भडोली गांव में एक शिक्षित हरिजन डाक्टर के कुल्हाड़ियों से हाथ पैर काट दिए गये। उसका कारण यह था कि गांव के हरिजनों को जो भूमि आवंटित की गयी थी वह उन्हें नहीं मिल पाई थी। वह डाक्टर हरिजन था, इसलिए उसको मार दिया गया। दूसरी घटना श्रीमन, यह है कि एक मेहतर जाति की रज्जन नामक युवती के साथ गांव के 5 लोगों ने बलात्कार किया। जब वह रिपोर्ट लिखाने के लिए गयी तो उसकी रिपोर्ट नहीं लिखाई गयी। तीसरी वारदात वहां की यह है कि रामपुर गांव में भूमिहीन हरिजनों की 80 बीघा आवंटित जमीन की फसलें इन्हीं तत्वों द्वारा काट ली गयीं और उनको एक भी दाना अनाज नहीं दिया गया। इस अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलते हुए प्रस्तावक महोदय ने हरिजनों के बारे में बहुत बातें की थीं।

श्रीमन्, इस तरह की अन्य घटनाएं भी राजा साहब के विधानसभा क्षेत्र से अखबारों में पढ़ने में मिल रही हैं। श्रीमन, अभी आपने पढ़ा होगा कि नैनीताल के एक छात्र का लखनऊ में अपहरण किया गया। एक अच्छी शिक्षण संस्था का छात्र था। अभी तक उसका कोई सुराग नहीं मिला कि किसने किया था। हमारी गृह मन्त्री जी सांत्वना देने भी गयीं।

[राजेन्द्र सिंह]

श्रीमन्, एक बात और कहना चाहता हूं कि बांदा में कांग्रेस (आई0) नेता श्री चन्द्रभान सिंह के भतीजे श्री सन्तोष सिंह की हत्या कर दी, जान-माल की लूट की गयी, मथुरा में बस लूट ली गयी, रुड़की में बैंक की लूट की गयी, हरदोई में विधायक के परिवार को लूट लिया, मेरठ में एक बिजनेस मैन की 60 हजार की रोकड़ी लुटी। यह श्रीमन्, ऐसे उदाहरण हैं जिनका कोई जवाब इस प्रदेश की पुलिस के सम्बन्ध में माननीय मुख्य मन्त्री जी के पास नहीं होगा। यह सब क्यों हो रहा है ?

श्रीमन्, अभी कुछ समय पूर्व आपने चर्चा के लिए दिन निश्चित कर दिया है। ज्यादा नहीं कहूंगा। लेकिन मैं अपना कर्तव्य समझता हूं कि जिस तरह से कल भारत बन्द के अवसर पर आपने किया, यह ठीक है कि आप सत्ता के अन्दर हैं किसी काम को चाहते हैं कि यह नहीं होना चाहिए लेकिन उसको रोकने के डिमोक्रेटिक तरीके हैं उनको अख्तयार करना चाहिए जिससे बहुत सी समस्याएं और बहुत से संकट रोके जा सकते हैं। कानपुर के अन्दर जिसको आप 'भारत बन्द' कहते हैं उसमें कुछ लोगों ने प्रदर्शन किया हो, हो सकता है और हो सकता है कुछ लोगों ने जलूस निकाले हों जिससे पत्रकारों और फोटोग्राफरों का कर्तव्य हो जाता है कि वह उनकी फोटोग्राफ लेकर जनता तक पहुंचायें। लेकिन उसके लिए पुलिस वालों ने उनका मारपीट को ऐसा अपने इतिहास में कहीं नहीं देखा होगा। मैंने सुना है इसके लिए आपने वहां के कोतवाल को इलाहाबाद ट्रान्सफर कर दिया है। इस सदन के अन्दर मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि यह दुहरा स्टैण्डर्ड क्यों अपनाया जा रहा है। अगर यह नगरी के ड्राइवर के साथ कोई हरकत होती है और उसकी रिपोर्ट पर थानेदार को टेलीफोन पर सस्पेंड कर दिया जाता है और एरेस्ट कर लिया जाता है। लेकिन कानपुर के कोतवाल के लिए 395 की रिपोर्ट होती है और 35 आदमी घायल हो गये, फोटोग्राफर्स के कैमरे तोड़ दिये गये और रोलें छीन ली गयीं। इस प्रकार जिसने अप्रजातांत्रिक कार्य किया उनके खिलाफ आपने क्या किया, सिर्फ उसे ट्रांसफर कर दिया, यह आपका न्याय है, राजा साहब।

एक दो बातें और कहूंगा इसका जो नतीजा है उसमें यह कहूंगा हर चीज में कमी हो रही है, शायद हस्तियों को छोड़कर सभी चीजों में कमी हो रही होगी। मैंने पहले भी कहा था और आज भी कहता हूं कि माननीय मुख्य मन्त्री जी इस प्रदेश की जनता आपके आंकड़े देखना नहीं चाहती। इस प्रदेश का सामान्य नागरिक अपने आप को सुरक्षित देखना चाहता है। लेकिन उसे मौत सुनता है। श्रीमन्, हमारे राजा साहब जिस तरह जेल के सिखचे होते हैं उनके फाटक के अन्दर बन्द रहते हैं। वह किसी को क्या सुरक्षा प्रदान करा पायेंगे। (व्यवधान) वहां स्टेनगन से लैस रहते हैं। जब हम धरना दे रहे थे तो माननीय मुख्य मन्त्री जी के सगे भतीजे आ गये, मैं नहीं जानता था माननीय मोहन सिंह जी ने बताया। तो उनको 15 मिनट तक इन्तजार करना पड़ा। हमने कहा जब ड्यूटी नहीं हो रही है तो हमारे साथ बैठ जाइए। तो यह हमारे मुख्य मन्त्री जी की सुरक्षा है वह प्रदेश की जनता की क्या सुरक्षा कर पायेंगे। हम माननीय विधान पार्लियामेंट मेम्बर्स के लिए का पहरा किसी को अन्दर नहीं जाने देता यहां तक कि विधायक की ड्यूटी भी मुमकिन नहीं है बगैर पूछे हुए। वह इस प्रदेश के विधायकों को सुनना नहीं चाहते। मैं भी यहीं पर रहता हूं कोई जा नहीं सकता है। सरकारी कर्मचारी चला जायगा लेकिन विधायक गेट के अन्दर नहीं जायगा। पहले परमीशन आयगी तब जायगा। यह है आपका सम्मान। अगर करना है तो ऐसा ही करिए, मैं तो आगाह कर रहा हूं आपको। इसके साथ मैं कहना चाहता हूं कि यह क्या हो रहा है। आप आंकड़े दे देते हैं कि जो घटनायें हैं वह घट रही हैं मैं उनकी मिसाल देना चाहता हूं। पुलिस थानों पर अपराध के केसेज एन्टर नहीं करती है। डकैती की चोरी और नकबजनी में लिखती है।

मेरे क्षेत्र में ही एक डकैती का [illegible] है, उसके यहां डकैती पड़ी, पुलिस ने उसमें कुछ एन्टर नहीं किया, केवल छोटा मोटा चालान कर दिया। इस पर मैंने आप को लिखा कि आप सी0आई0डी0 से इसकी जांच कराइए. . . .

(व्यवधान)

आप सुनते रहें। सी0आई0डी0 इंक्वायरी की सूचना थाने पर मिल चुकी है। मैंने फिर लिखा कि इसमें लोकल पुलिस के प्रति सीरियस कम्पलेंट हैं उसकी सूचना हो जाने से वह लोगों को टेरराइज कर रही है। लेकिन आज तक उसका कोई जवाब नहीं मिला। मेरे ऐसे लोग जो सोशल हैं, उनके क्षेत्र में जब ऐसी घटनायें हो रही हैं तो साधारण नागरिक के साथ क्या घटित होता होगा, इसपर आप सोचिए। मैं भी शान्ति स्थापित करना चाहता हूं और आप भी यही चाहते हैं, इसलिए गम्भीरता से इस पर सोचिए। अभी बहुत बड़ी पुलिस की तादाद वहां की गयी, उसके लिए अभी उसे बधाई दी गयी। लेकिन जिला खीरी का एक समाचार 'पत्रिका' नामक अखबार में 6 नवम्बर को प्रकाशित हुआ है—एक आदमी जो खीरी जिले में था, पुलिस ने उसे डकैती में दिखा दिया एफ0आई0आर0 में। यह पुलिस की कार्यवाही है और इसपर चालान किया है। इसके यह कहने पर भी कि जब मैं उस दिन खीरी जेल में था तो डकैती में कैसे शामिल हो गया, कोई ध्यान नहीं दिया गया और उसे फंसाए रखा गया।

दूसरी घटना समाचार पत्र 'स्वतन्त्र भारत' में 9 जनवरी को यह आई कि—'डकैत जिन्दा—पुलिस पुरस्कृत''। क्या आपने इसकी कोई जांच की। उसमें है कि—'झल्ला को मार गिराने का दावा कर एक दल पुलिस अधीक्षक एवं दो थानेदार राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं, वह झल्ला डकैत आज भी जिन्दा है जिसकी विगत रात्रि तिन्दवारी थाना के अन्तर्गत ग्राम पिपरगवां के सात ग्रामीणों ने पकड़ कर पुलिस के हवाले कर दिया है। फिर पुलिस ने तीन वर्ष पूर्व उसे मारने का दावा कर यह राष्ट्रपति पुरस्कार कैसे प्राप्त कर लिया, इसकी जांच होनी चाहिए। . . .

(व्यवधान)

मैं तो पुलिस की बात कह रहा हूं, जब राजा साहब की कहूंगा तो आप कहें। पकड़िए आप ऐसे लोगों को रक्षा में बचाने आएं या सोशलिज्म लाने जाएं तो आप कहिएगा, वरना मैं तो हमेशा कहूंगा आपको कि आप किसानों को बचाना चाहते हैं। तो आप इस के लिए हमसे नहीं कह पायेंगे। अभी गोण्डा के अन्दर मेरी पार्टी की ओर से एक शान्तिपूर्ण प्रदर्शन हुआ और उसमें हमारे विधायक भी शामिल थे—एजाज साहब। गन्ने के सम्बन्ध में यह प्रदर्शन था। उनको अरेस्ट किया गया। वहां के परगना मजिस्ट्रेट (बलरामपुर) ने उन लोगों पर प्राणघातक हमला किया। इसके बारे में विधायक लिखता है, चाहे सत्ता पक्ष का हो या विपक्ष का हो—इन सबके बारे में एक समान स्टैंडर्ड मानकर आप चलिए अर्थात गन्ना पक्ष या किसान का कोई विधायक यदि शिकायत करता है तो उस पर आप कमेन्ट मत करिए, उसकी जांच करा लीजिए। लेकिन प्राइमाफेसी यदि आप यह मानकर चलेंगे कि विपक्ष की यह सदस्य ही रहेगा, तो यह प्रजातन्त्र के और देश के हित में नहीं होगा। इसलिए आप यह समझने का प्रयास करें कि शायद उसने सही कहा होगा, गलत नहीं कह सकता है। लेकिन एक दम सदस्य को गलत सोच लेना यह आपकी बड़ी भारी भूल होगी। वहां के जो परगना मैजिस्ट्रेट हैं वे श्री धर्मराज सिंह जो कि कांग्रेस (आई), एम0पी0 के भतीजे हैं जिन्होंने यह कराया है। उन्हें नशा है। मैं चाहूंगा कि इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए। हमारा प्रदर्शन गलत था, ठीक है लेकिन आपने उसकी क्या रेसेडी की। परगना मैजिस्ट्रेट बलरामपुर तथा पुलिस क्षेत्राधिकारी ने शराब के नशे में हम पर प्राणघातक हमला करवाया और लाठी वर्षा कराई। मैं सरकार से अपेक्षा करता हूं कि इसकी जांच कराई जाय।

एक औरैया की पुलिस के बारे में भी निवेदन कर दूं। उसके कारनामे से क्षेत्र में इतना भय व्याप्त है कि जिसे कहा नहीं जा सकता है। हमारे एक एस0ओ0 तिलरपुर

[श्री राजेन्द्र सिंह]

गांव गये बहुत बड़ी फोर्स को लेकर, संध्या का समय हो रहा था। गांव को जाकर घेर लिया। आज गांव वालों के सामने परेशानी यह है कि आपकी पुलिस और डकैतों की वर्दी में कोई फर्क नहीं है। यह समझना मुश्किल हो जाता है कि यह डकैत हैं या पुलिस वाले हैं। उनमें भी सब इंस्पेक्टर, इंसपेक्टर, डी0एस0पी0 और एस0पी0 होते हैं। उन्होंने श्री सरवन व सारनाथ नामक व्यक्तियों को पूछा जिनकी उन्हें आवश्यकता थी। फिर मुखिया को बुलवाया, उनको धमकी दी गयी कि अगर तुम हमारा सहयोग नहीं करोगे तो गांव का गांव उजाड़ देंगे। सहयोग मांगना तो समझ में आता है लेकिन यह कहना कि गांव का गांव उजाड़ देंगे कहां तक उचित है। प्रातः 3 1/2 बजे इन दोनों लोगों को एंकाउन्टर दिखा कर मारना चाहते थे लेकिन वहां के ग्रामीणों ने जब प्रतिरोध किया थाने पर, वे लोग एस0पी0 के यहां गए और इस प्रकार की शिकायत की तो एस0पी0 ने एक आदमी को मोटर साइकिल पर भेजा और कहलवाया कि इसको छोड़ दो। उन्होंने पूछा कि क्या आपके (पुलिस वालों के) पास कोई रिकार्ड है, उनके खिलाफ, पता चला कि कोई नहीं तो यह स्थिति है आपकी वहां की पुलिस की।

अब प्रदेश में किस प्रकार से इन्नोसेन्ट डेथ्स हो रही हैं, उनकी ओर भी सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। अगर आप इजाजत दें तो मैं दिनांक 31 जनवरी के 'इंडिया टुडे' को पढ़कर सुनाता हूं जिसमें दिया हुआ है कि—मोस्ट आफ दि रिपोर्टेड इंकाउन्टर्स बेयर इन दि नाइट, बट इट इज वेल नोन दैट दि पोलिस रेयरली गो आउट आफ्टर डकैत्स आफ्टर डार्क; एक्सपीरियन्स हैज टाट देम दैट ट्रैकिंग डाउन डकैट्स एण्ड कीपिंग इन टच विद ईच अदर इन दि डार्क इज सुसाइडल।"

पुलिस यह जानती है और पुलिस ने इन्काउन्टर भी रात में नहीं किए हैं। मैं चाहूंगा कि माननीय मुख्य मन्त्री जी यह बतायें कि इनकाउन्टर्स में जितने भी पुलिस कर्मी मारे गये हैं वे रात में मारे गए या दिन में। मेरी जानकारी यह है कि रात में पुलिस एन्काउन्टर नहीं करती है, रात को फेक एनकाउन्टर्स होते हैं, आदमी को पेड़ से बांध कर मार दिया जाता है। इसी पत्रिका 'टुडे' में लिखा है—

"नन्द सिंह इज मोस्ट सर्टेनली नाट ए डैकोइट। बट ही इज नाट इंनटायरली इन्नोसेंट आइदर ही इज एलेज्ड टू बी ए पिम्प, एण्ड ए स्माल टाईम क्रक। बट दी फैक्ट दैट दि पुलिस वान्ट टू किल हिम शोज हाउ फार दी लॉ इज प्रिपेयर्ड टू गो। लोकल सोर्सेज से दैट दि सब इन्सपेक्टर इज आउट फार हिज ब्लड विकाज नन्द सिंह रिफ्यूज्ड टू इनक्रीज हिज रेगुलर ब्राइब टू हिम।"

आपकी पुलिस इसलिए उसके खून की प्यासी है क्योंकि वह पुलिस इन्सपेक्टर के कहने के अनसार ब्राइब नहीं देता। नन्द सिंह डकैत नहीं है, लेकिन पुलिस उसके पीछे पड़ी है। मैंने मांग की थी कि एनकाउन्टर्स की सूची हमको दी जाय, अगर वह मिल जाती तो हम कुछ और कहने की स्थिति में होते।

मुख्य मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह)—

माननीय नेता विरोधी दल कृपया यह समझाने का कष्ट करें कि जब पुलिस जन रात को मारे जाते हैं तो वे बिना रात को एन्काउन्टर्स हुए कैसे मर जाते हैं?

श्री राजेन्द्र सिंह—

मैंने तो जो रिपोर्टर का कहना था वह पढ़ा। यह तो आप बतायें कि रात को हुए या नहीं, हमें तो इसकी सूचना नहीं है।

इसी में मान्यवर, पृष्ठ 26 पर यह भी छपा है कि जिला जालौन के 4 मुखियों ने माननीय मुख्य मन्त्री को एक पिटीशन भेजा है जिसमें यह लिखा है—

"वी गिव यू लैन्ड रेवेन्यू एण्ड इरीगेशन टैक्स बट यू कैननाट प्रोटेक्ट अस" दे रोट "प्लीज दियरफोर ट्रांसफर अस टू दि जूरिस्डिक्शन आफ डैकोएट क्वीन फूलन देवी। सी इज एनी डे बेटर. . . ।"

उन्होंने यह लिखा है कि आप हमारी सुरक्षा नहीं कर सकते तो इससे अच्छा है कि हमको फूलन देवी के जूरिस्डिक्शन में ही भेज दें।

(व्यवधान)

मैं थोड़ी सी कुछ बातें आज भी रख देना चाहता हूं। मेरे पास नई सूचनाएं आ गई हैं। मेरे पास 253 आदमियों की सूची है। मेरे पास क्योंकि एक ही कापी है, मैं इस को टाईप कराकर सील्ड कवर में माननीय अध्यक्ष के पास भेजूंगा और चाहता यह हूं कि अधिष्ठाता महोदय, आपके माध्यम से माननीय मुख्य मन्त्री जी दो में से किसी एक बात पर, जो मेरा सुझाव है तैयार हो जायं या तो सदन की कमेटी बना दें, सदन की कमेटी आपके माध्यम से बना दी जाय या हाईकोर्ट के जज की अध्यक्षता में इंक्वायरी बैठाल दें। मैंने कल भी कहा था, हो क्या रहा है। अलीगढ़ में एक लड़का नरेन्द्र सिंह मारा गया। मैंने कल भी कहा था और आज भी कहना चाहता हूं। अलीगढ़ के अन्दर नरेन्द्र सिंह मारा गया। गलत एन्काउन्टर हुआ, वहां के थानाध्यक्ष सस्पेंड हो गये, लेकिन वह केवल प्रेशर से हुआ। पूरे क्रम को देखें, क्योंकि वह स्टूडेंट था, वहां के स्टूडेंट्स ने दौड़धूप की। वह गलत इन्काउन्टर दिखाकर मार दिया गया, इसलिये थानाध्यक्ष को सस्पेण्ड किया गया। एक व्यक्ति समन्दर सिंह, जिसको एस0एस0पी0 ने करनाल से पकड़ कर बुलवाया था। पंडित हरप्रसाद हाथरस से गये थे, कार से गये थे। जो कार गयी थी, वह एक हफ्ते से लाने के लिये गयी थी। इन्काउन्टर तो एस0एस0 पी0 ने कराया। एस0एस0पी0 भी वहां बैठा रहा लेकिन किसी की लाशें नहीं चल पायीं। इसकी मिसाल भी दूंगा। 'इंडिया टुडे' करेस्पांडेन्स ने कहीं माननीय राजेन्द्र त्रिपाठी से बातचीत की होगी। उन्होंने यह कहा कि कुल 4 इनकाउन्टर फेक हुए हैं, सिर्फ चार इन्काउन्टर्स गलत हुए हैं। बाकी सब सही हैं। उन्होंने शायद बनारस, मेरठ, एटा, गोरखपुर को, इस तरह से, 4 इन्काउन्टर को गलत माना है, बाकी को सब सही माना है। अब पांचवां आपके सामने नरेन्द्र सिंह वाला आ गया। इंक्वायरी करा लीजिए। इसी 'इंडिया टुडे' रिपोर्ट के अन्दर 5 केस रिपोर्ट हुए हैं। इस प्रदेश के मासूम व्यक्ति के प्रति जो कुछ हो रहा है, मैं चाहता हूं कि कार्यवाही सामने आनी चाहिए।

श्रीमन, अब यह राजेन्द्र त्रिपाठी ने कहा कि अब जो इन्काउन्टर हुए एक महीने के अन्दर वह कोई गलत नहीं हुए। श्रीमन, इससे पहले मैं कह दूं नरेन्द्र सिंह ठाकुर, ये निवासी बखेवर के थे, 18 तारीख को इन्काउन्टर कर दिया बखेवर की पुलिस इनको पकड़ कर लाई। अगर पुलिस पकड़ कर लाती है, तो टेलीग्राम कर देते है कि पकड़ लिया गया और वह लिंक हो जाता है। अब उसकी दूसरी पुलिस हैण्डओवर कर देते हैं। नरेन्द्र सिंह ठाकुर का इन्काउन्टर हुआ है और उसकी लाश भी नहीं दी गयी। मैं यह कहना चाहता हूं कि करेसपांडेंट जब नरेन्द्र सिंह के परिवार के पास गया तो वह लिखता है—

"हिज वाइफ विमलेश कुमारी क्लचिंग हर वन मन्थ ओल्ड सन, ब्रोक इन्टू अन्कन्ट्रोलेबुल टियर्स एज शी डिसक्राइब्ड हर आर डील।"

एक माह का बच्चा कौन पालेगा। आप अपनी कुर्सी से चिपके रहने के लिए फर्जी इनका उन्टर करवा रहे हैं और प्रदेश की गरीब जनता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं आप दिन प्रति दिन अनाथों की संख्या बढ़ाते चले जा रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं और मेरी यह भावना है चन्द्र प्रकाश गड़रिया डकैत हुआ मैनपुरी के अन्दर लेकिन वह किस परिस्थिति में डकैत बना मैं यह जानना चाहता हूं। माननीय मुख्य मन्त्री जी इसका पता लगवा लें अपने सी0आई0डी0 के माध्यम से कि कैसे वह डकैत बना।

(सत्ता पक्ष के कुछ सदस्यों के हंसने पर)

यदि आप हंसेंगे तो मैं फिर कहता हूं वही बात आ जाती है जैसा बी0के0 नेहरू ने कहा था कि वही लोग बैठें उनसे क्या उम्मीद करूं। आप अगर टोकेंगे तो मैं और सख्त

[श्री राजेन्द्र सिंह]---
बोलता चला जाऊंगा। मैं फिर कहता हूं मुख्य मन्त्री जी जांच करा लें और 4 दिन तक इस पर बहस हो जाय मेरे कन्डक्ट पर और आपके कंडक्ट पर। मैं तो फिर कहता हूं मुख्य मन्त्री जी क्यों नहीं तैयार होते ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह---
आपकी सूचना के लिए बता दूं श्री यदुनाथ सिंह 3 महीने की सजा काटकर आए हैं।

डाक्टर विनोद कुमार---
उच्च न्यायालय ने सजा दी है।

श्री राजेन्द्र सिंह---
मैं माननीय मुख्य मन्त्री के खिलाफ विशेषाधिकार का प्रश्न लाया हूं। यदुनाथ सिंह नहीं उसका साला सजा काटकर आया है।

डाक्टर विनोद कुमार तिवारी---
जो मुख्य मन्त्री जी ने बात कही है अगर वह गलत होगी तो मैं विधान सभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दूंगा और मेरा विरोधी दल भी इसके लिए तैयार हो जाय।

श्री राजेन्द्र सिंह---
मैं समझा जो 216 में यदुनाथ सिंह पकड़ा गया है।

श्री धरम पाल---
यह तो कन्टेम्प्ट आफ कोर्ट था और कुछ नहीं।

डाक्टर विनोद कुमार तिवारी---
श्री यदुनाथ सिंह, सदस्य को सजा हुई है।

श्री राजेन्द्र सिंह---
लखनऊ में चकला चलाने की हिस्ट्रीशीट नहीं खोली गयी। मैं नाम लेकर कहता हूं कि वह लोग खड़े होकर जवाब दें। यह तो तब तब होगा जब हाईकोर्ट का जज बैठेगा। आप उसके लिए क्यों तैयार नहीं होते हैं? थोमन, मान सिंह जाकय थे, निवासी लालपुर, थाना [illegible] उनको एक दिन एस0 ओ0 ने गांव से बुलाकर इंकाउन्टर करवाया। मुकिम के बारे में मैंने कल बताया था। सरनाम सिंह का सवाल था, उनका इटावा में इंकाउन्टर करवाया गया। औरैया के एस0 ओ0 श्री त्यागी ने 5 घंटे गोली चली, बन्दूकों से और 123 राउन्ड गोली इंकाउन्टर में चली। लेकिन वह ऐसे बहादुर थे कि उनको एक खरोंच भी नहीं आई और इस पर एक डकैत को मार दिया। पूछने पर उन्होंने उत्तर दिया कि डकैत इतने होशियार थे कि गोली के खोल सब बिन कर अपने साथ ले गए। इसलिए गोलियों की संख्या नहीं गिनी जा सकी। इसी तरह चन्द्रदेव हरिजन मेठाकोली का है जिसको रौनापुर, पश्चिम स्टेशन, आजमगढ़ में, एस0ओ0 ने घर से बुलाकर 3 मार्च को कन्यिका इन्टर कालेज के मैदान में मार दिया और जब उसकी पत्नी और 3 बालुम बच्चे [illegible] निकले तो उनको रास्ते में बताया गया कि इंकाउन्टर में उनको मार दिया गया है। इसी तरह 7---8 मार्च को 3 विद्यार्थियों को जो नेहरू डिग्री कालेज, [illegible] के थे, जिनके नाम हैं नरेन्द्र सिंह, मलखान सिंह तथा माधो सिंह, उनको पुलिस ने पकड़ा और [illegible], इटावा में इंकाउन्टर करके मार दिया।

मान्यवर, इसी तरह से हमारे पास कई जिलों की सूची है जिनमें गाजीपुर की सूची में 22 नाम हैं, लेकिन दो नाम पहले की सूची में [illegible] जिनमें देवनाथ, फेकन सुरेन्द्र पण्डे, विश्वनाथ आदि 22 नाम हैं। यह सब फर्जी इंकाउन्टर दिखाए गये हैं। इस का कारण है कि वहां पर एक डिप्टी एस0पी0 जो वाराणसी के रहने वाले हैं और उनकी

ससुराल गाजीपुर में है जहां वह पोस्टेड हैं। गाजीपुर में निविदा में उनकी ससुराल है। लेकिन नियम है कि गजेटेड अधिकारी को जब पोस्ट किया जाता है तो एक सर्टिफिकेट लिया जाता है कि मेरा रिश्ता वहां ऐसा नहीं है और उस सूचना के बाद उच्च अधिकारी चाहें तो उसको पोस्ट करें और चाहें तो नहीं। लेकिन क्या इसमें इसकी सूचना शासन को दी गयी है या शासन ने वहां जानबूझकर भेजा है। मैं इसकी सूचना चाहता हूं।

इसी तरह मान्यवर, बाराबंकी में 20 आदमियों की सूची मेरे पास है। अलीगढ़ के बारे में मैं बता चुका हूं कि 31 आदमियों की सूची है। कानपुर जिले से 11 आदमियों की सूची मेरे पास मौजूद है। हमीरपुर बांदा, गोरखपुर, सुल्तानपुर, बदायूं की सूचना मेरे पास मौजूद है जिसके सम्बन्ध में मुख्य मन्त्री जी बतायें कि यह गलत है या सही है।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

इसको नोट कर लिया जाय।

श्री राजेन्द्र सिंह--

हो सकता है कि एक-दो आदमियों के नाम गलत हों।

एक सदस्य--

अक्सर आप से गलती होती है।

श्री राजेन्द्र सिंह--

श्रीमन्, 45 आदमियों की सूची आजमगढ़ की है। इसी तरह से जालौन की 31 आदमियों की सूची है। बस्ती जिले की एक सूचना के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि आप देख लीजिए क्या हो रहा है? श्री बिसिवन यादव, राजकीय प्राइमरी पाठशाला के अध्यापक हैं। उनका इंकाउन्टर पुलिस करती है, यह दिखाकर कि वह फरार था। समझ में नहीं आता कि राजकीय पाठशाला का अध्यापक हो और फरार हो। उसको सस्पेन्ड होना चाहिए, अगर नहीं है तो आपके प्रशासन की शिथिलता है, मनमाने तरीके से काम करता है। इसी तरह से मथुरा में पूरी मोहन, रघुनाथ सिंह का मामला है जिनका इन्काउन्टर किया गया। एक और उदाहरण मैं इन्काउन्टर का बताना चाहता हूं। मीरगंज का इंकाउन्टर हुआ। बड़ी मांग के बाद मैजिस्टीरियल इंक्वायरी के आदेश हुए। एक विटनेस था अफजाल उसने गवाही दी थी। वहां की लोकल पुलिस अफजाल के खिलाफ हिस्ट्रीशीट खोलने जा रही है। मैजिस्ट्रेट पर डी0एम0 और एस0पी0 का प्रेशर पड़ रहा है जिससे रिपोर्ट नहीं आ पा रही है। उन पर प्रेशर पड़ रहा है कि रिपोर्ट पुलिस के फेवर में आनी चाहिए, मेरे पास अनेक लोगों के टेलीग्राम आते रहते हैं। परसों एक बात आई थी मैंने कहा था श्री यदुनाथ सिंह के बारे में। यदुनाथ सिंह एक प्रधानाचार्य हैं जो लोकदल के कार्यकर्ता हैं उनको पुलिस ने 216 में अरेस्ट किया है।

एक सदस्य--

पुलिस की मुठभेड़ लोकदल वालों से बहुत हुई है। यानी पूरा परिवार और रिश्तेदार क्रिमिनल हैं।

श्री राजेन्द्र सिंह--

श्रीमन्, 30-9-81 को एक तार मिला। श्री राम औतार भदौरिया को इटावा की पुलिस ने पकड़ा और भिण्ड की पुलिस को हैण्डओवर कर दिया। हमको जब पता चला तो मैंने मुख्य मन्त्री को एक टेलीग्राम दिया। इन्काउन्टर तो उसका नहीं हुआ। तीन महीने तक केस चला और उसके बाद बरी होकर घर आये। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पुलिस जाल बना रही थी हमारे लोगों को गिरफ्तार करने का। उन्होंने जो टेलीग्राम दिया था उसमें है कि मुझे पुलिस जातीय एवं दलगत आधार पर किसी भी झूठे मुकदमों

[श्री राजेन्द्र सिंह]
में फंसाना चाहती है। मैं प्रधानाचार्य हूं और विधान सभायी चुनावों में इटावा क्षेत्र से लोकदल का प्रत्याशी था। दस्यु प्रभावित क्षेत्र का निवासी हूं रक्षा एवं सुरक्षा की जाय। तो उनका जो आइडिया था उसको पुलिस ने पूरा कर दिखाया। और उनको गिरफ्तार कर लिया।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर)

एक सदस्य--

मान्यवर, इसमें नेता विरोधी दल कौन है, पता लगाया जाय।

(शोर)

श्री राजेन्द्र सिंह--

श्रीमन, मैंने परसों भी कहा था कि जब यह साढ़ूपुर की दर्दनाक घटना हो गयी तब प्रशासन ने, मन्त्रि मण्डल के सदस्यों एवं माननीय मुख्य मन्त्री जी ने स्वयं इस बात का प्रयास जारी रखा कि इस घटना को कहां थोपा जाय और इसका वेआउट क्या निकाला जाय। तो इन लोगों ने वेआउट यही निकाला कि ये पालिटिकल मोटिव है और घूम-फिर कर यह मोटिव लोकदल के ऊपर मढ़ दिया और यह जब घटना घटी तो उसके कुछ वक्त के बाद राजेन्द्र त्रिपाठी व मन्त्रि मण्डल के कुछ अन्य लोग वहां गये और उस थोड़े से वक्त में इंक्वायरी भी कर ली और उसका हल भी निकाल लिया कि यह पालिटिकल मोटीवेटेड है, जबकि वहां के आसपास के लोगों को, पूरे गांव के लोगों को और यहां तक कि उस घर के लोगों को भी इसका कारण पता नही था कि आखिर यह घटना क्यों घटी, लेकिन आप कह रहे हैं कि यह पालिटिकल मोटिवेटेड है और वहां का इक्जीक्यूटिव आफिसर (D.I.G.) अपने एक टेलीग्राम के जरिए यह कह रहा है कि इस घटना का मोटिव अभी तक पता नहीं चल सका है कि क्या है. . . .

(शोर)

लेकिन आप लांछन विरोध पक्ष पर लगा रहे हैं।. . .

(शोर)

एक सदस्य--

मा0 अध्यक्ष जी, नेता विरोधी दल इतने मारे गए. . . .

(शोर)

श्री राजेन्द्र सिंह--

श्रीमन, दिनमान एक पत्रिका है, जिनके लिखने वाले मिस्टर के0विक्रम राव हैं, उन्होंने 'लाशें और सियासत' नामक शीर्षक में लिखा है कि "कुछ यों ही बातचीत के दौरान एक अत्यन्त वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने मुझे कुछ दिनों पूर्व बताया, आप देखेंगे कि इसी प्रकार एक दिन किसी और सामूहिक बध की खबर आयेगी।" इसका अर्थ यह निकलता है कि इसकी जानकारी इनको पहले से थी, लेकिन इन्होंने कोई इस ओर पहले से कोई कदम नहीं उठाया। इसलिय श्रीमन्, मैं चाहता हूं कि इसका थारोली इनवेस्टीगेशन हो, लेकिन शीघ्रता और ईमानदारी से हो। आगे उस राइटर ने लिखा है कि "खाकी लिबास में चार लोग आये, चमारों की बस्ती की दिशा पूछे, बुढ़िया चमेली को तवे से रोटी उतारते समय गोली मार दें तीनों बच्चों पर से रजाई उठा दें फिर सीने पर बन्दूक रखकर दाग दें, पति-पत्नी और मां का एक साथ कत्ल कर दें, खून बहाते हुए एक आदमी इसी दरम्यान अपना कामुक कौतुक भी कर ले।"

मैं इतना कहना चाहता हूं कि इस कारस्पांडेंट का यह कहना था कि उसे आभास है कि ऐसा ही होगा। आपकी गृह मन्त्री जी ने कहा कि मुख्य मन्त्री को बदनाम करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है आप हटेंगे तो नम्बर 2 के आ जायेंगे, नम्बर 3 के आ जायेंगे।

(व्यवधान)

माननीय मुख्य मन्त्री जी ने जिस तेजी से यह लांछन लगाने का प्रयास किया है, वह शायद अपनी कोशिशों में कामयाब नहीं हो पायेंगे ।

सन् 1974 में इस माननीय सदन के अन्दर जब मा0 चौधरी साहब इस कुर्सी पर थे और आपके नम्बर 2 के मन्त्री हमारे साथी थे, आप लोगों की तरफ से इस तरह के एलिगेशन्स शुरू हुए थे, जैसा अब भी कहते हैं कि हरिजनों पर अत्याचार करते हैं । सन् 1974 में इसी विरोध पक्ष की सीट से माननीय चौधरी चरण सिंह जी ने चैलेंज किया था ।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

कल तक तो राष्ट्रीय नेता थे, क्या उस पद से हटा दिया गया ?

(3 बजकर 8 मिनट)

श्री राजेन्द्र सिंह--

माननीय मुख्य मन्त्री जी अपने होश-हवास में रहें और कान खोलकर सुनने का प्रयास करें। मैंने यह कहा कि इस सीट से उन्होंने कहा था। यह विधान सभा की प्रोसीडिंग्स में है, आपके सामने पढ़ देना चाहता हूं--

"मैंने पिछली बार असेम्बली में बहुगुणा जी के सामने असेम्बली हुई नहीं--त्रिपाठी जी के सामने दो बार मैंने चेलेंज किया और कहा कि कांग्रेस के दो हरिजन एम0एल0एज0 को भेज दीजिए, बनारस, प्रतापगढ़ और बांदा में जहां कांग्रेस के लीडर्स हैं और कांग्रेस के मिनिस्टर्स हैं, वहां हरिजनों के साथ हाई कास्ट के हिन्दू कैसा बरताव करते हैं और मेरठ के जिले में या मेरी कांस्टीटुएंसी में भेज दीजिए कि वहां हरिजनों के साथ कैसा बरताव होता है और जो उनकी रिपोर्ट होगी, वह मैं मान लूंगा।"

यही चैलेंज 74 में और 72 में भी किया गया। यह कहा गया कि यदि सत्ता पक्ष के दो हरिजन एम0एल0ए0 चले जायं और कांग्रेस के लीडर्स की कांस्टीटुएन्सी में और चौधरी साहब की कांस्टीटुएन्सी में जाकर देख लें, हरिजनों के साथ अत्याचार की रिपोर्ट देख लें, मैं मान लूंगा। परन्तु उस समय आपके नेता ने स्वीकार नहीं किया। आज मैं चैलेंज देता हूं, सदन की कमेटी बना दीजिए। हाईकोर्ट के जज का कमीशन बना दीजिएगा, उनके निर्णय से हम बंधेंगे, उसे हम मान लेंगे लेकिन एक दूसरे के ऊपर छींटाकशी करने से, एक दूसरे पर लांछन लगाने से नियत साफ नहीं हो जाती है और न होगी। मैं चौधरी साहब के चैलेंज को दोहराता हूं और यह भी कहता हूं कि कांग्रेस के एम0एल0ए0 पर और विपक्ष के एम0एल0ए0 पर आप एक कमीशन बैठा दीजिए, तब देखने से पता चलेगा कि कौन कहां है ।

(सत्ता पक्ष की ओर से बार-बार व्यवधान)

श्रीमन्, मैं अब आना चाहता हूं उन बातों की ओर कि जिन कुकृत्यों पर ये पर्दा डालते चले जा रहे हैं। इस प्रदेश के अन्दर विमला रस्तोगी काण्ड हुआ। उनके भाई मंगला प्रसाद त्रिपाठी, मैं डिटेल में नहीं कहूंगा, आवश्यकता यह है कि इस सम्बन्ध में जांच होनी चाहिए। कोई कमेटी बना कर सत्ता पक्ष को अपनी छवि धूमिल होने से बचाना चाहिए।

डाक्टर विनोद कुमार तिवारी--

छवि धूमिल है ही नहीं, कमेटी क्या बनायेंगे ।

श्री राजेन्द्र सिंह--

वह मैं बता रहा हूं। श्रीमन्, मैं यह कह दूं कि ज्यादातर काण्ड जिनका मैं नाम ले रहा हूं वह ज्यादातर नैतिक दुर्बलता के कारण हुए हैं। राजीव वर्मा काण्ड पर पटाक्षेप किया गया और पर्दा डाला जा रहा है। श्रीमन्, उन्नाव के एक डी0एम0 थे जिनके बारे में मैंने पिछली बार भी सदन में कहा था कि उन्होंने अपनी प्रेमिका के नाम पर एक कालोनी

[श्री राजेन्द्र सिंह]

का नामकरण किया। अब वह बदल कर बिजनौर चले गए तो वहां नेशनल कार्बेट पार्क में ....

(सत्ता पक्ष की ओर से व्यवधान)

श्रीमन्, वाईन बूमेन काण्ड मू0पू0 मुख्य सचिव का था, क्या हुआ ? पर्दा डाल दिया गया। श्रीमन्, एक और मू0पू0 महापालिका के प्रशासक थे उन्होंने महमूदाबाद में क्या किया, पीछे छोड़ दिया गया। ऐसे ही एक डाइरेक्टर थे टूरिज्म के मरहूम, अब उनके बारे में कहते अच्छा नहीं लगता है, पर कहना पड़ रहा है कि उन्होंने अपनी एक रिसेप्सनिस्ट के साथ रंगरेलियां उड़ायीं और वह काण्ड भी पर्दे के पीछे चला गया। इसी तरह से माननीय सदस्य भोला पाण्डेय और सुमन लता दीक्षित का केस हुआ। श्रीमन्, यह अच्छा हुआ कि उन्होंने शादी करके अपनी दुर्बलता को छिपा लिया।

श्रीमन्, अब मैं राजनीतिक भ्रष्टाचार की बात पर आता हूं। इतिहास में इतना बड़ा राजनैतिक भ्रष्टाचार बहुत कम देखने को मिलेगा, जोकि यहां देखने को मिला है। श्रीमन्, गढ़वाल के चुनाव किन परिस्थितियों में स्थगित हुए, एक लेखक ने बहुत अच्छा इसके सम्बन्ध में लिखा है। श्रीमन्, शकधर ने और इलेक्शन कमीशन ने भी यह कहा कि यह गलत हुआ है। उसके बावजूद भी उन्होंने कहा कि हमने नहीं किया, गृह सचिव ने नहीं किया। श्रीमन्, इस सम्बन्ध में मैं एक मिसाल देना चाहता हूं कि एक हाथी था एक राजा के पास मरणासन्न था। प्रजा को दे दिया। राजा ने कहा कि इसके मरने की सूचना नहीं आनी चाहिए वरना फांसी दे दूंगा। एक दिन हाथी मर गया। जो लोगों ने सोचा कि अगर यह खबर दी जाती है तो राजा फांसी दे देगा। इस पर एक चतुर व्यक्ति ने राजा साहब से कहा कि आपका हाथी न खाता है न पीता है, न सांस लेता है, न बोलता है। तो राजा ने कहा कि क्या वह मर गया। तो उस व्यक्ति ने कहा कि महाराज यह मैं कैसे कह सकता हूं कि वह मर गया। अगर मैं कहता हूं तो मुझे फांसी हो जायगी। वही राजा साहब ने किया है। राजनैतिक भ्रष्टाचार की बात है, एक भूतपूर्व अध्यक्ष थे, कांग्रेस आई0 के, अभी हाल में केन्द्र में मन्त्री बने हैं, उप मन्त्री। उनके इलाहाबाद के एक नकलची पुत्र को चांसलर ने क्षमा प्रदान कर दी। क्षमादान कर दिया। तीसरा है, श्रीमन्, क्षेत्र समितियों का अध्यादेश। कभी नहीं हुआ श्रीमन्। जहां तक मुझे सूचना है, करीब-करीब सभी सम्बन्धित मन्त्रियों ने कहा था कि दिसम्बर तक चुनाव करा देंगे। अब प्रजातन्त्र की कैसी अवहेलना हो रही है। शायद चुनाव न करायें, तो यह बहुत बड़ा भ्रष्टाचार कहा जायगा। नामांकन द्वारा, एम0एल0सी0, क्षेत्र समितियों में नामांकन करना, कभी ऐसा नहीं हुआ होगा।

बटलर पैलेस काण्ड। कौड़ियों के मोल न्योछावर। ज्यादा नहीं कहूंगा इतना ही कहना चाहूंगा कि यह इस शताब्दी का सबसे बड़ा राजनीतिक घपला है। किसके लिए किया गया, क्यों हुआ, डिटेल नहीं दूंगा, आप पता लगायें। लेकिन हुआ।

श्रीमन्, परसों मैंने एक रिमार्क, मेरे मुंह से निकल गया, मुख्य मन्त्री जी को उस पर आपत्ति हुई। उनकी भावनाओं का आदर करते हुए मने कहा कि अगर आप को यह नागवार गुजरा हो तो मैं इसको वापस लेता हूं लेकिन श्रीमन्, मैं एक बात बहुत साफ कहना चाहूंगा कि मुख्य मन्त्री जी, प्राइवेट कण्डक्ट और पालिटिकल कण्डक्ट, दोनों अलग-अलग नहीं हैं। यह नहीं होता कि यह मेरा प्राइवेट मामला है इस पर मत बोलिए। मेरा पब्लिक जीवन यह है, इस पर बोलिए। अगर शुद्धता रखना चाहते हैं तो प्राइवेट और पालिटिकल, दोनों को शुद्ध रखना होगा।

'आज' एक नवम्बर का है। इसमें निकला है 'गृह मन्त्री कैसा---स्वरूप कुमारी जैसा।'

(हंसी)

(सत्ता पक्ष की ओर से व्यवधान)

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

सबसे बड़ा घपला बता दें ।

श्री राजेन्द्र सिंह--

श्रीमन्, ताल कटोरा आवास योजना है। उसका मामला है। इसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि लखनऊ के तत्कालीन अतिरिक्त जिलाधिकारी श्री वासुदेव प्रसाद ने यह घपला जब प्रकाश में आया तो कैसरबाग कोतवाली में अभियोग दर्ज कराया तथा मामले की छानबीन सी0आई0डी0 को सौंप दी। आगे लिखा है कि छानबीन अधिकारियों ने श्रीमती बख्शी के गृह मन्त्री बनने के बाद केवल इतनी जानकारी दी है कि वे अधिक भुगतान के लिए जांच के दौरान दोषी पाई गयीं। आगे और लिखा है श्रीमन, कि बख्शी उससे तीन माह पूर्व मई में ही मृतक राजकुमारी बख्शी की वारिस बनकर पहले भुगतान ले लिया था और सभी भुगतान इन्होंने तब प्राप्त किया है जब वे विधायक थीं और उनकी पार्टी की सरकार थी।

श्रीमती बख्शी जिस समय विधान सभा की सदस्य थीं, उसी समय का यह है। अब मैं बहुत चीजें छोड़ देता हूं लेकिन एक-दो चीजें और कहूंगा। मुख्य मंत्री जी का सत्ता को सम्हालने के बाद एक नारा था, सत्ता का पक्ष, गरीब का पक्ष, भ्रष्टाचार उन्मूलन और उसकी गतिविधियां दूसरा प्रमुख मुद्दा लेकिन परिणाम क्या हुआ दुष्ट दलन नहीं हुआ दुष्ट फलन हो गया। श्रीमन्, कई बार कहा जाता है कि और घोषणायें की जाती हैं और जब पढ़ते हैं तो निश्चित तौर पर आश्वस्त होते हैं। जब पढ़ा कि यह फौलादी हाथ सत्य को पकड़कर ही रहेगा तो बहुत अच्छा लगा लेकिन यह फौलादी हाथ प्रदेश की जनता को गुमराह करने के लिये एक नाटक था। माननीय मुख्य मंत्री जी खाली बोलने से प्रशासन में शुचिता, शुद्धता, स्वच्छता नहीं आने वाला। अगर आपके मन में कहीं कुछ बचा रखा है, अगर आप बंधुआ नहीं हैं किसी के और अगर आपके मन में सम्मान और दृढ़ता है और जैसा कि आज संवेदना व्यक्त करते समय माननीय उपाध्यक्ष ने नाम लिया राजा भोज का तो मैं चाहता हूं कि जिन महिलाओं के सिंदूर को आप लूटते चले जा रहे हैं वहां इतना जरूर सोच लीजिए कि एक दिन सब को जाना है, आपको भी जाना है। आपका ईमान अगर कहीं थोड़ा बहुत बचा रह गया हो और उसमें दृढ़ता हो तो इस प्रदेश को सही दिशा देने की कोशिश करें वरना आपके शासन में कोई उम्मीद बची नहीं है किसी को। जय हिन्द।

श्री अधिष्ठाता--

शेष संशोधन प्रस्तुत किये हुए माने जाएंगे।

[शेष संशोधनों के लिये देखिए नत्थी 'च' आगे पृष्ठ 407-434 पर]

*श्री प्रमोद कुमार--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, बचपन में नानी-दादी कहानियां सुनाया करती थीं जो यथार्थ से परे होती थीं और आज ऐसी ही कहानी, जिसका यथार्थ से कोई मतलब नहीं, सच्चाई से कोई वास्ता नहीं, अभी सदन में नेता विरोधी दल की जुबानी सुनी। मान्यवर, नेता विरोधी दल जब बोल रहे थे तो हम सब सोच रहे थे कि कुछ तथ्य सामने आयेंगे लेकिन वही खोखली बातें, वही पुराना रोना, वही बेबुनियाद बातें, कोई नयी बात सामने नहीं आई। मान्यवर, मैं निश्चित रूप से दावे के साथ कह सकता हूं कि राज्यपाल का यह अभिभाषण विगत कई वर्षों में इस प्रदेश को दिया गया पहला आशा का सूर्य है जिसकी चमक से उत्तर प्रदेश सुख समृद्धि के रास्ते पर आ रहा है। हमें आशा भी नहीं थी कि आप इस समय जब देश की सीमाओं

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री प्रमोद कुमार]

पर दुश्मनों के जखीरे की पकड़ है, हमारी शान्ति व्यवस्था को दुश्मन हर वक्त चुनौती देने के लिए खड़ा है। हमारी सीमायें आरक्षित हैं। जब जरूरत है कि देश की पैदावार बढ़ाई जाय, देश का उत्पादन बढ़ाया जाय, उस समय देश की प्रगति को एक दिन बंद करने वाला देश भक्त नहीं तो हो सकता। वह देश का हित नहीं चाहता। मान्यवर, सन् 80 में इस दल का जनाजा निकला था जो जनता पार्टी कहलाती थी। 19 जनवरी को उसकी तेरहवीं बड़ी धूमधाम से प्रदेश की जनता ने मनायी। उसने गैर कानूनी, देश प्रेम से दूर, उस गलत पुकार को पूरी तरह से ठुकरा दिया। मैं कह सकता हूं कि भारत बंद का नारा इस देश में बैठ कर नहीं दिया गया था बल्कि विदेशों के इशारे पर इस देश के वे लोग जो सी0 आई0 ए0 और ऐसी विदेशी संस्थाओं के पैसे से पल रहे हैं उन्होंने इस देश की अर्थ व्यवस्था तोड़ने का कुचक्र रचा था। इस प्रदेश की इस शताब्दी का सबसे बड़ा मजाक एक हुआ। देवली और साढ़ूपुर में जो कुछ हुआ वह दुखद है।

मान्यवर, उससे कहीं ज्यादा दुःखद है उसे राजनीतिक जामा पहनाना। एक पद यात्रा अभी देवली, साढ़ूपुर के लिए हुई। उस पद यात्रा में शामिल हुये माननीय चौधरी चरण सिंह जी और अटल बिहारी बाजपेयी। पद यात्रा तो कहीं नहीं हुई। कहीं कार यात्रा हुई, कहीं रेल यात्रा। एक प्रत्यक्षदर्शी ने जो बात कही उसको आप के सामने रखना चाहता हूं। जब चौधरी चरण सिंह जी आगे जा रहे थे और अटल बिहारी बाजपेयी पीछे जा रहे थे तो कुछ फोटोग्राफरों ने पीछे से बाजपेयी जी का एक फोटो उतार लिया। चौधरी साहब को यह बरदाश्त नहीं हुआ। पीछे से आवाज किसी की आई कि मान्यवर, इनके साथ चलेंगे तो अगला प्रधान मंत्री कौन होगा। यह मामला खटाई में पड़ गया और चौधरी चरण साहब कूद कर कार पर बैठे और वापस दिल्ली चले गये। हरिजनों की आत्मा को कलंकित करने के लिए माननीय चौधरी साहब और अटल बिहारी बाजपेयी जी ने जो नाटक किया वह कितना असफल रहा।

एक फोटो दिखा रहे थे हमारे नेता विरोधी दल। ऐसी ही कुछ फोटो चांदनी चौक, कनाटप्लेस में चार आने, आठ आने में बिकवाने का आरोप तत्कालीन जनता पार्टी के केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने तत्कालीन जनता पार्टी के रक्षा मंत्री के पुत्र पर लगाया था। निश्चित रूप से आपने देखी होगी। वह व्यक्ति देवली गया था। देवली गया था हरिजनों से यह कहने कि सरकार ने जो पैसा तुम को दिया था उसे वापस कर दो। जब उनकी शादी की बात आई तो केन्द्रीय मंत्री जी ने उनसे कहा कि तुम हरिजन परिवार में शादी कर लो तो उन्होंने कहा कि जब आप मंत्री हो गये हैं तो मैं हरिजन कास्ट में कैसे शादी कर सकता हूं। और अपनी रासलीला की तस्वीर गलियों में बांटी। नेता विरोधी दल सदन छोड़ कर चले गये हैं। उनसे एक सवाल पूछता कि आप अपने को किसानों का हमदर्द कहते हैं मेरे सिर्फ एक बात का जवाब दे दीजिए। जब आप कृषि मंत्री थे तो आपने गन्ने की कीमत क्या रखी थी। आज इस दल की सरकार है तो गन्ने की कीमत क्या है। कौन सा वह कारण था जिस से मजबूर हो कर किसानों ने अपनी मेहनत की पैदावार को, गन्ने की फसल को, खेतों में जला दिया था।

आज से दो वर्ष पूर्व इसी सदन में यहीं पर तत्कालीन जनता पार्टी दो टुकड़ों में सिर्फ इसलिए बंट गयी थी क्योंकि यह तय नहीं हो पा रहा था कि मुख्य मंत्री कौन होगा और उसका नतीजा यह हुआ कि आज राधे और सन्तोषा सहित 14 से ज्यादा अभियुक्त जेल के अन्दर बैठे हुए हैं। कहा जाता है कि एक हजार से भी ज्यादा एनकाउन्टर और मुठभेड़ हुई है। कई गिनती गिनाई गईं, अखबारों की कतरनें दिखाई गईं लेकिन 37 से ज्यादा विवाद नहीं मान गये। यदि ये 37 हैं तो उन 963 के विषय में आपको क्या कहना है, यह मैं आपसे पूछना चाहता हूं। जब से दस्यु दलन का कार्यक्रम चलाया गया, मैं साफ तौर पर कहना चाहता हूं कि एटा, मैनपुरी और इटावा में पहले से काफी ज्यादा शांति बनी हुई है। मैं आपके द्वारा सदन के माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से

कहना चाहता हूं कि अगर आप चाहते हैं और जो आपका इरादा है कि ऐसे लोग सामने आयें जो कानून तोड़ते हैं, आप कुछ न करें जनता सरकार के मंत्री रह चुके हैं जिन्होंने इटावा के अन्दर कारबाइन के लाइसेन्स सन् 77 से लेकर सन 80 तक के बीच में इश्यू करवाये हैं, मेरा दावा है कि उनमें से 3–4 लोग आज पिंजड़े के अन्दर जेलों में बन्द हैं जिन्होंने आज मासूम लोगों के खून की होली खेली है।

(व्यवधान)

मान्यवर, इन्होंने जमशेदपुर में आग लगाई, अलीगढ़ में आग लगाई, मुरादाबाद में लगाई और इस तरह से साम्प्रदायिक दंगों को बढ़ावा दिया। हमारी सरकार के शासन काल में होली, दीवाली, ईद और बकरीद साथ-साथ मनायी गई है और कोई ऐसी अप्रिय घटना नहीं हुई है। एक शिकायत अगर भारतीय जनता पार्टी के लोगों की होती तो वह जायज थी। पहले एक बच्चा हुआ करता था जनसंघ। तीन साल तक वह जनता पार्टी के गर्भ से बाहर निकला तो उसने अपना नाम बदल दिया---भारतीय जनता पार्टी। कपड़े और टोपी बदल गई लेकिन भाषा वह आर0 एस0 एस0 की ही बोल रहा था।

डाक्टर धर्मपाल---

मैं पूरे सदन और मुख्य मंत्री को चुनौती देता हूं कि जितने भी मेम्बर यहां हैं यदि मुझसे ज्यादा कोई मेक्यूलर निकल आयेगा तो मैं सदन से इस्तीफा दे दूंगा।

श्री अधिष्ठाता---

आप कृपया बैठें। आप बिला इजाजत के बोल रहे हैं।

*श्री प्रमोद कुमार---

मान्यवर, इस चुनौती का जवाब इस देश और प्रदेश की जनता ने समय-समय पर दिया है। 1980 के चुनावों में दिया है जिसके परिणामस्वरूप आप यहां से वहां बैठे हुये हैं जबकि आपने प्रदेश की अर्थ व्यवस्था को चौपट कर दिया था। अगर अब आप प्रदेश की शांति व्यवस्था को भी अस्त-व्यस्त करेंगे तो इसमें कोई शक नहीं रहेगा कि आप इस सदन से बाहर हमें जायेंगे। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से राज्यपाल के इस अभिभाषण का समर्थन करता हूं और इस निश्चित विश्वास के साथ करता हूं कि प्रदेशीय सरकार द्वारा किये गये वायदे, किये गये कार्य निसंदेह अनुकरणीय हैं। जो आपने कुकर्म किये हैं उनके लिये थोड़ा पश्चाताप भी कीजिये और प्रदेश में स्थायी और मजबूत जो सरकार है उसके साथ सहयोग कीजिये और हरिजनों के आंसू पोंछने में हमारी मदद करें।

श्री रियासत हुसैन---

श्रीमन्, मैं बड़े दुख के साथ महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर अपनी बात शुरू कर रहा हूं। श्रीमन्, इस सरकार का सन् 1980 का साल अल्पसंख्यकों के कत्ले आम का साल था और सन 81 का साल हरिजनों के कत्ले आम का साल है। श्रीमन्, मेरी समझ में यह बात नहीं आई कि माननीय मुख्य मंत्री ने जो अभिभाषण तैयार करके दिया वह 24 सूत्री कार्यक्रम के लिए दिया उसको भी शायद सत्ता पक्ष के अधिकतर लोग नहीं जानते हैं और वह ओवरनाइट बदल गया और एक नया कार्यक्रम 20 सूत्री आ गया, एक रात में दिल्ली से आ गया। माननीय राज्यपाल महोदय ने यह महसूस किया कि इस 24 सूत्री के स्थान पर 20 सूत्री आ गया लिहाजा 20 सूत्री कार्यक्रम की घोषणा कर दी। उसको भी मैं समझता हूं कि सत्ता पक्ष के लोग नहीं जानते होंगे। यह दोनों भिन्न हैं।

श्री अम्मार रिजवी---

एक निवेदन है श्रीमन्, माननीय रियासत हुसैन साहब ने कहा 20 सूत्री कार्यक्रम की घोषणा कर दी। उन्होंने कहा था कि यह भी कार्यक्रम आया है जिसको कार्यान्वित किया जायेगा, कोई नयी घोषणा नहीं की। बल्कि जो बात थी उसमें और जोड़ दिया।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अधिष्ठाता--

इस पर माननीय अध्यक्ष जी ने निर्णय दे दिया था कि जो लिखित अभिभाषण मिला है उसी पर चर्चा होगी उसके अतिरिक्त जो कहा है उस पर वे बाद में निर्णय देंगे।

श्री रियासत हुसैन--

चूंकि माननीय अध्यक्ष जी ने रूलिंग दे दी उसी के आधार पर हम 24 सूत्री कार्यक्रम पर महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा कर रहे हैं। तो क्या हम यह मान लें कि विश्वनाथ प्रताप सिंह जी को इस 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्दर विश्वास नहीं है जो कि प्रधानमंत्री जी ने दिया है। हम तो यही मानते है कि 24सूत्री कार्यक्रम पर बहस कर रहे हैं।

श्री विश्व नाथ प्रताप सिंह--

उस 20 सूत्री कार्यक्रम पर आपको विश्वास हुआ उसके लिए हम स्वागत करते है।

श्री रियासत हुसैन--

लेकिन आपको विश्वास नहीं हैं आपका 20 सूत्री से संबंध नहीं है इसलिए मैं यह बात कह रहा हूं। श्रीमन्, यहां बड़ी चर्चा रही माननीय मुख्य मंत्री जी ने बार बार कसमें खायीं। ठीक है वह सुबह खायें और शाम को फिर खायें हमको कोई परेशानी नहीं है। लेकिन श्रीमन्, परेशानी इस प्रदेश की जनता को इस बात की है कि कसम मुरादाबाद कांड के संबंध में खाई तमाम शासन समझने लगा कि कितने दिनों बाद माननीय मुख्य मंत्री जी नहीं रहेंगे। आपने कसम खाई बिजली उत्पादन के संबंध में तमाम आफिसर समझने लगे कि क्या इतने दिनों के बाद माननीय मुख्य मंत्री जी नहीं रहेंगे। फिर आपने कसम खाई देवली कांड पर लोग समझने लगे कि इतने दिनों बाद माननीय मुख्य मंत्री जी रहेंगे कि नहीं रहेंगे। फिर आपने प्रेस वालों के सामने कहा, इसकी प्रेस वाले जांच करेंगे कि आप औरत हैं या मर्द है, उर्दू के बारे में आपने कहा कि यह ठाकुर का वचन है 31 दिसम्बर तक उर्दू प्रदेश की दूसरी राजभाषा घोषित हो जायेगी.....

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

रियासत साहब खुद जांच कर लें मैं तैयार हूं।

श्री रियासत हुसैन--

यह बात प्रेस वालों से कही है जांच वह करेंगे उनसे आपने कहा कि यह मर्द का वचन है ठाकुर का वचन है, उर्दू प्रदेश की दूसरी राज भाषा घोषित होगी लेकिन वह नहीं हुई। यह बात अब प्रेस वाले बतायेंगे हमसे तो आपने कहा नहीं। हमसे कहते तो हम ही जांच कर लेते कौन सी बात थी जरा देर में जांच हो जाती।

प्रदेश की जो आर्थिक स्थिति है उस पर भी नजर डालें। आज भी प्रदेश के अन्दर जो बड़ी शर्मनाक बात है कि 5 लाख 50 हजार बंधुवा मजदूर मौजूद है और बहुत से मालिक इस सदन में भी हैं।

आप जरा देखे जो प्रदेश का इंटरप्राइज है जिसका आप संचालन करते हैं उसमें 60 लाख रु0 रोजाना का नुकसान हो रहा है इन दो पब्लिक इन्टरप्राइजेज में। आपने फर्टीलाईजर की कीमत बढ़ाई। उसका नतीजा यह हुआ कि इस प्रदेश का गरीब किसान जो पहले एक एकड़ में एक कट्टा खाद डालता था, वह उससे बहुत कम खाद डालने लगा। वह मजबूर हो गया दो एकड़ में एक कट्टा खाद डाले और वह मजबूर हो गया कि वह बिना फर्टीलाइजर के अपनी फसल बो दे। इसका असर पूरे प्रदेश पर और देश पर पड़ेगा, इस पर क्या आपने कभी सोचा है? उसके परिणामस्वरुप आज पूरे प्रदेश में उत्पादन

घटा है और इधर 50 परसेंट से अधिक फसलों का उठान नहीं हुआ है। ला एण्ड आर्डर की स्थिति के बारे में बड़े विस्तार से मुख्य मंत्री जी ने बताया है, लेकिन इसके लिए उन्होंने क्या सोचा है जो आठवां पास, इन्टर पास और एजूकेटेड लोग आज बेकार घूम रहे है, अनएम्पलाइड हैं ? उनके लिए क्या आपने कोई रोजगार की सुविधा उपलब्ध कराई है, उनको समाज में कहीं ऐडजस्ट करने के बारे में क्या आपने कभी सोचा है ? उसके कारण भी आज ला एण्ड आर्डर की स्थिति आज इतनी अधिक खराब है। यहां पर मैं कह दूं, ला ऐण्ड आर्डर की बदतर स्थिति से आज चिन्तित पूरा प्रदेश है--- चाहे इधर का बैठने वाला हो या उधर का बैठने वाला हो। रात की गड़बड़ से वह चिंतित है कि रात में उसकी जान माल सुरक्षित रहेगी या नहीं। लेकिन यह जिम्मेदारी आप पर है, क्योंकि आपके हाथ में सत्ता है, आपके हाथ में पूरी ताकत है। जवाब आपका यह होता है कि विरोध पक्ष के लोग ला एण्ड आर्डर को खराब कर रहे हैं।

मैं यह कहता हूं कि किसी भी दल का आदमी हो चाहे वह यहां बैठता हो या वहां बैठता हो, जो भी बदमाशों, डकैतों और चोरों का संरक्षण देता है या उनकी किसी प्रकार की हिफाजत करता है, उसको बख्शा नहीं जाना चाहिए। लेकिन चेरिटी मस्ट बि बिगेन फ्राम होम। इसके लिए सबसे पहले आपकी गृह मंत्री जिम्मेदार है, क्या वह स्क्रूटर्स लिफ्टर्स को मदद नहीं देती हैं ? अखबार और लखनऊ मौजूद है, आपकी सरकार के अखबार और आपका पुलिस विभाग भी मौजूद है, वह सब इस बारे में पूरी असलियत को जानते हैं।

गृह मंत्री (श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी)---

इस बात के लिये मैं बिलकुल डिनाई करती हूं और सबको चुनौती देती हूं। मेहरबानी करके आप अखबारों पर मत जाइये। रियासत हुसैन साहब, आप अखबारों पर इतना कब से विश्वास करने लगे हैं ?

श्री रियासत हुसैन---

श्रीमन्, मैं दीदी का बड़ा सम्मान करता हूं, लेकिन वह इस प्रदेश की दीदी नहीं इस प्रदेश की होम मिनिस्टर हैं। उनके हर आचरण पर प्रदेश के 11 करोड़ जनता की नजर पड़ती है। और उनके कार्यकलापों का उनके जीवन पर असर पड़ता है ? क्यों नहीं आप हिम्मत करके इन्क्वायरी करा डालें ? उसमें तथ्य सामने न आवें तो आप कहियेगा।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी---

मैं चुनौती देती हूं, आप स्वयं करा लीजिए।

श्री रियासत हुसैन---

सेन्टर से आया कि हमें प्लान के लिए रुपया चाहिए। आपने रुपया वसूल करने के लिए इरीगेशन के रेट बढ़ा दिये और 3 एकड़ तक की जो जोत लगान मुक्त थी, उस सीमा को घटाकर आपने डेढ़ एकड़ कर दिया। इसके पहले आप किसानों को उत्पादन के लिए प्रोत्साहन देने के लिए विभिन्न स्कीमों के तहत तरह तरह की सुविधाएं देते है। तो एक थे और देते तरफ तो आप यह करते है और दूसरी तरफ यह कर दिया है, यह कैसा विरोधाभास है। जो लोग ला एण्ड आर्डर को समझते है वह अच्छी तरह से जानते और अनुभव करते है कि जब प्रोहिबिशन इस प्रदेश में था तो ला एण्ड आर्डर की स्थिति कन्ट्रोल में थी, लेकिन जब से आपने 70-72 करोड़ रुपये के कारण उसे हटा दिया है राधे और सन्तोषा मर्डर करते है। यह बहुत मामूली बात है। जब आदमी होश में नहीं होंगे तो वह क्या कर डालेगा, कुछ पता नहीं है। अगर आपको 72 करोड़ रुपये की ही आवश्यकता थी जिसके कारण आपने प्रोहिबिशन को समाप्त कर दिया तो जो 12 जिले है उनकी भी नीलामी बोल दीजिए, आपको तकलीफ नहीं करनी पड़ेगी।

[श्री रियासत हुसैन]

जहां तक पर पावर्टी लाइन का सम्बन्ध है हमारे प्रदेश में वर्ष 1972-73 में 47.95 मिलियन व्यक्ति थे। वर्ष 1978-79 में यह संख्या 50.22 मिलियन हो गयी तो स्पष्ट है कि हम पावर्टी लाइन की ओर भी बढ़ रहे हैं। प्लान के लिए दूसरे लोगों से आप 5000 करोड़ रुपया ले रहे हैं। अब वे कह रहे हैं कि नहीं देंगे तो आप परेशान हो रहे हैं। इस समय हमारे यहां की आबादी 11 करोड़ है। हम दूसरों के कंधों पर अपनी समस्या को हल करना चाहते हैं, इसके लिए हमें अपने हैण्डस पर, अपने बाजुओं पर भरोसा होना चाहिये।

मुजफ्फरनगर की परकैपिटा इनकम 449 है जबकि प्रतापगढ़ की 198 है, यह आप प्लानिंग करते हैं। एक से एक काबिल अधिकारी और मंत्री आपके यहां हैं लेकिन फिर भी कहते हैं कि क्राइम बढ़ रहे हैं, क्योंकि पापुलेशन बढ़ रही है। आपके यहां पर पापुलेशन में 18 प्रतिशत का इजाफा है जबकि आपके प्रदेश में क्राइम्स में 33 प्रतिशत का इन्क्रीज है। ये आपके आंकड़े हैं। आपकी सरकार के बारे में आपके सेन्टर के लीडर्स क्या कहते हैं। उन्होंने यह कहा है कि हरिजनों और माइनौरिटीज की पूरी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश स्टेट सरकार की है। अगर नहीं कहा है तो आप इस बात को डिनाई कर दीजिए ? श्री कल्पनाथ राय जो कांग्रेस के महामंत्री थे, श्रीमती इन्दिरा गांधी ने खुश होकर उन्हें डिप्टी मिनिस्टर बना दिया तो उनकी बात में विश्वास होना चाहिए। उन्होंने भी कहा है कि आपकी सरकार किसी काम की नहीं है। आपके केदार पांडेय जी जो रेल मंत्री, ने कहा था कि रेलों में डकैतियां सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में ही होती हैं। यह बड़ा ही अनसेफ एरिया है। ये जो आपके अधिकारी हैं उन्होंने भी कहा है।

देवली और साढ़ूपुर कांडों का जहां तक सम्बन्ध है, उनके बारे में डिटेल में तो तब जाऊंगा जब सदन में प्रस्ताव पर चर्चा होगी लेकिन मैं स्वयं साढ़ूपुर और देवली गया था। अब वहां पर रोना धोना समाप्त हो गया है, आपने पैसा कौड़ी भी दी, बिजली के खंभे भी लगवा दिए। जब शांति होती है तो आदमी ठीक ढंग से बात करते हैं। मैं जब वहां पर ठाकुरों और हरिजनों से मिला तो दोनों का कहना था कि जो दरखास्त उन्होंने 4 सितम्बर, 1980 को भेजी थी जिसमें लिखा था कि संतोषा और राधे बदमाश हो गये हैं, वे रात में आते हैं और हमारी जान माल को खतरा है, वह दरखास्त आई0 जी0, आपको और प्रधान मंत्री को भी भेजी थी। लेकिन आज तक भी उसका पता नहीं चला कि वह किसी थाने में भेजी गयी या नहीं। उसी तरह से एक महीने पहले मिन्टू ने सूचना दी थी कि राधे और संतोषा उदयवीर को मारना चाहते हैं। पुलिस को खबर पहुंच गयी, मगर पुलिस दूसरे दिन पहुंचती है। अगर आपकी पुलिस ने सूचना मिलते ही राधे और संतोषा को गिरफ्तार कर लिया होता तो यह घटना न घटती, यह लोग न मारे जाते। पुलिस को सूचना होते हुये भी, सारी जानकारी होते हुये भी पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की।

जहां तक एनकाऊन्टर्स की बात है, माननीय नेता विरोधी दल ने बहुत विस्तार से बातें कही हैं, मैं एक दो बात कहना चाहता हूं, अधिक समय नहीं लूंगा। सन् 1973 में एनकाउन्टर्स की संख्या थी 336 और 1980-81 में वह संख्या हो गयी 3,366। जो डकैत मारे गये उनकी संख्या 1973-74 में थी 80 और वह 1980-81 में ही गयी 983। इसी तरह गिरफ्तारी की संख्या 1973-74 में थी 1656 और वह संख्या 1980-81 में 10 हजार हो गयी। अब प्रश्न यह है जिसका उत्तर मैं माननीय मुख्य मंत्री से चाहता हूं, कि जब 1980-81 में 3,355 एनकाउन्टर्स हुये और डकैत मारे गये केवल 983 तो यह बाकी फीगर जो बचती है 2353 की वह किनकी है (व्यवधान) शेष एनकाउन्टर किनसे हुआ क्योंकि डकैत तो 983 ही मारे गये। (व्यवधान)

मान्यवर, एक पत्र अनारसिंह का पुलिस को मिला था। [illegible] यह नहीं है कि वह पत्र नकली था या असली था, लेकिन उसके [illegible] को मैं [illegible] कुछ में पढ़कर सुनाना चाहता हूं। उस पत्र में उसने लिखा है कि "पुलिस के [illegible] अधिकारियों ने मेरे जख्मों पर नमक छिड़क कर शुरुआत करा दी है और पुलिस [illegible] मेरे रिश्तेदारों को और घर वालों को जेल भेज दे, मैं हाजिर होने वाला नहीं हूं . . . " [illegible] यह भी लिखा है ". . यदि आप अपराध समस्या को हल करना चाहते हैं तो [illegible] गरीब जनता को सताना बन्द कर दें। मनुष्य के अपराधी होने के कारणों को जान लें कि मनुष्य किन कारणों से मानव से दानव बन जाता है और मेरे साथ जो [illegible] की, यदि वही किसी अन्य के साथ भी की जाती तो वह [illegible] आदमी क्यों न होता, उसे मेरी तरह बागी बन जाना पड़ता . ."

तो मेरा निवेदन यह है कि आप इस समस्या को हल [illegible], अगर ऐसा नहीं करेंगे तो काम चलने वाला नहीं है।

मान्यवर, इटावा के अन्दर 5 आदमी [illegible] 4 आदमियों का कत्ल करके आ रहा था तो उसे एक आदमी ऊंट पर [illegible] दिखायी दिया। उसने उसे ऊंट पर से उतारा और उसका सर काटने [illegible] उसके खून को सुरेन्दर की चिता पर जाकर चढ़ाया। तो मैं पूछना चाहता हूं कि यह [illegible] की भावना क्यों है? यह क्यों जागृत हो रही है, इस पर भी [illegible] है। गन्ने का मसला आया, समझ में नहीं आता, क्या [illegible] है। इसी हाउस में, मैं माननीय गेंदा सिंह को धन्यवाद देता हूं, [illegible] फार्मूला निकला। सिंचाई फार्मूला के नाम पर यह हुआ कि 1 और 16 का [illegible] उस वक्त था जब न खोई की कीमत थी, न सीरे की कीमत थी और न [illegible] था। यह मैं कांग्रेस के लोगों का बड़ा एहसानमंद हूं, यह उन्हीं का [illegible] है। चीनी 538 और 612 के बीच में और जिसका ऐवरेज 570 रुपया पर कुन्टल [illegible] है। 570 को 16 से तकसीम कर दीजिए। गन्ना तो ऐसी चीज नहीं है कि वह [illegible] रख देगा। वह तो ऐसी चीज है नहीं कि उसे काट कर घर के अन्दर भर लेगा और [illegible] के बाद बेचेगा। वह ऐसा तो नहीं कर सकता है। [illegible] था कि 140 गलत बताया था, 136 रुपया है। आखिर आप किसान को कहां [illegible] चाहते हैं? 140 में किसान का गेहूं बिकेगा और फिर आप सोचें कि किसान की आर्थिक स्थिति ठीक हो जायगी?

आपके बारे में मैं यह भी कहना चाहता हूं कि [illegible] हैं उत्तर प्रदेश का? आपके बारे में इम्प्रेशन है सारे अधिकारियों और कर्मचारियों का, मुख्यमंत्री जी के बारे में पूरे अधिकारियों और कर्मचारियों का यह इम्प्रेशन है कि मुख्यमंत्री जी इतने भले आदमी हैं कि वह किसी को नुकसान पहुंचा ही नहीं सकते हैं। सकतपुरा गांव हमारे जिले में है। वहां पर बहुत से लोग अनधिकृत रूप से जमीनों पर कब्जा किये हुए हैं। अभी तक उनके पजेशन की जमीन नहीं निकल सकी है और न जमीन हरिजनों और भूमिहीनों में बंटी है। वहां का सी0 ओ0 3 साल 10 महीने से एक ही जगह पर है। ग्राम सकतपुरा का ग्राम प्रधान, वहां के सी0 ओ0 की मिली भगत से [illegible] की जमीन पर अनधिकृत कब्जा कर रहा है। दलपतपुर ग्राम के कोटे के लिए दो महीने पहले [illegible] जाने आदेश दिया लेकिन आपके अधिकारियों ने उसमें अब तक दो महीने तक कोई एक्शन नहीं लिया।

श्रीमन, अंत में मैं कहना चाहता हूं कि इस प्रदेश की बागडोर आपके हाथ में है इसलिये इन बातों से काम नहीं चलेगा कि यह कहें कि जनता पार्टी ने यह काम किया। यदि जनता पार्टी ने पाप किया तो आप तो न करें। मान्यवर, 12 जिलों में आपने कोटा

[श्री रियासत हुसैन]

थानेदारों को फिक्स कर दिया कि हर एक को 20 रुपया डन्टर दिलाने है। यदि यह कोटा पूरा आप करवायगे तो जनता आपको उधर से उधर बिठा देगी, इसलिये कोटे के चक्कर में आप ना आयें।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

कोई कोटा फिक्स नहीं है, यह मैं आपको आश्वासन देती हूं।

श्री रियासत हुसैन--

हमको सोचना चाहिये कि हमारा कहीं ला एण्ड आर्डर को डिस्टर्ब करने वाले बदमाशों और डकैतों से कोई सांठ गांठ तो नहीं है। इसमें हमारी भी जिम्मेदारी है और हम सबको मिल कर इस पर सोचने की जरूरत है। वरना जो सड़क पर चलने वाला कहता है कि ला एण्ड आर्डर इसलिये खराब है कि मंत्री और एम० एल० ए० का कैरेक्टर खराब है। इसलिये इस बात पर सोचना पड़ेगा। इस माननीय सदन के लोग यदि सोच लें कि सही आदमी को साथ लेकर चलेंगे और बदमाश और डकैतों को नहीं तो 24 घंटे में आपका ला एण्ड आर्डर ठीक हो जायेगा।

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय --

मान्यवर, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के संबंध में विचार करने पर यह स्पष्ट है कि यह अभिभाषण उत्तर प्रदेश ऐसे विशाल प्रदेश के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रख कर बनाया गया है। हमारे प्रदेश में अधिकतर ग्रामीण क्षेत्र का बाहुल्य है और इसीलिये ग्रामीण क्षेत्र पर विशेष ध्यान रखा गया है। ग्रामीण आवासीय व्यवस्था के अन्तर्गत सितम्बर, 1981 तक 29 हजार आवास, गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले और हरिजनों के लिये, बनाये गये हैं और वर्तमान वित्तीय वर्ष में 45 हजार तक हो जायेंगे। माननीय सदस्य श्री रियासत हुसैन ने जो कहा है कि ग्रामीण लोगों को रोजगार पाने के लिये कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया है। तो मैं इसमें निवेदन करना चाहूंगा कि उनको शायद ध्यान नहीं गया है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के प्रति हमारी सरकार जागरुक है और इसी के अन्तर्गत दिसम्बर, 1980 तक 892 पंचायत उद्योग स्थापित किये जा चुके हैं। इससे ग्रामीण क्षेत्र के जो बेरोजगार युवक हैं उन्हें रोजगार मिलेगा। एक काम और हमारी सरकार ने किया है कि अनाधिकृत कब्जा करने वालों को जिन हरिजन और भूमिहीन गरीबों को ग्राम समाज की जमीन के पट्टे मिले थे या सीलिंग से निकली जमीन के पट्टे दिये गये थे, अनाधिकृत कब्जा हटाओ अभियान के अन्तर्गत अनाधिकृत लोगों को बेदखल करके हरिजनों को जमीन दिलाने का प्रयास किया गया और इसको करने के लिये एक नया अध्यादेश जारी किया गया जिसके तहत अनाधिकृत कब्जा करने वालों को 3 साल की सजा और जुर्माने की व्यवस्था की गयी है।

मान्यवर, इतना ही नहीं ग्रामीण क्षेत्र में सड़कों और पुलों पर विशेष ध्यान दिया गया है। वर्ष 1981-82 में 1100 किलोमीटर नये मार्गों के निर्माण तथा एक हजार किलोमीटर पुनर्निर्माण की व्यवस्था की गयी है जो 1982 तक पूरा हो जायेगा। इतना ही नहीं विशेष ध्यान इस बात पर दिया गया है कि हमारे जो ग्रामीण मार्ग हैं उनको जो निकट की मुख्य सड़कें हैं उनसे संबद्ध किया जाये। हमारी प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी जी ने इस वर्ष को उत्पादन वर्ष कहा है हालांकि दुख के साथ कहना पड़ता है कि जिसे हमें उत्पादन वर्ष कहकर मनाते हैं उसे हमारे उस पक्ष में बैठे हुये लोग उत्पात वर्ष के रूप में मनाने के लिये कटिबद्ध हो गये हैं और मनाने भी लगे हैं। हम जो उत्पादन, बढ़ाकर प्रदेश की प्रगति में योगदान देना चाहते हैं लेकिन आपकी (विपक्ष) तरफ से भारत बंद का नारा दिया जा रहा है। उत्पादन की जहां तक बात है तो हमारे प्रदेश में पिछले वर्ष का उत्पादन 244 लाख 96 हजार टन था जो एक एतिहासिक रिकार्ड है। गन्ना किसानों के हित की बात उधर के माननीय सदस्यों

ने कही लेकिन वह उस समय को भूल गये जब जनता पार्टी की हुकूमत में किसानों को गन्ना 6 रुपये क्विन्टल पर बेचना पड़ा था। इतना ही नहीं उस वर्ष का जो बकाया भुगतान था वह हमें करना पड़ा। मैं अधिष्ठाता महोदय, आपके माध्यम से ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि वर्ष 1979-80 में 155.31 करोड़ रुपये का बकाया था जो आप लोग (विपक्ष) हम लोगों के लिये छोड़कर गये थे।

श्री विजय सिंह राना--

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। क्या सदन में स्पीच पढ़कर भी दी जा सकती है।

श्री अधिष्ठाता--

वह आंकड़े पढ़ रहे हैं।

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय--

मान्यवर, 29 फरवरी, 80 तक केवल 23.28 करोड़ रुपये का बकाया रह गया था। लेकिन 30 नवम्बर, 1981 तक केवल 13 लाख रुपये का बकाया रह गया है। तो कम से कम गन्ना मूल्यों की बात आप तो कहने लायक नहीं है। प्रदेश के किसानों के लिये जहां वह गन्ना बेचेंगे वहीं पर उनके मूल्य की भुगतान व्यवस्था की गयी है। गन्ना सोसाइटियों पर उनको तुरन्त भुगतान कर दिया जाता है। छठी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत 3 सहकारी चीनी मिलों के निर्माण का कार्य प्रगति पर है और छठी पंचवर्षीय योजना में 5 सहकारी चीनी मिलों की स्थापना की स्वीकृति हो चुकी है और जिसका निर्माण शुरू हो रहा है। हमारे प्रदेश के प्रशासन के प्रयास से केन्द्रीय शासन ने 4 बड़े उर्वरक के कारखाने प्रदेश को दिये हैं। एक हजार 600 करोड़ रुपये की लागत के यह कारखाने हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी और प्रदेश के शासन के प्रयास से केन्द्रीय सरकार ने यह दिये हैं। हमको पांचवी पंचवर्षीय योजना में 200 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता मिली थी। छठी पंचवर्षीय योजना में 350 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान हुयी है। यह भी हमारी एक विशेष उपलब्धि है। जहां पर 25 प्रतिशत अनुदान मिला था वहीं इस वर्ष हमें 90 प्रतिशत अनुदान मिला है। इतना ही नहीं गरीब जनता, गरीब किसानों, हरिजनों और गरीबी की रेखा से नीचे रहने वालों के लिये निशुल्क कानूनी सहायता की व्यवस्था की गयी है। ऐसे लोग जो पैसे की कमी के कारण कानूनी सहायता नहीं प्राप्त कर सकते थे उनके लिये यह व्यवस्था की गयी है। श्रमिक मालिकों के निस्तारण के लिये विशेष अदालतों का गठन किया गया है जिनसे ऐसे मुकदमों का शीघ्रता से निस्तारण किया जा सकेगा।

मान्यवर, गोंडा जनपद के बारे में हमारे विरोधी दल के नेता ने कहा था इसी गन्ने की समस्या को लेकर तुलसीपुर, जनपद गोंडा में जो लाठी चार्ज का मामला माननीय नेता विरोधी दल जी लाए, वह सही नहीं है, क्योंकि मैं वहीं का रहने वाला हूं। मुझे मालूम है कि वहां का हर किसान खुशी-खुशी अपना गन्ना ला-ला कर बेच रहा है और कोई किसी प्रकार का वाद-विवाद नहीं है। गन्ना ऐसी चीज तो है नहीं जिसे किसान न बेचकर अपने किसी कोल्ड स्टोरेज में रखेगा। अगर गन्ना सूखने या फूलने पर आ जाता है तो उसकी वजन व कीमत कम होने लगती है। इसलिए ऐसा कोई प्रश्न वहां नहीं सामने आया। हां आप लोगों (विपक्ष) ने तो अपना गन्ना बेच लिया और दूसरे गरीब किसानों को उनको अपना गन्ना बेचने नहीं देना चाहते, बैलगाड़ी से बंधे हुए बैलों को खोल दिया गया और उनको गन्ना बेचने में काफी अवरोध उत्पन्न किये गये।

श्री अधिष्ठाता--

आपका समय समाप्त हो गया।

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय---

मान्यवर, अन्त में मैं अपनी बात को जो धन्यवाद का प्रस्ताव महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के ऊपर आया है, उसका समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हुआ था और विरोध पक्ष के भाईयों से भी निवेदन करूंगा कि वे भी इसका समर्थन करें।

श्री थम्मन सिंह गहलौत---

अध्यक्षजी मंत्रीगण, सदस्य [illegible] जानकारी के लिए आपने मुझे महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण [illegible] प्रस्ताव [illegible] की ओर से रखा गया है, पर विचार प्रकट करने [illegible] विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मुझे आश्चर्य तो इस [illegible] व्यक्ति को समर्थन करने के लिये खड़ा किया है, जो [illegible] दल के विरुद्ध चुनाव लड़कर यहां आये थे। हो सकता है कि [illegible] प्रयोग हो। वैसे शासन को यह अभिभाषण की व्यवस्था [illegible] क्योंकि हम लोग प्रजातांत्रिक व्यवस्था में विश्वास रखते हैं [illegible] महामहिम राज्यपाल महोदय ने मेरी सरकार शब्द [illegible] माननीय मुख्य मंत्री तो कर सकते हैं क्योंकि [illegible] महामहिम राज्यपाल तो मनोनीत हैं। इस लिए इनको [illegible] दूसरे आज महामहिम राज्यपाल महोदय की स्थिति [illegible] यह तारीफ हो गयी है कि वह सामने के दरवाजे से आ नहीं सकते [illegible] हिम्मत के साथ करने। ऐसा करके उन्होंने अपने पद की [illegible] बढ़ाया है। अगर ऐसे ही सरकारी नीतियों का बखान करना था तो [illegible] माननीय मुख्य मंत्री जी ही पढ़कर सुना सकते थे, महामहिम राज्यपाल [illegible] क्यों [illegible] गया।

दूसरी बात है [illegible] जोर-जबरदस्ती, तानाशाही और लाठी डंडे के बल पर [illegible] चलकर भेजा है। इसलिए प्रजा के आदेशों को [illegible] चाहिए। मिलेट्री शासन, पुलिस प्रशासन या अन्य [illegible] गोली के बल पर चल सकता है, लेकिन यह शासन, [illegible] इस शासन की सारी मशीनरी दुरुस्त होना पड़ेगा तभी [illegible] है। इस पर माननीय नेता विरोधी दल ने तो काफी [illegible] पड़ने की आवश्यकता तो नहीं है, पर इतना जरूर [illegible] इसके प्रति तमाम आरोप हों भ्रष्टता के तो उसके [illegible] अधिकारीगण क्या करेंगे यह सोचने की बात है। मैंने भी एक परिवार [illegible] के स्व0 पति की लगभग 20 हजार रु0 की जायदाद थी [illegible] किये और दूसरी मुख्य बात यह है कि हमारे माननीय [illegible] तीनों ही काश्मीरी ब्राह्मण हैं। यह कोई [illegible] है कि इस प्रदेश में प्रतिभाओं का अभाव हो गया है [illegible] गयी है जो शासन चला सकते हैं।

(अपूर्ण)

यह चर्चा [illegible] काश्मीर से ढूंढकर लाए जा रहे हैं।

श्री त्रिवेदी---

आप मोहन [illegible] ।

श्रीमती [illegible]---

काश्मीरी [illegible] हैं।

श्री त्रिवेनी---

यह मुशायरे का मैदान नहीं है ।

(हंसी)

श्री धम्मन सिंह गहलौत---

आपको इस बात का ध्यान होगा कि कांग्रेस दल में एक महिला सदस्या हैं---कुमारी उर्मिला अग्निहोत्री, अगर महिला को ही गृह मन्त्री बनाया था तो आप उन्हें बना देते, उनसे डाकुओं को भी कुछ डर लगता, इनसे कौन डरने वाला है ।

(हंसी)

यह तो कानून व्यवस्था की बात थी, अब मैं मुख्य बात पर आता हूं । इस शासन ने यह प्रचार किया हुआ है कि हम किसानों के बड़े हमदर्द हैं । किसानों की हमदर्दी का नतीजा क्या है । मुझे तो ऐसा लगता है कि गांव के लोग दूसरे दर्जे के नागरिक बना दिए गये हैं । शहरी लोगों को चीनी एक पुस्तिका पर एक किलो मिलती है जबकि गांव में एक राशनकार्ड पर एक किलो चीनी दी जाती है । शहरों में एक राशन कार्ड पर 5 लीटर मिट्टी का तेल मिलता है, लेकिन गांवों में एक राशनकार्ड पर एक लीटर मिट्टी का तेल मिलता है । हम तो यही समझते हैं कि हमें दूसरे दर्जे का नागरिक समझा जाता है । हमारे उत्पादन के दामों को गिराने की कोशिश की जाती है ।

मान्यवर, ग्रीन रिवोल्यूशन की बात कही जाती है । मैं जानना चाहता हूं कि सरकार का इसमें कितना हाथ है । जो बीज हमें दिया जाता है, हमारी आवश्यकता का 1-1/2 प्रतिशत सरकार के फार्मों द्वारा पैदा होता है और 98-1/2 प्रतिशत का किसान स्वयं प्रबन्ध करता है ।

जब हमारी फसल आती है, तब बिक्री शुरू होती है, तो हम अपनी मजबूरी में चीज बेच देते हैं, व्यापारी जब खरीद करते हैं तो दाम बढ़ जाते हैं ।

हमारे सुधार के लिये बहुत से काम किये गये हैं, ऐसा कहा जाता है, जैसे भूमि विकास बैंक है, यह भ्रष्टाचार का अड्डा है । मैंने मुख्यमन्त्री को 6 महीने पहले लिखा था कि नगीना में नगीना भूमि विकास बैंक में ऐसे इन्जिनों का बेचा जाना दिखलाया गया है, जो बने ही नहीं । इस तरह से भ्रष्टाचार करके लूटा जा रहा है । 6 महीने हो गये, आज तक इस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है । भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में ठोस बात कहना चाहता हूं, आप लोगों को भी मालूम है कि एक आवास विकास परिषद् बनी हुई है उत्तर प्रदेश के अन्दर । इसके अन्तर्गत जो भूमि अधिग्रहीत की गयी है उसका मुआवजा एक करोड़ बनता था, जबकि 3 करोड़ रुपया बांट दिया गया, यह 2 करोड़ रुपया कहां से आया किसकी जेब से गया ? यदि सौ-दो सौ रुपया ज्यादा चला जाता तो समझ में बात आती कि नोट गिनते समय निकल गये होंगे परन्तु ज्यादा होने की बात समझ में नहीं आती। सैकड़ों किसान आज भी दर-दर मारे फिरते दिखाई देते हैं, डिग्रियां हो रही हैं । ऐसे ही इन्होंने एक राजकीय निर्माण निगम बना रखा है । मैंने उनसे पूछा कि आप इतने भवन बना चुके हैं, आप अपनी मर्जी से एक भवन ले लें, एक भवन छोड़ दें और यह बता दें कि उसमें कितनी ईंटें लगी हैं, कितनी सीमेंट लगी है और कितना और मेटीरियल लगा है परन्तु वह नहीं बता पा रहे हैं । ऐसे ही हथकरघा निगम के बारे में कहा गया है कि यदि वह निगम साल भर काम न करे तब भी वह अपने कर्मचारियों को वेतन बांट सकता है, किराया दे सकता है तथा अन्य खर्चे वहन कर सकता है ।

श्री अधिष्ठाता---

अब आपका समय समाप्त हो गया ।

श्री रामजी राम--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तावित समर्थन प्रस्ताव का समर्थन कर रहा हूं। मान्यवर, मैं बहुत इतमिनान से विरोधी पक्ष के सम्मानित नेताओं को और सम्मानित नेता विरोधी दल को सुन रहा था। मुझे बड़ा ताज्जुब होता है कि जब तक महामहिम राज्यपाल अभिभाषण पढ़ रहे थे तो हमारे सम्मानित विरोधी पक्ष के लोगों ने हाउस का बहिष्कार कर दिया और आखिर में एक सम्मानित सदस्य यह कहते हुए सदन के बाहर चले गए कि इसमें अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति और कमजोर वर्गों के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। मुझे बड़े बल के साथ कहना पड़ रहा है कि महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के 29 पैरा से पहले पैरा ही में साफ लिखा हुआ है कि "मेरी सरकार प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन श्रमिकों, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के हित की रक्षा, उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार और समाज के निर्बल वर्ग के आर्थिक एवं सामाजिक स्तर को गरीबी की सीमा से ऊपर उठाने के लिए कटिबद्ध है।" इसमें यह बात स्पष्ट है लेकिन हमारे माननीय विरोधी दल के नेताओं को, विरोधी पक्ष के लोगों को इसमें उनके लिए कुछ दिखाई नहीं पड़ा। उन्हें केवल यह दिखाई पड़ा कि 1980 मुसलमानों के कत्ल करने का वर्ष था और वर्ष 1981 हरिजनों के कत्ल करने का वर्ष रहा और आज से 1982 को उत्पादन खत्म करने का वर्ष बना रहे हैं।

मान्यवर, मैं एक बात साफ कहना चाहता हूं कि आज अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और कमजोर वर्ग के लोग, गांव में जो कमजोर और पिछड़े भूमिहीन श्रमिक लोग हैं, उनकी आज हमारी सरकार के प्रति आस्था जमी हुई है। मैं कहना चाहता हूं कि आज उनकी पूर्ण आस्था श्रीमती इन्दिरा गांधी में तथा हमारे आदरणीय स्वर्गीय डाक्टर अम्बेदकर पर है। आज गांव का भूमिहीन किसान, मजदूर, अनुसूचित जाति के लोग, अनुसूचित जनजाति के लोग श्रीमती इन्दिरा गांधी में पूर्ण निष्ठा रखते हैं और उन पर पूर्ण विश्वास करके वे चल पड़े हैं। आज विरोधी की इसलिए बौखलाहट हो रही है। आज वे हरिजनों के ऊपर आरोप लगाते हैं। परन्तु मैं आपको बता दूं कि हरिजनों ने संकल्प लिया है कि कुछ भी हो श्रीमती इन्दिरा गांधी ने हमें राहत दी है। श्रीमती इन्दिरा गांधी ने हमें रास्ता दिखाया है जिससे कि आज हमारा देश सर्वतोमुखी विकास की ओर आगे चल पड़ा है। मैं कहना चाहता हूं कि आज पूरे देश की जनता श्रीमती इन्दिरा गांधी में अपनी आस्था प्रकट करता है और कहती है कि--

"मुत नदार पे रखते चलो सरों के चिराग,
जहां तलक यह सितम की सियाह रात चले।'

आज यह संकल्प है। --

"मंजिल मिले, मिले न मिले, इसका गम नहीं,
मंजिल की जुस्तजू में मेरा कारवां तो है।"

आज उनको रास्ता दिखाई पड़ गया है तो विरोधी बौखला गये हैं। परेशान हो गए हैं। हरिजनों पर अत्याचार की बात कही है। यह तो समाज का दोष है जिसमें हम आप परम्पराओं के अन्तर्गत बंधे हैं। समाज को परिवर्तित करना आपकी, हमारी जिम्मेदारी है और आज हमारी सरकार ने कदम उठाया है अराजक तत्वों को ठीक करने के लिए, चाहे वे डकुओं की शक्ल में हों चाहे अराजक तत्व . . . .

(व्यवधान)

विरोधी पक्ष की मदद मांगने वालों की शक्ल में आतंक फैलाने वाले आज महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में इसलिए इनको कुछ नहीं मिला। मैं सम्मानित नेता, विरोधी दल का सम्मान करता हूं लेकिन पूरे भाषण में तीन चौथाई केवल पुलिस का रोजनामचा उलटते रहे और यह नहीं देखा कि आज पहली बार जो संकल्प किया गया है, हमारी

सरकार कटिबद्ध है मजदूरों, अनुसूचित जातियों, गरीबों, ग्रामीण जनता के सर्वतोन्मुखी विकास के लिए, उसकी तरफ उनका ध्यान नहीं गया। उनके ऊपर ख्याल नहीं किया। मैं, अधिष्ठाता महोदय, आपके माध्यम से साफ कहना चाहता हूं कि आज गांवों में राष्ट्रीय ग्रामीण योजना के अन्तर्गत न्याय पंचायतों में प्रदेश में 892 उद्योग कायम किए गये हैं जिसमें आगे पांच करोड़ रुपये का फायदा होगा। यह किस के लिए किया गया है, गांवों के इन्हीं कमजोर वर्गों के लिए।

बंधुआ मजदूरी की विरोधी लोग बहुत बात करते हैं। हमारी सरकार ने पहली मर्तबा मछुआरों के लिए, केवटों के लिए, मल्लाहों के लिए, तालाबों, नदी, नालों जहां मछली पाली जाय, पट्टे पर मछुआरों को भूमि देने की व्यवस्था की है और ठेकेदारी प्रथा का खात्मा किया है। इससे हमारे विरोधी भाई जरूर नाखुश होंगे क्योंकि गरीब भूमिहीन ग्रामीणों को इससे मदद मिलेगी, राहत मिलेगी।

जब हमारी सरकार ने "कब्जा दिलाओ" अभियान शुरु किया तो विरोध पक्ष से मैं जानना चाहता हूं कि उसमें कितना उन्होंने बढ़कर हिस्सा लिया। इनके लोग पट्टे की जमीन पर कब्जा किए हुए थे और तभी हमारी सरकार ने यह आन्दोलन चलाया। इन्होंने उसका समर्थन नहीं किया।

आज हरिजनों के लिए स्पेशल कम्पोनेंट प्लान की योजना हमारी सरकार की है। इससे 6ठी योजना की अन्तर्गत 15 लाख परिवारों को लाभ मिलेगा। इस तरह से यह स्पेशल कम्पोनेंट प्लान जो है इसको कार्यान्वित होने में ये लोग बाधा डाल रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के सभी कार्यक्रम तेजी से लागू किए जायेंगे ताकि गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले लोग समाज में सम्मान स्तर पर लाए जा सकें इसमें उत्पन्न सभी बाधायें दूर की जायेंगी। धन्यवाद।

श्री अधिष्ठाता—

आपका समय अब समाप्त हो गया है। कृपया आसन ग्रहण करें।

*श्रीमती गौरी देवी—

मान्यवर, महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण शासन की नीतियों का दर्पण होता है। राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में कहा कि हमारी सरकार गरीब वर्ग के लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने का प्रयास कर रही है तो निर्बल वर्ग के लोग गरीबी की रेखा से ऊपर नहीं उठ रहे हैं बल्कि उनको मौत के घाट उतारा जा रहा है। मान्यवर, बढ़ती हुई मंहगाई, गिरती हुई कानून व्यवस्था, बढ़ता हुआ भ्रष्टाचार को वर्तमान सरकार रोकने में असफल है वस्तुओं के दाम 30 प्रतिशत बढ़े हैं, नये वर्ष के उपहार में जनता को साढ़ू-पुर जैसा काण्ड मिला है। जनता में असुरक्षा की भावना पैदा हो गयी है एवं डाकू राज्य कायम हो गया है। ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार का बोलबाला है। गांव का गंवार भी अपने लड़के को कचहरी का चपरासी बनाना पसन्द करता है परन्तु सेना का जवान बनाना पसन्द नहीं करता। नैतिकता का पतन इतना हो गया है कि शिक्षक शिष्य से शराब मांगता है। विभिन्न जनतांत्रिक संस्थाओं में मनोनयन की प्रक्रिया अपनाकर जनतन्त्र विरोधी कार्य किया जा रहा है। महिलाएं समाज की एक अंग हैं, गांव की करोड़ों महिलायें नारकीय जीवन व्यतीत कर रही हैं। हमारी माताये और बहने असहाय एवं अनाथ हैं और मासूम बच्चों को अपनी गोद में लिए भूखे सो जाती हैं। उनकी अपनी अलग समस्या है जिनका वे इजहार भी नहीं कर सकती हैं।

राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में महिला शब्द का जिक्र करना भी उचित नहीं समझा, जिससे स्पष्ट होता है कि वर्तमान शासन महिलाओं की उपेक्षा कर रहा है और महिलाओं के प्रति कितना उदासीन है और सरकार उनसे कितना घृणा व द्वेष करती है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्रीमती गौरी देवी]

महिलाओं की समस्या को दूर करने और उनके विकास के लिए महिला विकास आयोग गठित करना चाहिए और गांवों में महिला चौपाल की व्यवस्था होनी चाहिए। अपने अभिभाषण में उत्तर प्रदेश के विकास के लिए सरकार की नीतियों को बहुत बढ़ा चढ़ाकर बताया। कब्जा दिलाओ अभियान सब नारा है जो भूमिहीनों को गुमराह करता है। विकास के कार्य स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर नहीं होते हैं। पूर्वांचल एक गरीब और पिछड़ा इलाका है इसके विकास के लिए पूर्वांचल विकास निगम की स्थापना की बात नहीं की गयी। यहां पर बोली जाने वाली मधुर एवं प्रिय भाषा भोजपुरी के विकास के लिए भोजपुरी अकादमी और भोजपुरी भाषा विकास संस्थान की घोषणा नहीं की गयी है। यहां पर एक अन्य विश्वविद्यालय खोलने की चर्चा कई सालों से है परन्तु इस सम्बन्ध में शासन का कोई भी कदम नहीं है। प्रदेश में प्राथमिक विद्यालयों की हालत दयनीय है। बच्चे पढ़ाई छोड़ बैठकर पड़े रहते हैं। विश्वविद्यालय भ्रष्टाचार और जातिवाद के केन्द्र बन गए हैं। गोरखपुर विश्वविद्यालय इसमें सबसे आगे है। वर्तमान कुलपति के भ्रष्टाचार एवं अत्याचार की कहानी और प्रमाण मुख्य मन्त्री एवं क्षेत्रीय मन्त्री जानते हुए भी उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गयी। छात्रों एवं अध्यापकों में असन्तोष है। किसानों के हितों की रक्षा में शासन की नीति स्पष्ट नहीं है। किसानों के फसलों के उत्पादन खर्च का डेढ़ गुना देने की घोषणा नहीं हुई। बाढ़ की विनाश लीला एवं नदियों के कटान को रोकने में सिंचाई विभाग जिस प्रकार से असफल है उसी प्रकार से सिंचाई विभाग के भ्रष्टाचार को शासन रोकने में असमर्थ है।

उत्तर प्रदेश में गोरखपुर पर आबादी का सबसे अधिक भार है और पूर्वी उत्तर प्रदेश का केन्द्र है। खासकर ताल के विकास की योजना लागू करने की बात नहीं कही गयी। भौवाबाद, गगहा, सिवरोली, सहजनवा को टाउन एरिया नहीं घोषित किया गया है। चीनी मिल, कागज मिल, सूती मिल तथा कम्बल उद्योग की स्थापना के लिए शासन की तरफ से हमारे यहां कुछ भी नहीं किया गया। कौड़ीराम क्षेत्र में एक सड़क का भी निर्माण नहीं किया गया। राज्यपाल के अभिभाषण में आय की नीति स्पष्ट नहीं है और इस तरह से शासन सब दिशाओं में असफल रहा है। अतः अभिभाषण में संशोधन की आवश्यकता है और मैं उनके अभिभाषण में संशोधन का समर्थन करती हूं और सरकार से उसकी विफलताओं के कारण इस्तीफे की मांग करती हूं।

*श्री चेतराम गंगवार—

माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय नेता विरोधी दल का आज तथा परसों का भाषण भी बड़े ध्यानपूर्वक सुना। मान्यवर, हमारे कांग्रेस के बड़े नेता श्री बलदेव सिंह आर्य ने जो राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव पेश किया है उसके समर्थन के लिए मैं खड़ा हुआ हूं।

(व्यवधान)

मान्यवर, चुनाव से पूर्व माननीय नेता विरोधी दल के लोक दल ने और बहुगुणा जी ने भी मुझसे कहा था कि तुम्हें कांग्रेस से टिकट नहीं मिला इसलिए हमारी पार्टी की तरफ से खड़े हो जाओ लेकिन मैंने उसे नहीं माना।

(व्यवधान)

मैं तो हमेशा ही कांग्रेस में रहा।

*श्री धरमपाल—

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है मान्यवर, माननीय सदस्य राज्यपाल के अभिभाषण पर बोल रहे हैं या माननीय नेता विरोधी दल के भाषण पर बोल रहे हैं। इस पर आप व्यवस्था दें कि वे राज्यपाल के भाषण तक ही अपने को सीमित रखें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अधिष्ठाता—

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। व्यवस्था की आड़ में कोई अव्यवस्था का प्रश्न न उठाया जाय।

(व्यवधान)

माननीय धरमपाल जी, आप मिनट मिनट पर खड़े ही जाते हैं और व्यवधान करते हैं, कृपया आप बैठ जायें।

श्री चेतराम गंगवार—

मैं तीन बार जेल गया हूं। इन्होंने तो डेमोक्रेसी को ताक पर रख दिया था अपने राक्षसी बहुमत के आधार पर शासन में बराबर अपनी मनमानी करते रहे। इस तरह से मेरे भाषण के बीच में टोकाटोकी करते हुए उनको शर्म आनी चाहिए। माननीय नेता विरोधी दल ने जिस तरह के घड़ियाली आंसू बहाए, जब उनकी सरकार बनी तो उन्होंने देहलवी जी तक को अपने कैबनेट में नहीं लिया, जो आज उनके बगल में बैठ हुए हैं। "किससे कहूं दास्तां उनके रंजो गम की, व जुल्म सितम की।" मान्यवर, जब शक्ति रूपी तलवार उनके हाथ में मिली तो आपने उसका क्या उपयोग किया। क्या हरिजनों के पक्ष में उन्होंने उसका प्रयोग किया या थैलीशाहों के पास गिरवीं रख दिया था? आज हमें यह देखना पड़ेगा कि श्री विश्वनाथ सिंह के पास जब वह शक्ति रूपी तलवार आयी तो उन्होंने इसका किस तरह से प्रयोग किया। मान्यवर, मैंने देखा है कि इनके शासन में मैनपुरी जिले में लोकदल के अध्यक्ष ने तमाम पट्टे अपने रिश्तेदारों के नाम करवा लिए थे और इस तरह के 1800 पट्टे मैंने उनके कब्जे से निकलवाए हैं।

मान्यवर, आप देखें। जब आपकी सरकार रही तो आपने जितनी जमीन 24 सूत्री प्रोग्राम में इससे पहले बांटी थी सब लोकदल के लोगों को दे दी। मैंने 18 लोगों के पट्टे खारिज करवाए। आपने वह जमीन ठाकुरों को, राजाओं को, बड़े-बड़े कुर्मियों को, बड़े-बड़े यादवों को दे दी, उनको कब्जा दिया। विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने प्रदेश में आज फिर आदेश जारी किया है कि जहां पर हरिजनों की जमीन कोई दूसरा वर्ग जोतता हो तो फौरन कब्जा दिलाया जाय।

(इस समय 4 बजकर 40 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पीठासीन हुए।)

दूसरी तरफ आप देखें। जब आप की सरकार आई तो आपने हरिजनों के लिए जो पदोन्नति का रिजरवेशन था उस को आपने समाप्त कर दिया। जो तलवार सत्ता की आप को मिली थी उससे लोगों की गर्दन काटी। विश्वनाथ प्रताप सिंह जी को सत्ता की तलवार मिली तो उन्होंने पुनः वही पदोन्नति का आदेश हरिजनों अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए फिर से जारी कर दिया। यही नहीं हरिजनों को कानूनी सहायता देने के लिए 48 जिलों में जगह-जगह पर वकील मुकर्रर कर दिये गये हैं। निर्बल वर्ग के लोगों के लिए जिले-जिले में कानूनी सहायता मुफ्त मिल रही है। एक शेर कहूंगा— "नजर डालता हूं मैं, गुनाहों पर देखा तो खून से दामन को तर देखता हूं।" चाहे पन्तनगर की बात हो, कानपुर के मजदूरों की बात हो, हर जगह आपने निर्बल वर्ग के लोगों पर, हरिजनों पर गोलियां चलायीं। सारा प्रदेश और देश जानता है।

आज जहां पर हरिजन मारे जा रहे हैं उसमें जरूर किसी न किसी ओर से विपक्ष की साजिश है। वह राजनीतिक घटना के अलावा कुछ नहीं है। आपने एक अभियान चलाया पद यात्रा का। पद यात्रा पर आप जाते हैं और सारी जगह आप कहीं ट्रेन से जाते हैं कहीं हवाई जहाज से और कहीं मोटर से। कागजों में, अखबारों में पद यात्रा की बात छप जाती है और जो अखबार हैं नेशनल हेराल्ड है, नवजीवन है, उनमें यह बात नहीं छपती बल्कि जो आपके अखबार हैं सण्डे है, दैनिक जागरण है उनमें छपती है। खामखाह अनर्गल प्रचार कर रहे हैं। जब तक हरिजनों का मन नहीं जीतेंगे आपको वोट

[श्री चेतराम गंगवार]—

नहीं मिलेगा। घड़ियाली आंसू बहाने, पद यात्रा करने, बन्द करने से क्या होगा। आज उत्पादन बढ़ाने की आवश्यकता है। मैं बधाई दूंगा हमारे राजेन्द्र कुमार गुप्त जी को। इन्होंने पहले ही स्टेटमेंट दे दिया कि इस बन्द से हमारा कोई मतलब नहीं है। यह तो चौधरी साहब का है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

यह गलत कह रहे हैं। मैंने नैतिक समर्थन का बयान दिया था. . . .

श्री चेतराम गंगवार—

मैंने आपके नेता अटल बिहारी बाजपेयी जी को सुना रेडियो में। वह मैं कह रहा हूं। यदि आपने समर्थन दिया तो आप भी विफल हो गये। आपका बन्द सम्पन्न नहीं हुआ। इसी बात पर आपको एक शेर सुनाना चाहता हूं—

सारे जाल सुबक इंदिरा भक्तों ने काट दिए
अजब खौफ सा तारी है इन जालसाजों पर।

जालसाज से मेरा मतलब जाल बनाने वालों से है।

(व्यवधान)

अगले इलेक्शन में आप दे लें। मैं मुख्तसिर करते हुए करना चाहता हूं कि प्रदेश के अन्दर कई योजनायें चल रही हैं और हर विधायक को जैसे वह चाहेगा ब्लाक के स्तर पर एक लाख रुपया खर्च करवा सकता है। प्रदेश के अन्दर एन0आर0 की योजनायें चल रही हैं, जगह-जगह पर विकास के कार्यक्रम चल रहे हैं, आई0आर0डी0 के अन्तर्गत चल रहे हैं, स्पेशल कम्पोनेंट प्लान आदि सारी चीजें दी जा रही हैं जोकि 50 प्रतिशत से ज्यादा हरिजनों और पिछड़ी जाति के लोगों को दी जा रही हैं। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूं सिर्फ एक शेर पढ़ना चाहता हूं —

असल में विश्वनाथ प्रताप सिंह हैं बुलन्द मुकाम,
खुद को जो खाकसार कहते हैं,
है यही गरीबों का सहारा बेकसों का चारागर,
जम्हूरियत का पासवां और हरिजनों का रोहवर।

इन शब्दों के साथ मैं धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री कुंवर सिंह नेगी—

मान्यवर, अभी विपक्षी दलों के नेताओं ने यहां पर प्रदेश की बिगड़ती हुई कानून-व्यवस्था के बारे में विस्तार से कहा है। यह बात सही है कि आज प्रदेश में असुरक्षा का वातावरण व्याप्त हो गया है। इसके लिए आवश्यक है कि सरकार लोगों के मनोबल को बनाए और उनमें आशा और विश्वास जागृत करे। हमारे मुख्य मन्त्री जी ने गृह मन्त्रालय जैसे नाजुक विभाग को एक बहुत ही नाजुक और कमजोर हाथों में दे दिया है। ला-एण्ड-आर्डर के बारे में गृह मन्त्री ने बहुत सही जवाब दिया और ऐसा कहकर उन्होंने अपनी जिम्मेदारी से मुक्ति पा ली है। जब उनसे साढ़ूपुर में पूछा गया कि ला-एण्ड -आर्डर की स्थिति बिगड़ रही है तो उन्होंने कहा कि ला की बात ला मन्त्री जगदीश प्रसाद जी जाने और आर्डर प्रधान मन्त्री के हाथ में है। यह कोई होम साइन्स तो है नहीं जोकि यह विभाग हमारे गृह मंत्री को दे दिया गया। उन्होंने इस विभाग को किचन डिपार्टमेन्ट बना दिया है। जहां तक मुख्य मन्त्री का सवाल है, वे इस प्रदेश के जोकि एक बहुत बड़ा प्रदेश है के मुख्य मन्त्री हैं। अमेठी में उनको आदेश होता है अरुण नेहरू का कि राजीव गांधी के बंगले की बिजली फेल हो गयी है, मुख्य मन्त्री को बुलाओ। वे दौड़े-दौड़े जाते हैं चीफ इंजीनियर को कहते हैं और अन्त में बात आती है जो बिजली को ठीक करने वाले मैकेनिक की।. . . .

(व्यवधान)

श्री त्रिवेनी—

आप कौन हैं क्या चीफ इंजीनियर के पी0ए0 हैं या क्या हैं ?

श्री कुंवर सिंह नेगी—

इन्होंने अपनी कमजोरी को खुद ही कबूल लिया कि कितनी कमजोर यह सरकार है। प्रदेश में एक मात्र होने वाला गढ़वाल संसदीय उप चुनाव 22 नवम्बर को निर्धारित किया गया और फिर 8 दिन पूर्व टाल दिया गया यह कह कर कि वहां यह सरकार व्यवस्था नहीं कर सकती है। उत्तर प्रदेश पुलिस महानिरीक्षक और मुख्य सचिव को चुनाव आयुक्त के पास भेजा जाता है यह कहने के लिए कि यह सरकार चुनाव कराने की व्यवस्था नहीं कर सकती है। गढ़वाल जैसे शान्त क्षेत्र में जहां इससे पहले स्थानीय पटवारी और पी0 आर0डी0 के स्वयं सेवकों द्वारा हमेशा चुनाव संचालित किए जाते रहे लेकिन आज यह सरकार इस शान्त क्षेत्र में चुनाव कराने में असमर्थ हो गयी तो ऐसी सरकार को एक मिनट भी टिकने का नैतिक अधिकार नहीं है।

माननीय मुख्य मन्त्री जी जब साढूपुर में हत्याएं होती हैं तो बजाय वहां जाने के पहले दिल्ली जाते हैं इंदिरा जी से पूछने कि मैं आंसू बहाऊं या न बहाऊं। कोई भी चीज करनी होती है तो वह इंदिरा जी पर निर्भर हो गए हैं। हमारे मुख्य मन्त्री जी और गृह मन्त्री जी कहते हैं कि एक महीने के अन्दर डाकुओं का सफाया कर देंगे यह इस तरह से बात करते हैं जैसे डाकू इनके पोल्ट्री फार्म की मुर्गी हों। आज जितने भी डाकू मारे गए हैं, उनका आज तक पुलिस रिकार्ड में, एफ0आई0आर0 में नाम दर्ज नहीं है। फेक इनकाउन्टर दिखा कर निर्दोष लोगों को मार रहे हैं। यह सरकार जबकि डाकुओं के बल पर बनी है तो उनको क्या मारेगी, जब संइयां भए कोतवाल तो फिर डर काहे को। गढ़वाल संसदीय उप चुनाव में विद्याभूषण जी ने एक कोई अरोड़ा जो नामी बदमाश था को वहां भेजा। आज डाकुओं के पास मन्त्रियों के पत्र मिल रहे हैं।

राज्यपाल जी ने जो अपना अभिभाषण यहां पर दिया है उसमें पर्वतीय अंचल के आर्थिक उत्थान के लिए कोई स्पष्ट दिशा का निर्देशन नहीं दिया है। वहां की जो गम्भीर समस्यायें हैं उनका उन्होंने जिक्र नहीं किया है। पहाड़ों में बेरोजगारी बढ़ रही है। कई वर्षों से यह बात चल रही है कि वहां की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए सेवाओं का अलग संवर्ग बनाया जाय ताकि वहां के लोगों को रोजी मिल जाय। यहां से जो कर्मचारी वहां जाते हैं वहां की परिस्थितियों के अनुसार वह वहां काम नहीं कर पाते हैं और आज यही वजह है कि पर्वतीय अंचलों में अस्पतालों से लेकर स्कूलों तक कई जगह रिक्त पड़ी हैं, सारा काम ठप पड़ा है। हमारे चमोली जिले में दो तहसीलें ऐसी हैं जहां नायब तहसीलदार एस0डी0एम0 का काम कर रहे हैं वहां जाने के लिए कोई पी0सी0एस0 अधिकारी इनको नहीं मिल रहा है जोकि वहां जाकर कार्यभार सम्भाले।

हमारे यहां फलों और आलू की काफी पैदावार होती है उसके लिए शीत गृहों के निर्माण की काफी सम्भावना है। फलों का भण्डारण और विपणन व्यवस्था अच्छी न होने के कारण उत्पादकों को उचित मूल्य नहीं मिल पाता है। इसके लिए भी उन्होंने कोई संकेत अपने अभिभाषण में नहीं किया है। पहाड़ों में जड़ी-बूटियां प्रचुर मात्रा में हैं। वहां काफी समय से मांग थी कि उत्तराखण्ड विद्यापीठ में एक आयुर्वेदिक महाविद्यालय खोला जाय, इस बारे में भी राज्यपाल महोदय ने कुछ नहीं कहा है। मेरा यह निवेदन है कि इन चीजों को भी आप प्रस्तुत संशोधन में जोड़ दीजिए।

कुमारी सुमनलता दीक्षित—

माननीय उपाध्यक्ष जी, आपने राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के समर्थन में हमें बोलने का जो अवसर दिया है, उसके लिए मैं आपकी आभारी हूं. . . .

एक सदस्य—

उपाध्यक्ष जी, पहले आप इनको आशीर्वाद तो दे दीजिए।

[कुमारी सुमनलता दीक्षित]—

माननीय राज्यपाल जी ने अपने अभिभाषण में चाहे वह शिक्षा विभाग हो, चाहे सिंचाई विभाग हो, चाहे विद्युत विभाग हो—सभी के ऊपर एक वर्ष में हमारी सरकार की जो उपलब्धियां रही हैं उसके विषय में जानकारी दी। साथ ही साथ जो आगे यह सरकार आपके सामने कार्यक्रम प्रस्तुत करेगी, उसके सम्बन्ध में भी जानकारी दी। विशेष रूप से 24 सूत्रीय कार्यक्रम के विषय में उन्होंने बताया कि इसका इम्पलीमेंटेशन और अधिक अच्छी तरह से करने का हमारी वर्तमान सरकार प्रयास करेगी। मान्यवर, मैंने माननीय नेता विरोधी दल के भाषण को भी सुना, उन्होंने एक ही विभाग पर विशेष कर चर्चा की और वह था गृह विभाग। वास्तव में जहां तक उनकी बात का सवाल है, वह किसी मायने में, कहीं तक सही है, लेकिन. . . .

(व्यवधान)

जहां तक गृह विभाग की बात है, जब से श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी जी ने यह विभाग संभाला, तब से इस विभाग में थोड़ा सुधार हुआ है और जैसा पहले अभी एक माननीय सदस्य ने कहा कि महिलाओं का काम केवल होम-साइन्स के विषय में जानकारी रखना है, और वह कुछ नहीं कर सकती हैं, इसका मैं विरोध करती हूं। इतिहास इस बात का साक्षी रहा है कि महिला ने और किसी काम के बारे में सोच लिया है कि इसको करना है तो उसने उसे कर दिखाया है। नेता विरोधी दल ने अभी आरोप लगाया है हम लोगों की शादी के विषय में, तो आप सभी लोग अपने हृदय पर हाथ रखकर सोचें कि मैंने क्या गलत किया है. . . . .

(व्यवधान)

आप इसको गम्भीरतापूर्वक सोचें। सबके चेहरे काले हैं। हम लोगों ने जो किया है, खुलकर किया है। इतिहास इस बात का साक्षी है कि हमने जो किया है सही किया है, वही करना चाहिए करप्शन को रोकने के लिए। यह मेरा व्यक्तिगत मामला था, पर आपने आरोप लगाए। आप सभी लोगों ने—विरोधी दल के सदस्यों ने हमारे ऊपर आरोप लगाए कि हमारी सरकार के लोग जातिवाद को बढ़ावा दे रहे हैं तथा डाकुओं को संरक्षण दे रहे हैं, वास्तव में यह सारी बातें निराधार हैं. . . .

श्री गौरीशंकर भैय्या—

बलिया के बारे में आप बता दें।

कुमारी सुमनलता दीक्षित—

बलिया के बारे में ही क्यों, सारे प्रदेश के बारे में बताना चाहिए। हमारे विरोधियों ने जो बात कही है, वह सही नहीं है। डाकुओं को कौन संरक्षण देता है और कौन नहीं देता है, यह सभी जानते हैं। जहां तक जातिवाद का सवाल है, सभी जानते हैं कि जब से चौधरी चरण सिंह की सरकार इस प्रदेश और देश में आई, इस विषय को ज्यादा आधार मिला और जनमानस में यह भावना घुन की तरह व्याप्त हो गई है। हम लोगों ने आरम्भ से इस बात का विरोध किया है। यहां तक कि हमारे युवा कांग्रेस के नेता, श्री संजय गांधी ने कहा था कि चाहे पुरुष हो या स्त्री उनके नाम के साथ जाति नहीं होनी चाहिए। तो क्या हम इससे जात पात को बढ़ावा दे रहे हैं ?

जहां तक हरिजनों को बढ़ावा देने का प्रश्न है तमाम बातों से पता चल गया होगा कि हमारी पार्टी निम्न वर्ग के लोगों, हरिजनों के लिए और जो हमारे बैकवर्ड लोग हैं, उनके उत्थान के लिए हमेशा कटिबद्ध है, उसके लिए हमें चाहे जो कुछ भी करना पड़े, करेंगे।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूं और आपको धन्यवाद देती हूं और माननीय आर्य जी ने जो धन्यवाद का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उसका जोरदारी के साथ समर्थन करती हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद के प्रस्ताव पर कल भी चर्चा जारी रहेगी।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष—

नियम 51 के अन्तर्गत 7 सूचनायें प्राप्त हुई हैं जिनमें से सर्वश्री मोहन सिंह व माता प्रसाद पाण्डेय पर की 19 जनवरी, 1982 को केन्द्रीय कारागार, बरेली में पुलिस द्वारा प्रवेश करके निहत्थे बन्दियों पर गोली चलाए जाने से 6 कैदियों के मारे जाने के सम्बन्ध में, स्वीकार हुई हैं। शेष सूचनाएं अस्वीकृत हैं।

श्री गौरी शंकर भैय्या—

मान्यवर, इस सम्बन्ध में मेरी और माननीय राव गोविन्द की भी है। तो हमारी सूचना भी इसमें जोड़ दी जाय ?

श्री उपाध्यक्ष—

हमें कोई एतराज नहीं है। इसको भी जोड़ दिया जायगा। गृह मन्त्री जी कब इस पर आप वक्तव्य देंगे ?

गृह मन्त्री (श्री स्वरूप कुमारी बख्शी)—

मान्यवर, मैं सुन नहीं पाई, कृपया इसे दुहरा दें ?

श्री उपाध्यक्ष—

यह विषय कोई खास विषय नहीं था। 19 जनवरी, 1982 को केन्द्रीय कारागार, बरेली में पुलिस द्वारा प्रवेश करके निहत्थे बन्दियों पर गोली चलाए जाने से 6 कैदियों के मारे जाने के सम्बन्ध में है। मैं यह जानना चाहता हूं कि इस पर आप कब वक्तव्य देंगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

22 को वक्तव्य दे दूंगी।

श्री उपाध्यक्ष—

22 तारीख को इस पर बयान देने की बात कही गयी है। इसको स्वीकार करते हुए, अब हम उठते हैं, और कल 11 बजे पुनः बैठेंगे।

(इसके बाद सदन 5 बजकर 3 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

सत्य प्रिय सिंह,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ:
20 जनवरी, 1982।

विधान सभा
उत्तर प्रदेश

नत्थी 'क'

(देखिए तारांकित प्रश्न संख्या–15 का उत्तर पीछे पृष्ठ 284 पर)

दिनांक 12–12–80 को कारागार मन्त्री जी की अध्यक्षता में जेल एसोसिएशन की मांगों के सम्बन्ध में हुई बैठक में लिए गये निर्णय

1––पुलिस कर्मियों की भांति वेतनमान की मांग के सन्दर्भ में समान कार्य के लिए समान वेतन के सिद्धान्त को मानते हुए यह तय किया गया कि यदि वेतन आयोग ने इस विषय में पुलिस के समान वेतन की संस्तुति की है तब इस बारे में कोई अग्रिम कार्यवाही अपेक्षित न होगी। यदि वेतन आयोग की संस्तुति उक्त प्रकार नहीं है या अन्यथा की है तो असंगतियां समिति और मन्त्रि परिषद् में इस मामले को प्रस्तुत किया जायेगा।

2––कारागार विभाग के कर्मचारियों को पुलिस कर्मियों की भांति अवकाश के दिनों में कार्य करने के एवज में एक माह के अतिरिक्त वेतन की मांग को मानते हुए इस विषय में वित्त विभाग तथा मन्त्री को संस्तुति की जायेगी।

3––पुलिस कर्मियों की भांति धुलाई भत्ता दिए जाने की मांग को मानते हुए वित्त विभाग और वित्त मन्त्री जी को सन्दर्भित किया जायेगा। जेलर और उपाधीक्षक को वर्दी मेन्टेनेन्स भत्ता दिए जाने के विषय में सिद्धान्तः रूप से इस बात को कारागार मन्त्री जी ने स्वीकार किया कि जिन सिद्धान्तों पर पुलिस राजपत्रित अधिकारियों को वर्दी मेन्टेनेन्स-भत्ता मिलता है उन्हीं सिद्धान्तों पर जेलर और उपाधीक्षकों को वर्दी मेंटेनेन्स भत्ता मिलना चाहिए।

4––जेल विभाग के अप्रशासनिक एवं टेक्निकल स्टाफ को निःशुल्क आवास का अधिकारी सिद्धान्त रूप से मानते हुए वित्त विभाग को सन्दर्भित किया जाय।

5––फतेहगढ़, बरेली, लखनऊ, नैनी और वाराणसी केन्द्रीय कारागारों और मेरठ जिला कारागार में बच्चों की शिक्षा सुविधा हेतु बस चलायी जाय। प्रत्येक जेल अधीक्षक को लिखा जाय कि वह बस चलाने के लिए ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन से कहे। जहां आवश्यकतानुसार ट्रांसपोर्ट की बस का प्रबन्ध न हो सके उसके विषय में कारागार महानिरीक्षक द्वारा शासन को सूचना दी जाय ताकि इस बारे में अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

6––कारागार विभाग में सहायक जेलर/उपजेलर के अतिरिक्त पद सृजित करने के विषय में उप समिति की बैठक शीघ्र बुलाई जाय। इस बैठक में श्री अवस्थी (जिला जेल, हरदोई) और श्री पाठक (जिला जेल, आगरा) एसोसिएशन की तरफ से सदस्य होंगे। इस समिति की बैठक शीघ्र बुलाई जायेगी।

7––कारागार कर्मियों की सुरक्षा व्यवस्था हेतु 127 रिवाल्वर विभिन्न कारागारों में उपलब्ध कराये जाने हेतु प्रबन्ध किया जायगा। जिसका उपयोग आवश्यकता होने पर इन कर्मियों द्वारा किया जा सके। इनके अतिरिक्त उन अराजपत्रित जेल कर्मियों को निःशुल्क लाइसेन्स दिलवाए जायें जो अपने अस्त्र रखना चाहते हों। इन प्राहिबिटेड बोर के अस्त्रों की पूर्ति हेतु आर्डिनेंस डिपो से कहा जाय। अस्त्रों की आवश्यकता के विषय में एसोसिएशन सूचना कारागार महानिरीक्षक को देंगे जो शासन को सूचित करेंगे।

8––पुलिस कर्मियों की भांति बीमा की सीमा बढ़ाने हेतु वित्त विभाग को संस्तुति की जाय।

9––अर्थ दण्ड की प्रथा समाप्त की जाय और तद्नुसार जेल मैनुअल में संशोधन किया जाय।

10––इण्टर पास, 10 वर्ष की सेवा अथवा पांच वर्ष की स्थायी सेवा वाले वार्डरों को भी सहायक जेलर के 25 प्रतिशत पद पर प्रोन्नत किया जाय तथा 5 प्रतिशत पद टेक्निकल स्टाफ के लिए भी प्रोन्नति हेतु रखे जायं।

11—उन वेर-अधिकृत कर्मचारियों से जमानत न ली जाय जिनके पास सरकारी वाहन नहीं रहता ।

12—जीव-रिजर्व कार्डरों को वर्दी देने के बारे में कारागार महानिरीक्षक ने आदेश जारी कर दिए हैं ।

13—प्रदेश सरकार द्वारा जेल आयोग गठित किए जाने के विषय पर परिवर्तित परिस्थितियों में इस दृष्टि से विचार किया जाय, कि भारत सरकार द्वारा जेल आयोग का गठन कर दिया गया है । इस विषय में दिनांक 28-2-81 तक निर्णय ले लिया जाय ।

14—परामर्शदात्री समिति के गठन हेतु कारागार महानिरीक्षक एसोसिएशन के पदाधिकारियों के नाम जानने की सीख भेजें ताकि समिति का गठन हो सके ।

15—उक्त निर्णयों के फलस्वरूप यह पत्र नवम्बर, 1979 में लिए गये निर्णय अव-क्रमित माने जायें ।

विधान सभा सदस्य पुस्तकालय

नत्थी 'ख'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या–67 का उत्तर पीछे पृष्ठ 312 पर)

नरोरा खण्ड, अलीगढ़ में कार्यरत आशुलिपिक श्री राजेन्द्र सिंह त्यागी तथा मुख्य लिपिक श्री रूप चन्द्र के विरुद्ध पिछले दो वर्षों में निम्नलिखित आरोपों पर शिकायतें प्राप्त हुई हैं :—

श्री राजेन्द्र सिंह त्यागी, आशुलिपिक के विरुद्ध	श्री रूप चन्द्र, मुख्य लिपिक के विरुद्ध
1—राष्ट्रीय वन सम्पदा, पेड़ों पौधों आदि को नष्ट करना।	1—वृक्षारोपण अभियान में लगाए गए वृक्षों को नष्ट करना।
2—राजकीय भवनों पर बिना आवंटन के कब्जा करना तथा शासनादेशों के विरुद्ध एडीशन तथा आलट्रेशन करना।	2—पद व अधिकारों का खुला दुरुपयोग करना।
3—बिजली पानी तथा अन्य खर्चों में घोटाला करना तथा सरकारी धन से बिल का भुगतान करना।	3—अपने निजी मकान में सरकारी सीमेंट, लोहा आदि का प्रयोग करना।
4—विभिन्न कर्मचारियों से झगड़ा-फसाद करना।	4—अधिकारियों से मिलकर कर्मचारियों को वर्कचार्ज व रेगुलर स्टाफ में नियमों के विरुद्ध भर्ती करवाना।
5—कर्मचारियों व अधिकारियों को ब्लैकमेल करना।	
6—फर्जी यात्रा भत्ता बनाना।	

विधान सभा सचिवालय

शिकायतें निम्न व्यक्तियों द्वारा की गयी है--

श्री राजेन्द्र सिंह त्यागी, आशुलिपिक के विरुद्ध	श्री रूप चन्द्र, मुख्य लिपिक के विरुद्ध
1--श्री राजेन्द्र मेहरा, अध्यक्ष, शहर युवक कांग्रेस कमेटी (आई), अलीगढ़।	1--माननीय सदस्य लोक सभा श्री चन्द्र पाल सैलानी, 22, डा0 राजेन्द्र प्रसाद रोड, नई दिल्ली।
2--माननीय विधायक श्री शिवराज सिंह, 48-ए, ब्लाक दारुलशफा, लखनऊ।	2--माननीय विधायक श्री रामजी राम, 51, पुराना विधायक निवास, लखनऊ।
3--श्री द्वारिका प्रसाद, संगठक, जिला कांग्रेस कमेटी (आई), अलीगढ़।	3--श्री द्वारिका प्रसाद, जिला संगठक, कांग्रेस सेवादल, अलीगढ़ व अन्य।
4--माननीय विधायक श्री धर्मपाल एवं अन्य दो विधायकगण, अलीगढ़।	4--श्री द्वारिका प्रसाद पुत्र श्री चिरंजी सिंह, अलीगढ़।
5--श्री ज्ञान प्रकाश भारद्वाज, डिवीजन सेक्रेट्री, उत्तर प्रदेश किसान संगठन, मेरठ मण्डल, मेरठ।	
6--माननीय सदस्य, लोक सभा, श्री चन्द्रपाल सैलानी, 22-डी, राजेन्द्र प्रसाद रोड, नई दिल्ली।	
7--श्री जी0एस0 वर्मा, महामन्त्री, कांग्रेस कमेटी (आई), अलीगढ़।	
8--श्रीमती ऊषारानी तोमर, फ्लावर विला, पुलिस लाइन, अलीगढ़।	
9--माननीय विधायक श्री रामजी राम, 51, पुराना विधायक निवास, लखनऊ।	
10--अध्यक्ष, शहर कांग्रेस कमेटी (आई), अलीगढ़।	
11--श्री द्वारिका प्रसाद पुत्र श्री चिरंजी सिंह।	

विधान सभा

नत्थी 'ग'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 85 का उत्तर पीछे पृष्ठ 315 पर)

संलग्नक "क"

क्रमांक	ग्राम का नाम	तहसील का नाम
1	दलियानपुर	चांयल
2	बघाड़ा सदियाबाद	"
3	चकबादशाहपुर	"
4	उज्जैनी आइमा गोदामा	"
5	मारूतपुर	"
6	मलाक मोइद्दीनपुर	"
7	काजू	"
8	ताजपुर माखनपुर	सोरांव
9	अकबरपुर गंजागंज	"
10	कोखराज	सिराथू
11	नीवी उपरहार	फूलपुर
12	नीबी दौलतपुर	"
13	जलालपुर	हंडिया
14	छरिबाना	करछना
15	हरदुवा	"
16	धुनआ	"
17	चाडा	"
18	बलापुर (2)	"
19	लवाई कलां	"
20	चकपूरे खुर्द	"
21	मंडेरा	करछना
22	भटौली	"
23	हरई (2)	"
24	अमिलो	"
25	करछना खास	"
26	रामगढ़ (2)	"
27	डीहा (3)	"
28	मीरी मदिरा	"
29	सरहा	"
30	चुप्पेपुर डीहा	"
31	विरहा	"
32	महेवा	"
33	हस्तरा ताला	"
34	हरइया	"
35	लेहड़ी	मेजा
36	उपरौरा (2)	"

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्रमांक	ग्राम का नाम	तहसील का नाम
37	बिजौरा	भेजा
38	धोधापुर (1)	,,
39	नीवी महान	,,
40	परानीपुर (3)	,,
41	परानीपुर (4)	,,
42	समहन (2)	,,
43	उन्नौर (2)	,,
44	सौनाई (2)	,,
45	चौरवना (2) सौनाई	,,
46	दुहिया दशरदपुर	,,
47	औता (2)	,,
48	लौहाटी (2)	,,
49	बरबौ (2)	,,
50	खदेरन का पुरा	,,
51	तरवाई	,,
52	परसरा	,,
53	चिल्ला गौहानी	ढारा
54	बगरहा	करछना वर्ष 1981-82 में छिद्रण हुये।
55	कौलाही	,,
56	नदी का पुरा	,,
57	नरवर चौखटा	भेजा
58	औतार (3)	,,
59	चौखठा गौरा	,,
60	मड़ेवरा	,,

डी० पी० ए० पी० के सात नलकूप

1	पचदेवरा	करछना
2	थरी	,,
3	पुरेनी	,,
4	चैनी	,,
5	मेडोका	,,
6	जमोली	,,
7	डौना	वारा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

संलग्नक "ख"

क्रमांक	ग्राम का नाम	तहसील
1	फतेहपुर परसखी	सिराथू
2	सेहदरी	"
3	कोरों	"
4	साखा	"
5	बघैला	"
6	अम्बई	"
7	हिसामपुर माटो	"
8	सिधियां	"
9	बंतहियां	करछना
10	बगवनाचकशोभाराम	"
11	बतलकी	"
12	झीरी लच्छीपुर	"
13	इसौटा	"
14	गाजहा	"
15	हलइया का पुरा	"
16	चक गरीबदास	"
17	चंदौली	"
18	रामपुर सेमरहा	"
19	खजूरी बराव	"
20	नेवादा समौगरा	"
21	संजई	"
22	दाद्पुर इमलिया	"
23	चाड़ा	"
24	कटका	"
25	अकोढा	"
26	मूगारी	"
27	मनैया	"
28	खाई	"
29	गढ़वा खुर्द	"
30	खाई (कल्यानपुर सरांय का पुरा)	"
31	गोती	"
32	रयूरा	"
33	काल का पूरा	"
35	सौनौई का पूरा	"
	निदौरी	"
36	रिठैया	करछना
37	कौधियारा	"
38	अम्बा	"

विधान सभा उत्तर प्रदेश

क्रमांक ग्राम का नाम	तहसील
39--कचरा डाड़ी	बारा
40--तातारगंज	"
41--पचखरा	"
42--डिधिया	मेजा
43--चतुर्थ भुजपुर	"
44--धर्मपुर	"
45--हुल्का	"
46--अठखरिया	"
47--बिगहनी	"
48--खानपुर (पूर्व)	"
49--चिल्लबिला (उत्तर)	"
50--हुल्का	"
51--जरा	"
52--जोबनिया भगौखर	"
53--पट्टीपरवेजाबाद	चायल
54--साहां पीपलगांव	"
55--असरांवा खुर्द	"
56--पन्सोर बल्लहा	"
57--भीखनपुर	"
58--अकबराबाद	"
59--खटोगीबाद	"
60--शेरडीह	फूलपुर
61--भण्डोर	"
62--करनपुर	"
63--मुबारकपुर सराय जैराम	"
64--सराय सिविल	हंडिया
65--बढ़ौली	"
66--बुगवा	"
67--जधेई (1)	"
68--नेदुला (चतुर्थ)	"
69--बहुपर	"

विधान सभा

नत्थी 'घ;

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 193 का उत्तर पीछे पृष्ठ 339 पर)

1—मुख्यालयों के खर्चों तथा स्टाफकारों में वृद्धि ।
2—केन्द्रीय कर्मशाला में मोटर पार्ट्स की अनियमित खरीद ।
3—लोकल परचेज की धनराशि की निर्धारित सीमा में वृद्धि ।
4—एलेन फारेस्ट कार्यशाला, कानपुर में अनावश्यक खरीददारी ।
5—श्री आर0पी0 वैश्य, प्रधान प्रबन्धक द्वारा 30 लाख रुपये की बेयरिंग की खरीद के बाद बम्बई जाकर उच्च रेट पर 10 लाख बेयरिंग की अतिरिक्त खरीद ।
6—मोटर सेल्स कानपुर टाटा डीलर तथा आनन्द मोटर लीलैण्ड डीलर से बिना टैण्डर एवं कोटशन के अनियमित खरीद ।
7—श्री आर0पी0 वैश्य, प्रधान प्रबन्धक द्वारा दूनी कीमत पर बस बाडी का बनवाना ।
8—केन्द्रीय कार्यशाला में टायर रिट्रीडिंग मैटीरियल की चोरी ।
9—बैट्री तथा टायर की अनियमित खरीद ।
10—बेकार पुर्जों का बहुत ही कम दाम में बेचा जाना ।
11—भूमि की खरीददारी में प्रधान प्रबन्धक श्री आर0पी0 वैश्य तथा भूमि अध्याप्ति अधिकारी श्री सिन्हा द्वारा लाखों रुपयों का गोल माल ।
12—कैन्टीन के ठेकों, छपाई के काम तथा विज्ञापन के आय में गड़बड़ियां ।
13—बैंकों से अधिक ब्याज पर ऋण का लिया जाना ।
14—श्री ए0पी0 चौहान सेवा प्रबन्धक, गोरखपुर के विरुद्ध परिवाद ।
15—सिटी बस कानपुर में चोरी आदि ।
16—वर्ष 1978-79 में बिजली के बिलों के भुगतान में 48 हजार की गड़बड़ी

संसद पुस्तकालय भवन

नत्थी 'ङ,

(देखिए अतारांकित प्रश्न सं0 195 का उत्तर पीछे पृष्ठ 339 पर)

तालिका

क्रम-संख्या	नाम	पता
1	श्री विरेन्द्र तिवारी	पिपरडीहा, भाटपाररानी, देवरिया ।
2	श्री सुवास चन्द्र पाण्डेय	देवरिया रामनाथ, देवरिया ।
3	श्री सुरेन्द्र नाथ दुबे	देवरिया रामनाथ, देवरिया ।
4	श्री रामचन्द्र सिंह	बांसगांव, जिला गोरखपुर ।
5	श्री एम0 जेड0 फारूकी	रेलवे कालोनी, गोरखपुर ।
6	श्री अमरनाथ सिंह	ग्राम व पोस्ट गगहा, जिला गोरखपुर ।
7	श्री भूपेन्द्र पाण्डेय	मधोऊ, भाटपार, देवरिया ।
8	श्री मुन्नी लाल चौहान	रामपुर बुजुर्ग, देवरिया ।
9	श्री अच्छुतानन्द सिंह	नगरा, जिला बलिया ।
10	श्री कोदई	छोटका गांव, भाटपार रानी, देवरिया ।
11	श्री सफी	मिगारी भाटपाररानी, देवरिया ।
12	श्री योगेन्द्र सिंह	सरया भाटपाररानी, देवरिया ।
13	श्री सुभाष	छोटका गांव, भाटपाररानी, देवरिया ।
14	श्री अमिरुल्ला	भाटपाररानी, देवरिया ।
15	श्री उदय प्रताप पाण्डे	बेलपार, भाटपाररानी, देवरिया ।
16	श्री लाल बाबू यादव	सुकवा भाटपाररानी, देवरिया ।
17	श्री बबनू यादव	छतरपुरा, भाटपाररानी, देवरिया ।
18	श्री राम प्रवेश	छुटकागांव भाटपाररानी, देवरिया ।
19	श्री विजय कुमार शुक्ला	भाटपाररानी, देवरिया ।
20	श्री अशोक पाण्डेय	भाटपाररानी, देवरिया ।
21	श्री रमाशंकर मिश्रा	देवरिया रामनाथ, देवरिया ।
22	श्री राम कृष्ण चौहान	मिया खुर्द सिघआ, देवरिया ।

नत्थी 'च'

(देखिए पीछे पृष्ठ 377 पर)

श्री राज्यपाल के अभिभाषण के लिये धन्यवाद प्रस्ताव में संशोधन

क्रम0सं0	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप

2--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री धम्मन सिंह तथा श्री धरमपाल--

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाये--

किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के सम्बन्ध में कोई उल्लेख नहीं किया--

1--प्रदेश में बड़े पैमाने पर हरिजनों के हो रहे सामूहिक कत्लेआम, प्रदेश में व्याप्त शान्ति एवं व्यवस्था के लिए गम्भीर संकट, अराजकता मन्त्रि परिषद के सदस्यों सहित सत्ता में बैठे वरिष्ठ व्यक्तियों में व्याप्त भ्रष्टाचार तथा उनके द्वारा डाकुओं एवं अपराधशील व्यक्तियों को संरक्षण देने के कारण दस्यु उन्मूलन अभियान की विफलता, प्रदेश के आर्थिक विकास में व्याप्त गतिरोध के कारण उत्पन्न गम्भीर संकट के लिये जिम्मेदार वर्तमान सरकार की भर्त्सना करने;

2--फर्जी मुठभेड़ दिखा कर पुलिस द्वारा निर्दोष नागरिकों की हत्याओं की न्यायिक जांच कराकर दोषी पुलिस कर्मियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने,

3--सहकारी संस्थाओं तथा ग्रामीण क्षेत्रीय स्थानीय निकायों में निर्वाचित तथा कोआप्सन से भरे जाने वाले पदों को शासकीय नामांकन करने के सम्बन्धी जनतन्त्र विरोधी, काले अध्यादेश तथा राजाज्ञाओं को वापस लेकर 18 वर्ष की आयु पर आधारित मतदाता सूची के अनुसार ग्राम प्रधानों के चुनाव तत्काल कराकर जिला परिषदों का गठन कराने,

4--किसानों को उनके उत्पादन का प्रोत्साहक मूल्य दिलाने तथा गन्ने का बकाया का तुरन्त भुगतान कराकर वर्तमान सीजन में गन्ने का मूल्य 40 रु0 प्रति क्विन्टल दिलाने तथा गन्ना सहकारी समितियों की सहमति के बिना प्रदेश में प्रति गाड़ी 5 रुपया हो रही कटौती को रद्द करने,

5--राजकीय सड़क परिवहन निगम की यात्री बसों में किराया वृद्धि को वापस लेने,

6--सार्वजनिक वितरण प्रणाली को प्रभावी तथा चुस्त बनाकर सस्ती दर पर उपभोक्ता वस्तुएं, सुदूर ग्रामीण अंचल तक सुलभ कराने,

7--एक निर्धारित अवधि तक सरकार द्वारा काम न दे पाने से बेरोजगार रहे व्यक्तियों को भत्ता देने,

8--छात्र कल्याण कोष की भांति कंगाली (गरीबी की रेखा के नीचे के व्यक्तियों) की सहायतार्थ दरिद्र नारायण कोष स्थापित करने,

9--आय कर की सीमा तक आमदनी वाले परिवारों की महिलाओं के लिए पूरी शिक्षा निःशुल्क देने दिये जाने,

10--कृषि देयों में वसूली में प्रताड़ना की कार्यवाही रोकने,

11--खाद, बीज, बिजली, पानी, तथा कीटनाशक औषधियों के मूल्य कम करने,

12--वेतन आयोग की सिफारिशों में व्याप्त विसंगतियों को पुनरीक्षित कर युक्ति संगत वेतन मानों को तत्काल लागू करने,

13--अल्पसंख्यक आयोग की भांति एक महिला आयोग जो कि महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों का अध्ययन कर उनको रोकथाम करने के लिए उपयुक्त सुझाव दे तथा उनके कार्यान्वियन को देखे, के गठन करने, तथा

14--सीतापुर नगर में सीवरेज योजना तत्काल लागू करने तथा विद्युत आपूर्ति की अव्यवस्था के कारण उत्पन्न पेय जल संकट के समाधानार्थ वाटर वर्क्स के नलकूप चलाने हेतु नगरपालिका, सीतापुर द्वारा जेनरेटर सेट खरीदवाने.

3--श्री भीखा लाल, श्री मित्रसेन यादव, श्री विद्यासागर नौटियाल, श्री लल्लू सिंह चौहान तथा श्री तपेश्वर--

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :--

किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने निम्नलिखित बातों के सम्बन्ध में अपने अभिभाषण में कुछ नहीं कहा:--

1--प्रदेश की अत्यन्त बिगड़ी हुई शांति और व्यवस्था तथा हरिजनों व निर्बल वर्गों के सामूहिक हत्याओं के सम्बन्ध में शासन की भर्त्सना किये जाने के सम्बन्ध में।

2--प्रदेश की स्थानीय निकायों तथा सहकारी संस्थाओं के चुनाव न कराकर कमेटियों में शासक पक्ष के लोगों को नामजद करके जनतांत्रिक व्यवस्था की समाप्ति की ओर ले जाने का प्रयास किये जाने के सम्बन्ध में।

3--प्रदेश के बिजली उत्पादन के संस्थाओं को पूंजीपतियों को सौंपने की साजिश किये जाने के सम्बन्ध में।

4--भ्रष्टाचार व मंहगाई को रोकने के लिये कोई कारगर कदम नहीं उठाये गये हैं और राजनैतिक भ्रष्टाचार को शासन द्वारा श्रेय दिये जाने के सम्बन्ध में।

5--प्रदेश के सभी क्षेत्रों में समान विकास हेतु योजनाओं को समान रूप से लागू कर पक्षपात एवं भेदभाव किये जाने के सम्बन्ध में।

6--वेतन आयोग की सिफारिशों को अभी तक लागू नहीं किया गया, और न ही उसमें विभिन्न संगतियों का निराकरण किये जाने के सम्बन्ध में।

7--श्रमिकों के हड़ताल करने के मौलिक अधिकार को समाप्त करने के लिये काले कानूनों का सहारा लिये जाने के सम्बन्ध में।

8--किसानों के उत्पादन को लाभकारी मूल्य दिलाने तथा उनमें उत्पादन को समर्थन मूल्य के आधार पर खरीद की व्यवस्था नहीं किये जाने के सम्बन्ध में।

9--भूमिहीन खेत मजदूरों को आवंटित भूमि पर कब्जा दिलाने तथा उनसे भूमि छीनने से रोकने के लिये कोई सक्रिय और प्रभावकारी कदम न उठाने के सम्बन्ध में।

10--शिक्षित नवयुवकों को रोजगार दिलाने के लिये कोई ठोस योजना न बनाये जाने के सम्बन्ध में।

11--छात्रों में व्याप्त असंतोष दूर करने के लिये रोजगार परक शिक्षा योजना न लागू किये जाने के सम्बन्ध में।

12--सम्पूर्ण प्रदेश में दैनिक श्रमिकों को खेत मजदूरों की निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दिलाने के लिये कोई प्रभावी एवं ठोस कार्यक्रम न बनाये जाने के सम्बन्ध में।

4--श्री रियासत हुसैन, श्री अकबर हुसैन तथा श्री राम गोविन्द चौधरी--

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय--

किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया :--

1--प्रदेश में हरिजनों तथा निर्बल वर्गों की सुरक्षा हेतु कोई व्यापक नीति।

2--प्रदेश में भूमिहीनों तथा निर्बल वर्गों को दिये गये पट्टे पर कब्जा दिलाने का समयबद्ध कार्यक्रम।

3--प्रदेश के शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता।

4--प्रदेश में पिछले वर्ष में मुठभेड़ों द्वारा मारे जाने वाले लोगों की क्रिमिनल हिस्टरी का प्रकाशन।

5--प्रदेश में निर्बल गरीब लोगों के बच्चों को हाई स्कूल तक निःशुल्क शिक्षा का दिया जाना।

6--औद्योगिक क्षेत्र द्वारा उत्पादित वस्तुओं की बढ़ी हुई कीमत के आधार पर कृषि क्षेत्र द्वारा उत्पादित वस्तुओं की कीमत का निर्धारण।

7--प्रदेश के गन्ना कृषकों को गन्ने का उचित मूल्य 40 रु0 प्रति कुन्तल देने की घोषणा।

8--प्रदेश में उर्दू को दूसरी राज्य भाषा की घोषणा।

9--कौमी एकता से सम्बन्धित कोई व्यापक कार्यक्रम।

10--सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों के लिए जिलास्तर पर रहने की व्यवस्था।

11--प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों में हरिजन जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के लिए पीने के पानी की व्यवस्था।

12--स्थानीय निकायों, क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद के प्रजातान्त्रिक प्रणाली के आधार पर चुनाव।

5--श्री मोहन सिंह--

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :--

किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के सम्बन्ध में कोई उल्लेख नहीं किया :--

1--उत्तर प्रदेश में चौतरफा श्रमिक अशान्ति है। मोदीनगर में मजदूर नेता श्री जय प्रकाश की हत्या कर दी गयी और उसके हत्यारे अभी तक गिरफ्तार नहीं किये जा सके।

2--रैलीज इण्डिया, उन्नाव में श्रमिकों के शान्तिपूर्ण आन्दोलन को अध्यादेश के जरिये प्रतिबन्धित कर अन्धाधुन्ध फायरिंग की गयी जिसमें लगभग एक दर्जन मजदूर मारे गये और सैकड़ों लापता है।

3--इंडस्ट्रियल गैस फैक्टरी, कानपुर के मजदूरों की हड़ताल 11 दिसम्बर, 81 से चल रही है लेकिन शासन उन्हें न्याय नहीं दिला पा रहा है।

4--पालेकर एवार्ड उत्तर प्रदेश में लागू नहीं किया जा सका जिसका नतीजा श्रमजीवी पत्रकार भुखमरी के कगार पर है।

लखनऊ से प्रकाशित होने वाले नेशनल हेराल्ड के कर्मचारियों को पिछले तीन महीने से वेतन नहीं मिल सका है जो सरकार के मजदूर विरोधी नीति का परिणाम है।

5—शैक्षिक क्षेत्र में भी चौतरफा अशान्ति है। विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों में भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार यथावत् है। अभी तक विश्वविद्यालयों के शैक्षिक सत्र को नियमित नहीं किया जा सका है। लखनऊ विश्वविद्यालय में कई वर्षों से छात्र संघ के चुनाव ही नहीं कराये जा रहे हैं। सामूहिक नकल के नाम पर हजारों विद्यार्थियों को परीक्षा से बहिष्कृत कर दिया गया है, वहीं दूसरी तरफ प्रभावशाली राजपुरुषों के पुत्रों को क्षमादान दिया जा रहा है। 10×2×3 पाठ्यक्रम प्रणाली की घोषणा के बावजूद लागू नहीं की जा रही है। माध्यमिक शिक्षा के राष्ट्रीयकरण के घोषणा के बावजूद इस दिशा में अभी तक कुछ भी पहल नहीं हुयी है। माध्यमिक शिक्षा नियुक्ति आयोग और उच्च शिक्षा नियुक्ति आयोग की घोषणाओं के बावजूद अभी तक गठित नहीं हो सकी है। 10 वीं कक्षा के मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की घोषणा अभी तक नहीं हुई है। उर्दू को द्वितीय राजभाषा बनाने की घोषणा करना और फिर उसे वापस ले लेना एक सरकार के बौद्धिक दीवालियेपन का उदाहरण है।

6—किसानों को उनके उत्पादन का उचित मूल्य नहीं मिल सका। गन्ना, गेहूं और आलू इसके उचित दाम के लिए किसानों का संघर्ष पूर्णतया पूर्ण ढंग से दबाया गया वहीं दूसरी तरफ उपभोक्ता को वाजिब मूल्य पर आवश्यक पदार्थों की आपूर्ति नहीं हो सकी। विद्युत् आपूर्ति नाम मात्र की है जिससे इस प्रदेश के सभी उद्योग बन्द पड़े हैं।

जनजीवन अरक्षित है। दिहुली, साढूपुर और इटावा जिले के बौड़ी नगला के लोगों की सामूहिक हत्याएं इस प्रकार का सबूत हैं कि सामान्य जनता की सुरक्षा में शासन असफल है और वहीं दूसरी तरफ हजारों बेगुनाह और निरपराध लोगों को फर्जी मुठभेड़ दिखाकर पुलिस ने उनकी हत्या कर दी।

प्रशासन, मंत्रिमंडल एवं उच्च प्रशासकों का वरदहस्त समाज विरोधी तत्वों को प्राप्त है। उदाहरण सहित मंत्रिमंडल के सदस्यों के भ्रष्टाचार के आरोपों के ज्ञापन दिये गये लेकिन उनकी जांच नहीं कराई गयी।

आज उत्तर प्रदेश में अराजकता एवं भ्रष्टाचार तथा शासकीय फिजूल खर्ची बढ़ी हुई है। इस लिए यह सदन प्रदेश के इस गिरी हालत पर क्षोभ और असंतोष व्यक्त करता है।

6—श्री हुकम सिंह (उपस्थित किया हुआ माना गया)—

प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय—

किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया है:—

1—कैराना, जनपद मुजफ्फरनगर में चल रही चकबन्दी में व्याप्त भ्रष्टाचार पर सरकार की निन्दा के सम्बन्ध में।

2—जनपद मुजफ्फरनगर की 250 से अधिक प्राइमरी पाठशालाओं पर छत तक नहीं है, उनके निर्माण के सम्बन्ध में।

3—माह दिसम्बर में मुजफ्फरनगर में छात्रों पर हुए निर्मम लाठीचार्च के सम्बन्ध में।

7—श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ तथा श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय:—

किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल के अभिभाषण में—

1--उत्तर प्रदेश सरकार कानून व्यवस्था के सुधार में फेल रही है हड़ताल के बाद सहपुर में सामूहिक हत्या का सिलसिला बना हुआ है अतएव इस सरकार को बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है, इसका उल्लेख नहीं किया गया है।

2--महंगाई, बढ़ती हुई गुण्डागर्दी, अराजकता, खुलेआम पुलिस का राज्य, इससे निपटने का कोई उल्लेख नहीं है।

3--मौजूदा मन्त्रिमंडल में कई भ्रष्ट असामाजिक तत्वों को संरक्षण देने वाले मन्त्रियों के विरुद्ध कार्यवाही करने की घोषणा नहीं की गयी है।

4--उर्दू को द्वितीय राज्य भाषा न घोषित करके उसका मखौल उड़ाया गया है। द्वितीय भाषा घोषित करने की कोई स्पष्ट घोषणा नहीं की है।

5--डुमरियागंज तहसील के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए कोई ठोस कार्यक्रम जैसे छोटे-छोटे औद्योगिक केन्द्र तथा एक समयबद्ध मास्टर प्लान की घोषणा नहीं की गयी है।

6--पी० एच० सी० डुमरियागंज के पूर्व चिकित्साधिकारी के भ्रष्टाचार एवं दुर्व्यवहार से उत्पन्न स्थिति पर उक्त अधिकारी से जांच कराने का कोई जिक्र नहीं किया गया है।

7--थानाध्यक्ष त्रिलोकपुर, जनपद बस्ती के भ्रष्टाचार, अभद्र व्यवहार तथा खुलेआम रिश्वत लेने, जिसके सम्बन्ध में एक खुला हुआ आरोपपत्र रिश्वत लेने का उच्चाधिकारियों को दिया गया जिनके आतंक से पूरा त्रिलोकपुर क्षेत्र त्रस्त है। उन्हें निलम्बित कर पुलिस लाईन में हाजिर कर खुलेआम उनके भ्रष्टाचार की जांच करने का कोई जिक्र नहीं किया गया है।

8--सितम्बर, 1981 की अभूतपूर्व बाढ़ से डुमरियागंज तहसील, जिला बस्ती के तबाहहाल गरीब मजदूर, किसानों के सहायता के बारे में कुछ नहीं कहा गया है, जबकि हजारों नवजवान, बेरोजगारी और भुखमरी के कगार पर खड़े हैं।

9--डुमरियागंज तहसील में राप्ती, बूढ़ी राप्ती, कुआनों तथा आमी नदियों से जिन गांवों को बाढ़ में नुकसान पहुंचा है उनके प्रभावित लोगों को घर बनाने हेतु पांच हजार रुपया प्रत्येक व्यक्ति देने की घोषणा नहीं की गई है।

10--डुमरियागंज तहसील में राजकीय डिग्री कालेज के स्थापना की कोई घोषणा नहीं की गयी है।

11--डुमरियागंज तहसील में पूर्ववर्ती सरकार ने खाद्यान्न योजना तथा अन्य योजनाओं के अन्तर्गत तहसील के कोने-कोने में भारी पैमाने पर सड़कों का निर्माण कराया था उन सड़कों पर पुलिया खड़ंजा तथा उन्हें पिच करने की कोई घोषणा नहीं की गयी है। बाढ़ से कट जाने के बाद उन्हें मरम्मत कराने का भी कोई जिक्र नहीं है।

12--चन्दीप घाटरोड पर कुआनो नदी पर पीपे का पुल तथा राप्ती नदी पर सिगारजोत मार्ग पर पीपे का पुल जिसकी घोषणा पूर्ववर्ती सरकार ने किया था, उसके निर्माण का कोई जिक्र नहीं है।

13--तहसील डुमरियागंज के अन्दर सीमेन्ट के वितरण में किए जा रहे भ्रष्टाचार, पैसा लेकर सीमेन्ट का वितरण, इससे निपटने की कोई घोषणा नहीं की गयी है।

14--बिजली के संकट से उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए किसी ठोस निर्णय का जिक्र नहीं किया गया है।

15--अभूतपूर्व बाढ़ से तबाह व बरबाद हो जाने के बाद यहां के गरीब मजदूर किसानों को रोटी रोजी चलाने के लिए भारी पैमाने पर सड़कों का निर्माण आदि जैसी योजना की घोषणा नहीं की गयी है जिससे वह भुखमरी से बच सके।

16--गन्ने का मूल्य 40.00 रुपया प्रति क्विन्टल करने की घोषणा नहीं की गयी है।

17--विधान सभा क्षेत्र 170 व 171 में पूर्व स्वीकृत सैकड़ों सड़कें जिन पर पूर्व सरकार ने समय बद्ध योजना के तहत कार्य कराने की घोषणा की थी परन्तु उसे पुनः आरम्भ कराने की कोई घोषणा नहीं की गयी है।

18--प्रदेश में पुलिस द्वारा लोकदल के कार्यकर्त्ताओं को खुलेआम अपमानित करने, खासतौर से बस्ती जनपद के मुहाना थाने में वहां की पुलिस द्वारा सार्वजनिक रूप से उन्हें अपमानित करने, लाउड स्पीकर तोड़वाने आदि की घटना की खुले आम जांच करने का कोई जिक्र नहीं किया गया है।

19--थाना त्रिलोकपुर में त्रिलोकपुर थानाध्यक्ष के खुले आम गुण्डागर्दी करने, उच्च-नीच की जबर्दस्त खाई पैदा करने तथा वहां के शरीफ सम्मानित लोगों को फर्जी मुकदमें में फंसाकर अपमानित करने, जैसे कुचक्र से निपटने की स्पष्ट घोषणा नहीं की गयी है।

20--इटवा-बेलवा मार्ग को पक्का करने की घोषणा नहीं है।

8--श्री जमुना प्रसाद तथा श्री रामसागर--

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय:--

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया:--,

1--उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों को 40 रु0 प्रति कुन्तल मूल्य दिया जायेगा।

2--प्रदेश में मुठभेड़ के नाम पर मारे जा रहे निर्दोष लोगों पर रोक लगाई जायेगी और अब तक हुई फर्जी मुठभेड़ के नाम पर मारे गये निर्दोष लोगों की सी0बी0आई0 द्वारा जांच कराई जायेगी।

3--मैनपुरी जनपद देवली एवं साढ़ूपुर (साढ़ूपुर) काण्डों में सामूहिक हरिजन नरसंहार में दोषी प्रशासनिक अधिकारियों एवं कर्मचारियों को कठोर सजा दी जायेगी और प्रदेश के हरिजनों की रक्षा की जायेगी।

4--जनपद बाराबंकी में राजकीय बालिका इण्टर कालेज का भवन शीघ्र बनवा दिया जायेगा।

5--जनपद बाराबंकी में तहसील फतेहपुर व रामसनेही घाट और हैदरगढ़ में डिग्री कालेजों की स्थापना अतिशीघ्र कर दी जायेगी।

6--प्रदेश में क्षेत्रीय समितियों के चुनाव कराने से पूर्व ग्राम सभाओं के चुनाव करा दिए जायेंगे।

7--जनपद बाराबंकी के तहसील फतेहपुर अन्तर्गत कस्बा बेलहरा व टिकैतगंज को टाउन एरिया का दर्जा दिया जायेगा।

8--जनपद बाराबंकी में शारदा सहायक नहर का पानी किसानों की समस्याओं को देखते हुए कल्यानी नदी में दरावां साइफन व बरावां साइफन द्वारा नहीं छोड़ा जायेगा।

9--जनपद बाराबंकी में कल्यानी नदी को गहरा और सीधा कर दिया जायेगा।

10--जनपद बाराबंकी अन्तर्गत दरियाबाद समानान्तर शाखा व रायबरेली ब्रांचों की बेड लाइनिंग करके पक्का कर दिया जायेगा।

11--जनपद बाराबंकी में तीर्थ स्थल धन्नाग तीर्थ को पर्यटक स्थल बना दिया जायेगा और सौन्दर्यीकरण कर दिया जायेगा।

12--जनपद बाराबंकी की तहसील फतेहपुर अन्तर्गत कल्यानी नदी में टिकरा घाट व हसनपुर टांडा तथा तहसील रामसनेही घाट अन्तर्गत रारी नदी पर टेड़वा घाट व घटमापुर घाट के पुलों का निर्माण इसी वर्ष कर दिया जायेगा।

13--जनपद बाराबंकी अन्तर्गत तहसील रामसनेही घाट में ग्राम मबेया में पुरुष व महिला चिकित्सालय की व्यवस्था कर दी जायेगी।

14--जनपद बाराबंकी अन्तर्गत तहसील फतेहपुर के ग्राम मदेसिया मद्रास व सिघतरा व रायपुर व पलिया व नियामतपुर व खरिहानी (खरिहानी), तथा तहसील रामसनेही घाट के ग्राम असरफपुर व मवैया व घनौली, तिलकपुरवा व बहरेला, में राजकीय नलकूपों की व्यवस्था इसी वर्ष कर दी जायेगी।

15--जनपद बाराबंकी अन्तर्गत तहसील फतेहपुर से कतुरी कलां, व बाराबंकी-फतेहपुर मार्ग से कुतुलूपुर, से मझगवां शरीफ, के मार्गों को सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा शीघ्र बनवा कर पक्का कर दिया जायेगा।

16--उत्तर प्रदेश की नौकरियों में हरिजनों एवं पिछड़े वर्ग के आरक्षण कोटा शीघ्र पूरा कर दिया जायेगा।

17--जनपद बाराबंकी के थाना रामसनेही घाट अन्तर्गत ग्राम जगदीशपुर में दिनांक 3-4 जनवरी, 1982 की रात को हुई डकैती में मारे गये सामाजिक कार्यकर्त्ता श्री कमलेश वर्मा के हत्यारों का शीघ्र पता लगाकर उन्हें दन्डित किया जायेगा।

18--जनपद बाराबंकी के तहसील फतेहपुर अन्तर्गत एक हरिजन छात्रावास की तथा कस्बा टिकैतगंज में एक इण्टर कालेज की स्थापना शीघ्र कर दी जायेगी।"

9--श्री सन्त बख्श रावत--

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय:--

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है:--

1--प्रदेश के किसानों को उनके उत्पाद चावल, गेहूं, गन्ना आदि का मूल्य सरकार द्वारा उपज की लागत एवं उन्हें मिलने वाली आवश्यक वस्तुओं के बढ़े हुए मूल्य को ध्यान में रखते हुए तथा विदेशों से मंगाये गए गेहूं के दर के हिसाब से दिया जायेगा।

2--प्रदेश के सभी किसानों को उनकी फसलों में प्रयोग की जाने वाली खादों के दाम मौजूदा दर से आधी दर पर रासायनिक उर्वरक उपलब्ध कराए जायेंगे।

3--प्रदेश के हरिजनों को भरपूर सुरक्षा एवं नौकरियों में आरक्षण का कोटा इसी वर्ष पूर्ण कर दिया जायगा।

4--प्रदेश में शान्ति एवं व्यवस्था की स्थिति इतनी अधिक बिगड़ चुकी है कि इस सरकार के चलते सुधार सम्भव नहीं है।

5--प्रदेश में सरकार पश्चिम, पूरब एवं पर्वतीय विकास के नाम पर योजना बनाती है और मध्य का क्षेत्र अर्थात् लखनऊ मण्डल की ओर ध्यान रखते हुए प्रदेश का पिछड़ा हुआ मण्डल घोषित किया जायेगा।

6--लखनऊ जनपद में सरोजनी नगर, महोना एवं मलीहाबाद शासन द्वारा नई-नई योजनाओं की व्यापक स्थापना के कारण इस जनपद की मोहनलालगंज तहसील उपेक्षित है जबकि यहां करीब 50 प्रतिशत हरिजन आबादी है किन्तु सरकारी क्षेत्र में एक भी उद्योग नहीं है। अतः मोहनलालगंज को सबसे अधिक पिछड़ा क्षेत्र समझ करके इस क्षेत्र के विकास के लिए सरकारी लघु एवं वृहद उद्योग लगाएं जायेंगे।

7--प्रदेश में वर्ष 1977 से 1980 में बने सभी ग्रामों के सम्पर्क मार्गों की मरम्मत की जायेगी एवं उन्हें पक्का किया जायेगा।

8--प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में ग्रामीण मजदूरों को काम देने के लिए प्रत्येक विकास खण्ड के सभी प्रमुख ग्रामों से सम्पर्क मार्गों का कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

9--लखनऊ जनपद में ग्रामीण क्षेत्रों के छात्र-छात्राओं को उच्च शिक्षा प्रदान करने हेतु गोसाईगंज में रामपाल त्रिवेदी इण्टर कालेज तथा मोहनलालगंज में काशीश्वर इण्टर कालेज एवं जयजीवन इण्टर कालेज, मोहनलालगंज तथा सत्य नारायण तिवारी इण्टर कालेज, निगोहां को डिग्री कालेज बनाया जायेगा।

10--लखनऊ जनपद में शारदा सहायक परियोजना के किनारे भारी सीपेज के कारण करीब 3,000 एकड़ कृषि भूमि जलमग्न रहती है जिससे किसान अपनी फसलें नहीं उगा पाये। अतः सीपेज ड्रेन एवं पम्प सेटों से पानी निकाल कर उन्हें राहत दी जायेगी तथा तीन वर्षों से हुई उनकी फसलों की क्षति के एवज में मुआवजा दिया जायेगा।"

10--श्री मसूर आफरी--

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय--

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल के अभिभाषण में--

1--उतरौला जिला गोंडा में राजकीय महिला हाई स्कूल के स्थापना करने की घोषणा नहीं की गई है जबकि यह कस्बा 20,000 (बीस हजार) की आबादी का है।

2--1981 की ऐतिहासिक बाढ़ से पूरा उतरौला क्षेत्र तबाह व बरबाद हो गया, सैकड़ों गांव पस्त हो गये हैं, गरीब, मजदूर किसान, बेरोजगारों तथा हरिजनों के रोजी-रोटी चलाने के लिए किसी स्थायी योजना की घोषणा नहीं की गई है।

3--उतरौला के जी० कालेज एवं भारतीय कालेज में इण्टर कक्षाओं में साइंस (विज्ञान) की कोई व्यवस्था नहीं है इसकी भी घोषणा नहीं की गई है कि विज्ञान को मान्यता दी जाती है।

4--पूरे प्रदेश गोंडा के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए स्थायी मास्टर प्लान द्वारा कल कारखाने की कोई घोषणा नहीं की गई है।

5--पूरे प्रदेश में फर्जी मुठभेड़ों के नाम पर हजारों निरीह और बेकसूर लोगों को मौत के घाट उतारा गया है, इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा गया है।"

11--श्री राम आसरे वर्मा--

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय--

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्न बातों का जिक्र नहीं किया--

1--दस्यु संरक्षण विरोधी अध्यादेश विपक्ष से बदले की भावना का द्योतक है सहकारी समितियों एवं क्षेत्र समितियों के सम्बन्ध में जारी अध्यादेश संसदीय लोकतंत्र से पार्टी, लोकतंत्र का परिचायक है।

2--भ्रष्टाचार, महंगाई और बेरोजगारी के भीषण प्रकोप से प्रदेश ग्रस्त है।

3--प्रदेश में शांति व्यवस्था में अत्यधिक गिरावट हुई है।

4--किसानों द्वारा उत्पादित चीजों की कीमतों के निर्धारण का अधिकार किसानों को ही दिलाया जायगा।

5--किसानोपयोगी चीजें खाद, बीज, पानी, आदि सस्ते दामों पर उपलब्ध करायी जायेगी तथा भूमिहीनों किसानों एवं खेतिहर मजदूरों को उनके जीवन यापन के साधन सुनिश्चित किये जायेंगे।

6--ग्रामीण क्षेत्रों से सम्पर्क मार्गों को पक्का कराने, उन्हें और व्यापक बनाने की योजनाओं पर बल दिया जायेगा।

7--मजदूरों को उनके न्यायोचित अधिकारों से वंचित रखा जा रहा है।

8--किसानों, मजदूरों छात्रों एवं राज्य कर्मचारियों के आन्दोलनों को दबाने के लिए दमनकारी षडयंत्र किये गये हैं।

9--जनपद हरदोई के किसानों का शुगर मिल हरदोई पर गत वर्षों का बकाया ऋण तथा मौजूदा सीजन में किसानों का बकाया दिलाये जाने के लिए कोई कदम नहीं उठाये गये हैं।

10--जनपद हरदोई के मल्लावां क्षेत्र में सहकारी चीनी मिल की स्थापना के कारगर उपाय नहीं किये गये।

11--मल्लावां क्षेत्र को औद्योगिक विकास से वंचित रखकर वहां के बुनकरों आदि को बेहाल बनाये रखा गया है।

12--उक्त क्षेत्र को सिंचाई से संबंधित नये निर्माण कार्यों से पूर्णतः वंचित रखा गया है तथा ड्रेनों आदि की सफाई नहीं की गई है।

13--उक्त क्षेत्र से सम्बद्ध सई नदी पर गोसगंज का पुल खटाई में डाल रखा गया है, इसी नदी पर बंधौली के पास पुल की कोई रूपरेखा नहीं बनाई गई है और न ही बिलराया-पनवारी मार्ग पर गंगा नदी में राजघाट पुल के निर्माण पर ही विचार किया गया है।

14--मल्लावां थाने के अन्तर्गत हत्याओं के अटूट सिलसिले पर अंकुश नहीं लगाया जा सका, तथा असामाजिक तत्वों के प्रति उदासीनता बरती गई है।

15--उक्त क्षेत्र के अधिकांश प्राइमरी एवं जूनियर हाई स्कूलों के बच्चों को जाड़ा, गर्मी, बरसात हर समय बिना भवनों के ही शिक्षा प्राप्त करने लिए बाध्य किया गया है।"

12--श्री सत्यपाल सिंह यादव--

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय--

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित तथ्यों का जिक्र नहीं किया है:--

1--उत्तर प्रदेश में गन्ना काश्तकारों को अत्यधिक कम मूल्य दिया जा रहा और विशेषकर प्राइवेट क्रेशर मालिक गन्ना काश्तकारों को 9, 10 रु0 प्रति क्विन्टल देकर काश्तकारों की खुली लूट कर रहे हैं और यह सरकार प्राइवेट क्रेशर मालिकों पर जानबूझ कर उनसे मुनाफा उठाकर क्रेशर मालिकों पर कोई अंकुश न लगाने के विषय में।

2--सरकार प्रदेश में कानून और व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति पर कोई रोक नहीं लगा रही है और झूठे मुठभेड़ों द्वारा निरीह जनता को पुलिस मनमाने तौर से मौत के घाट उतार रही है तथा हजारों निर्दोष लोगों को राजनैतिक पक्षपात के आधार पर पुलिस द्वारा झूठे आरोपों में बन्द करने के विषय में।

3--यह सरकार हरिजनों को संरक्षण देने में पूर्णतयः असमर्थ साबित हुई है तथा पिछड़े वर्ग के लोगों पर पुलिस विशेष कर अत्याचार कर रही है और न ही पिछड़े वर्ग को कोई राहत दी गयी है।

4--दस्यु उन्मूलन न कर पाने के बावजूद भी माननीय मुख्य मन्त्री द्वारा त्याग-पत्र न देना।

5--बढ़ती हुई महंगाई के विषय में सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठा सकी है, खादों, तेल, सिंचाई की अप्रत्याशित बढ़ोतरी को रोकने के विषय में।

6--जिला शाहजहांपुर के थाना कलान में तीन लोगों को झूठी मुठभेड़ में मार देने के विषय में।

7—जिला शाहजहांपुर में थर्मल प्लान्ट, खाद का कारखाना व पुवायां में एक सहकारी चीनी मिल खोले जाने के विषय में।

8—जिला शाहजहांपुर में कानून की कक्षाएं खोलने के विषय में।

9—जिला शाहजहांपुर के कस्बा तिलहर में राजकीय कन्या इण्टर कालेज व कटरा में कन्या हाई स्कूल खोलने के विषय में।

10—प्रदेश में प्रधानों के चुनाव कराए बगैर व प्रत्येक ब्लाक में चुनाव हेतु कांग्रेसी मनोनयन के विषय में।

11—जिला शाहजहांपुर में गन्ना काश्तकारों को सहकारी चीनी मिलों से 40 रु0 प्रति क्विन्टल व प्राइवेट क्रेशरों की लूट रोकने के लिए प्राइवेट क्रेशरों पर अंकुश लगाने के विषय में।"

13—श्री धनीराम वर्मा—

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय—

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में—

1—ग्राम पंचायतों को ग्राम पंचायत क्षेत्र के लगान का कम से कम 1/6 भाग देने की घोषणा नहीं की है। जिससे ग्रामीण क्षेत्र का समुचित विकास हो सके।

2—खेतिहर मजदूरों, लघु कृषकों एवं निर्बल वर्ग के बेरोजगारों हेतु प्रत्येक अदालत क्षेत्र में आवश्यकतानुसार लघु उद्योगों की स्थापना की घोषणा नहीं की है। जिससे उक्त क्षेत्र के बेरोजगार लोगों की रोजी-रोटी की समस्या हल हो सके।

3—निर्बल वर्ग के लोगों के बच्चों की निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था की घोषणा नहीं की है।

4—हरिजनों एवं पिछड़े वर्ग के निर्धारित आरक्षण को पूरा करने हेतु हरिजन एवं पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों की चयन समिति बनाने की घोषणा नहीं की है।

5—लागत मूल्य बढ़ जाने तथा किसान की दैनिक आवश्यताओं की वस्तुओं की कीमतों में अत्यधिक बढ़ोत्तरी हो जाने के कारण किसान के गेहूं की कीमत 200.00 रुपये एवं धान की कीमत 150.00 रुपया तथा गन्ना का मूल्य 40.00 प्रति कुन्टल देने की घोषणा नहीं की है।

6—शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को पारिवारिक पेंशन देने की घोषणा नहीं की है।

7—औरैया एवं बिधूना तहसीलों में बेरोजगारों को रोजगार दिलाने हेतु कोई उद्योग धंधे स्थापित करने की घोषणा नहीं की है।

8—शिक्षित एवं अशिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों को बेरोजगारी का भत्ता देने की घोषणा नहीं की है।

9—जितनी बिजली उतना पैसा उपभोक्ताओं से लेने की घोषणा नहीं की है।

10—औरैया एवं बिधूना तहसीलों की यमुना सेंगर एवं अरिन्द नदियों के किनारे की लाखों एकड़ असिंचित भूमि को सिंचित बनाने हेतु अतिरिक्त नलकूप लगाए जाने की घोषणा नहीं की है।

11—औरैया एवं बिधूना तहसीलों की ऊसर भूमि सुधार हेतु कोई घोषणा नहीं की है।

12—दिबियापुर अथवा पाता, जहां हजारों एकड़ ऊसर भूमि पड़ी हुई है जिसका सर्वे भी हो चुका है, में उर्वरक का कारखाना स्थापित किये जाने की घोषणा नहीं की है।

13—औरैया एवं बिधूना के भरसेन, दौलतपुर, हरचंदपुर, आदि ग्रामों को जिनकी आबादी 5000 से भी अधिक है, सड़क मार्ग से जोड़े जाने की घोषणा नहीं की गयी है।

14--औरैया एवं विधूना तहसीलों के ग्रामों का विद्युतीकरण किये जाने की घोषणा नहीं की गयी है ।

15--निचली गंगा नहर शाखा इटावा की झींझक से रूरा तक पटरी पक्की है और यातायात खुला हुआ है जिससे प्रदेश के औद्योगिक नगर कानपुर में जाने की सुविधा है। इस सुविधा को इटावा जनपद के निवासियों को प्रदान किये जाने हेतु, इटावा की तहसील औरैया एवं विधूना में इस नहर के किनारे स्थिति प्रमुख मंडियों अछल्दा, दिबियापुर, एवं कंचौसी को पक्का कराकर यातायात हेतु खोलने की घोषणा नहीं की गयी है ।

16--प्रदेश की नहरों, राजवहों की पटरियां जो यातायात की प्रमुख साधन बन सकती हैं एवं अनेकानेक ग्रामों को सड़क मार्ग से जोड़ सकती है जिससे न तो काश्तकारों की भूमि नष्ट होगी न मिट्टी डालने एवं पुलिया के बनवाने की आवश्यकताओं में सरकारी धन का अपव्यय होगा और न ही राजवहों व नहरों में खंतियां हो सकेंगी, को पक्का कराये जाने की घोषणा नहीं की गयी है ।

17--यमुना नदी के शेरगढ़ घाट पर पुल बनाये जाने की घोषणा नहीं की गयी है जिसके निर्माण से कन्नौज से बुन्देलखंड और मध्य प्रदेश का सीधा मार्ग खुल सकता है व देश की गल्ला व घी मंडी औरैया का बुन्देलखंड व मध्य प्रदेश से सीधा सम्बन्ध स्थापित हो सकता है ।

18--इटावा जनपद की तहसील औरैया का प्रमुख नगर फफूंद जो सन् 1857 और उसके कई वर्ष बाद तक जनपद का जिला केन्द्र रहा है इस समय टाउन एरिया भी है, में विद्युत् की समुचित व्यवस्था हेतु, जिससे कुटीर उद्योग धंधों से इस नगर का विकास हो सके, कोई घोषणा नहीं की गई है ।

19--इटावा जनपद का विधूना कस्बा जो तहसील केन्द्र और टाउन एरिया भी है, में अन्य तहसील केन्द्रों जैसी विद्युत वितरण की घोषणा नहीं की गयी है ।

20--दिबियापुर कस्बा जो गल्ले की प्रमुख मंडी है जिसमें 50 से भी अधिक छोटे छोटे उद्योग धंधे हैं, में शहरी क्षेत्र जैसी बिजली वितरण की घोषणा नहीं की गयी है ।

21--हाई स्कूल एवं इण्टरमीडिएट कालेज की वार्षिक परीक्षायें सन्निकट है परन्तु छात्रों की पढ़ाई, लिखाई हेतु शाम 6 बजे से 10 बजे तक एवं प्रातः 4 बजे से 7 बजे तक सम्पूर्ण प्रदेश में समान रूप से विद्युत् वितरण की घोषणा नहीं की है ।

22--इटावा जनपद का दिबियापुर क्षेत्र जो गन्ने का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है, में शुगर मिल स्थापित किये जाने की घोषणा नहीं है ।

23--इटावा जनपद से बहने वाले हरचंदपुर रजबहा, बूढ़ादाना रजबहा, कखलां माइनर, वैसुन्धरा रजबहा जो औरैया एवं विधूना क्षेत्रों में है, की दाहिनी अथवा बांई पटरियों को पक्का कराये जाने हेतु घोषणा नहीं की है जो उस क्षेत्र के आवागमन के प्रमुख साधन हैं ।

24--इटावा जनपद में दिबियापुर से सहायल, सहार से वेला, वेला से विधूना जाने वाली विद्युत् लाइनें जो खम्भे टूट जाने के कारण बंद पड़ी हैं, पुनः चालू कराये जाने की घोषणा नहीं की है ।

25--ग्राम पंचायतों, स्थानीय निकायों एवं सहकारी संस्थाओं के चुनाव अतिशीघ्र कराये जाने की कोई घोषणा नहीं की है ।

26--प्रदेश में बसों के किराये में एक साल के अन्दर लगभग 1 1/2 गुनी बढ़ोत्तरी की गयी है, को कम किये जाने हेतु कोई घोषणा नहीं की है ।

27--वार्षिक बजट में प्रस्तावित करों के अतिरिक्त साल के अन्दर किसी प्रकार का टैक्स न लगाये जाने की घोषणा नहीं की है ।

28--इटावा जनपद में बहने वाली रामगंगा नहर से सम्बन्धित, प्रस्तावित सहायक माइनर एवं निचली गंगा शाखा इटावा की प्रस्तावित उसराही, माइनर एवं अन्य

प्रस्तावित माइनरों को असिंचित भूमि को सिंचित कराये जाने हेतु खुदाये जाने की घोषणा नहीं की है।

29--माध्यमिक शिक्षा के व्यवसायीकरण की घोषणा नहीं की है।

30--हरिजनों की सुरक्षा हेतु किसी ठोस कदम के उठाये जाने की घोषणा नहीं की है।

31--प्रदेश में सरकार एवं कानून व्यवस्था में अत्यधिक गिरावट के बारे में कुछ नहीं कहा है।

32--फर्जी मुठभेड़ों को अविलम्ब रोके जाने तथा फर्जी मुठभेड़ों में मारे गये व्यक्तियों की जांच उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से कराई जाने व फर्जी मुठभेड़ों में मारे गये लोगों के परिवारों में गुजारा भत्ता दिये जाने एवं फर्जी मुठभेड़ दिखाकर मारने वाले पुलिस कर्मियों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अन्तर्गत मुकदमा चलाये जाने की घोषणा नहीं की है।

33--डाकुओं से सम्बन्ध रखने के झूठे आरोप में प्रदेश के हरिजन एवं पिछड़े वर्ग के लोगों को मारने, झूठे केसों में फंसाने एवं उत्पीड़न किये जाने से रोके जाने हेतु घोषणा नहीं की है।

34--ग्रामीण मजदूरों में रोजगार दिये जाने हेतु पिछली सरकार द्वारा चलाई जाने वाली "काम के बदले अनाज योजना" को पुनः चालू किये जाने की घोषणा नहीं की है।

35--समान कार्य समान वेतन की घोषणा नहीं की है।

36--पिछली सरकार द्वारा बनाई गई सड़कों को पक्का कराये जाने हेतु घोषणा नहीं की है।

37--समान शिक्षा नीति की घोषणा नहीं की है।

38--राज्य कर्मचारियों तथा सहायता प्राप्त शैक्षिक एवं प्राविधिक संस्थाओं से सम्बन्धित "द्वितीय" उत्तर प्रदेश वेतन आयोग की संस्तुतियों के आधार पर प्रदेश सरकार की घोषणा से उत्पन्न विसंगतियों के समाधान हेतु कोई घोषणा नहीं की है।

39--इटावा जनपद में बहने वाली अहनैया नदी पर हरचंदपुर के पास व पुरहा नदी पर भसोरा घाट पर तथा अरिंद नदी पर मदनपुर घाट पर पुल बनाये जाने की घोषणा नहीं की है।"

14--श्री सूबेदार सिंह--

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय:--

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल के अभिभाषण में--

1--प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था, हरिजन उत्पीड़न को रोकने और उन्हें संरक्षण प्रदान करने हेतु कोई ठोस सुझाव नहीं दिये गये।

2--बेरोजगारी और भ्रष्टाचार मिटाने हेतु किसी प्रकार के प्रभावी नियंत्रण का जिक्र नहीं किया गया।

3--शिक्षा में सुधार तथा विद्यार्थियों और अध्यापकों की समस्याओं के निराकरण के लिए कोई कारगर सुझाव नहीं दिये गये।"

15--श्री रामस्वरूप वर्मा--

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय--

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नांकित का उल्लेख नहीं किया--

1--प्रदेश भर में केवल अछूतों (अनुसूचित जाति) के स्त्री और बच्चों की ही सामूहिक हत्या के सम्बन्ध में।

2--अछूतों को निरादर और दरिद्रता से एक साथ मुक्ति दिलाने के लिए सरकार की बेकार पड़ी वन भूमि पर प्रति परिवार को दो एकड़ सिंचित भूमि देकर इंसानी बस्ती बसाने की योजना का उल्लेख जिसमें हर गांव में पक्की सड़क, बिजली और ट्यूबवेल हों।

3--अनुसूचित एवं जनजाति का सरकारी नौकरियों में आरक्षण कोटा पूरा करने के लिए भर्ती के हर प्रक्रम पर साक्षात्कार लेने के लिए केवल अनुसूचित एवं जनजाति के अधिकारियों की नियुक्ति के सम्बन्ध में।

4--राजनीति के अनुसूचित एवं जनजाति को स्वावलम्बी एवं स्वाभिमानी बनाने के लिए केन्द्रीय सरकार से सिफारिश करना कि जिसमें सुरक्षित क्षेत्र इस प्रकार बनाये जाय कि अनुसूचित एवं जन जाति के प्रत्याशियों को केवल अनुसूचित एवं जनजाति के लोग ही मत देकर चुने।

5--संविधान निर्माता बोधित्व बाबा साहब डा० भीमराव अम्बेदकर द्वारा लिखित सम्पूर्ण साहित्य प्रदेश के सारे हरिजन छात्रावासों, हरिजन पुस्तकालयों, सरकारी अनुदान प्राप्त पुस्तकालयों और सरकारी पुस्तकालयों में अनिवार्य रूप से अविलम्ब उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

6--संविधान विरोधी साहित्य की अविलम्ब जब्ती के लिए ऐसी समिति का निर्माण कराने के सम्बन्ध में जिसमें अल्पसंख्यक, अनुसूचित एवं जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के समतावादी विद्वान हों।

7--सदन में कृषि मन्त्री द्वारा आश्वासन देने के बावजूद अब तक कृषि कार्य में प्रयुक्त होने वाले साधनों पर से राज्य का कर न समाप्त करने के सम्बन्ध में।

8--वर्तमान बीमार चीनी मिलों और नयी लगने वाली चीनी मिलों के स्थान पर ऐसे चीनी संस्थानों (शुगर काम्पलेक्स) की स्थापना करना जिससे खोई, शीरा, मैल आदि से अन्य उत्पादों (बाई प्रोडक्ट्स) से सभी प्रकार के सम्भव उद्योग चलाकर उनके लाभ से गन्ने के दाम अधिक और चीनी के दाम कम करने के सम्बन्ध में।

9--पांच वर्ष में प्रदेश की सारी सिंचन योग्य असिंचित भूमि को सिंचित करने की योजना बनाने के सम्बन्ध में।

10--कृषि में और मिलों में उत्पादित वस्तुओं के मूल्यों में समानुपात कायम करने के सम्बन्ध में।

11--प्रत्येक ब्लाक में कृषि में प्रयुक्त होने वाली मशीनों और कृषि, तकनीक तथा खाद, बीज, पानी, कीट नाशक दवाइयों आदि के प्रयोग के बारे में सभी किसानों को निःशुल्क प्रशिक्षण देने की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में।

12--परिवहन, बिजली जैसे महत्वपूर्ण उद्योगों तथा अन्य सरकारी उद्योगों में सरकारीकरण के कारण हो रही भयंकर घाटे को समाप्त करने के लिए समाजीकरण की योजना लागू करने के सम्बन्ध में जिसमें धनदाता, उत्पादक और उपभोक्ता तीनों की प्रबन्ध में समान भागीदारी हो।

13--प्रदेश की सरकारी नौकरियों में हर जाति को जनसंख्या के आधार पर आरक्षण देने के सम्बन्ध में।

14--वर्तमान औद्योगीकरण के कारण परम्परागत उद्योगों में लगे लोगों को विस्थापित होने से बचाने के लिए वैकल्पिक रोजगार की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में।

15--संविधान सम्मत बौद्ध, इसाई, इस्लाम जैसा समता परक समाज बनाने के लिए प्रयास करने के सम्बन्ध में।

16--सम्पूर्ण शिक्षा का राष्ट्रीयकरण करके ऐसी एक सी सम शिक्षा का प्रबन्ध करने के सम्बन्ध में जो संविधान सम्मत और मानववादी हो तथा-8वें तक अनिवार्य एवं सम्पूर्ण शिक्षा निःशुल्क करने के सम्बन्ध में।

17--गांव पंचायतों एवं स्थानीय निकायों के चुनाव न कराकर अवैधानिक ढंग से पुरानी इकाइयों के आधार पर विकास खण्ड की समिति और जिला परिषदों आदि का निर्माण करने के सम्बन्ध में।

16--श्री हरिवंश सहाय तथा श्री नन्दकिशोर सिंह--

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय--

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्न के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा है--

1--शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार या बेरोजगारी का भत्ता दिये जाने के सम्बन्ध में।

2--किसानों को गन्ने का मूल्य 40 रु0 प्रति क्विन्टल दिये जाने के सम्बन्ध में।

3--हाई स्कूल तक मुफ्त, अनिवार्य एवं रोजगार पूरक शिक्षा दिये जाने तथा कान्वेन्ट स्कूलों को बन्द किये जाने के सम्बन्ध में।

4--दस बीघे तक जमीन का लगान माफ किये जाने के सम्बन्ध में।

5--आर्थिक असमानता दूर करने एवं दामनीति की घोषणा करने तथा प्रत्येक वस्तु के दाम लागत खर्च के दुगुने से ज्यादा न होने के सम्बन्ध में।

6--कानून एवं लोक संगठन द्वारा हर खेत मजदूर एवं अल्पवेतन भोगी मजदूर के परिवार को मकान लायक जमीन देने के सम्बन्ध में।

7--सभी उद्योगों में मालिकों, मजदूरों एवं उपभोक्ताओं के हितों का प्रतिनिधित्व रहने के सम्बन्ध में।

8--माध्यमिक विद्यालयों का राष्ट्रीयकरण करने के सम्बन्ध में।

9--भ्रष्टाचार, बेईमानी, घूसखोरी एवं भाई भतीजावाद को समाप्त करने के लिये कोई ठोस कार्यक्रम लागू करने के सम्बन्ध में।

10--सरकारी नौकरियों में पिछड़ी जातियों के आरक्षण की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में।

11--किसानों की फसलों का बीमा तत्काल लागू करने के सम्बन्ध में।

12--दहेज विरोधी कानून बनाने के सम्बन्ध में।

13--गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाली जनता के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिये ठोस नीति निर्धारित करने के सम्बन्ध में।

14--देवरिया जनपद में लगभग 100 पिछड़े, अनुसूचित, अल्प संख्यक एवं निर्बल वर्ग के लोगों को पुलिस डकैत गुटभेड़ के नाम पर मौत के घाट उतार दिये जाने पर उसकी जांच उच्च न्यायालय के जज से करायी जाने के सम्बन्ध में।

15--देवरिया जिले की छोटी गंडक नदी में चनुकी बड़का गांव एवं सठियांव में पक्का पुल बनाने के सम्बन्ध में।

16--देवरिया जनपद के भाटपाररानी में महिला डिग्री कालेज तथा बनकटा व भटनी में बालिका हाई स्कूल खोलने के सम्बन्ध में।

17--देवरिया जनपद के खनुआ नदी के मोहरीर, खैराट, झरना घाट तथा बिन्दबलिया में रेगुलेटर लगाने तथा हाहा नाले पर बांध बनाने के सम्बन्ध में।

18--देवरिया जनपद में कृषि विश्वविद्यालय खोलने के सम्बन्ध में।

19--देवरिया जनपद में डिप्लोमा इंजीनियरिंग कालेज खोलने के सम्बन्ध में।

20--देवरिया जनपद के सलेमपुर में कागज तथा भाटपाररानी क्षेत्र में मसाला उद्योग लगाने के सम्बन्ध में।

21--देवरिया जनपद के औद्योगीकरण हेतु सर्वेक्षण एवं वित्तीय सहायता दिये जाने के सम्बन्ध में।

22--देवरिया जनपद के थाना खामपार में पुलिस द्वारा घूस की रकम सरकारी देयों की तरह वसूलने तथा ग्राम सरया में 24-25 दिसम्बर, 1981 की पड़ी डकैती को न लखने के सम्बन्ध में।

23--नगरपालिका देवरिया के नजूल भूमि को जिसे डिमूजा के कान्वेन्ट स्कूल के नाम मंत्री परिषद् द्वारा आवंटित किया गया है, निरस्त कर महिला डिग्री कालेज के नाम आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में।

24--प्रदेश में हरिजनों पर जुल्म ज्यादती रोकने के लिए कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई तथा उनके ऊपर जुल्मों की जांच हाईकोर्ट के जज से कराई जाने के सम्बन्ध में।

25--महंगाई रोकने के बारे में।"

17-श्री खैरुल बशर--

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय--

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित बातों का उल्लेख नहीं किया--

1--प्रदेश में अपनी चरम सीमा पर हो रहे भ्रष्टाचार, चोर बाजारी, बेकारी, बेरोजगारी तथा महंगाई दूर करने का भरपूर उपाय किए जाने के सम्बन्ध में।

2--प्रदेश में शान्ति व्यवस्था की हालत पिछले एक साल में तेजी से बिगड़ी है। साधारण नागरिकों का जीवन खतरे में पड़ गया है। प्रशासन अपराधों की रोकथाम में पूरी तरह विफल हो गया है। मानों प्रदेश में सरकार नाम की कोई चीज नहीं रह गयी है। पुलिस ने फर्जी इंकाउन्टरों के नाम पर अपने राजनैतिक विरोधियों तथा पैसा लेकर निरीह जनता का कत्ले आम आरम्भ कर दिया है। ऐसे अपराधों को जड़ से नष्ट करके अमन-चैन बहाल करने के सम्बन्ध में।

3--आवश्यक वस्तुओं जैसे चीनी, चावल, गेहूं, मिट्टी का तेल, सीमेंट, उर्वरक व खाद को चोर बाजारियों तथा निहित स्वार्थी वर्ग के चंगुल से मुक्त करने तथा जनता को आसानी से सस्ते मूल्य पर दिलाने की व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में।

4--प्रदेश में तानाशाही को जड़ जमाने का कोई अवसर नहीं दिये जाने तथा प्रदेश की विशाल जनवादी जनता की सहायता से जनवाद एवं जनतन्त्र की हर हालत में रक्षा किये जाने के सम्बन्ध में।

5--सुरक्षा अधिनियम तथा अनिवार्य सेवा अधिनियम के बगैर साधारण कानूनों के आधार पर जनता की सेवा करने ऐसे आपातकाल जैसे काले कानून प्रदेश पर नहीं लागू होने दिये जाने एवं प्रदेश के उद्योगपतियों को अकूत मुनाफाखोरी, सट्टेबाजी और लूट घसोट पर कड़ाई से रोक लगाए जाने के सम्बन्ध में।

6--प्रदेश में शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार देने या बेरोजगारी भत्ते की व्यवस्था किए जाने प्रदेश में 12 दर्जे तक शिक्षा अनिवार्य और निशुल्क की निकट भविष्य में घोषणा किये जाने प्रदेश के ग्रामीण अंचल में बेकार लोगों को काम दिये जाने तथा काम के बदले खाद्यान्न योजना लागू किये जाने के सम्बन्ध में।

7--प्रदेश के मजदूरों, किसानों, नौजवानों, छात्रों के जनवादी आन्दोलन को दबाने के लिए पुलिस के इस्तेमाल पर रोक लगाये जाने के सम्बन्ध में।

8--स्वायत्त शासन जनता के जनवादी अधिकारों की हिफाजत किये जाने, बगैर जनता द्वारा चुने गये पद्धति की जगह मनोनीत करने की पालिसी अवैध माने जाने के सम्बन्ध में।

9--प्रदेश के तमाम बड़े जिले जिनकी जनसंख्या तथा आबादी 25 लाख से अधिक है, को विभाजित करके एक के स्थान पर दो जिले बनाये जाने, आजमगढ़ जिले को भी विभाजित करके आजमगढ़ और मऊनाथ भंजन को अलग-अलग दो जिलों का दर्जा प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

10--पचास हजार से अधिक आबादी वाले नगरों में जिला स्तर के अस्पताल बनाये जाने, मऊनाथ भंजन जिला आजमगढ़ के राजकीय अस्पताल का उच्चस्तरीकरण करके जिला अस्पताल का दर्जा प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

11--प्रदेश के तमाम नगरों में जिनकी जनसंख्या 50 हजार से अधिक है के बीचोबीच से गुजरने वाले रेल मार्गों पर ओवर ब्रिज बनवाये जाने एवं मऊनाथ भंजन जिला आजमगढ़ में भी रेल मार्ग के ऊपर से ओवर ब्रिज बनवाये जाने के सम्बन्ध में।

12--हरिजनों, जनजातियों, पिछड़ी जातियों, मोमिन, अन्सार तथा अन्य गरीब वर्ग के लोगों को छात्रवृत्ति दिये जाने की नीति तथा नौकरी दिये जाने की पालिसी कड़ाई से लागू किये जाने के सम्बन्ध में।

13--बिजली विभाग द्वारा बिजली कटौती तथा रोज मर्रा की आंख मिचौली बन्द किये जाने तथा उद्योग धंधों एवं खेतों को भरपूर बिजली दिये जाने के सम्बन्ध में।

14--ग्रामीण अंचल की जनता के द्वारा उत्पादित वस्तुओं एवं नगरों में उद्योगों द्वारा उत्पादित वस्तुओं के मूल्यों में सामन्जस्य स्थापित किये जाने तथा किसानों की हर प्रकार हो रही लूट और शोषण को समाप्त किये जाने के सम्बन्ध में।

15--शिक्षा क्षेत्र में पिछले 34 सालों में शासन की गलत नीतियों के कारण हमारा प्रदेश काफी पिछड़ गया है। इस क्षेत्र में प्रदेश को आगे बढ़ाने का हर सम्भव उपाय किये जाने और 5 साल के अन्दर शिक्षा को सौ प्रतिशत करके नया रिकार्ड प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।"

18--श्री विद्यासागर नौटियाल--

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय--

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में राज्य में शान्ति व्यवस्था की बिगड़ती हुई स्थिति का जिक्र नहीं किया, देउली और साढ़ूपुर में बेकसूर लोगों को सामूहिक वध को वर्तमान सरकार रोकने में असफल रही है। ऋषिकेश से बद्रीनाथ धाम तक प्रति तीर्थ यात्री 30 रुपये के टिकट की धनराशि स्थानीय यात्रियों की अपेक्षा वसूलने की व्यक्तिगत परिवहन कम्पनियों को छूट देकर राज्य सरकार ने संविधान विरोधी कार्य किया। कोटद्वार गढ़वाल में गोली चलाने वाले थानेदार को वहां से स्थानान्तरण राजनैतिक कारणों से नहीं किया गया। देवप्रयाग टिहरी-गढ़वाल की चौरास पट्टी के नैयाण गांव में बेकसूर लोगों पर पुलिस के द्वारा अत्याचार किये गये और सरकार की ओर से दोषी पुलिस कर्मियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गयी। फकोट, टिहरी गढ़वाल में रामलीला की दर्शक महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार का प्रतिकार करने पर स्थानीय प्रधान सहित समस्त क्षेत्रीय जनता को सशस्त्र पुलिस बल ने आतंकित किया और उनको गिरफ्तार किया गया। इस कांड के दोषी पुलिस कर्मियों के विरुद्ध सरकार की ओर से कोई कार्यवाही नहीं की गई। जोशीमठ चमोली में कम्युनिस्ट कार्यकर्त्ता श्री गोविन्द सिंह रावत पर राजनीतिक द्वेष के कारण श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा का चुनाव में समर्थन करने पर, प्राणघातक हमला किया गया और दोषी अपराध कर्मियों के विरुद्ध पुलिस की ओर से कोई कार्यवाही नहीं की गई। उत्तरकाशी

जनपद में कम्युनिस्ट कार्यकर्ता सरोप सिंह राणा पर प्राणघातक हमला करने वाले अपराधियों के विरुद्ध पुलिस की ओर से कोई कानूनी कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई। समस्त पर्वतीय क्षेत्र में पटवारियों की लगातार हड़ताल चालू है और प्रशासन ठप्प पड़ा है। जनता की शिकायतों पर पटवारियों की हड़ताल के कारण कार्यवाही नहीं की जा रही है। सरकार इस हड़ताल को समाप्त करने की ओर कोई कदम नहीं उठा रही है. और अपने कर्तव्यों का निर्वाह करने में असफल सिद्ध हो रही है। पर्वतीय विकास परिषद् की सन् 1981 में पूरे साल के अन्दर एक भी बैठक आयोजित नहीं की गई और देव प्रयाग विधान सभा क्षेत्र के अन्दर राजनैतिक द्वेष से प्रेरित होकर निर्माण कार्यों के टेन्डर ले लिये जाने के उपरान्त भी ठप्प कर दिया जा रहा है। देव प्रयाग क्षेत्र के अन्दर विगत एक वर्ष के अन्दर कोई भी नया निर्माण कार्य किये जाने की स्वीकृति शासन की ओर से इसलिये नहीं दी गई कि वहां की जनता ने चुनावों में कांग्रेस (आई) पार्टी को पराजित किया था। पृथक पर्वतीय काडर सरकार की ओर से लागू नहीं किया गया और पर्वतीय क्षेत्र का विकास अवरुद्ध पड़ा है।"

19—श्री मित्रसेन यादव—

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय —

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने निम्नलिखित के सम्बन्ध में अपने अभिभाषण में कुछ नहीं कहा:—

1—दैनिक श्रमिक मजदूरों एवं खेत मजदूरों को निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दिलाने की गारन्टी दिये जाने के सम्बन्ध में।

2—फैजाबाद जनपद में माझा क्षेत्र में भूमिहीनों में आवंटित हजारों बीघा भूमि पर भूमिहीनों को कब्जा दिलाये जानें तथा बस्ती जनपद के बीच उठे भूमि विवाद को शीघ्र समाप्त कराये जाने के सम्बन्ध में।

3—मिल्कीपुर चुनाव क्षेत्र फैजाबद में सामंती भूमि चोरों से सरकारी भूमि निकाल कर भूमिहीनों में आवंटित किये जाने तथा कागज में फर्जी आवंटन पर वास्तविक कब्जा एवं अवशेष भूमि का भूमिहीनों में आवंटन सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में।

4—मिल्कीपुर जनपद फैजाबाद में अत्यन्त पिछड़े क्षेत्र को सिंचाई, आवागमन, सम्पर्क मार्गों, सड़कों तथा उद्योग एवं शिक्षण क्षेत्र में समान विकास हेतु अतिरिक्त सुविधायें प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

5—कृषि विश्वविद्यालय कुमारगंज, फैजाबाद के समुचित विकास हेतु अतिरिक्त धनराशि आवंटित किये जाने तथा क्षेत्रीय शिक्षित एवं अर्धशिक्षित बेरोजगारों को प्राथमिकता पर काम देने की गारन्टी दिये जाने के सम्बन्ध में।

6—हरिजनों तथा निर्बल वर्ग पर होने वाले आये दिन पुलिस एवं सामन्ती जुर्म को समाप्त किये जाने के सम्बन्ध में।

7—विद्युत उपभोक्ताओं को कृषि कार्य में की गई विद्युत कटौती को वापस किये जाने तथा सूखा और बाढ़ में लगान की छूट के समान विद्युत् देयों में छूट दिये जाने के सम्बन्ध में।

8—फसल बीमा योजना प्रभावी ढंग से लागू करने हेतु समान रूप से कार्य सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में।

9—प्रदेश के कृषकों को राहत देने हेतु कृषि क्षेत्र में प्रयोग होने वाली खाद, बीज, कीटनाशक दवाइयों और औजारों की मूल्य वृद्धि वापस किये जाने के सम्बन्ध में।

10—प्रदेश के हरिजन उत्पीड़न से प्रभावित परिवारों तथा सामान्य हरिजन एवं कमजोर वर्ग के लोगों की सुरक्षा हेतु बिला शर्त शस्त्र लाइसेन्स दिये जाने के सम्बन्ध में।"

20--श्री शंकर सिंह--

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय:--

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में--

1--गिरती हुई कानून व्यवस्था को संभालने के सम्बन्ध में कोई कारगर नीति की घोषणा नहीं की है।

2--दस्यु उन्मूलन के नाम पर फर्जी मुठभेड़ को दिखाकर पुलिस द्वारा निरीह जनता के खून बहाने को रोकने के सम्बन्ध में कुछ भी नहीं कहा है न ही की गई मुठभेड़ों की न्यायिक जांच का ही निर्णय लिया है।

3--माननीय मुख्य मंत्री द्वारा कानून व्यवस्था न सम्भालने तथा दस्यु समस्या न हटा सकने पर दिनांक 24-12-81 को अपना त्याग पत्र देने की घोषणा के बाद स्थिति में कुछ भी सुधार न होने का जिक्र नहीं किया।

4--हरिजनों तथा अन्य निर्बल तथा पिछड़े वर्ग की रक्षा के लिए कोई कारगर कदम उठाये जाने की घोषणा नहीं की है।

5--मंत्रि मंडल से भ्रष्ट मंत्रियों को निकालने के सम्बन्ध में कुछ भी नहीं कहा है।

6--किसानों को उनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं का उचित मूल्य दिलाने के सम्बन्ध में कोई ठोस नीति अपनाई जाने का उल्लेख नहीं किया है।

7--ग्राम सभाओं, मण्डी समितियों तथा सरकारी संस्थाओं के चुनाव किये बगैर मनमाने तरीके से सरकार द्वारा मनोनयन करने से प्रजातंत्र को ही समाप्त करने की वर्तमान सरकार की नीति के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा है।

8--बुन्देलखंड में पिछड़े तथा उपेक्षित जनपदों के उत्थान के लिये कुछ भी नहीं कहा है।

9--बुन्देलखण्ड में सिंचाई के लिए और अधिक नलकूपों का आवंटन करने के बारे में नहीं कहा है।

10--बेतवा केनाल द्वारा लगातार रबी की पूर्ण सिंचाई न कर सकने की क्षमता के बाद भी उसको "ए" श्रेणी से निकाले जाने का उल्लेख नहीं किया है।

11--यह नहीं कहा है कि सरकार की घोषणा के बाद भी बुन्देलखण्ड को 24 घंटे बिजली नहीं दी गई है जिसके कारण नलकूप पूर्ण क्षमता से नहीं चल पा रहे हैं।"

21--श्री परमाई लाल--

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय--

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्न बातों का जिक्र नहीं किया--

1--प्रदेश में कानून और व्यवस्था पूर्णतया समाप्त हो गयी है।

2--लोकतांत्रिक परम्पराओं को कुचला गया है।

3--किसानों, मजदूरों के न्यायोचित अधिकारों से न सिर्फ उन्हें वंचित रखा गया है बल्कि दमनकारी उपायों से हरदोई जनपद के अहिरौरी क्षेत्र को जो हरिजन बाहुल्य है, औद्योगिक विकास से पूर्णतया वंचित रखा गया है।

4--उक्त क्षेत्र में शिक्षा (जू० हा० स्कूल), सिंचाई, बिजली एवं विकास के कोई नये उपाय नहीं किये गये हैं।

5--सड़कों की मरम्मत, नई सड़कों के निर्माण, विद्युतीकरण, पुल-पुलियों के निर्माण आदि में उक्त क्षेत्र की पूर्ण उपेक्षा बरती गयी है।

6—सरकारी कार्यों में मजदूरी करने वाले लोगों को दैनिक मजदूरी शासन द्वारा स्वीकृत दरों से नहीं दी गयी है।

7—प्राइवेट बस मालिकों द्वारा ड्राइवर-कन्डक्टरों को शासन द्वारा निर्धारित वेतनमान नहीं दिया गया है।"

22—श्री कुबेर भण्डारी—

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :—

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया है:—

1—भूमिहीन ग्रामीण क्षेत्र के अनुसूचित जाति की रक्षा की जायेगी जबकि आर्थिक स्थिति में काफी गिरावट है।

2—प्रदेश के मुख्य मंत्री ने बयान दिया है कि पूर्वान्चल में भारी मात्रा में हरिजनों के हत्या के षडयंत्र रचाया जा रहा है। देहुली, साढ़ूपुर, बेहमई व इटावा जिले आदि स्थानों में हरिजनों की सामूहिक हत्यायें की गई है।

3—कि जनपद देवरिया में हरिजनों तथा भूमिहीनों में सीलिंग तथा ग्राम समाज की बंजर भूमि का आवंटन नहीं किया गया है।

4—कि जनपद देवरिया और पूर्वान्चल में इस कदर बेकारी बढ़ रही है कि लोग विदेशों में जाकर अपनी गुजर बसर कर रहे हैं।

5—कहा गया है कि कृषकों तथा गन्ना किसानों को सर्वोपरि स्थान दिया है और गन्ना किसानों को लाभकारी मूल्य दिया गया है। जबकि गन्ने के मूल्य पिछले वर्ष से कम दिये जा रहे हैं और सारे जीवनोपयोगी वस्तुओं के दाम बढ़ रहे हैं और देवरिया जनपद में चार चीनी मिलें और दो मिलें गोरखपुर में चलती हैं और किसानों की हड़ताल हुई थी लेकिन फिर भी ध्यान नहीं दिया गया है।

6—सड़कों और पुलों आदि के निर्माण में तेजी आने की बात कही गयी है जबकि जनता सरकार द्वारा निर्मित सड़कें भी खराब हो रही हैं सरकार का कोई ध्यान ही नहीं गया है।

7—कहा गया है कि काफी मात्रा में डकैत मारे गये हैं जबकि नामी डकैत बिल्कुल नहीं मारे गये है केवल गरीब निर्दोष लोगों को ही मौत के घाट उतारा गया है।"

23—श्री गौरी शंकर भैय्या—

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय—

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया है कि:—

1—प्रदेश में 10वीं कक्षा तक निःशुल्क और समान शिक्षा लागू की जायेगी।

2—बेरोजगारों को बेकारी भत्ता दिया जायेगा।

3—गन्ना किसानों के हितों की रक्षा हेतु इसके पूर्व गठित आयोगों की सिफारिशों को वर्तमान परिवेश में लागू किया जायेगा।

4—प्रदेश में नहरों तथा नलकूपों के सिंचाई दरों में समानता लायी जायेगी।

5—सीमेन्ट का कन्ट्रोल समाप्त किया जायेगा।

6—सरकारी सेवाओं के लिए निर्धारित आयु सीमा के अन्तर्गत नौकरी की गारन्टी दी जायगी या तत्काल ऐसा सम्भव न हो सके तो इसके लिए लगे अधिकतम आयु सीमा के प्रतिबन्ध को समाप्त किया जायगा।

7—सरकार प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र के लिए तीन माह के अन्दर प्रगति एवं विकास हेतु मास्टर प्लान तैयार करेगी, जिसके द्वारा क्षेत्र के अन्दर सिंचाई, सड़क, चिकित्सा, उद्योग, बिजली, पेयजल आदि की व्यवस्था की जा सके।

8—सरकार गरीबी रेखा के नीचे जीने वाले व्यक्तियों के लिए अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति का प्रबन्ध करेगी।

9—सरकार अहिंसक आन्दोलन, प्रदर्शन, धरना, घेराव और जन समस्याओं पर अनशन आदि पर प्रतिबन्ध नहीं लगायेगी।

10—सरकार भोजपुरी भाषा के सर्वांगीण विकास हेतु भोजपुरी अकादमी की स्थापना करेगी।

11—सरकार पूर्वांचल के विकास के लिए पूर्वांचल विकास निगम की स्थापना करेगी।

12—सरकार फसल बीमा योजना अनिवार्य रूप से लागू करेगी।

13—सरकार बलिया जनपद के फेफना व चिलिकहर गांवों के बीच सूत मिल की स्थापना करेगी।

14—बलिया जनपद के गड़ह परगना से जल निकास तथा सिंचाई की व्यवस्था सरकार अविलम्ब करेगी।

15—सरकार बलिया जनपद के गढ़वार और फेफना ग्राम सभा में प्राथमिक चिकित्सालय की स्थापना करेगी।

16—सरकर कोपाचिट निर्वाचन क्षेत्र में गंगा तथा टोंस नदी के कटान सेम प्रभावित गांव में पक्के ठोकरों का निर्माण करेगी।

17—सरकार बलिया जनपद में टोंस नदी पर थमरूरा एवं गंगहरा ग्राम सभा के बीच नाव का पुल एवं मगई नदी पर दौलतपुर तथा कथरियों के बीच पक्के पुल का निर्माण करेगी।

18—सरकार बलिया जनपद के शिक्षण संस्थान (श्री मुरली मनोहर टाउन महाविद्यालय) में व्याप्त भ्रष्टाचार तथा गबन की जांच कराकर आवश्यक कार्यवाही करेगी।

19—सरकार एकीकृत क्षेत्रीय ग्राम विकास एजेन्सी, गाजीपुर, बलिया में व्याप्त भ्रष्टाचार की जांच करायेगी।

20—सरकार बलिया नगर के चौक में स्व0 जय प्रकाश बाबू की आदमकद मूर्ति की स्थापना करेगी।"

24—श्रीमती गौरी देवी—

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय—

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया—

1—बढ़ती महंगाई, गिरती कानून व्यवस्था, बढ़ते भ्रष्टाचार, जनतंत्र पर होने वाले कुठाराघात और नैतिक चरित्र के पतन पर।

2—प्राथमिक शिक्षा की खराब हालत को सुधारने के सम्बन्ध में।

3—बेरोजगार युवकों को बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा वर्कचार्ज व विभिन्न विभागों से छटनी शुदा कर्मचारियों को काम पर पुनः लेने की घोषणा।

4--गांवों में शौचालयों की व्यवस्था किये जाने का।

5--बाढ़ के स्थायी हल व बाढ़ से घिरे गांवों व नदियों के कटाव में आये गांवों के निवासियों को अन्यत्र बसाये जाने की व्यवस्था और बाढ़ से किसानों के फसल क्षतिपूर्ति के सम्बन्ध में।

6--पूर्वांचल विकास आयोग के गठन की घोषणा।

7--भोजपुरी भाषा के विकास के लिए भोजपुरी आयोग एवं भोजपुरी संस्थान की घोषणा।

8--वेतन आयोग की रिपोर्ट के बाद उसे लागू करने से विभिन्न विभागों में हुई वेतन विसंगतियों को दूर करने के सम्बन्ध में।

9--पूर्वांचल में एक अन्य विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा।

10--गोरखपुर जनपद में रामगढ़ ताल को दर्शनीय स्थल के रूप में विकसित करने की योजना लागू करने के संबंध में।

11--शहीद रवीन्द्र सिंह मार्ग के आमी नदी और रामजानकी रोड सिकरिगंज के पास कुआनों नदी पर पुल निर्माण करने की घोषणा।

12--गोरखपुर-लखनऊ विश्वविद्यालय में छात्र संघ के भूतपूर्व अध्यक्ष स्व0 रवीन्द्र सिंह की प्रतिमा स्थापित करने की घोषणा।

13--गोरखपुर जनपद के जैतपुर-सेवई बाजार, रानीडीहा-मिरजापुर पाण्डेपाल-मलौली, नगवां एकलां,, महेबा-मिर्जापुर और बरहुआ-पिरोली, बेलीपार-बेला मार्गों के निर्माण कराने के सम्बन्ध में।

14--गोरखपुर जनपद के भवापार गजपुर पिपरौली जैसे महत्वपूर्ण कस्बों को टाउन एरिया घोषित किए जाने के सम्बन्ध में।

15--गोरखपुर जनपद के महावीर छपरा बड़गहन, जंगल बेलवार में उच्च श्रेणी का अस्पताल खोलने की घोषणा।

16--भौवापार, गजपुर व पिपरौली में बालिकाओं की शिक्षा के लिए राजकीय हाई स्कूल की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में।

17--आमी नदी के मुहाने को बन्द कराने की अथवा उसके दोनों तटबन्धों को बांधने के सम्बन्ध में।

18--भौवापार बेला और कौड़ीराम मलौली गजपुर बांधों को खड़ंजा कराने की व्यवस्था कराने के सम्बन्ध मे।

19--गोरखपुर जनपद के पाण्डेपार में कम्बल उद्योग केन्द्र स्थापित करने की घोषणा।

20--खाद्यान्न योजना व विकास खण्डों द्वारा और जिला परिषद से तीन कि0मी0 से अधिक बनी पुरानी सड़कों को सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित कराए जाने के सम्बन्ध में।

21--फिजूल खर्ची रोकने और खैरात बांटना बन्द करके पिछड़े इलाके में उद्योगों को स्थापित कर असहायों को रोजगार की व्यवस्था करने की घोषणा।

22--गोरखपुर के सहजनवां में चीनी मिल, नौतनवां व खोराबार में कागज कारखाना और बड़हलगंज में सूती मिल की स्थापना करने की घोषणा।"

25--श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय--

"किन्तु खेद है कि महामहिम राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में निम्नांकित बातों का उल्लेख नहीं किया है--

1--प्रदेश को तेजी से विकास पर ले जाने हेतु।

2--दिनों दिन कानून व व्यवस्था की गिरती स्थिति में हरिजनों, अल्प संख्यकों एवं समाज के अन्य कमजोर वर्गों की सुरक्षा पर बल देने तथा प्रदेश में मैनपुरी में देहुली काण्ड व सादूपुर सामूहिक हत्या काण्ड हरिजनों का दिल झकझोर देने के सम्बन्ध में।

3--मान्यता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों/प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों एवं गैर शिक्षकों को दिए गये अपमान जनक वेतन व सुविधा के सम्बन्ध में।

4--प्रदेश के समस्त कर्मचारियों (सरकारी, गैर सरकारी, स्थानीय निकाय आदि) को जीने योग्य वेतन की सुविधा देने के सम्बन्ध में।

5--गन्ना उत्पादकों को लाभ दायक दाम देने के सम्बन्ध में।

6--प्रदेश में कृषि उत्पादन बढ़ाने हेतु सिंचाई, बिजली, कीट नाशक दवाओं एवं अन्य कृषि उपकरणों को उचित दाम पर दिलाने के सम्बन्ध में।

7--बेकारी समाप्त करने की कोई ठोस योजना चलाने के सम्बन्ध में।

8--पिछड़ी जातियों/अनुसूचित जातियों/जनजातियों के कल्याण हेतु कोई उपाय नहीं बताए गये। पिछड़ी जाति को छात्रवृत्ति देने व नौकरियों में आरक्षण की सीमा संख्या के आधार पर नहीं बताई गयी। हरिजनों के आवास व पेयजल सुविधा के प्रभावकारी करने के सम्बन्ध में।

9--निर्वाचित क्षेत्र महाराजगंज में मुन्सिफ अदालत खोलने के विषय में कुछ नहीं कहा गया। इसके अलावा महाराजगंज को टाउन एरिया घोषित करने, ग्रामों में शौचालय बनवाने, यातायात सुविधायें प्रदान करने, विद्यालय खुलवाने, जनता व लोकदल सरकार द्वारा बनवाई गई खाद्यान्न योजना की सड़कों को उपयोगी स्वरूप प्रदान करने, बलिया रेहावन नदी व नालों पर पुल बनवाने के सम्बन्ध में।

10--बुद्ध धर्म स्वीकार करने वाले हरिजनों आदि को सुविधा देने के सम्बन्ध में।

11--गोर्रा नदी के गौरी घाट (झगहा थाने के पास गोरखपुर जनपद में) पर आमरण अनशन पर बैठे श्री गोपाल शुक्ल उर्फ पवन सुत की मांग पर पुल बनवाने पर कोई जिक्र नहीं किया गया जबकि आमरण अनशनकर्त्ता की स्थिति अति चिन्तनीय है।"

26--श्री दिवाकर विक्रम सिंह--

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय:--

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित विषयों का उल्लेख नहीं किया है:--

1--यद्यपि गत वर्ष से इस वर्ष के उत्पादन में लगभग 40 प्रतिशत की वृद्धि हुई है परन्तु गन्ने का मूल्य गत वर्ष से इस वर्ष रु0 1.50 कम कर दिया गया है जिसके फलस्वरूप गन्ना किसानों की आर्थिक स्थिति सुधरने के बजाय और गिर रही है।

2--यद्यपि ग्रामीण क्षेत्रों में यातायात की सुविधा बढ़ाने तथा पुल पुलियों के निर्माण की बात कही गयी परन्तु जनता पार्टी तथा लोकदल के शासनकाल में ग्रामीण अंचलों में बनाए गये मार्गों को पक्का करने की कोई कार्यवाही इस शासन द्वारा नहीं की जा रही है जिसके नाते तमाम मिट्टी के मार्ग कटते चले जा रहे हैं तथा ग्रामीणों द्वारा किया गया अथक परिश्रम बर्बाद होता जा रहा है।

3--बस्ती जनपद में 10 वर्ष पूर्व बने रुधौली बखिरा मार्ग पर आमी नदी का पक्का पुल (छतिया घाट पर) के निर्माण कराने का कोई उल्लेख नहीं किया गया है जबकि उस क्षेत्र की ग्रामीण जनता को सड़क रहते हुए भी पुल न बनने के कारण यातायात की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं हो पा रही है।

4--वर्ष 1976 में त्वरित योजना के अन्तर्गत प्रारम्भ की गयी बेलौहा-धर्मसिंहवा मार्ग (बस्ती जनपद) के शेष छूटे भाग राजेडीहा से धर्मसिंहवा को पूर्ण कराने के सम्बन्ध में।

5--बस्ती जनपद के (1) लोहरौली ठकुराई से गूनाखोर, (2) केशवापुर से अमरडोभा, (3) लोहरौली ठकुराई से जंगल दशहर, (4) डिड़ाई से गोसियारी बाजार होते हुए बलवा सेंगर (5) सुपौली से राजघाट, (6) गनवरिया से हरैया मुसहरा तक बने कच्चे मार्गों को पूर्ण कराने तथा इन्हें पक्का कराने का कोई उल्लेख नहीं किया गया है, जिससे इस ग्रामीण अंचल के निवासियों को यातायात की सुविधा उपलब्ध हो सके।

6--बस्ती जनपद के विकास खण्ड रुधौली के (1) छतरिया, (2) करमहिया, (3) सांड़ीकला, (4) कडसरा, (5) रमवापुर, (6) छितही, (7) महुआर तथा विकास खण्ड सांथा के (1) गगौरा, (2) डिघवा, (3) मिया कटाई, (4) मेलान खुद, (5) बरैनिया तथा विकास खण्ड खेसरहा के (1) कटिया, (2) रैघरपार, (3) सुपौली, (4) पकवापार, (5) फुलवरिया ग्रामों में राजकीय नलकूप लगाने के सम्बन्ध में,

जबकि यह तमाम क्षेत्र असिंचित होने के कारण किसानों के सिंचाई न होने से पैदावार नहीं के बराबर होती है।

7--यद्यपि अभिभाषण में बुनकरों की दशा सुधारने की बात कही गयी है परन्तु बस्ती जनपद के क्रय केन्द्र (1) सांथा, (2) लोहरौली ठकुराई, (3) बिलौहां तथा (4) रुधौली पर बुनकरों द्वारा बेचे गए कपड़े का एक-एक माह तक भुगतान न मिलने के कारण उनकी आर्थिक दशा दिन प्रति दिन अत्यन्त दयनीय होती जा रही है? बुनकरों के उनके द्वारा बेचे गए कपड़े का उन्हें तुरन्त भुगतान दिलाने के सम्बन्ध में।"

27--श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय:--

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित घोषणाएं नहीं कीं:--

1--प्रदेश में व्याप्त शान्ति एवं व्यवस्था के गंभीर संकट और मंत्रिपरिषद के सदस्यों सहित सत्ता में बैठे व्यक्तियों की भर्त्सना करते हुए व्याप्त भ्रष्टाचार तथा उनके द्वारा डाकूओं को एवं अपराधिक तत्वों को संरक्षण देने के कारण डाकू उन्मूलन अभियान की विफलता, फर्जी मुठभेड़ों द्वारा निर्दोष व्यक्तियों की हत्याएं, हरिजनों का कत्लेआम, आर्थिक विकास की गति में गतिरोध के कारण गम्भीर वित्तीय संकट होने के सम्बन्ध में।

2--किसानों को उनके उत्पादन का प्रोत्साहन उचित मूल्य दिलाया जावेगा। क्षेत्रीय विकास समितियों में कोआपसन से भरे जाने वाले पदों को शासकीय नाम से भरे जाने वाले जनतन्त्र विरोधी राजाज्ञा को समाप्त कर 18 वर्ष के मताधिकार पर आधारित मतदाता सूची के अनुसार स्थानीय निकाय तथा जिला परिषद् पद का चुनाव करा कर गठन न किया जावेगा?

3--बेरोजगार युवकों को रोजगार दिया जायेगा। रोजगार न देने पर अन्य प्रदेशों की तरह रोजगार भत्ता दिया जायेगा जो 150 रुपए मासिक से कम नहीं होगा।

4--विश्वविद्यालयों में राजनीतिक कारणों से छात्रों के प्रवेश पर लगी रोक हटाई जाय और काली सूची समाप्त की जाय।

5--प्रदेश में पुलिस गोली से मृत विद्यार्थियों को कम से कम एक लाख रुपए उनके आश्रित परिवारों को मुआवजा दिया जावेगा।

6--शिक्षा को रोजगार से जोड़ा जाये और शिक्षा प्राप्त करने के बाद उनको रोजगार की गारन्टी दी जावेगी?

7--विश्वविद्यालय के छात्र संघों के चुनाव अविलम्ब कराये जावेंगे।

8--समान कार्य और समान वेतन का सिद्धान्त लागू किया जावेगा।

9--तीन वर्ष तक लगातार जिन कर्मचारियों को राजकीय संस्था में कार्य करते हो गये हैं उन सभी का स्थायीकरण किया जावेगा।

10--मंहगाई की विभीषिका को समाप्त कर आवश्यक वस्तुओं की सस्ते दामों पर उपलब्धता सुनिश्चित की जावेगी और कृषि उत्पादन को गति देने हेतु खाद, बीज एवं सिंचाई के उपकरणों पर 50 प्रतिशत सरकारी छूट दी जावेगी।

11--प्रदेश में प्रत्येक कर्मचारी को कम से कम 800 रुपए मासिक वेतन दिया जावेगा।

12--बुन्देलखंड विश्वविद्यालय को आवासीय विश्वविद्यालय बनाया जायेगा और इस प्रकार सभी विषयों की शिक्षा की कमी पूरी की जायेगी।

13--प्रदेश के बुन्देलखण्ड पिछड़े अंचलों के समग्र विकास के लिए भरपूर सहयोग किया जायेगा तथा सिंचाई एवं विद्युतीकरण तथा उद्योगों के विकास के लिए 350 करोड़ रुपए की धनराशि चालू वर्ष में स्वीकृत की जावेगी।

14--बुन्देलखंड क्षेत्र के अति प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्थलों की मरम्मत कराई जावेगी और उनको राजकीय संरक्षण प्रदान किया जायेगा।

15--बुन्देलखण्ड क्षेत्र के बेरोजगार लोगों को उद्योग चलाने के लिए 3 प्रतिशत ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराया जायगा।

16--बुन्देलखण्ड में व्याप्त पेयजल समस्या को चालू वर्ष 1982-83 में समाप्त किया जावेगा।

17--जनपद झांसी की परीक्षा थरमल परियोजना में व्याप्त भ्रष्टाचार की वर्षान्त तक जांच कराकर दोषी अधिकारियों को दंडित किया जावेगा।

28--श्री रुद्र प्रताप सिंह (उपस्थित किया हुआ माना गया)--"

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय--

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है:--

1--देवरिया जनपद में हरिजनों को भूमि का पट्टा नहीं दिया गया है। मात्र कागज में उसे दिखला दिया गया है।

2--देवरिया जनपद में कोई नामी डकैत नहीं मारा गया जबकि गरीब किसान के बेटों को साजिश करके शासन द्वारा मरवाया जा रहा है।

3--सड़क, पुल इत्यादि जो भी जनता शासन में बने थे वे समाप्त हो रहे हैं।

4--देवरिया जनपद के मुख्यालय पर 4 एकड़ 62 डिसमिल जमीन जिलाधिकारी की साजिश से पूर्वांचल प्रौढ़ शिक्षा से निकालकर जीवन मार्ग के निदेशक को, जो पब्लिक स्कूल चलाते हैं, जिनका नाम फादर डिसूजा है, मुख्य मंत्री के नाम से सन्देश भिजवा कर डिसूजा को दे दिया गया है?

5--जो सड़क बनी है उनमें से अधिकांश मात्र मन्त्रियों के क्षेत्र में बनी हैं, जो एक प्रजातांत्रिक सरकार के लिए लज्जाजनक है।

6--उत्तर प्रदेश में गन्ने का दाम पिछले वर्ष से कम किया जा रहा है जबकि सामानों की कीमत बढ़ी है।

7--देवरिया जनपद में ग्राम गौर कोठी टोला धरमपुर, महुआरी इत्यादि ग्रामों में हजारों एकड़ जमीन में पानी की आज तक कोई व्यवस्था नहीं की गयी है।

8—देवरिया जनपद में आज भी बेकारी अपने चरम सीमा पर है, युवक सड़कों पर घूम रहे है।

9—देवरिया जनपद में वन विभाग, नगरपालिका, सिंचाई विभाग, कोआपरेटिव विभाग और अन्य विभाग में भी जिला सेवायोजन कार्यालय से सूची प्राप्त किए बिना ही अनेक नियुक्तियां की गयी हैं और आरक्षण का विरोध अधिकारियों द्वारा किया गया है।

10—देवरिया में हरिजनों के आवास की व्यवस्था आज तक नहीं हुई है।

11—देवरिया जनपद में ग्रामीण युवकों को खेलने, व्यायाम करने की कोई व्यवस्था नहीं की है।

विशेषकर देवरिया जनपद में ग्रामों में बटी जमीनों पर ग्राम के प्रभावशाली लोगों का कब्जा है जिसके कारण ग्रामीण युवकों को खेल का मैदान नहीं मिल पा रहा है। जैसे ग्राम सभा चांदपुर, पिपराईच ग्राम सभा बतरौली टोला सिरसिया, जो देवरिया क्षेत्र में है।"

29—श्री बलवीर सिंह (उपस्थित किया हुआ माना गया)—

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :—

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित घोषणाएं नहीं कीं :—

1—कृषि में काम आने वाले उपकरणों जैसे रासायनिक खाद, डीजल, प्रमाणित बीज, मिट्टी का तेल, कीटनाशक दवाएं, लोहे के खुरपा, फावड़ा, दराती, इंजन, ट्रैक्टर आदि उपकरणों का मूल्य घटाया जायेगा।

2—कृषि उत्पादन के दाम उसकी उत्पादन की लागत के अनुसार पन्त नगर विश्वविद्यालय तथा अन्य कृषि विश्वविद्यालय में कृषि उत्पादन में आने वाली लागत के आंकड़ों को लेकर कम से कम 20 प्रतिशत जोड़ कर कृषि उत्पादन के मूल्यों की घोषणा की जायेगी।

3—पूरे उत्तर प्रदेश में अलाभकर जोतों को जोकि 6 एकड़ से कम हैं, जो कुल जोतों का 70 प्रतिशत है सिंचाई व्यवस्था करके तथा उन कृषकों को कुटीर उद्योग लगाने तथा दुधारू पशुओं के लिए ऋण सुविधा उपलब्ध कराई जायगी। कृषकों को ग्रामीण क्षेत्र में राजकीय नलकूपों तथा निजी नलकूपों को कृषि उत्पादन के लिए तथा लघु उद्योगों के लिए कम से कम 18 घंटे बिजली की व्यवस्था की जायगी तथा इस प्रकार 6 1/4 एकड़ से कम की अलाभकारी जोतों को लाभकारी बनाया जायगा।

4—हर न्याय पंचायत क्षेत्र पर औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र खोले जायेंगे तथा हर पंचायत क्षेत्र पर एक राजकीय लघु उद्योग की स्थापना की जायगी।

5—उ0 प्र0 के गन्ना किसानों के गन्ना के मूल्य का बकाया भुगतान तुरन्त कराया जायगा।

6—ग्रामीण क्षेत्रों में स्नातक तक हर न्याय पंचायत स्तर पर उन छात्र-छात्राओं को निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जायगी जिनके माता पिता की आय आयकर योग्य नहीं है।

7—हर न्याय पंचायत पर डिग्री कालेज, इण्टर कालेज की स्थापना की जायगी।

8—गन्ने का मूल्य जितने रुपए मन चीनी होगी उतने आने मन गन्ना मूल्य होगा, के फार्मूला को कार्यान्वित किया जायगा। जिसके हिसाब से आज का गन्ना का भाव कम से कम यह होने की घोषणा की जायगी।

9—जिला परिषदों, क्षेत्र विकास समितियों, कृषि मण्डी समितियों, महानगर-पालिका, नगर पालिकाओं, टाउन एरिया, पंचायतें, जिला परिषदों, सहकारी समितियों, जिला सहकारी बैंकों, भूमि विकास बैंकों, उ0 प्र0 कोआपरेटिव बैंकों के तुरन्त चुनाव कराए जायेंगे।

10--उ0 प्र0 की हर न्याय पंचायत स्तरीय सहकारी समिति पर गेहूं खरीद सेंटर, खाद बिक्री केन्द्र, तथा ग्रामीण गोदाम की व्यवस्था की जायगी।

11--उ0प्र0 के सभी ग्राम सेवकों, पंचायत सेवकों, गन्ना ग्राम सेवकों नहर के सींचपालों, राजकीय नलकूपों के सींचपालों, लेखपालों तथा ग्राम स्तर के सभी ग्रामीण कर्मचारियों को आवासी सुविधा सुलभ कराई जावेगी।

12--उ0 प्र0 की हर नगरपालिका, टाउन एरिया, नोटीफाइड एरिया में जनरेटर सेट लगा कर पानी बिजली को 24 घंटे की पूर्ति की जायगी ।

13--उ0 प्र0 के गरीबी के स्तर से नीचे रहने वाले सभी गरीबों के हर गरीब का राष्ट्रीय ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत कुटीर उद्योग लघु उद्योग, भैंसा गाड़ी, दुधारू पशुओं के खरीदने के लिए राष्ट्रीय कृत बैंकों से सस्ते दर ब्याज पर ऋण बिना जमानत उपलब्ध कराया जायगा।

14--गरीबी के स्तर के नीचे रहने वाले गरीबों को ऋण के स्वीकृत पत्र जिलाधिकारियों द्वारा वितरित किए जा चुके हैं उनको तुरन्त बिला जमानत राष्ट्रीय कृत बैंकों से सस्ते ब्याज पर ऋण तुरन्त सुलभ कराया जायगा जबकि अभी तक 10 प्रतिशत को ही स्वीकृति पत्र जारी किए गये गरीबों तथा हरिजनों को राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा जमानतों पर ही सुलभ कराया गया बाकी 90 प्रतिशत गरीब हरिजन लोग स्वीकृति-पत्र लिए-लिए घूम रहे हैं। राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा ऋण सुलभ कराने की व्यवस्था नहीं की जा रही व्यवस्था की जायगी ।

15--उ0 प्र0 के बेरोजगार स्नातकों को बेरोजगारी भत्ता दिया जायगा तथा सभी पढ़े लिखे बेरोजगारों को औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र द्वारा प्रशिक्षण दिया जायगा, साथ में छात्रवृत्ति भी दी जायगी ।

16--उ0 प्र0 कृषि उत्पादन मण्डी समितियों द्वारा उगाहे गये मण्डी शुल्क जोकि करोड़ों रुपए की संख्या में पड़ी है, को ग्रामीण क्षेत्र में सड़कों, पुलों के निर्माण के लिए तुरन्त खर्च किया जायगा।

17--रामपुर जनपद की तहसील बिलासपुर तथा रामपुर की कृषि उत्पादन मण्डी समिति में उगाही गयी मण्डी शुल्क जो कि मु0 50 लाख रुपए को तुरन्त ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों, पुलियों के निर्माण पर लगाया जायगा ।

18--रामपुर में छात्रों के कालेज में बायलोजी विषय खोला जायगा ।

19--रामपुर जनपद में स्वार तहसील की बहाला नदी पर पुल बनाया जायगा।

20--रामपुर जनपद में पिछले वर्ष 1980-81 तथा 1981-82 में सार्वजनिक निर्माण विभाग की ओर से किसी भी सड़क का कोई नया निर्माण नहीं किया गया। वर्ष 1982-83 में कम से कम तीन सौ किलोमीटर नई सड़क पक्की बनाई जायगी ?

21--रामपुर जनपद सन् 1974 से पिछड़ा जिला घोषित है। नये उद्योग लगाने वाले को (कैपिटल सबसिडी) पूंजी पर छूट दी जायगी।

22--रामपुर जनपद पिछड़ा है जिसके कारण नैनीताल जिले की भांति जोकि रामपुर जनपद के साथ सटा है कुटीर उद्योगों, लघु उद्योगों को, कृषकों को ग्रामीण क्षेत्रों में 24 घंटे बिजली दी जायगी ।

23--रामपुर जनपद में हाई कोर्ट की बेंच की स्थापना की जायगी।

24--रामपुर जनपद में एक मेडिकल कालेज की स्थापना की जायगी ।

25--रामपुर जनपद में प्रदेश सरकार की ओर से एक बड़ा उद्योग लगाया जायगा।

26—रामपुर जनपद शिक्षा में पूरे भारत में सबसे पिछड़ा जिला है, की हर तहसील तथा ब्लाक स्तर पर इण्टर कालेज, डिग्री कालेज खोला जायगा।

27—रामपुर जनपद की तहसील स्वार में महिला अस्पताल में महिला डाक्टर भेजा जायगा ।

28—रामपुर पूरे जनपद में सी क्लास नहरें हैं, जिनकी क्षमता 25 प्रतिशत सिंचाई की होने के कारण बाकी 75 प्रतिशत में हर 250 एकड़ भूमि पर राजकीय नलकूप का निर्माण कराया जायगा ।

29—रामपुर जनपद में सुन्दर लाल इण्टर कालेज, रामपुर तथा जैन इण्टर कालेज, रामपुर में वाणिज्य विषय खोला जायगा।"

30—श्री राम कृष्ण माहेश्वरी (उपस्थित किया हुआ माना गया)—

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :—

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल के अभिभाषण में—

1—लघु एवं कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन एवं सुविधाजनक रीति से ऋण प्राप्ति की योजना की घोषणा नहीं की गयी ।

2—खाण्डसारी उद्योग के प्रोत्साहन एवं विकास हेतु घोषणा नहीं की गयी।

3—बिक्री-कर में छूट एवं व्यापारियों को अन्य करों में राहत देने की घोषणा नहीं की गयी ।

4—कांठ (मुरादाबाद) विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम रजबपुर में राजकीय चिकित्सालय के निर्माण की, सूत मिल व चीनी मिल स्थापित करने की एवं ग्राम रवाना से ग्राम नन्हैडा होकर कैलसा तक पक्की सड़क एवं पुल की योजना की घोषणा नहीं की गयी ।

5—कांठ (मुरादाबाद) विधान सभा क्षेत्र में नये राजकीय नलकूप, विद्यालय एवं गांव सम्पर्क मार्ग बनाने की घोषणा नहीं की गयी ।"

31—श्री प्रदीप कुमार यादव तथा श्री मुख्तार अनीस (उपस्थित किया हुआ माना गया)

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया—

1—प्रदेश के सामान्य जन का खाना इतना कम और खराब हो गया है कि बच्चे मां के पेट से ही बीमार होते हैं अथवा कुपोषण के कारण बचपन में ही बीमार हो जाते हैं। विशेषज्ञों की राय है कि निकट भविष्य में गांव-गांव, गली-गली और घर-घर में अपंग बच्चे करोड़ों की संख्या में हो जायेंगे।

2—गंगा-यमुना, गोमती, घाघरा सभी नदियों का पानी दूषित है और इंसान के इस्तेमाल लायक नहीं रह गया है। साफ पीने का पानी दस-पन्द्रह प्रतिशत लोगों को ही मयस्सर है ।

3—कानून कायदा का राज खत्म है । सड़क, रेल, बाजार, हाट यहां तक कि अपने घर में भी आम आदमी की जान-माल और इज्जत सुरक्षित नहीं रह गई है ।

4—भाषा, जाति और सम्प्रदाय के नित्य नये झगड़े खड़े करके गद्दी नसीन पार्टी ने अपने को देश तोड़क दल में ही बदल लिया है ।

5—बिजली, कोयला और तेल की कमी से उत्पादन, कृषि और औद्योगिक दोनों चौपट हैं और हर उपभोक्ता परेशान है ।

6—सीमेन्ट और किरोसिन तेल जैसी आवश्यक वस्तुएं बाजार से गायब हैं ।

7—विकास न केवल ठप है अपितु पीछे जा रहा है जिससे बेरोजगारी बराबर बढ़ रही है और भयंकर रूप धारण कर लिया है।

8—मंत्रि परिषद के सदस्य पक्षपात और भ्रष्टाचार में डूबे हैं। परिणाम-स्वरूप सारे सरकारी दफ्तरों और मोहकमों में भ्रष्टाचार व्याप्त है।

9—शारदा सहायक समानान्तर शाखा दरियाबाद बाराबंकी के जल स्राव (गर्की) से जिला बाराबंकी की तहसील रामसनेहीघाट व फतेहपुर के असंख्य किसान प्रभावित है। पानी में निरन्तर साल भर डूबे हुए उनके खेतों में कई सालों से अन्न का दाना नहीं हुआ जिससे वे भुखमरी के शिकार हैं। ऊपर से ऐसे खेतों का उनसे लगान व सींच भी वसूले जाते हैं। सामानान्तर शाखा के किनारे आबाद गांवों के लोग रातें जग कर काट रहे हैं। उनको हर समय भय रहता है कि कहीं उनके घर पाताल में ही न धंस जायं।

10—बस किराया व भाड़ा, लगान, सींच, बिजली रेट आदि में रोज-रोज वृद्धि करके सरकार स्वयं गरीबी बढ़ा रही है।

11—किसानों को उनकी उपज का मूल्य दिलवाने में सरकार असमर्थ और विफल है।

12—सहकारी संस्थाओं, जिला परिषदों तथा क्षेत्र समितियों में सदस्यों का मनोनयन अलोकतांत्रिक एवं असंवैधानिक है।"

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

पी0 एस0 यू0 पी0-एल0 351 वि0 सभा (625)-1983-813।